सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण
पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश में
प्रतिपूरक वनीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	iii
कार्यकारी सारांश	-	v
अध्याय I: परिचय		
हिमाचल प्रदेश में वनों की प्रास्थिति	1.1	2
वन भूमि के अपवर्तन की आवश्यकता वाली परिस्थितियां	1.2	3
प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता	1.3	3
वन मंजूरी देने की प्रक्रिया	1.4	6
वन विभाग की संगठनात्मक संरचना	1.5	8
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.6	9
लेखापरीक्षा मानदंड	1.7	10
लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.8	10
लेखापरीक्षा को अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत न करना	1.9	12
आभार	1.10	13
अध्याय II: हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण)		
परिचय	2.1	15
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.2	21
वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता	2.3	25
निष्कर्ष	2.4	30
सिफारिशें	2.5	30
अध्याय III: वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपवर्तन के प्रस्ताव		
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2020-21 के मध्य प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रास्थिति	3.1	31
निष्कर्ष	3.2	51
सिफारिशें	3.3	51
अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां		
परिचय	4.1	53
प्रतिपूरक वनीकरण की योजना एवं कार्यान्वयन में पाई गई कमियां	4.2	55
स्वतंत्र प्रतिपूरक वनीकरण मामलों में देखी गईं कमियां	4.3	61
अन्य कमियां	4.4	80
निष्कर्ष	4.5	83
सिफारिशें	4.6	84

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
अध्याय V: जलागम क्षेत्र शोधन योजना		
जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं	5.1	85
राज्य में जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की प्रास्थिति	5.2	86
ख़राब निगरानी के कारण जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के तहत निधियों की अल्प वसूली	5.3	87
बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना मामले का अध्ययन (केस स्टडी)	5.4	89
निष्कर्ष	5.5	104
सिफारिशें	5.6	105
अध्याय VI: प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन		
परिचय	6.1	107
प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन	6.2	107
सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर भू-स्थानिक अध्ययन	6.3	123
निष्कर्ष	6.4	127
सिफारिशें	6.5	128
परिशिष्ट		131

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण मामलों एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की दक्षता का आकलन करने के लिए अप्रैल 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानानुसार संचालित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अंतर्विष्ट हैं। वर्ष 2021-22 के आंकड़े यथोचित स्थानों पर समाविष्ट किए गए हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए (मार्च 2017) लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हिमाचल प्रदेश के वन गाद रोकने, वर्षा जल की प्रचंडता को कम करने तथा पीने व कृषि उद्देश्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एक महत्वपूर्ण केंद्रीय विधान है जो विभिन्न विकास उद्देश्यों के लिए वन भूमि के केवल अपरिहार्य उपयोग की अनुमति देता है तथा प्रतिपूरक वनीकरण के माध्यम से वनावरण के पुनर्जनन का प्रावधान करता है।

वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया तंत्र दक्ष व प्रभावी ढंग से एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित हो रहा था एवं क्या नियमों के तहत प्रदान की गई प्रतिपूरक वनीकरण व जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की गई थी।

इस प्रतिवेदन में प्रतिपूरक वनीकरण मामलों एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की दक्षता का आंकलन करने के लिए अप्रैल 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावी कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल करते हुए "हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। वर्ष 2021-22 के आंकड़े यथोचित स्थानों पर सम्मिलित किए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों, जिसमें रिपोर्टिंग शाखाएं, हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण), अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना एवं समायोजन) व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) शामिल हैं, के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। लेखापरीक्षा नमूने में नौ मण्डल (37 क्षेत्रीय मण्डलों में से) लिए गए थे, जिनका चयन उनके निष्पादन के मूल्यांकनार्थ स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के माध्यम से विस्तृत जांच हेतु किया गया था।

राज्य प्राधिकरण की बैठकें निर्धारित अंतराल पर आयोजित नहीं की गईं एवं राज्य प्राधिकरण प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण पर व्यय हेतु प्रस्तावित निधियों का भी उपयोग नहीं कर पाया और वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निधियों के उपयोग में ₹ 169.73 करोड़ (20 प्रतिशत) की कमी रही। राज्य के स्वयं के राज्य कोष के गठन के बावजूद, प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, प्रयोक्ता एजेंसियों ने फरवरी 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में निधियां जमा करना जारी रखा। निवल वर्तमान मूल्य के राशि के उपयोग पर पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान अवक्रमित वन भूमि के विकास घटक के अंतर्गत नेचर/इको पार्कों के विकास पर ₹ 6.51 करोड़ का अनुचित व्यय किया गया। वर्ष 2019-20 से 2020-21 की राज्य प्राधिकरण की वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों (जलविद्युत परियोजनाएं, सड़क, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि) द्वारा 1,018 मामले वन मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 766 मामले अनुमोदन हेतु लंबित थे। इन 766 मामलों में से 17 प्रतिशत मामले राज्य वन विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित थे, जबकि शेष मामले प्रयोक्ता एजेंसियों के स्तर पर लंबित थे। अनुमोदित वन संरक्षण अधिनियम मामलों में सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में विभिन्न स्तरों पर आठ प्रतिशत (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) से 93 प्रतिशत (नोडल अधिकारी से राज्य सरकार तक) तक का विलम्ब देखा गया। चयनित मण्डलों में प्रतिपूरक वनीकरण मामलों के 360 डिग्री विश्लेषण से पता चला कि राज्य सरकार ने अपूर्ण डाटा (विवरण) प्रस्तुत किया एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभाग में विभिन्न स्तरों पर आवेदनों पर प्रक्रिया करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का गलत डेटा (केएमएल फाइलें) अपलोड किया गया था, जो राज्य/केंद्र स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। पाया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य निर्दिष्ट खुले अवक्रमित वनों के बाहर किया जा रहा था एवं इन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर अतिक्रमण के मामले भी पाए गए।

वन संरक्षण अधिनियम मामलों के त्वरित निपटानार्थ प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि बैंक चिह्नित करने की राज्य स्तरीय समिति के गठन के बाद भी लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान कोई भूमि बैंक चिह्नित नहीं किया जा सका। चयनित मण्डलों में की गई प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी रही। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित 5,213 हेक्टेयर के सापेक्ष केवल 4,284 हेक्टेयर में ही प्रतिपूरक वनीकरण किया गया। एक से दो वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण न करने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि भूमि एवं वृक्षों की हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी, साथ ही लागत वृद्धि के कारण 69 मामलों में ₹ 8.72 करोड़ की अतिरिक्त देयता भी निर्मित हुई। 194 मामलों में वृक्षारोपण में विलम्ब, पर्यावरणीय हानि की विलम्बित क्षतिपूर्ति/ क्षतिपूर्ति न होने, इस वृक्षारोपण के रखरखाव पर ₹ 2.03 करोड़ के व्यय आधिक्य एवं ₹ 12.87 करोड़ की देयता के रूप में परिणत हुआ। नमूना-जांचित 71 प्रतिशत मामलों में मण्डलों ने प्रतिपूरक वनीकरण स्थल परिवर्तित कर दिया एवं अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि प्रतिपूरक वनीकरण की

अवस्थिति में परिवर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण की ₹ 3.29 करोड़ लागत की अल्प वसूली हुई, क्योंकि विभाग ने आगामी वर्षों में निर्धारित कार्यों की अनुमानित लागत वृद्धि हेतु यथोचित प्रावधान नहीं रखा।

दो परियोजना प्रस्तावकों के पक्ष में अपवर्तित किए गए वन क्षेत्र के बराबर खुले अवक्रमित वन के पुनर्जनन की लागत ₹ 5.53 करोड़ थी, जिसकी मांग/वसूली प्रयोक्ता एजेंसी से नहीं की गई। प्रयोक्ता एजेंसी ने टैक्सस बैकाटा के वृक्षारोपण की अनुमोदित योजनानुसार विभागीय प्रभार सहित वृक्षारोपण की लागत जमा नहीं की, जो ₹ 1.86 करोड़ की अवसूली में परिणत हुआ। इसी भांति विभाग अटल टनल, रोहतांग दर्रे के निर्माण से संबंधित ₹ 12.09 करोड़ की लागत वाली मलबा पुनर्वास योजना को मंजूरी के 13 वर्ष बाद भी लागू करने में विफल रहा। प्रयोक्ता एजेंसी ने कोई निधि जमा नहीं की।

एक परियोजना में विभाग ₹ 1.71 करोड़ के उपयोग के बाद भी अवक्रमित वन भूमि के पुनर्जनन की अतिरिक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त उक्त निधियों के उपयोग में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में निधियां जमा न करना, कैशबुक का अनुचित अनुरक्षण/अनुरक्षण न करना, वास्तविक व्यय किए बिना उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, निधियों की जानकारी में कमी, वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से व्यय न करना, लेखापरीक्षा को गलत/भ्रामक उत्तर प्रस्तुत करना व बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना जैसे दृष्टांत पाए गए।

₹ 1.01 करोड़ के व्ययोपरांत भी विभाग हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन के तहत कोई वृक्षारोपण नहीं कर सका और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 500 हेक्टेयर हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन स्थापित करने की अतिरिक्त शर्त अपूर्ण रही। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का चार वर्षों तक उल्लंघन करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी को ₹ 3.29 करोड़ के सामान्य निवल वर्तमान मूल्य के दोगुने के बराबर शास्ति का भुगतान करना था, हालांकि विभाग इसकी वसूली करने में विफल रहा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना एवं मण्डल की कार्य-योजना में वन अतिथिगृहों के निर्माण के प्रावधान के बिना ₹ 3.06 करोड़ की लागत पर पांच नए विश्रामगृह बनाए गए (जिनमें वीआईपी कमरों सहित आठ कमरे हैं)।

जलागम क्षेत्र शोधन योजना 10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली प्रस्तावित सिंचाई/जलविद्युत परियोजनाओं के जलागम क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने व बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक योजना है। विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों से देय निधियों, वास्तव

में जमा की गई निधियों एवं उनके सापेक्ष किए गए व्यय के संदर्भ में राज्य में परिचालित जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं से संबंधित विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए, जो निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है। विभाग संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार जल विद्युत परियोजना की लागत वृद्धि के विषय में अनभिज्ञ था अतः प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 198.73 करोड़ की निधि की अतिरिक्त मांग करने में विफल रहा। तीन जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार स्थापित क्षमता 10 मेगावाट से अधिक तक बढ़ा दी गई। हालांकि वन विभाग इस बढ़ी हुई क्षमता से अनभिज्ञ था व इन जलविद्युत परियोजनाओं से संदर्भित अधिकतम ₹ 8.48 करोड़ निधियों की मांग नहीं की, साथ ही इन तीन जलविद्युत परियोजनाओं हेतु कोई जलागम क्षेत्र शोधन योजना निरुपित नहीं की गई। बजोली होली जल विद्युत परियोजनार्थ चयनित जलागम क्षेत्र शोधन योजना की नमूना-जांच से पता चला कि मण्डल निर्धारित समयावधि के भीतर वनीकरण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहा और स्थल निरीक्षण किए बिना ही वृक्षारोपण स्थलों को परिवर्तित कर दिया गया। मण्डल ने जलागम क्षेत्र शोधन योजनांतर्गत निर्धारित अध्ययन नहीं किए। मण्डल ने जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कार्य जैसे बाउंड्री पिल्लर्स की मरम्मत, अग्निशमन लाइनों का निर्माण, ऊर्जा बचत उपकरणों का वितरण एवं गाद पर्यवेक्षण चौकियों का निर्माण प्रारंभ तक नहीं किया। इसके अतिरिक्त जलागम क्षेत्र शोधन योजना के कार्यान्वयन की कोई निगरानी व मूल्यांकन नहीं किया गया।

22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के भू-स्थानिक अध्ययन के दौरान पाया गया कि विभाग ने खुले अवक्रमित वनों के बाहर व्यर्थ/अनियमित प्रतिपूरक वनीकरण किया, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 83 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण कार्य खुले अवक्रमित वनों के बाहर किया गया। यह भी पाया गया कि 47 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण बहुत सघन वन/मध्यम सघन वन में किया गया, जो इन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन पर संदेह उत्पन्न करता है (क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही सघन वन मौजूद थे)। वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चयन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था एवं विभाग राज्य के खुले अवक्रमित वन क्षेत्र में भूमि बैंकों/उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चिह्नित करने के लिए उसके भौगोलिक सूचना प्रणाली सेल के पास उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करने में भी विफल रहा।

भू-स्थानिक अध्ययन में छः प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर संरचनाओं (निर्मित क्षेत्र) एवं 11 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर कृषि किए जाने के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर संभावित अतिक्रमण को भी इंगित किया। इसके अतिरिक्त सात आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में संरचनाओं (निर्मित क्षेत्र) की उपस्थिति देखी गई एवं 10 आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में कृषि होना देखा गया।

इस प्रकार निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्य में वनावरण के संबंध में सूचना/आंकड़ों से संबंधित चूक/त्रुटियां एवं वनावरण में शामिल एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव उजागर हुआ।

सिफारिशें:

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में राज्य सरकार निधियों का इष्टतम उपयोग व राज्य प्राधिकरण के अधीन कार्यों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्राधिकरण की निर्धारित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें। वार्षिक लेखाओं एवं रिपोर्टों को समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करें।

विभाग वन संरक्षण अधिनियम मामलों के सैद्धांतिक अनुमोदन में लंबितता एवं विलम्ब घटाने हेतु उचित क़दम उठाएं। ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के विवरण संबंधी सही जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें। विभाग प्रतिपूरक वनीकरण में लागत-वृद्धि व लंबितता से बचने के लिए वन संरक्षण अधिनियम मंजूरी के मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण का अनिवार्य व समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। वन संरक्षण अधिनियम मामलों के त्वरित निपटानार्थ भूमि बैंक चिह्नित करें एवं प्राप्त किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की सही स्थिति तक पहुंचने के लिए वन संरक्षण अधिनियम मामलों एवं उनके सापेक्ष किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का केंद्रीकृत डेटाबेस अनुरक्षित करें।

विभाग वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमोदन देने के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने व निगरानी करने हेतु एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र निर्मित करें। वे अनुमोदित योजनाओं से विचलन के मामलों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करने के लिए उचित कार्रवाई हेतु मामलों की समीक्षा करें एवं निधियों के संभावित दुरुपयोग के मामलों की जांच करें।

विभाग नियमित निगरानी हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से देय निधि, वास्तव में जमा की गई निधि एवं किये गए व्यय के संदर्भ में राज्य की जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं हेतु केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने पर विचार करें। वे अंतिम अनुमोदनोपरांत जलविद्युत परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाएं ताकि परियोजना की लागत व क्षमता में परिवर्तन का पता लगाया जा सके एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं का समयबद्ध निरूपण/संशोधन सुनिश्चित किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की नियमित निगरानी व मूल्यांकन करें कि जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के निर्देशों का कठोरता से एवं निर्धारित समयावधि के भीतर पालन किया जा रहा है।

विभाग खुले अवक्रमित वन के अंतर्गत भूमि बैंकों/उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चिह्नित करने हेतु उसके जीआईएस अनुभाग के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग करने पर विचार करें

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य निर्दिष्ट चयनित स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। वह मध्यम सघन वन/अति सघन वन क्षेत्रों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के मामलों की जांच करें एवं जहां आवश्यक हो, जिम्मेदारी तय करें। वह प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की चयन प्रक्रिया एवं निष्पादन के दौरान अवस्थिति में बाद के परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करने के साथ अवस्थिति के अनधिकृत परिवर्तन वाले मामलों में ज़िम्मेदारी तय करें।

विभाग प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं सीमांकित संरक्षित वनों/ आरक्षित वनों को अतिक्रमण मुक्त रखना सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने पर एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण के मामलों की जांच एवं दोषियों पर क़ानूनी कार्रवाई करने पर विचार करें।

अध्याय ।

परिचय

अध्याय I
परिचय

वन पृथ्वी पर जीवन-समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं और इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा एवं औषधियों के स्रोत हैं। वन अपने सौंदर्य व सांस्कृतिक मूल्यों के अतिरिक्त जैव विविधता के समृद्ध भंडार के रूप में भी कार्य करते हैं एवं वायु गुणवत्ता व जलवायु के विनियमन, मिट्टी के निर्माण एवं पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में उनकी भूमिका के लिए पहचाने जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन एवं अन्य चरम घटनाओं के खतरे को कम करने में भी इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48अ में यह अपेक्षित है कि देश में पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार हेतु राज्य वनों और वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51अ के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों व वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। सतत विकास लक्ष्य 15 में "स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग के रक्षण, पुनर्स्थापन एवं प्रोत्साहन, वनों के स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से लड़ना, भू-क्षरण पर विराम और उसे उलटना एवं जैव विविधता की हानि पर रोक" को लक्षित किया गया है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के वास्तविक कार्यान्वयन की पहचान करके इस लक्ष्य का समर्थन करना है।

मानचित्र 1.1: हिमाचल प्रदेश का वनावरण मानचित्र

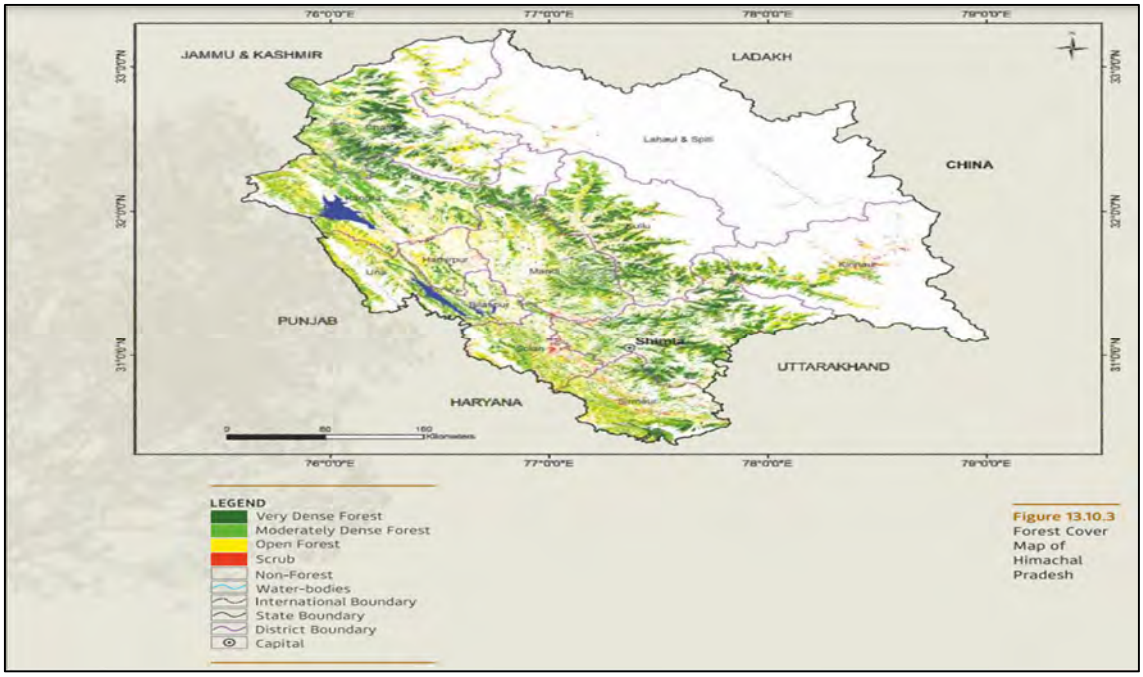

स्त्रोत: भारत के राज्य की वन रिपोर्ट 2021

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं उसके तहत बनाए गए नियम राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों की योजनाओं को शासित करते हैं।

1.1 हिमाचल प्रदेश में वनों की प्रास्थिति

राज्य के वन ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज व यमुना सहित पांच प्रमुख नदियों के महत्वपूर्ण जलागम क्षेत्र हैं। ये वन न केवल आस-पास के राज्यों के मैदानी-क्षेत्रों में कृषि-वानिकी प्रणाली का समर्थन करते हैं अपितु राज्य एवं राष्ट्र की जल विद्युत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.69 प्रतिशत है। राज्य के सभी 12 जिले पहाड़ी जिले हैं। राज्य का लगभग एक-तिहाई क्षेत्र स्थायी रूप से बर्फ, ग्लेशियर और ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। कठोर जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में वृक्षों की वृद्धि न्यूनतम होती है। राज्य का अभिलिखित वन क्षेत्र[1] 37,948 वर्ग किलोमीटर है जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत है। हालांकि वन के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र केवल 15,443 वर्ग किलोमीटर है जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 27.73 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में कम से कम दो तिहाई यानी 66 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन होने चाहिए। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक दो लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत[2] वनावरण के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। शेष अभिलिखित वन क्षेत्र बंजर भूमि है। वनों के वर्गीकरण की श्रेणियों का विवरण नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: अभिलिखित वन क्षेत्र

क्र. सं.	वर्गीकरण	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	55,673	100.00
2	विधिक रूप से वर्गीकृत वन क्षेत्र	37,948	68.16
3	**वनावरण के अंतर्गत क्षेत्र**	**15,443**	**27.73**
वनावरण के अंतर्गत क्षेत्र का विभाजन			
i)	अति सघन वन[3]	3,163	
ii)	मध्यम सघन वन[4]	7,100	
iii)	खुले वन[5]	5,180	

स्रोत: भारत वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 व हिमाचल प्रदेश वन विभाग सांख्यिकी रिपोर्ट 2019

[1] सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र में शामिल हैं। इनमें भारतीय वन अधिनियम 1927 या इसके समकक्ष राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गठित बड़े पैमाने पर आरक्षित वन व संरक्षित वन सम्मिलित हैं। वे क्षेत्र जो राजस्व अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज हैं या किसी अन्य राज्य अधिनियम या स्थानीय कानून के तहत गठित किए गए हैं, उन्हें भी अभिलिखित वन क्षेत्र में लिया गया है।

[2] दृष्टि हिमाचल प्रदेश - 2030 दस्तावेज़ के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार का आधिकारिक सतत विकास लक्ष्य दस्तावेज़।

[3] 70 प्रतिशत और उससे अधिक के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।

[4] 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।

[5] 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।

वर्ष 2011 से 2021 की अवधि के दौरान वनावरण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 1.1** में दी गई है।

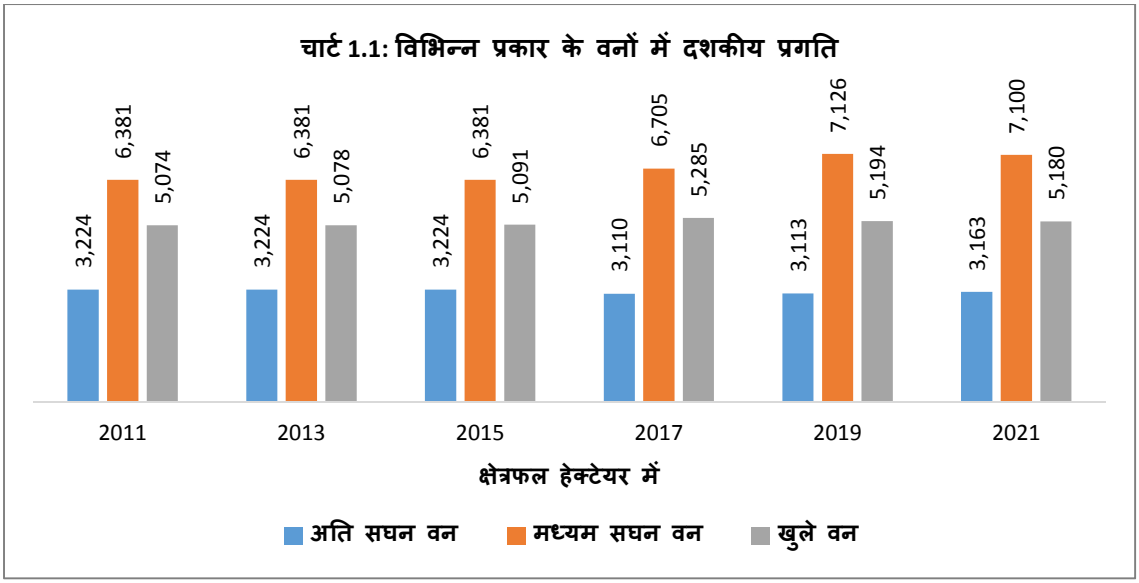

स्रोत: संबंधित वर्षों की भारत वन स्थिति रिपोर्ट। आंकड़े एक दशक में विभिन्न प्रकार के वनों के द्विवार्षिक वितरण को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.1 से स्पष्ट है कि मध्यम सघन वन एवं खुले वन के अंतर्गत आए क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि जबकि अति सघन वन के अंतर्गत आए क्षेत्र में मामूली गिरावट पाई गई।

1.2 वन भूमि के अपवर्तन की आवश्यकता वाली परिस्थितियां

वनों का उपयोग आमतौर पर पूरी तरह या आंशिक रूप से वनों पर निर्भर वनवासियों, ग्रामीणों एवं अन्य लोगों या प्रजातियों की जीवनशैली और उनके हित के लिए किया जाता है। इनका उपयोग प्राकृतिक संरक्षण-क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, जीवमंडल संरक्षण-क्षेत्र (बायोस्फीयर रिजर्वों), वनस्पतियों व जीवों की किसी भी लुप्तप्राय या विलोपोंमुखी प्रजातियों के आवास के रूप में एवं नदी घाटी या जलविद्युत परियोजनाओं के कारण अपने निवास से विस्थापित व्यक्तियों के दूसरों के बीच पुनर्वास एवं कृषि उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। वन भूमि सामान्यतः विद्युत परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, रेलवे, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, दूरसंचार, पेयजल सुविधाओं व खनन जैसे वनेत्तर प्रयोजनों हेतु विकासात्मक गतिविधियों की सुविधा हेतु अपवर्तित की जाती है। वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन मंजूरी देने की प्रक्रिया आगामी परिच्छेदों में स्पष्ट की गई है।

1.3 प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता

वनेत्तर उपयोगार्थ वन भूमि का अपवर्तन 'वृक्ष के बदले वृक्ष' और 'भूमि के बदले भूमि' की अवधारणा पर आधारित है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में कहा गया है कि प्रतिपूरक

वनीकरण हेतु वनेत्तर भूमि यथासंभव आरक्षित वन या संरक्षित वन से लगे हुए या समीप क्षेत्र में चिह्नित की जाए। यदि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वनेत्तर भूमि उसी जिले में उपलब्ध नहीं है, तो इसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कहीं और चिह्नित किया जाए। यदि सम्पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वनेत्तर भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रयोक्ता एजेंसी अपवर्तित वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण निर्मित करने हेतु निधियां उपलब्ध कराए। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त वनेत्तर भूमि की अनुपलब्धता को केंद्र सरकार द्वारा केवल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव का प्रमाणपत्र मिलने पर ही स्वीकार किया जाएगा। केन्द्र सरकार या केन्द्रीय उपक्रम के मामले में नदी तल से लघु खनिज निष्कर्षण, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, लघु जल कार्य, लघु सिंचाई कार्य व ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने जैसी परियोजनाओं हेतु अवक्रमित वन भूमि पर वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल पर प्रतिपूरक वनीकरण सृजित किया जाए।

वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन की शर्तों के घटकों को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन के घटक

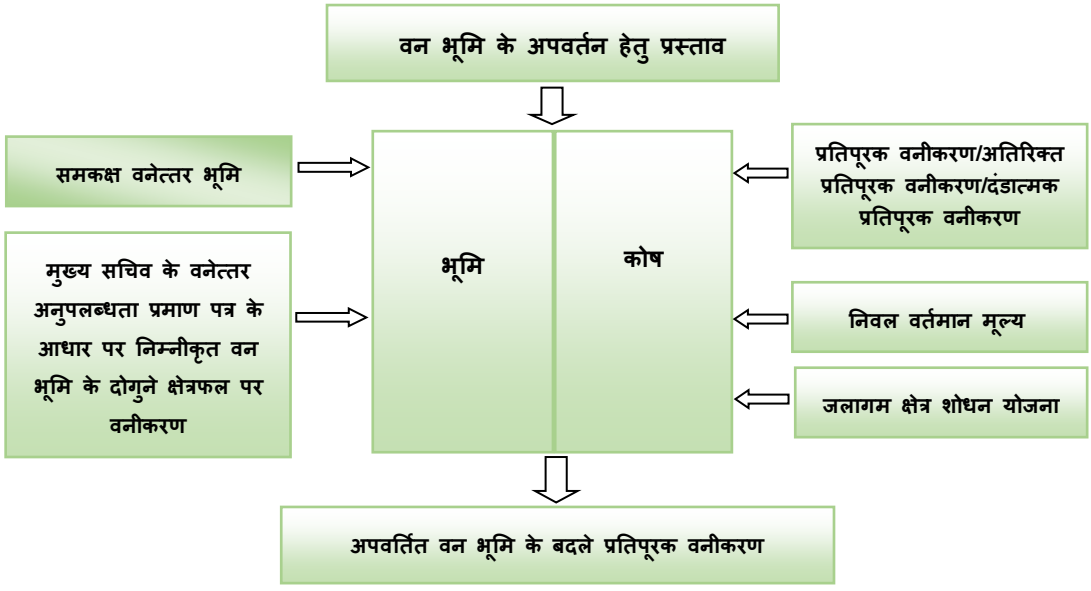

स्रोत: वन संरक्षण अधिनियम 1980 व वन संरक्षण नियम 2003

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार अनुमोदित विकासात्मक परियोजना की प्रयोक्ता एजेंसी उन वनों के पुनर्जनन (पुनरुत्थान) हेतु धन उपलब्ध कराएगी जिन्हें परियोजनार्थ अपवर्तित करने की मांग की जा रही हो। यह पुनरुत्थान राज्य प्राधिकारियों द्वारा किसी अन्य निर्दिष्ट व अनुमोदित स्थान पर किया जाए। योजनानुसार ऐसे मामले में जहां प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निजी वनेत्तर भूमि प्रदान की जाती है, वहां अपवर्तित की गई वन भूमि के बराबर क्षेत्र में वनीकरण किया जाए। यद्यपि उस मामले में जहां निजी वन भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां

अपवर्तित वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में खुले अवक्रमित वन (खुले वन) में वनीकरण किया जाना आवश्यक है।

प्रयोक्ता एजेंसी को हेक्टेयर में अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्र, अपवर्तित करने वाले वन की प्रकृति, प्रस्तावित परियोजना की प्रकृति, प्रारंभ की जाने वाली परियोजना की प्रकृति, क्षेत्र की प्रकृति यथा जनजातीय अथवा गैर-जनजातीय, वन स्थल की निकटता, इत्यादि पर आधारित निर्धारित दरों पर धन उपलब्ध कराना अपेक्षित है। प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों हेतु प्रति हेक्टेयर दर प्रत्येक वर्ष अधिसूचित की जाती है एवं प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतु अपेक्षित धन के परिकलन हेतु वन मंडलाधिकारी स्तर पर गणना की जाती है। अपेक्षित धन अधिसूचित दरों के आधार वृक्षारोपण की मूल लागत एवं 10 वर्षों में रखरखाव लागत के आधार पर परिकलित किया जाता है। प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में प्रयोक्ता एजेंसी को दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण करना भी अपेक्षित है।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 6 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण[6], अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण[7], दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण[8], अपवर्तित वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य[9] या जलागम क्षेत्र शोधन[10] योजना आदि के लिए प्राप्त धन को वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत साइट-स्पेसिफिक योजनाओं के अनुसार उपयोग किया जाना अपेक्षित है। धन प्राप्ति के पश्चात् राज्य वन विभाग को एक वर्ष या दो वर्ष की अवधि के भीतर उस वनीकरण को पूर्ण करना होता है, जिसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि में धन जमा किया गया है। इन निधियों का उपयोग वन एवं वन्यजीव प्रबंधन के विकास, रखरखाव व सुरक्षा हेतु किया जाए।

---

6 वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए प्रतिपूरक वनीकरण सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता/शर्तों में से एक है तथा इसका उद्देश्य 'भूमि से भूमि' व 'वृक्ष से वृक्ष' की हानि की पूर्ति करना है।

7 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त भी अधिरोपित करता है।

8 दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण का अर्थ है कि जिस अधिकतम क्षेत्र के स्थान पर वनेत्तर गतिविधियां की गई हैं वहां वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रतिपूरक वनीकरण से अधिक वनीकरण किया गया हैं।

9 निवल वर्तमान मूल्य का अर्थ है वनेत्तर उपयोगों के लिए पथांतरित वन क्षेत्र हेतु प्रदान की गई पर्यावरणीय सेवाओं का परिमाणन, जैसाकि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

10 जलागम क्षेत्र शोधन योजना मृदा व नमी के संरक्षण एवं जल व्यवस्था के प्रबंधन हेतु साइट-स्पेसिफिक जैविक व इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से प्रस्तावित सिंचाई/जलविद्युत परियोजना के जलागम क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण व आवश्यक योजना है। छोटी जल विद्युत परियोजनाओं (अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता तक) को छोड़कर, सिंचाई/जलविद्युत परियोजनाओं हेतु वन भूमि के अपवर्तन प्रस्ताव के साथ हमेशा विस्तृत जलागम क्षेत्र शोधन योजना संलग्न की जाए।

वनेत्तर उपयोग के लिए अपवर्तित की गई वन भूमि से मूर्त व अमूर्त लाभों की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राकृतिक वनों को हुए नुकसान की पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए भूमि का निवल वर्तमान मूल्य वसूल किया जाए। इस तरह निधियों का उपयोग प्राकृतिक सहायता प्राप्त पुनर्जनन, वन प्रबंधन व सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण व प्रबंधन, लकड़ी व अन्य वन उपज की आपूर्ति, ऊर्जा-बचत उपकरणों तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जाए।

1.4 वन मंजूरी देने की प्रक्रिया

प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी, जो किसी वन भूमि का उपयोग वनेत्तर प्रयोजनार्थ (वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत) करना चाहती है, उसे संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी,[11] वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को प्रस्ताव देना एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त रसीद की एक प्रति के साथ प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित वन मंडलाधिकारी या वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भेजना अपेक्षित है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर दो चरणों में पूर्व (अग्रिम) अनुमोदन प्रदान करता है; पहला, सैद्धांतिक या चरण-I अनुमोदन और दूसरा, सैद्धांतिक अनुमोदन में दी गई शर्तों के अनुपालन के आधार पर अंतिम या चरण-II अनुमोदन। तदोपरांत जब राज्य सरकार वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लेती है, उसे चरण-I व चरण-II मंजूरी देते समय केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों एवं सुरक्षा उपायों को संलग्न करते हुए इस आशय के आदेश पारित करने होंगे।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण हेतु समकक्ष वनेत्तर भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं आरक्षित वन/संरक्षित वन[12] के रूप में घोषित[13] करने से संबंधित शर्तें एवं इससे प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन हेतु निधियां चरण-I में निर्धारित की जाती हैं। खनन के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त शर्तें जैसे सुरक्षित स्थल (सेफ्टीजोन) क्षेत्र को बनाए रखना, बाड़

---

11 "नोडल अधिकारी" का अर्थ है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन संरक्षण मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी जो वन संरक्षक के पद से नीचे न हो।

12 आरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित पूर्ण सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र है। आरक्षित वन में सभी गतिविधियां तब तक प्रतिबंधित हैं जब तक अनुमति न दी जाए। सीमांकित संरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित सीमित सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र है। संरक्षित वनों में व्यक्तियों या समुदायों के किसी भी मौजूदा अधिकार प्रभावित नहीं होते।

13 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्यार्थ चिन्हित समतुल्य वनेत्तर भूमि को राज्य वन विभाग के नाम पर स्थानांतरित किया जाए (चरण-I अनुमोदन के बाद व चरण-II अनुमोदन से पहले) तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित किया जाए (अंतिम अनुमोदन के छह महीने के भीतर), ताकि निर्मित वृक्षारोपण को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सके।

लगाना व पुनरुत्थान इत्यादि एवं वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं निर्धारित की जाए। राज्य सरकार से निर्धारित शर्तों की अनुपालना से सम्बंधित रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वन संरक्षण अधिनियम के तहत अंतिम अनुमोदन जारी किया जाता है।

वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति देने की प्रक्रिया **चार्ट 1.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: वन भूमि को वनेत्तर भूमि में अपवर्तित करने की प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट

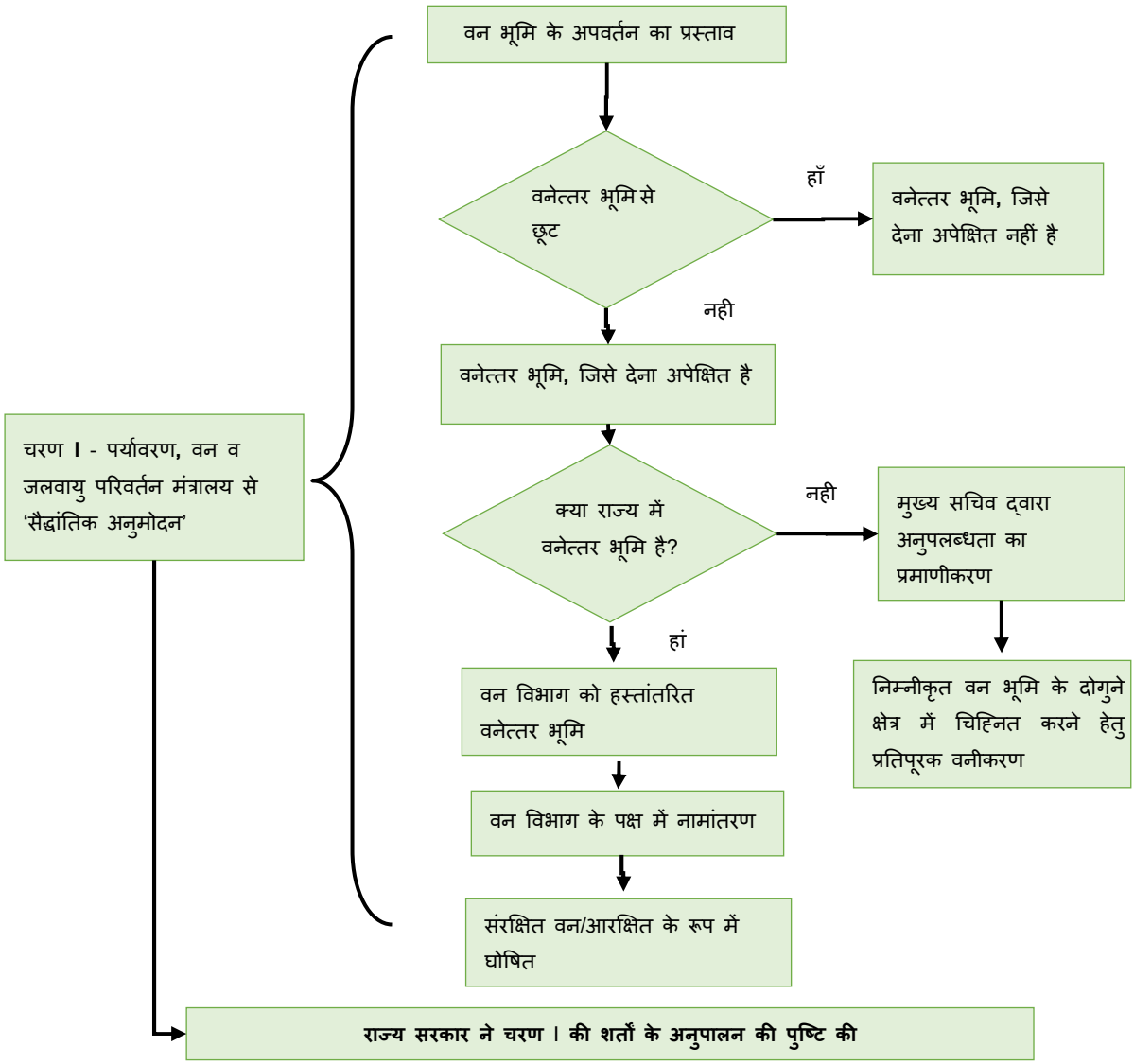

स्रोत: वन संरक्षण अधिनियम 1980 व वन संरक्षण नियम 2003

हिमाचल प्रदेश राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र वास्तविक वन क्षेत्र से बहुत विस्तृत है। 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियम, 2003 (दिशानिर्देश व स्पष्टीकरण), 2019 की दिशानिर्देशों की पुस्तिका के अनुसार' राज्य के लिए विद्यमान विशेष प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश की बंजर भूमि जो संरक्षित वनों की श्रेणी में तो आती है परन्तु इस

आधार पर उनका न तो भू-सीमांकन किया गया है और न ही राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम पर हस्तांतरित या परिवर्तित किया गया है, उन्हें प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोग करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी श्रेणी का दोगुना क्षेत्र प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लिया गया हो तथा चरण-II के अनुमोदन से पूर्व राज्य वन विभाग के नाम पर नामांतरित करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन/आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया हो। यह व्यवस्था केंद्र, राज्य व निजी क्षेत्र की परियोजनाओं पर प्रयोज्य है।

1.5 वन विभाग की संगठनात्मक संरचना

हिमाचल प्रदेश में राज्य वन विभाग वनों के अपवर्तन हेतु प्रशासनिक प्राधिकरण है। यह ऐसे प्रस्तावों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

वन विभाग का संस्थागत व अन्य संरचनात्मक विवरण (ऑर्गेनोग्राम) **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: हिमाचल प्रदेश वन विभाग का ऑर्गेनोग्राम

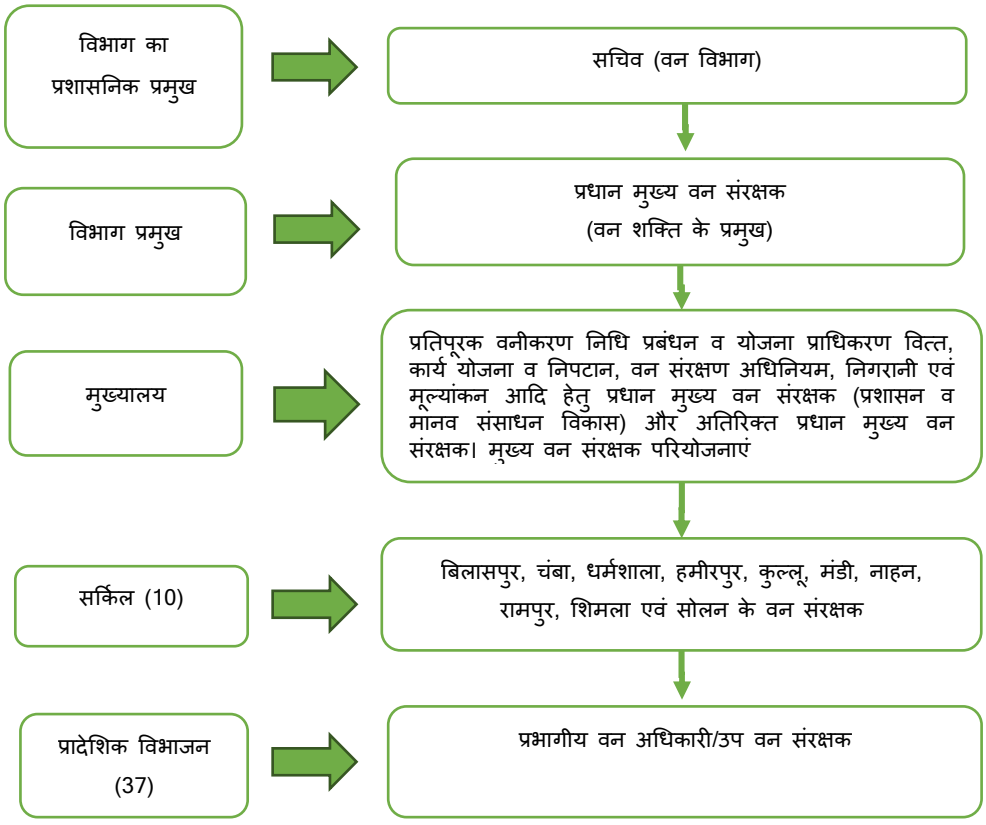

स्रोतः वन विभाग की वेबसाइट

राज्य वन विभाग का नेतृत्व सचिव करता है जो विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। उनके अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख विभाग के प्रमुख के रूप में सभी वन मामलों को नियंत्रित करते हैं एवं वनों के प्रशासन एवं कार्यपद्धति पर यथा-आवश्यक निर्देश जारी करते

हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण, निगरानी व मूल्यांकन, शोध व प्रशिक्षण इत्यादि जैसे अलग-अलग कार्यों की देखरेख करने के लिए कई अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) प्रतिपूरक वनीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षको को मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इनके अतिरिक्त वृत्त (सर्कल) व मण्डल स्तर पर 10 मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक एवं 37 उप वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी कार्यों की देखरेख करते हैं। 10 सर्कलों के अंतर्गत 37 क्षेत्रीय मण्डल हैं। क्षेत्रीय वन मण्डल का प्रमुख उप वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी होता है, जो उसके मण्डल के वन व्यवसाय एवं वित्त के यथोचित प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक, रेंज अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी व वन रक्षक वन मंडलाधिकारी को उनके निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करते हैं।

उपरोक्त ऑर्गेनोग्राम से स्पष्ट है कि प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित ढांचा वास्तव में संपूर्ण संगठनात्मक पदानुक्रम में फैला हुआ है। इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे पर विस्तार से चर्चा की गई है।

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई कि :

- क्या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमोदन की प्रकिया कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप चल रही थी, तथा
- क्या नियमों के तहत प्रदान की गई प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की व्यवस्था पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से लागू की गई थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा से समाविष्ट 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर अगस्त 2019 में राज्य की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। लेखापरीक्षा में आगे जांच की गई कि क्या विभाग ने लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर आधारित सुधारात्मक उपाय अपनाए थे।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड स्त्रोतों के सापेक्ष मापा गया:

- वन (संरक्षण अधिनियम), 1980 एवं वन (संरक्षण) नियम, 2003
- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2004 एवं 2014
- हिमाचल प्रदेश वन नियमावली
- पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण मण्डल), भारत सरकार द्वारा 2004 एवं 2019 में जारी दिशानिर्देशों की पुस्तिका
- हिमाचल प्रदेश वन विभाग की वेबसाइट, एमआईएस व विभाग द्वारा बनाए गए अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 एवं उसके अधीन नियम
- राज्य प्राधिकरण के गठन एवं राज्य निधि के सृजन हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना
- इकाई के प्रशासन व कार्यों पर दस्तावेज़, नीति फ़ाइलें, वार्षिक रिपोर्ट, आंतरिक बैठकों के कार्यवृत्त

1.8 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

सामान्यतः वन मंजूरी में समय लगता है तथा संबद्ध प्रतिपूरक वनीकरण में आमतौर पर विलम्ब होता है अतः इसकी दक्षता का आकलन करने से पूर्व वृक्षारोपण परिपक्व होने के लिए पर्याप्त समय (प्रतिपूरक वनीकरण योजना में वृक्षारोपण रखरखाव हेतु दस वर्ष का प्रावधान रखा गया है) दिया जाना चाहिए। प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों व जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की दक्षता की जांच हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2020-21 की अवधि सम्मिलित की गई थी। वर्ष 2021-22 हेतु वित्तीय एवं अन्य डेटा जहां भी उपलब्ध हुआ, अपडेट किया गया है। संवीक्षा हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अन्य सभी मुद्दों की अवधि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक थी। इंटरएक्टिव डाटा एक्स्ट्रेक्शन एंड एनालिसिस (आइडिया) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए प्रतिस्थापन विधि के बिना स्तरीकृत सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करके नौ[14] (37 में से) मण्डलों का चयन किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 1.1** में बताया गया है। वर्ष 2006-07 से 2020-21 हेतु इन नौ मण्डलों से संबंधित 441[15] मामलों की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा की गई। आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं

[14] भरमौर, चंबा, चौपाल, धर्मशाला, किन्नौर, कुल्लू, कुनिहार, नाचन व सेराज

[15] परिशिष्ट 3.1 में 58 मामले व परिशिष्ट 4.1 में 383 मामले।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र[16] की सेवाओं का उपयोग करते हुए इन 441 में से 22 मामलों[17] को अक्टूबर व दिसंबर 2022 के मध्य किए गए भू-स्थानिक अध्ययन के लिए लिया गया।

9 नवंबर 2021 को अतिरिक्त सचिव (वन) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के साथ एक आरंभिक बैठक की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंड, कार्यपद्धति, कार्य-क्षेत्र एवं नमूने पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त 9 जनवरी 2023 को मसौदा (ड्राफ्ट) निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु राज्य सरकार के साथ एक अंतिम बैठक आयोजित की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रतिपूरक वनीकरण मुद्दों पर कार्य करने वाले राज्य के वन विभाग के कार्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम), अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण), राज्य प्राधिकरण व चयनित मण्डलों को विशेष रूप से केन्द्रित किया गया।

मानचित्र 1.2: निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित मण्डलों का वितरण

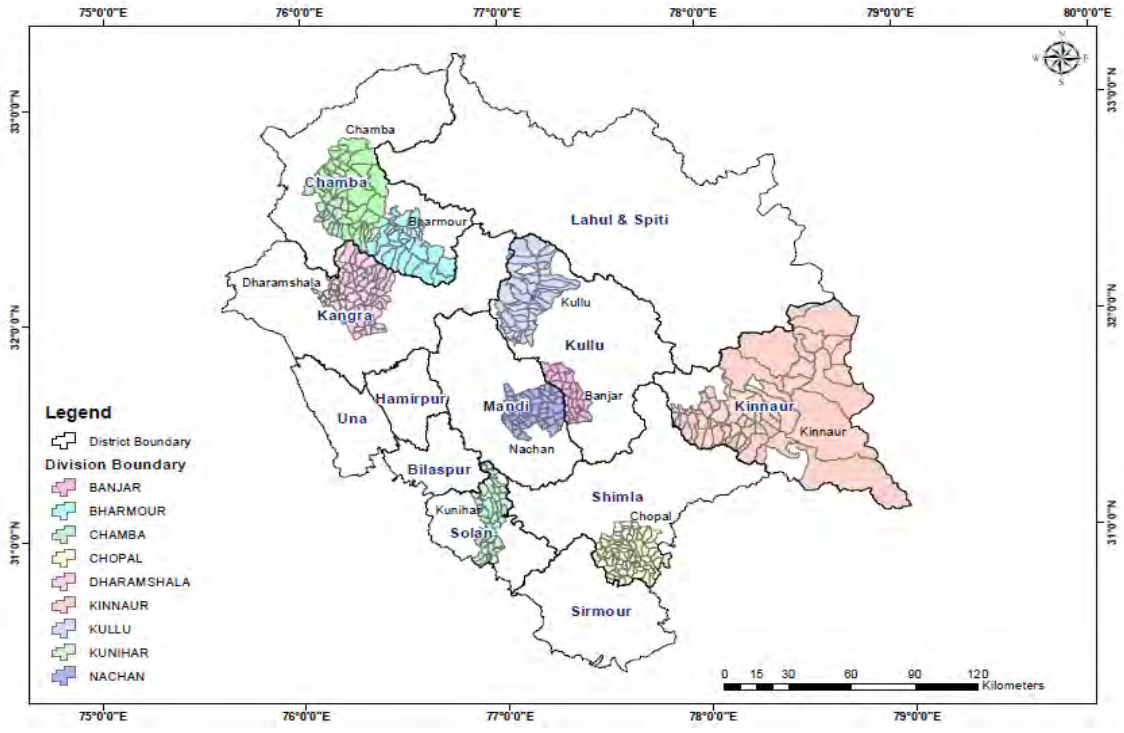

स्रोत: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021

16 राज्य में योजना एवं विकासात्मक गतिविधियों हेतु स्थानिक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुविधा प्रदान के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टे), हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वावधान में कार्यरत नोडल एजेंसी।

17 उपलब्ध बहुभुजों के निर्णयात्मक नमूने व जोखिम विश्लेषण के आधार पर भू-स्थानिक अध्ययन हेतु 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन किया गया था (छायादार हिस्से में गिरने वाले बहुभुजों के कारण उपग्रह से अस्पष्ट छवियों, क्षेत्र पर बादल छाए रहने आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए)

1.9 लेखापरीक्षा को अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत न करना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के कार्यालयों (राज्य प्राधिकरण, नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम एवं निगरानी व मूल्यांकन स्कंध) एवं चयनित मण्डलों की लेखापरीक्षा की गई जिसमें लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वन संरक्षण अधिनियम मामले व उन पर प्रक्रिया करने की समयसीमा, निर्धारित और किया गया प्रतिपूरक वनीकरण, प्रतिपूरक वनीकरण में रोपित वृक्षों की उत्तरजीविता व व्यय सम्बन्धी जानकारी के विवरण मांगे गए।

वन संरक्षण अधिनियम के तहत मिले अनुमोदनों एवं किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संदर्भ में यद्यपि नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम द्वारा अपवर्तित भूमि एवं निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण के विषय में जानकारी प्रदान की गई तथापि प्राप्त किए गए प्रतिपूरक वनीकरण, प्रतिपूरक वनीकरण पर वसूली गई व व्ययित मामले-वार निधियां एवं प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत रोपित वर्तमान जीवित वृक्षों का प्रतिशत लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा बताया गया कि नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम द्वारा इस प्रकार के कोई अभिलेख/ जानकारी अनुरक्षित नहीं की गई है। मुख्य अधिशाषी अधिकारी, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण एवं नमूना-जांचित सात मण्डलों ने उपर्युक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और केवल नमूना-जांचित दो मण्डलों (वन मंडलाधिकारी, कुल्लू व वन मंडलाधिकारी, सेराज) ने प्रतिपूरक वनीकरण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करवाई। नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम एवं नमूना-जांचित मण्डलों से वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान अनुमोदित मामलों हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने की समयसीमा के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी। नोडल अधिकारियों द्वारा अधूरी जानकारी प्रदान कराई गई, जो ई-परिवेश[18] डाटा पर आधारित थी एवं इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा को आपूरित दो सूचियों में भिन्नता[19] पाई गई। वन मण्डल वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार निर्धारित समयसीमा के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में लगे समय के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकें। नमूना-जांचित एक मण्डल (वन मंडलाधिकारी, कुनिहार) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मण्डल में वन संरक्षण अधिनियम मामलों की सूची तक उपलब्ध नहीं करा सका।

---

18 परिवेश एक वेब आधारित, भूमिका आधारित वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसे केंद्रीय, राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव व सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए समर्थकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति व निगरानी हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रस्तावों की संपूर्ण ट्रैकिंग को स्वचालित करता है जिसमें नए प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत करना, प्रस्तावों के विवरण को संपादित/अद्यतन करना व वर्कफ़्लो के प्रत्येक चरण में प्रस्तावों की स्थिति प्रदर्शित करना शामिल है।

19 पहली सूची में वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्वीकृत मामलों की मांग की गई थी व दूसरी सूची में उन मामलों पर प्रक्रिया करने की समयसीमा की मांग की गई थी। पहली सूची में 456 वन संरक्षण अधिनियम मामले थे व दूसरी सूची में केवल 223 मामले थे।

इसके अतिरिक्त संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त व कार्य-सूची से संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं।

इस प्रकार अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा में उपरोक्त मुद्दों पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

1.10 आभार

अभिलेख प्रस्तुत न करने के उपरोक्त मामलों के बावजूद हम निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभारी हैं।

अध्याय II

हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण)

अध्याय II
हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण[1])

2.1 परिचय

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 3 अप्रैल 2000 के उसके आदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर्यावरण और वन मंत्रालय पर तय करते हुए कहा कि मंत्रालय वन मंजूरी देते समय निर्धारित शर्तों की निगरानी करेगा।

9 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशक्त समिति के गठन का आदेश दिया, जिसके सुस्पष्ट कार्यों में कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी, अनुपालना न होने के मामले जिनमें अतिक्रमण, कार्य-योजनाओं का कार्यान्वयन, प्रतिपूरक वनीकरण, वृक्षारोपण व अन्य संरक्षण मुद्दों से सम्बंधित मुद्दे शामिल थे, को देखना था। नवंबर 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जमा निधियों का समुचित उपयोग नहीं किया गया एवं यह भी पाया गया राज्य सरकारों ने प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण की बड़ी राशि की वसूली नहीं की। केंद्रीय सशक्त समिति ने इस मुद्दे की जांच की जिसमें पाया गया कि कुछ राज्यों में निधियां प्रयोक्ता एजेंसी ने 'वन निक्षेप' के रूप में जमा की, जिससे वह संबंधित मण्डलों को वनीकरण हेतु आसानी से उपलब्ध हो गई। कुछ अन्य राज्यों में निधियां राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में जमा की जाती थी, जिन्हें केवल बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता था। इसलिए यह सिफारिश की गई कि जब तक बजटीय प्रावधानों के माध्यम से निधियां जारी करने की प्रणाली बदली नहीं जाती, तब तक प्रतिपूरक वनीकरण की गति व गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जा सकती। अतएव प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पृथक कोष का सृजन वांछनीय था, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाए एवं बाद में यथा-आवश्यक सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाए। किसी राज्य विशेष से प्राप्त निधियों का उपयोग उसी राज्य में किया जाएगा। यह प्रणाली योजनाबद्ध तरीके से सतत आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण करने में सहयोग देगी।

केंद्रीय सशक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष' सृजित करने का निर्देश दिया जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना निधि इत्यादि हेतु प्राप्त

[1] जुलाई 2009 की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में इसे राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कहा जाता था और वर्तमान में फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार इसका नाम राज्य प्राधिकरण रखा गया है।

समस्त धनराशि जमा की जानी थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए वसूली योग्य निधियां, साथ ही राज्यों के पास रखी अप्रयुक्त निधियों को ऐसे कोष में स्थानांतरित करने पर भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सहमति थी। यह निधि संघ, राज्यों के सामान्य राजस्व या भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी। इसमें प्रतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन हेतु एक निकाय का प्रस्ताव भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रयोक्ता एजेंसी वनेत्तर उद्देश्यार्थ अपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के शुद्ध मूल्य का भी भुगतान करेगी। इस निधि का उपयोग सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण व अन्य संबद्ध गतिविधियों हेतु किया जाना था। इसके अतिरिक्त निधियों के प्रभावी व उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष के माध्यम से समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित एवं कार्यान्वित की जानी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक पृथक कोष व कोष के प्रबंधन हेतु एक निकाय बनाने का आदेश दिया, अतः अगस्त 2009 में राज्य वन विभाग की समग्र देखरेख में इस निधि के प्रबंधन के लिए एक अलग ढांचे का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वनों के अपवर्तन के समस्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

तालिका 2.1: तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण/ राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण/राष्ट्रीय प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण से सम्बंधित वृत्तांतों का तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट)

दिनांक	वृत्तांत
29 अक्तूबर 2002	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष' का सृजन किया जाए, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, अपवर्तित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना कोष इत्यादि से प्राप्त समस्त धनराशि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जमा की जाए।
23 अप्रैल 2004	पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण को अधिसूचित किया।
5 मई 2006	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ-प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण[2] का गठन किया।
13 मार्च 2007	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (संशोधन) अधिसूचना में परिकल्पना की गई कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में कॉर्पोरेट लेखा आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली हो एवं उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं

[2] प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण' की ओर से वसूली गई समस्त धनराशि, जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास रखी थी, के कोष के रूप में कार्य करने एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के आरम्भ होने तक इसके उपयोग की प्रभावी जांच व संतुलन स्थापित करने के लिए एक तदर्थ निकाय का गठन किया गया।

दिनांक	वृत्तांत
	महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।
10 जुलाई 2009	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
15 जुलाई 2009	सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण दिशानिर्देश परिचालित किए गए।
3 अगस्त 2009	हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन किया।
3 अगस्त 2016	प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया जिसके माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राष्ट्रीय कोष) व एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण) का गठन किया गया।
10 अगस्त 2018	केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 बनाए।
2 फरवरी 2019	प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण) गठित किया गया। राज्य लोक लेखा के सब्याज प्रभाग के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राज्य कोष) की भी स्थापना की गई। इस राज्य कोष का प्रबंधन राज्य प्राधिकरण करता है।

स्रोत: वन संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के गठन का कालक्रम

2.1.1 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

अप्रैल 2004 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण निधियों के प्रबंधानार्थ प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन व योजना प्राधिकरण अधिसूचित किया। मई 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के प्रारंभ होने तक की मध्यवर्ती अवधि हेतु तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगस्त 2009 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का गठन किया तथा उक्त निकाय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां की जा रही थीं। उक्त प्राधिकरण राज्य वन विभाग के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था।

संसद ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के रूप में एक नया अधिनियम पारित किया। फरवरी 2019 में प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण[3]) का गठन किया गया। वर्ष 2019 में राज्य लोक लेखा के सब्याज प्रभाग के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राज्य कोष) की भी स्थापना की गई। इस राज्य कोष का प्रबंधन राज्य प्राधिकरण करता है। राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक अधिकारी,

[3] पूर्व में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण

जो मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो, को नियुक्त किया जाता है। राज्य प्राधिकरण एक त्रिस्तरीय संरचना है जो एक शासी निकाय, एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करता है, जैसाकि **चार्ट 2.1** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: राज्य प्राधिकरण की संरचना

स्त्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अधिनियम के तहत राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से संचालन समिति व कार्यकारी समिति के

कार्यों के निष्पादन में उसकी सहायता हेतु सहायक वन संरक्षक व अन्य अधिकारी-स्तर पर राज्य प्राधिकरण में पद सृजित कर सकता है। राज्य प्राधिकरण के सृजनोपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद प्रस्तावित किए गए एवं उन्हें राज्य वन विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया।

विभागाध्यक्ष के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख सभी वन मामलों को नियंत्रित करता है एवं वनों के प्रशासन व कामकाज पर यथा-आवश्यक निर्देश जारी करता है। वह राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। उसके अधीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष व योजना प्राधिकरण) प्रतिपूरक वनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.1.2 प्रतिपूरक वनीकरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) की भूमिका

वनेत्तर प्रयोजनार्थ वनों के अपवर्तन के उद्देश्य वाली प्रयोक्ता एजेंसी का पहला संपर्क बिंदु राज्य वन विभाग का अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) होता है। सभी प्रस्ताव अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) को प्राप्त होते हैं, जिसे प्रयोक्ता एजेंसियों का नोडल अधिकारी भी कहा जाता है। वह जानकारी की पूर्णता सुनिश्चित करने के उपरांत प्रस्ताव संबंधित वन मंडलाधिकारी को भेजता है। वन मंडलाधिकारी परियोजना विशिष्ट रिपोर्ट तैयार कर नोडल अधिकारी को भेजता है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोक्ता एजेंसी पर प्रभारित प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं उसके रखरखाव की लागत भी समाविष्ट होती है। यह रिपोर्ट नोडल अधिकारी राज्य सरकार को भेजता है, जो इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भेजती है।

केंद्र सरकार दो चरणों में अनुमोदन देती है। परियोजना की अनिवार्यता से संतुष्ट होने पर केन्द्र सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को चरण-I अनुमोदन (सैद्धांतिक अनुमोदन) देती है। इस अनुमोदन के पश्चात प्रयोक्ता एजेंसी संबंधित वन मंडलाधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षित निधियां राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में जमा करता है एवं नोडल अधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तदोपरांत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में राज्य सरकार के प्रमाणपत्र के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार चरण-II अनुमोदन (अंतिम अनुमोदन) प्रदान करती है।

वन मण्डल में प्राप्त चरण-II अनुमोदनों के आधार पर राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण एक विस्तृत वार्षिक संचालन योजना तैयार करती है। यह सभी आगामी

कार्यवाहियों का आधार बनती है। इस प्रकार अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) तब सामने आता है जब किसी परियोजना हेतु अंतिम अनुमोदन मिल जाता है एवं धन पहले ही राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पास जमा हो जाता है।

2.1.3 प्रतिपूरक वनीकरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) की भूमिका

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण, जिसे अब राज्य प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) होता है। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण मुख्यतः कोष प्रबंधन प्राधिकरण है। वास्तविक कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित वन विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा किए जाते हैं। संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण को निधियां जारी करता है।

मण्डल में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के आधार पर संबंधित मण्डल एक वार्षिक संचालन योजना तैयार करता है जिसे सर्कल को भेजा जाता है। वार्षिक संचालन योजना का अर्थ राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक गतिविधियों एवं वित्तीय प्रावधानों की वार्षिक योजना से है। वार्षिक संचालन योजना में वित्तीय वर्ष के दौरान वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि अपवर्तन के अनुमोदित वन संरक्षण अधिनियम मामलों में निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं की साइट स्पेसिफिक योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव शामिल होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों में एएनआर/आरडीएफ कार्य[4], ब्लॉक वृक्षारोपण, अग्रिम कार्य, नर्सरी विकास, मृदा संरक्षण कार्य, पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव व आकस्मिकताएं शामिल हैं। सभी मण्डलों की वार्षिक संचालन योजना को संबंधित सर्किलों में समेकित किया जाता है, जिसे राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति के समक्ष समेकित वार्षिक संचालन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संचालन समिति के अनुमोदनोपरांत वार्षिक संचालन योजना को धन की मांग के रूप में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में भेजा जाता है, जो राज्य प्राधिकरण को निधियां जारी करता है। तदोपरांत राज्य प्राधिकरण उसकी क्षेत्रीय इकाइयों/वन मण्डलों के माध्यम से प्रतिपूरक गतिविधियों हेतु वार्षिक संचालन योजना के सापेक्ष प्राप्त निधियों का उपयोग करता है।

[4] अवक्रमित वनों में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन/पुनर्वास

2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.1 समितियों की बैठकों में कमी

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण की 2009 की पुनर्गठन की अधिसूचना एवं फरवरी 2019 में राज्य प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2016-22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शासी निकाय की छः बैठकों[5] का आयोजन अपेक्षित था; हालांकि शासी निकाय की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। इसी भांति इस अवधि में संचालन समिति द्वारा की जाने वाली निर्धारित 17 बैठकों[6] के प्रति केवल आठ बैठकें[7] आयोजित की गईं। इसी अवधि के दौरान कार्यकारी समिति हेतु अपेक्षित न्यूनतम 12 बैठकों के सापेक्ष सात बैठकें आयोजित की गईं। समितियों के परिकल्पनानुसार बैठक नहीं करने से प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण गतिविधियों की दक्षता की निगरानी नहीं की जा सकी एवं उनमें कमियां रहीं, जैसाकि आगे इस प्रतिवेदन में बताया गया है। इसके अतिरिक्त क्योंकि संचालन समिति व कार्यकारी समिति की बैठकों एवं कार्यसूची से संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं, इसलिए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी में इन समितियों की दक्षता का आकलन नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) के **परिच्छेद 2.1.6.1** व **2.1.12.1** में क्रमशः शासी निकाय की बैठकें आयोजित न करने एवं संचालन समिति की बैठकें निर्धारित संख्या में आयोजित न करने का मुद्दा भी उठाया गया था। अगस्त 2019 में प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए लोक लेखा समिति ने शासी निकाय व संचालन समिति की निर्धारित संख्या में बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित कदम के विषय में जानना चाहा। तथापि देखा गया कि लेखापरीक्षा में सम्मिलित अवधि के दौरान संचालन समिति की बैठकों में कमी बनी रही, जबकि शासी निकाय की बैठकें बिल्कुल भी आयोजित नहीं की गईं।

विभाग ने समितियों की बैठकों में कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किए (नवंबर 2023)।

2.2.2 राज्य प्राधिकरण की वित्तीय प्रास्थिति

फरवरी 2019 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राज्य कोष) की स्थापना के पूर्व **(तालिका 2.1)**, प्रचलन के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण प्रभार, निवल वर्तमान मूल्य व

---

5 फरवरी 2019 से पहले बैठकों की संख्या तय नहीं थी। इसलिए उस अवधि के लिए कोई लक्ष्य नहीं माना गया।

6 फरवरी 2019 से पहले वर्ष में दो बैठकें; उसके बाद हर वर्ष चार बैठकें।

7 केवल वर्ष 2017-18 व 2021-22 के दौरान संचालन समिति की बैठक दो बार हुई; अन्य वर्षों में एक बार ही हुई।

अतिरिक्त प्रभार (विभागीय शुल्क को छोड़कर जो राज्य सरकार के पास जमा किए जाने हैं) सहित प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजी गई, जो वार्षिक संचालन योजना[8] के आधार पर राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण (जिसे अब राज्य प्राधिकरण कहा जाता है) को भेजी जाती थी। राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि के बाद भी यही प्रचलन जारी रहा, जिस पर **परिच्छेद 2.3.1** में अलग से टिप्पणी की गई है।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि हेतु राज्य प्राधिकरण की समग्र वित्तीय स्थिति **तालिका 2.2** में नीचे दी गई है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान राज्य प्राधिकरण द्वारा वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई निधियां, राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियां व कार्यान्वयन एजेंसियों[9] को जारी निधियों के सापेक्ष उनके उपयोग का वर्ष-वार विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2016-22 हेतु वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियों के बजट आवंटन का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई निधियां	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना की राशि	अथ शेष	राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त राशि	कुल निधियां	जारी की गई व वन मण्डलों द्वारा उपयोग की गई निधियां	शेष निधियां (राज्य प्राधिकरण)
2016-17	137.73	136.88	14.16	132.82	146.98	128.48	18.50
2017-18	133.94	124.80	18.50	120.00	138.5	109.01	29.49
2018-19	128.72	127.72	29.49	133.32[10]	162.81	121.76	41.05
2019-20	156.91	145.82	41.05	1,660.72[11]	1,752.03[12]	88.48	1,660.72

8 वार्षिक संचालन योजना चार भागों में बनाई जाती है:
वार्षिक संचालन योजना के **भाग-I** में राज्य के वनों व वानिकी प्रभाग का संक्षिप्त विवरण शामिल होता है।
वार्षिक संचालन योजना के **भाग-II** में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदित प्रस्तावों के साथ-साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना व किसी अन्य साइट-स्पेसिफिक योजना हेतु की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं।
भाग-III निवल वर्तमान मूल्य व ब्याज घटक से की जाने वाली गतिविधियों से सम्बंधित है।
भाग-IV में अनुमानित लागत के साथ प्रत्येक गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य है।

9 सर्कल व मंडल

10 वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 127.72 करोड़ की अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना के सापेक्ष तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण द्वारा ₹ 133.32 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
अ) वर्तमान वर्ष अर्थात 2018-19 के सापेक्ष ₹ 127.72 करोड़
ब) वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक संचालन योजना की शेष ₹ 4.80 करोड़ की शेष राशि
स) नग्गर वन उद्यान योजना के प्रति जारी ₹ 0.80 करोड़

11 प्राप्त राशि में यह भारी वृद्धि राष्ट्रीय निधि से प्राप्त राज्य निधि के पुराने बकाया के निपटान के बाद राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि को दर्शाती है।

12 वर्ष 2019-20 में बैंक के पास ₹ 91.31 करोड़ (₹ 41.05 करोड़ के अथ शेष सहित) राशि उपलब्ध थी, जिसमें एफडी/अव्ययित राशि आदि शामिल थी (1,660.72 + 91.31 = 1,752.03)। वर्ष 2019-20 के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जा रहा है एवं ऊपर दर्शाए गए शेष का मिलान एवं लेखापरीक्षा की जानी है।

वर्ष	वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई निधियां	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना की राशि	अथ शेष	राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त राशि	कुल निधियां	जारी की गई व वन मण्डलों द्वारा उपयोग की गई निधियां	शेष निधियां (राज्य प्राधिकरण)
2020-21	158.39	158.39	1,660.72	0	1,768.22[13]	119.48	1,648.73
2021-22	138.10	138.10	1,648.73	0	1,702.89	94.77	1,608.12
योग	**853.79**	**831.71**		**2,046.86**		**661.98**	

स्त्रोत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य प्राधिकरण

जैसाकि **तालिका 2.2** से स्पष्ट है, राज्य प्राधिकरण के पास निधियों का बड़ा अधिशेष था जिसका उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण गतिविधियों के लिए किया जा सकता था, तथापि उसने अभी तक निधियों का उपयोग नहीं किया। स्थिति को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 68.16 प्रतिशत वैधानिक रूप से वर्गीकृत वन क्षेत्र के सापेक्ष वर्ष 2021 में वास्तविक वन-क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 27.73 प्रतिशत[14] था एवं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत[15] वन आवरण के अंतर्गत लाना है। राज्य के अत्यंत सघन वन क्षेत्र में भी एक दशक पूर्व की स्थिति से गिरावट आई है, जैसाकि **परिच्छेद 1.1** में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2 से प्रमाणित होता है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगे गए ₹ 853.79 करोड़ के प्रति राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ₹ 831.71 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष वन मण्डलों को केवल ₹ 661.98 करोड़ (80 प्रतिशत) जारी की गई। इस प्रकार, राज्य प्राधिकरण प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों पर खर्च करने हेतु अनुमानित निधियों का उपयोग भी नहीं कर पाया। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निधियों के कम उपयोग में ₹ 169.73 करोड़ की निधियों का कम उपयोग हुआ। यह परिचायक है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने की गति वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तावित की गई गति के अनुसार नहीं थी।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की समग्र गतिविधियों में से प्रतिपूरक वनीकरण पर किए गए व्यय (विगत वर्षों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के रखरखाव सहित) का वर्ष-वार विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

---

13 आंकड़े में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए ₹ 107.49 करोड़ के ब्याज का समायोजन शामिल है।

14 स्रोत: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021

15 हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के उत्तर के अनुसार।

तालिका 2.3: वर्ष 2016-22 के दौरान वार्षिक संचालन योजनानुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों व किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का विवरण

वर्ष	अपवर्तित वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वार्षिक संचालन योजना के अनुसार अपेक्षित प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मांगी गई निधियां (₹ करोड़ में)	प्राप्त की गई निधियां (₹ करोड़ में)	वार्षिक संचालन योजना के अनुसार किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2016-17	109.78	1,270	14.60	14.60	1,245.49	14.21[16]
2017-18	466.17	1,405	16.25	16.25	1,382.75	15.35
2018-19	739.44	873	11.00	11.00	581.69	9.67
2019-20	391.48	618.32	13.70	12.61	568.32	11.02
2020-21	397.68	974.89	21.50	21.50	876	14.63
2021-22	493.70	1,032	17	17	954.36	16.35
योग	**2,598.25**	**6,173.21**	**94.05**	**92.96**	**5,608.61**	**81.23**

स्त्रोत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य प्राधिकरण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम

तालिका 2.3 में दर्शाए गए प्रतिपूरक वनीकरण की वार्षिक संचालन योजना, राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई सकल वार्षिक संचालन योजना का भाग थी, जिसमें जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं, निवल वर्तमान मूल्य, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजनाएं व अन्य योजनाएं सम्मिलित थीं, जैसाकि **तालिका 2.2** में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि लक्ष्यों के सापेक्ष प्रतिपूरक वनीकरण की उपलब्धि में कमी पाई गई। प्रतिपूरक वनीकरण की उपलब्धि में कमी के कारणों का विश्लेषण **अध्याय IV** में किया गया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी[17], राज्य प्राधिकरण ने बताया कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि हेतु वार्षिक संचालन योजना को घटाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया एवं वर्ष 2019-20 हेतु निवल वर्तमान मूल्य के तहत वेतन घटक की मंजूरी नहीं मिलने के कारण वार्षिक संचालन योजना को घटाया गया था। राज्य प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में कम निधियां उपयोग करने का कोई कारण नहीं बताया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कोई धनराशि जारी नहीं की एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक खातों व बजट आवंटन से राज्य की समेकित निधि में धनराशि स्थानांतरित की गई एवं व्यय की मानक वस्तुओं के आवंटन में समय लगता है और बाद में धन को संबंधित व्यय की मानक वस्तुओं में पुनः विनियोजित करना पड़ा।

---

16 वर्ष 2016-17 से 2018-19 के व्यय के आंकड़े प्रमाणित वार्षिक लेखों पर आधारित हैं, जबकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 हेतु यह लंबित वार्षिक लेखों के कारण विभाग के उत्तर पर आधारित है।

17 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो मुख्य वन संरक्षण रैंक से नीचे का न हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अगस्त 2019 में राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध संपूर्ण निधियां (फरवरी 2019 तक) बकाया के रूप में राज्य कोष में स्थानांतरित कर दी गई; एवं अभी भी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण की गतिविधियों पर निधियों के उपयोग में कमी थी।

2.3 वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य प्राधिकरण की कई अनियमितताएं देखी गईं, जिन पर आगे चर्चा की गई है।

2.3.1 राष्ट्रीय प्राधिकरण को ₹ 358.56 करोड़ की निधियों का प्रेषण जारी रखना

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (iii) के प्रावधानों के अनुसार राज्य कोष की स्थापना के पश्चात ऐसे राज्यों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुपालनार्थ दी गई धनराशि के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली गई समस्त धनराशि राज्य कोष में जमा करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य कोष के सृजन (फरवरी 2019) के बाद भी प्रयोक्ता एजेंसियों ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में निधियां जमा करना जारी रखा। अतः फरवरी 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 358.56 करोड़ की निधियां प्रयोक्ता एजेंसियों ने राज्य कोष के बजाय राष्ट्रीय प्राधिकरण के बैंक खाते में प्रेषित की, जैसाकि **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4 राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित निधियों के विवरण

क्र. सं.	अवधि	राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)
1	08/02/2019 से 31/03/2019	15.48
2	01/04/2019 से 31/03/2020	88.83
3	01/04/2020 से 31/03/2021	63.42
4	01/04/2021 से 31/03/2022	190.83
योग		**358.56**

स्रोत: नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम

विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि राज्य प्राधिकरण की खाता संचालन प्रक्रिया में अस्पष्टता के कारण जब तक एक मजबूत ऑनलाइन तंत्र विकसित नहीं हो जाता, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुरक्षित खाते में प्रतिपूरक उद्ग्रहण जमा करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रखी जा रही है।

जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के बैंक खाते में निधियों का उक्त प्रेषण प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2.3.2 इको पार्क (पर्यावरण अनुकूल बगीचे)/नेचर पार्क (प्रकृति बगीचे) के विकास पर निवल वर्तमान निधि का अनियमित उपयोग

वर्ष 2019-20 व 2020-21 हेतु वार्षिक संचालन योजना क्रमशः वर्ष 2016 व वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बनाई जानी थी। प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियमावली, 2018 के नियम 5 में प्रावधान है कि निवल वर्तमान मूल्य व दंडात्मक निवल वर्तमान मूल्य से प्राप्त धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन व वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे (वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों हेतु वनों में आवासीय एवं शासकीय भवनों का निर्माण) के विकास, वन्यजीव संरक्षण व प्रबंधन, लकड़ी व अन्य वन उत्पाद बचत साधनों की आपूर्ति तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों में किया जाए। निवल वर्तमान मूल्य निधियों या अन्य राज्य कोष (जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं से एक प्रतिशत के अतिरिक्त) का नेचर पार्कों/इको पार्कों के विकासार्थ उपयोग करने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान "अवक्रमित वन भूमि का विकास" घटक के अंतर्गत नेचर/इको पार्कों के विकास पर ₹ 6.51 करोड़ का व्यय किया गया, जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: नेचर/इको पार्क के विकास पर हुए व्यय के विवरण

घटक	वर्ष	इको/नेचर पार्क की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
अवक्रमित वन भूमि का विकास	2019-20	9	2.24
अवक्रमित वन भूमि का विकास	2020-21	16	4.27
योग		**25**	**6.51**

स्रोत: राज्य प्राधिकरण की वार्षिक संचालन योजना एवं तिमाही परियोजना रिपोर्ट

₹ 6.51 करोड़ का उपरोक्त व्यय अनियमित एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि यह व्यय अवक्रमित वन भूमि के विकास हेतु वृक्षारोपण व विभिन्न प्रकार के मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों के कार्यान्वयन पर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह व्यय अवक्रमित वन भूमि के विकास के बजाय 25 इको/नेचर पार्कों के विकास पर किया गया।

2.3.3 प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 6.26 करोड़ की वसूली गई निधियों के उपयोगार्थ वार्षिक संचालन योजना तैयार न करना

नोडल अधिकारी, राज्य प्राधिकरण की फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि (i) देहरा में हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना हेतु निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में 81.7916 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन (दिसंबर 2018) एवं (ii) बिलासपुर में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माणार्थ अतिरिक्त जिलाधिकारी-सह-उप निदेशक, प्रशासन एम्स, बिलासपुर (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में 40.5084 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन (मार्च 2019), नाम के दो मामलों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतिम अनुमोदन देते समय प्रयोक्ता एजेंसी पर अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित की। इन अतिरिक्त शर्तों के सापेक्ष दोनों प्रयोक्ता एजेंसियों ने ₹ 6.26 करोड़ की निधियां जमा की, जैसाकि **तालिका 2.6** में विवर्णित है।

तालिका 2.6: प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

वन संरक्षण अधिनियम प्रस्ताव का नाम	प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा निधियां जमा करने की तिथि	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के विवरण	कार्य विवरण	कार्य लागत
केंद्रीय विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस	06/11/2018	अपवर्तित क्षेत्र में हरित आवरण का रखरखाव एवं परियोजना लागत पर साइट-स्पेसिफिक मृदा व जल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन।	साइट-स्पेसिफिक मृदा व जल संरक्षण	3.51
			हरित आवरण का रखरखाव	2.09
बिलासपुर में एम्स का निर्माण	06/02/2019	अपवर्तित वन क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षेत्र का हरित आवरण के रूप में प्रबंधन, डंपिंग स्थलों का सुधार व रखरखाव (हरित आवरण के रूप में)।	साइट-स्पेसिफिक मृदा व जल संरक्षण	0.39
			सुधार-स्थल पर हरित आवरण	0.27
योग				**6.26**

स्रोत: नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित मंडलों द्वारा प्रस्तुत किसी भी वार्षिक संचालन योजना में इन कार्यों को शामिल नहीं किया गया, फिर भी प्रयोक्ता एजेंसियों ने इन कार्यों से संबंधित निधियां जमा की। परिणामस्वरूप राज्य प्राधिकरण के पास ₹ 6.26 करोड़ की सम्पूर्ण राशि बेकार (अव्ययित) रही। अतएव वार्षिक संचालन योजना में इन कार्यों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन में निर्धारित अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ। इस प्रकार यद्यपि विशिष्ट उपायों हेतु धन की मांग

की गई एवं उसे एकत्र भी किया गया, परन्तु धन प्राप्त होने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2023) कि उपरोक्त कार्य पहले की वार्षिक संचालन योजना में नहीं लिए थे। हालांकि वर्ष 2023-24 की वार्षिक संचालन योजना में केंद्रीय विश्वविद्यालय के सैटेलाइट परिसर के कार्य को लिया गया तथा बिलासपुर में एम्स के निर्माणार्थ वार्षिक संचालन योजना बनाने वाले सर्कल/मंडल को भविष्य की वार्षिक संचालन योजना में कार्य को शामिल करने के मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

2.3.4 लंबित वार्षिक लेखे

राज्य प्राधिकरण अधिसूचना के परिच्छेद 8 (जुलाई 2009) में निर्धारित है कि राज्य प्राधिकरण उचित रूप से लेखे एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख अनुरक्षित करें एवं संबंधित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करें। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण महालेखाकार या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य प्राधिकरण के लेखाओं सहित उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन व वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रतिवर्ष अग्रेषित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश ने राज्य प्राधिकरण को केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू "लेखाओं के समरूप प्रारूप" के आधार पर उसके लेखे बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि स्वायत्त संगठनों हेतु निर्धारित लेखाओं का समरूप प्रारूप लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित था। संचालन समिति ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2012) कि राज्य प्राधिकरण के लेखाओं का अनुरक्षण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 तक के लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गए जबकि वर्ष 2019-20 से आगे के लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु अभी भी लंबित हैं।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 की राज्य प्राधिकरण की वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वित्तीय विवरणों के अभाव में राज्य प्राधिकरण को प्राप्त व प्रयुक्त निधियों एवं उसकी वित्तीय स्थिति की सटीकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर चर्चा करते हुए (अगस्त 2019) लोक लेखा समिति ने बताया कि वार्षिक लेखे व वित्तीय विवरणियां समय पर तैयार न होने से राज्य प्राधिकरण के कामकाज की निगरानी नहीं की जा सकी। विभाग ने लोक लेखा समिति को यह भी सूचित किया (अगस्त 2019) कि लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि में

परिवर्तित करने के लिए अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके प्रचालन के पश्चात प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण लेखे समय पर तैयार किए जाएंगे। हालांकि यह पाया गया कि अभी भी राज्य प्राधिकरण के वार्षिक लेखे समय पर तैयार नहीं किए जा रहे थे और लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित करना अभी भी लंबित था (नवंबर 2023 तक)।

विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लेखाओं को लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है एवं इन वर्षों की वार्षिक वित्तीय विवरणियों को शीघ्र ही अंतिम रूप दे कर प्रमाणीकरण हेतु महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग ने अगले उत्तर (दिसंबर 2023) में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित कर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया था एवं महालेखाकार की अभ्युक्तियों का समायोजन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2023)।

2.3.5 प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम/नियमों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना

प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 28 में प्रावधान है कि राज्य प्राधिकरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की उसकी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथा-निर्धारित प्रारूप व समय पर संबंधित राज्य सरकार को उसकी एक प्रति भेजेगा। राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रदान किया जाए-

(i) प्रत्येक पुनर्वनीकरण, वनीकरण व संरक्षण गतिविधि की संख्या एवं अवस्थिति;

(ii) गतिविधि के संबंध में मंजूर, संरक्षित एवं वृक्षारोपित हेक्टेयर भूमि की अवस्थिति एवं राशि; तथा

(iii) वनीकरण हेतु एकत्र व व्यय की गई धनराशि।

इसके अतिरिक्त धारा 29 में प्रावधान है कि राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधायिका के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्राधिकरण वर्ष 2015-16 से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने एवं उसे राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2023) कि वर्ष 2016-17 तक की वार्षिक रिपोर्टें राज्य विधायिका के समक्ष रखी जा चुकी हैं एवं वर्ष 2017-18 व 2018-19 की रिपोर्टें राज्य विधायिका के समक्ष रखने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी हैं।

2.4 निष्कर्ष

राज्य प्राधिकरण की बैठकें निर्धारित अंतराल पर आयोजित नहीं की गईं एवं प्राधिकरण वर्षीय संचालन योजना में प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण का कार्यान्वयन नहीं कर सका, जो प्रतिपूरक वनीकरण करने में बकाया के रूप में परिणत हुआ। दो वन संरक्षण अधिनियम मामलों को संबंधित मंडलों द्वारा वार्षिक संचालन योजना में शामिल न करने के परिणामस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं हुआ। राज्य कोष गठित होने के बावजूद प्रयोक्ता एजेंसियां निधियों का प्रेषण राष्ट्रीय प्राधिकरण के बैंक खाते में कर रही थी। नेचर/इको पार्क के विकास पर निवल वर्तमान मूल्य निधियों से अनियमित व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखे व वार्षिक रिपोर्टें भी बकाया थीं।

2.5 सिफारिशें

विभाग विचार करें

- *राज्य प्राधिकरण की निर्धारित बैठकें आयोजित करें एवं निधियों का इष्टतम उपयोग व राज्य प्राधिकरण के अधीन कार्यों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक संचालन योजना तैयार करें।*
- *वार्षिक लेखाओं एवं रिपोर्टों को समय पर अंतिम रूप दें एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम व नियमों के तहत निर्धारित अभिलेखों का अनुरक्षण करें।*

अध्याय III
वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपवर्तन के प्रस्ताव

अध्याय III
वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपवर्तन के प्रस्ताव

इस अध्याय में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजनार्थ अपवर्तन हेतु मिले प्रस्तावों पर प्रक्रिया करने में हुए विलम्ब से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य चयनित नौ मण्डलों में वन संरक्षण अधिनियम मामलों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का विस्तृत विश्लेषण समाविष्ट हैं।

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2020-21 के मध्य प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रास्थिति

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों (जलविद्युत परियोजनाएं, सड़क, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि) द्वारा 1,018 मामले वन मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए गए। 78 मामलों (आठ प्रतिशत) में सैद्धांतिक अनुमोदन एवं 164 मामलों (16 प्रतिशत) में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया, जबकि 766 (75 प्रतिशत) मामले सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु लंबित थे। इसका वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का वर्ष-वार विवरण

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मामले प्रस्तुत करने का वर्ष	प्राप्त किए गए मामले	अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के मध्य सैद्धांतिक अनुमोदन	अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के मध्य अंतिम अनुमोदन	अस्वीकृत	प्रयोक्ता एजेंसी के पास अनुपालनार्थ लंबित	राज्य वन प्राधिकारियों/सरकार के पास लंबित
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	217[1]	21	84	3	101	8
2017-18	158	24	38	2	86	8
2018-19	177	18	21	2	123	13
2019-20	170	10	19	1	119	21
2020-21	296	5	2	2	207	80
योग	**1,018**	**78**	**164**	**10**	**636**	**130**

स्रोत: ई-परिवेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

[1] वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग को वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रक्रिया हेतु 217 मामले प्राप्त हुए। इनमें से अप्रैल 2016 व मार्च 2021 की अवधि के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रमशः 21 मामलों को सैद्धांतिक मंजूरी व 84 मामलों को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई; अप्रैल 2016 व मार्च 2021 की अवधि के दौरान तीन मामले अस्वीकृत किए गए एवं 93 मामले अनुमोदनार्थ लंबित थे तथा 16 मामलों को मार्च 2021 के बाद सैद्धांतिक व अंतिम मंजूरी दी गई। इसी प्रकार की स्थिति वर्ष 2017 से 2021 हेतु दर्शाई गई है।

वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य आवेदित लंबित 766 मामलों में से 379[2] (49 प्रतिशत) मामले सड़क, 82 (11 प्रतिशत) जलविद्युत परियोजना, 33 (चार प्रतिशत) खनन व उद्योग, 25 (तीन प्रतिशत) शिक्षण संस्थान, 27 (चार प्रतिशत) ट्रांसमिशन लाइन, 22 (तीन प्रतिशत) पेयजल/सिंचाई, 15 (दो प्रतिशत) सीवरेज प्रशोधन संयंत्र, तीन (एक प्रतिशत) रेलवे एवं 180 (23 प्रतिशत) अन्य[3] से सम्बंधित पाए गए।

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान अनुमोदनार्थ लंबित 766 मामलों में से 130 मामले (17 प्रतिशत) राज्य वन विभाग में विभिन्न स्तरों पर लंबित थे, जबकि 636 मामले (83 प्रतिशत) या तो मसौदा (ड्राफ्ट) रूप[4] में थे या प्रयोक्ता एजेंसी स्तर पर लंबित थे।

वन संरक्षण नियम 2003 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी, जो किसी वन भूमि का वनेत्तर उदेश्यार्थ उपयोग करना चाहती है, उसे संबंधित राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण अपेक्षित जानकारी एवं दस्तावेज सहित इन नियमों से जुड़े सुसंगत फॉर्म (भाग-I) में अपना प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण है तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, नोडल अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के दस दिन की अवधि के भीतर संबंधित वन मंडलाधिकारी को प्रस्ताव भेजेगा। यदि नोडल अधिकारी को प्रस्ताव अपूर्ण लगता है, तो वह इसे दस दिनों की अवधि के भीतर प्रयोक्ता एजेंसी को वापस कर देगा एवं इस समयावधि व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को भविष्य के किसी भी संदर्भ के लिए नहीं गिना जाएगा।

प्रयोक्ता एजेंसियों में लंबित 60[5] मामलों (636 में से) के नमूने की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच की गई। इनमें से 45 प्रस्ताव[6] नोडल अधिकारी द्वारा अपूर्ण पाए गए एवं कमियों के निवारण हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों को वापस भेज दिए गए। 25 प्रस्तावों में (उपरोक्त 45 में से) प्रयोक्ता एजेंसियों ने नोडल अधिकारी को प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत नहीं किए एवं शेष 20 प्रस्तावों में हालांकि प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत किया, परन्तु उन्हें नोडल अधिकारी ने फिर से अपूर्ण पाया और प्रयोक्ता एजेंसी को वापस भेज दिया (एवं उनके पास लंबित रहा)।

इसके अतिरिक्त शेष 15 प्रस्तावों[7] (60 में से) में नोडल अधिकारी ने प्रस्तावों को स्वीकार कर संबंधित वन मंडलाधिकारी को आगामी प्रक्रिया हेतु भेज दिया। हालांकि वन मंडलाधिकारी को प्रस्ताव में कमियां मिली और कमियों के निवारण हेतु उन्हें प्रयोक्ता एजेंसियों को वापस भेज

---

2 स्रोत - ई-परिवेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

3 ये विविध प्रकार की परियोजनाएं हैं जैसे पार्किंग, अस्पताल, रोपवे, आंगनवाड़ी केंद्र आदि।

4 ड्राफ्ट रूप - प्रारंभ में प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्ताव नोडल अधिकारी को सौंपती है। यदि नोडल अधिकारी को लगता है कि प्रस्ताव अधूरा है, तो मामला ड्राफ्ट के रूप में प्रयोक्ता एजेंसी को वापस कर दिया जाता है।

5 जल विद्युत - नौ (सभी निजी); पेयजल - एक; अन्य - 22 (निजी - चार); सड़कें - 23; स्कूल (एक एनजीओ/ एक निजी); सबस्टेशन - एक व ट्रांसमिशन लाइन - एक

6 प्रयोक्ता एजेंसियों ने ये 45 प्रस्ताव अप्रैल 2016 व दिसंबर 2019 के मध्य प्रस्तुत किए।

7 प्रयोक्ता एजेंसियों ने ये 15 प्रस्ताव अक्टूबर 2018 व नवंबर 2019 के मध्य प्रस्तुत किए।

दिया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इन 15 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए गए (भाग-I में कमियां)। इस प्रकार नोडल अधिकारी द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार करने और बाद में वन मंडलाधिकारी से प्रयोक्ता एजेंसियों में उन्हें वापस करने के परिणामस्वरूप सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों पर प्रक्रिया करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.1 सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने की समय-सीमा

प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर इस पर प्रक्रिया करके केंद्र सरकार (मामले के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय) को अग्रेषित करना अपेक्षित है। ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार ने प्रत्येक मामले में क्षेत्र विशेष हेतु एवं विशिष्ट सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु सामान्य अनुमोदन दिया है, वहां वन संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने की समय-सीमा **चार्ट 3.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.1: विभिन्न स्तरों पर वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया व समय-सीमा

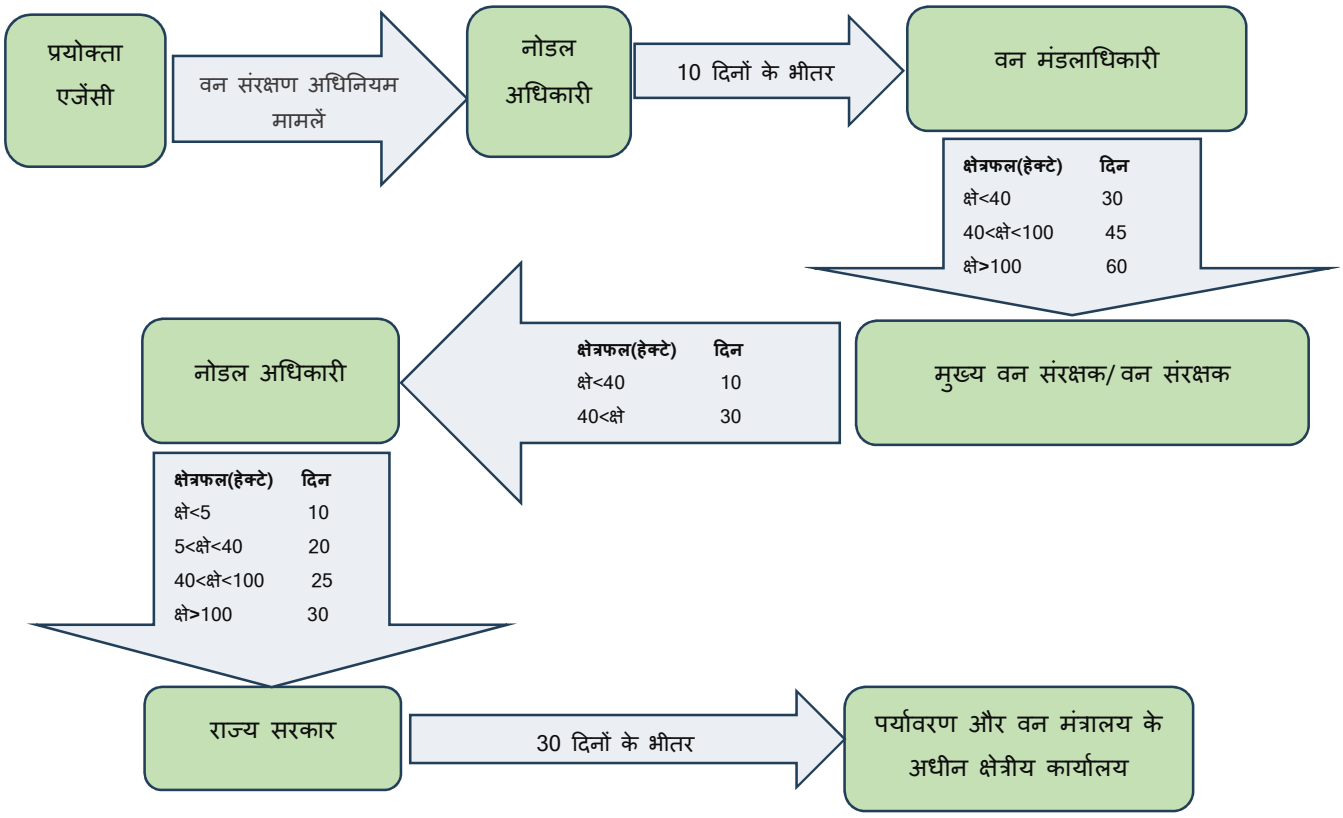

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

3.1.2 सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 366[8] प्रस्तावों को चरण-I अनुमोदन दिया गया, इनमें से 344 मामलों को केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया एवं सामान्य अनुमोदन[9] श्रेणी (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे) के अंतर्गत आने वाले 22 मामलों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

I. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 344 मामलों में से केवल 129 मामलों (38 प्रतिशत) पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180 दिनों की समयावधि के भीतर प्रक्रिया कर क्षेत्रीय कार्यालय में अग्रेषित किए गए। शेष 215 मामलों (62 प्रतिशत) पर प्रक्रिया करने व अग्रेषित करने में औसतन 230 दिन प्रति मामले का विलंब देखा गया। 169 मामलों (79 प्रतिशत) में 365 दिनों का विलम्ब था जबकि शेष 46 मामलों (21 प्रतिशत) में 365 दिनों से अधिक व 1,416 दिनों तक का विलम्ब था।

II. केंद्र सरकार द्वारा सामान्य अनुमोदन दिए गए 22 मामलों में से 12 मामलों (55 प्रतिशत) पर वन विभाग द्वारा 180 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया कर राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। शेष 10 मामलों (45 प्रतिशत) में प्रक्रिया करने एवं अग्रेषण में औसतन 130 दिन प्रति मामले का विलम्ब देखा गया। नौ मामलों (90 प्रतिशत) में 365 दिनों तक का जबकि शेष एक मामले में 580 दिनों विलम्ब हुआ।

विभिन्न स्तरों यानी नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, वन मंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक व राज्य सरकार पर हुआ विलम्ब **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में विभिन्न स्तरों पर विलम्ब

प्रक्रिया स्तर	मामलों की कुल संख्या	मामले जिन पर समयसीमा में प्रकिया की गई (कोष्ठक में प्रतिशत)	मामले जिन पर विलम्ब से प्रकिया की गई	मामलों पर प्रकिया करने में औसत विलम्ब (दिनों में)
नोडल अधिकारी से वन मंडलाधिकारी	366	110 (30)	256	47
वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक	366	130 (36)	236	132
वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से नोडल अधिकारी	366	141 (39)	225	47
नोडल अधिकारी से राज्य सरकार	366	25 (7)	341	85
राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय	344	316 (92)	28	20

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

[8] इसमें वे मामले भी शामिल हैं जो अप्रैल 2016 से पहले प्रस्तुत किए गए थे।

[9] केंद्र सरकार कुछ शर्तों के अधीन निर्दिष्ट सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु सामान्य मंजूरी देती है। इन मामलों में वन भूमि के अपवर्तन या अस्वीकृति का निर्णय संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाता है तथा निर्णय की एक प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व उसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी जाती है।

जैसाकि **तालिका 3.2** से स्पष्ट है, विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया करने में आठ प्रतिशत से (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) से 93 प्रतिशत (नोडल अधिकारी से राज्य सरकार तक) के मध्य का विलम्ब था। मामलों पर प्रक्रिया करने में औसतन विलम्ब 20 दिन (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) एवं 132 दिन (वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक तक) के मध्य का था।

चार्ट 3.2: सभी मण्डलों में विभिन्न स्तरों पर विलंब से प्रक्रिया किए गए मामले

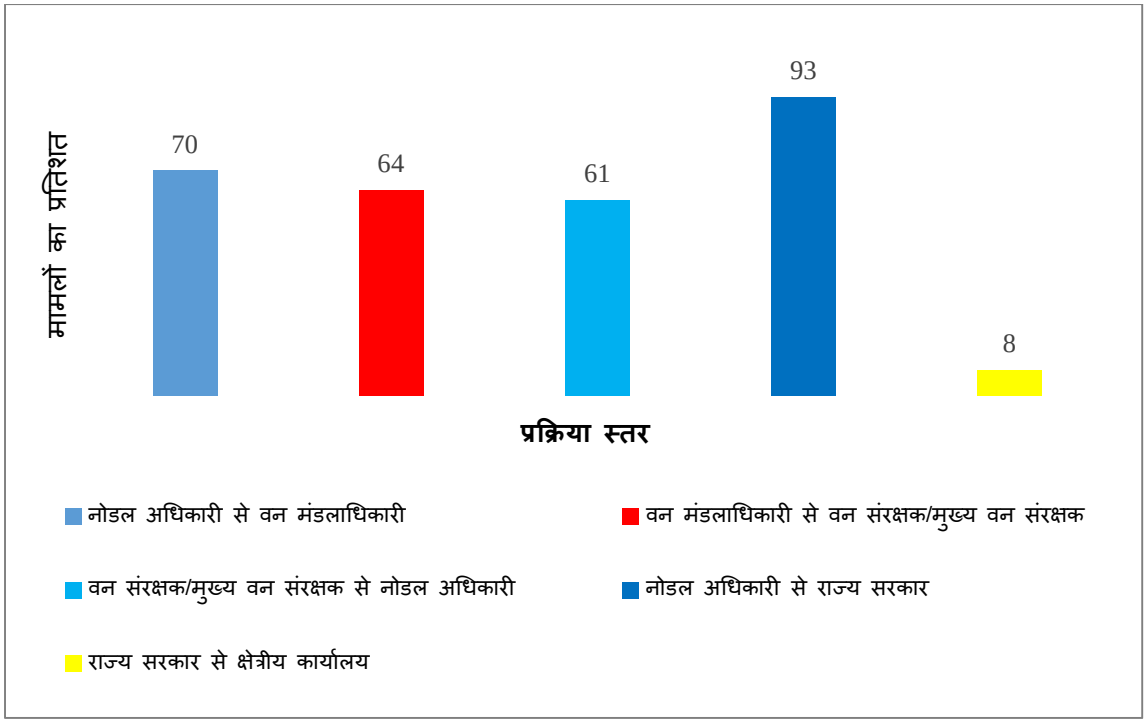

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

3.1.2.1 चयनित मण्डलों में सैद्धांतिक अनुमोदन देने की प्रक्रिया में विलम्ब

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान नौ नमूना-जांचित मण्डलों में 89[10] प्रस्तावों को चरण-I मंजूरी दी गई, जिनमें से 82 मामलों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया एवं सामान्य मंजूरी श्रेणी (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे) के अंतर्गत आने वाले सात मामलों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

I. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 82 मामलों में से केवल 33 मामलों (40 प्रतिशत) पर प्रक्रिया कर 180 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय अग्रेषित किए गए। शेष 49 मामलों (60 प्रतिशत) पर प्रक्रिया करने एवं अग्रेषण में औसतन 287 दिन प्रति मामले

[10] इन मामलों में से 57 मामले प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा अप्रैल 2016 व मार्च 2021 के मध्य प्रस्तुत किए गए एवं शेष 32 मामले अप्रैल 2016 से पहले प्रस्तुत किए गए।

का विलम्ब पाया गया। 35 मामलों (71 प्रतिशत) में 365 दिनों तक का, जबकि शेष 14 मामलों (29 प्रतिशत) में 365 दिनों से अधिक व 1,185 दिनों तक का विलम्ब था।

II. केंद्र सरकार द्वारा सामान्य मंजूरी प्राप्त सात मामलों में से चार मामलों (57 प्रतिशत) पर वन विभाग ने 180 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया करके राज्य सरकार को अग्रेषित किया। शेष तीन मामलों (43 प्रतिशत) में प्रक्रिया करने एवं अग्रेषण में औसतन 84 दिन प्रति मामले का विलम्ब पाया गया।

नमूना-जांचित मण्डलों में नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, वन मंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक व राज्य सरकार जैसे विभिन्न स्तरों पर हुआ विलम्ब **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: चयनित मण्डलों में विभिन्न स्तरों पर वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में विलम्ब

प्रक्रिया स्तर	मामलों की कुल संख्या	मामले जिन पर समयसीमा में प्रकिया की गई (कोष्ठक में प्रतिशत)	मामले जिन पर विलम्ब से प्रकिया की गई	मामलों पर प्रकिया करने में औसत विलम्ब (दिनों में)
नोडल अधिकारी से वन मंडलाधिकारी	89	25 (28)	64	42
वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक	89	23 (26)	66	136
वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से नोडल अधिकारी	89	27 (30)	62	70
नोडल अधिकारी से राज्य सरकार	89	9 (10)	80	73
राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय	82	76 (93)	6	21

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

जैसाकि **तालिका 3.3** से स्पष्ट है विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया करने में सात प्रतिशत से (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) से 90 प्रतिशत (नोडल अधिकारी से राज्य सरकार तक) के मध्य का विलम्ब था। मामलों पर प्रक्रिया करने में औसतन 21 दिन (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) एवं 136 दिन (वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक तक) के मध्य का विलम्ब था।

चार्ट 3.3: चयनित मण्डलों में विभिन्न स्तरों पर विलंब से प्रक्रिया किए गए मामले

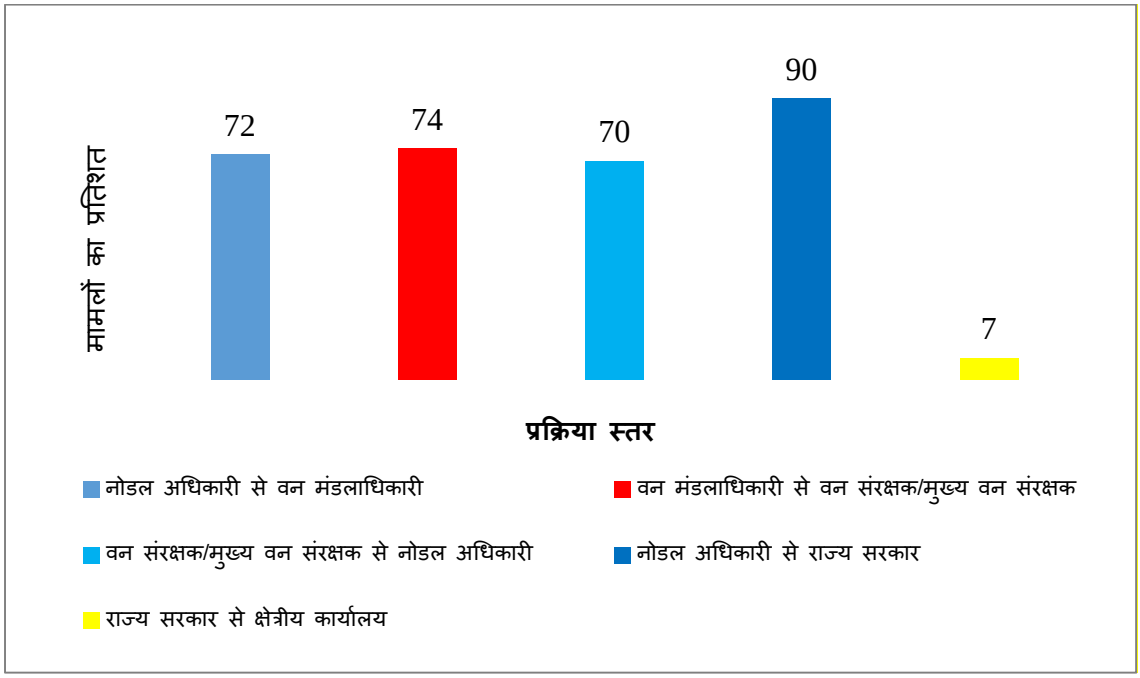

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

राज्य में लगभग 68 प्रतिशत भूमि विधिक रूप से वन भूमि के रूप में वर्गीकृत है, अतः राज्य की अधिकांश विकास परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रकार विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर भारी विलंब से प्रक्रिया करने के परिणामस्वरूप इसके अभीष्ट लाभार्थी इन परियोजनाओं/योजनाओं का समय पर लाभ लेने से वंचित रह गए साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां भी समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी।

विभाग ने अंतिम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2023) तथा वन संरक्षण अधिनियम मामलों की प्रक्रिया में विलम्ब हेतु मंजूरी की बोझिल प्रक्रिया, प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं विभाग में कार्य की धीमी प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। यह भी स्वीकार किया कि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा ई-परिवेश पोर्टल पर प्रस्तावों/पत्राचारों को ऑनलाइन अपलोड करने से वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया में सुधार होगा।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.3 वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य चयनित मण्डलों में वन संरक्षण अधिनियम मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण

वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य चयनित नौ मण्डलों में कुल 58 **(परिशिष्ट 3.1)** मामले प्रस्तावित किए गए जिन पर अंतिम अनुमोदन दिया गया। इन 58 मामलों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई-परिवेश वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया की गई।

इन 58 मामलों में 458 हेक्टेयर क्षेत्र का अपवर्तन किया गया, जैसाकि **तालिका 3.4** में विवर्णित है।

तालिका 3.4: अपवर्तित क्षेत्र एवं जमा की गई निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर)	किया जाने वाला प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिपूरक वनीकरण राशि	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा निवल वर्तमान मूल्य (दंडात्मक निवल वर्तमान मूल्य सहित)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं रखरखाव पर किया गया व्यय
58	458	921	16.82	33.79	17.31	182	2.04

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन में निर्धारित शर्तानुसार अंतिम अनुमोदन की तिथि से एक से दो वर्ष के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए। इस प्रकार अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के मध्य स्वीकृत मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण मार्च 2021[11] से पूर्व किया जाना था।

तदनुसार उपरोक्त अवधि में 27 ऐसे मामले थे जहां मार्च 2021 से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना था।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.3.1 मामले जहां प्रतिपूरक वनीकरण किया गया

मार्च 2021 से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने हेतु अपेक्षित 27 मामलों में से 13 मामलों में एवं तीन मामलों (अप्रैल 2019 व मार्च 2021 के मध्य स्वीकृत शेष 31 में से) में भी प्रतिपूरक वनीकरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

तालिका 3.5: प्रतिपूरक वनीकरण किए गए मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर)	किया जाने वाला प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिपूरक वनीकरण राशि	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं रखरखाव पर किया गया व्यय
16	91	182	3.38	182	2.04

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

यह भी पाया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुमोदन के अनुसार इन वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों के सापेक्ष 12,206 वृक्ष (4,730 पौधे

[11] एकरूपता के उद्देश्य से प्रतिपूरक वनीकरण करने हेतु अंतिम मंजूरी की तिथि से दो वर्ष की अवधि को अनुग्रह अवधि के रूप में लिया गया है।

सहित) काटे गए एवं विभाग ने प्रतिपूरक वनीकरण के मानदंडों के अनुसार 2,00,200 पौधे लगाए (प्रति हेक्टेयर 1,100 पौधे)।

3.1.3.2 मामले जहां प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया

शेष 14 मामलों में (27 में से) कोई प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया, जैसाकि **तालिका 3.6** में विवर्णित है।

तालिका 3.6: प्रतिपूरक वनीकरण न किए गए मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर)	किया जाने वाला प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिपूरक वनीकरण राशि	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं रखरखाव पर किया गया व्यय
14	165	326	6.01	0	0

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

इस प्रकार **तालिका 3.6** से स्पष्ट है कि मार्च 2021 से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने हेतु अपेक्षित 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, जबकि विभाग के पास इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधियां उपलब्ध थी।

यह भी देखा गया कि यद्यपि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुमोदन के अनुसार इन वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों के प्रति 2,081 वृक्षों की कटाई की गई तथापि प्रतिपूरक वनीकरण न करने के कारण वृक्षों की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकी, जिससे वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य विफल हो गया।

इसके अतिरिक्त वनेत्तर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने हेतु निर्धारित इन 14 मामलों में से तीन मामलों (6.31[12] हेक्टेयर वन भूमि सहित) में 6.71 हेक्टेयर वनेत्तर भूमि को वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित/नामांतरित किया गया, अतः भूमि की हानि की क्षतिपूर्ति की गई। हालांकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत भूमि को अभी तक आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित नहीं किया गया था। यह अधिनियम के तहत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अंतिम अनुमोदन देते समय अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन था।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4 वन संरक्षण अधिनियम मामलों के चयनित मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण

चयनित नौ मण्डलों के उन 27 मामलों में से, जहां मार्च 2021 तक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना अपेक्षित था, 14 मामलों में नहीं हुआ। इस प्रकार कुल 16 मामले (उन तीन मामलों सहित

[12] 1.0284 हेक्टेयर, 1.6958 हेक्टेयर व 3.5863 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला क्रमशः चम्बा, धर्मशाला व कुल्लू वन मण्डल का एक-एक मामला।

जहां देय तिथि दूर होने के बावजूद प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण किया गया) हमारे 360-डिग्री विश्लेषण (पूर्ण-रूपेण विश्लेषण) के नमूने बने, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.1.4.1 मामलों के अपूर्ण विवरण

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इन 16 मामलों का विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: 360-डिग्री विश्लेषण वाले मामलों का विवरण

मण्डल	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	वर्गीकरण	नोडल कार्यालय को प्रस्ताव की तिथि	अपवर्तित किए जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)
कुल्लू	एफपी/एचपी/वीईएलईसी /23144/2016	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	गांव विद्युतीकरण	20-दिसंबर-16	0.12
कुल्लू	एफपी/एचपी/अन्य /34283/2018	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	अन्य	20-जून-18	0.2356
धर्मशाला	एफपी/एचपी/अन्य /23209/2016	बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	अन्य	28-दिसंबर-16	0.4608
कुल्लू	एफपी/एचपी/अन्य /18885/2016	सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	अन्य	11-अप्रैल-16	0.7783
धर्मशाला	8B/ एचपीबी /09/12/2016	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अन्य	16-मार्च-15	0.9036
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /18431/2016	गांव जठानी तक संपर्क सड़क (लिंक रोड)	सड़क	12-मार्च-16	1.3226
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /13036/2015	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	सड़क	2- जून -15	1.3796
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /16051/2015	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	सड़क	21-अक्टूबर-15	1.7118
कुल्लू	एफपी/एचपी/एमआईएन /11411/2015	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	खनन	31- मार्च -15	2.1754
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /20697/2016	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	सड़क	9-अगस्त-16	2.39
सेराज	एफपी/एचपी/अन्य /18285/2016	शासकीय डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	5- मार्च -16	2.8
सेराज	एफपी/एचपी/अन्य /23885/2017	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	8-फरवरी-17	3.1239
सेराज	एफपी/एचपी/सड़क /20535/2016	तलारा ब्रिज से पनवी रोड का निर्माण	सड़क	19-जुलाई-16	4.148
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /18373/2016	बुआई तक लिंक रोड	सड़क	9- मार्च -16	4.514775
कुल्लू	एफपी/एचपी/ट्रांस /16814/2015	कुल्लू जिले में भनाग से प्रीणी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	16-दिसंबर-15	10.9119
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /21272/2016	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	सड़क	7-सितम्बर-16	53.5242

स्रोत: परिवेश व मण्डलीय आंकड़े

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी हेतु बनाए गए निगरानी तंत्र, ई-ग्रीन वॉच[13] पोर्टल की संबंधित प्रविष्टियों में इन परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित विवरण सूचीबद्ध किए गए हैं:

तालिका 3.8: ई-ग्रीन वॉच की प्रविष्टियां

मण्डल	परियोजना वर्ष	प्रस्ताव का नाम	उद्देश्य	जीपीएस आईडी	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अवस्थिति
कुल्लू	2017	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	गांव विद्युतीकरण	19577	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	अनुपलब्ध
कुल्लू	अनुपलब्ध	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
धर्मशाला	अनुपलब्ध	बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल्लू	अनुपलब्ध	सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
धर्मशाला	अनुपलब्ध	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल्लू	2019	गांव जठानी तक लिंक रोड	सड़क	19576	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	सड़क	19575	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	सड़क	19573	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	माण्डलगढ़ बीट
कुल्लू	2018	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	खनन	19490	पार्टाप क्रशर मनाली	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	सड़क निर्माण	19605	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
सेराज	2019	शासकीय डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	18296	अनुपलब्ध	बनोगी के पास
सेराज	2019	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	18961	अनुपलब्ध	सैंज शहर के पास
सेराज	2020	तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	गांवों से संपर्क	18496	अनुपलब्ध	तलारा VII के पास
कुल्लू	2018	बुआई तक लिंक रोड	सड़क निर्माण	19574	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	19590	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	अनुपलब्ध

13 ई-ग्रीन वॉच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित) का एक वेब-आधारित ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा वानिकी क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी व मूल्यांकन हेतु अस्थायी परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह एप्लिकेशन गूगल अर्थ इमेजरीज़ व एफएसआई पोर्टल पार प्रतिपूरक वनीकरण, अपवर्तित भूमि, वृक्षारोपण, अन्य वृक्षारोपण एवं संपत्ति श्रेणियों को दिखाने में सक्षम है।

मण्डल	परियोजना वर्ष	प्रस्ताव का नाम	उद्देश्य	जीपीएस आईडी	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अवस्थिति
कुल्लू	अनुपलब्ध	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	सड़क	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत: ई-ग्रीन वॉच

यह पाया गया कि संबंधित मण्डलों ने अवस्थिति, वन संरक्षण अधिनियम फ़ाइल संख्या, अधिसूचना आदेश संख्या, इत्यादि जैसे आवश्यक विवरण डेटाबेस में अपडेट नहीं किए, जबकि ये विवरण अपलोड करना अपेक्षित थे। आठ मामलों में तो प्रयोक्ता एजेंसी का नाम तक अपडेट नहीं किया गया। इन 16 मामलों में से पांच मामलों की कोई जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। इस प्रकार वह महत्वपूर्ण जानकारी जो ई-ग्रीन वॉच डेटा को विशिष्ट परियोजनाओं से उचित रूप से जोड़ सकती थी, अपलोड ही नहीं की गई। इससे पोर्टल के रूप में पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.2 सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब

सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने की प्रक्रिया एक समयबद्ध प्रक्रिया है। प्रावधानानुसार परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचाया जाए। इस प्रयोजन हेतु संशोधित आवेदन को क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचाने के लिए कुल 180 दिन का समय दिया गया है। इन 16 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने में विभिन्न स्तरों पर उल्लेखनीय विलम्ब हुआ, जैसाकि **तालिका 3.9** में विवर्णित है।

तालिका 3.9: सैद्धांतिक अनुमोदन देने में विलम्ब

(संख्या में दिन)

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि	कुल विलम्ब	नोडल से वन मंडलाधिकारी	वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक	वन संरक्षक से नोडल
1	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	08-जून-17	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	52	कोई विलम्ब नहीं
2	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	02-जुलाई-18	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
3	बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	10-मार्च-17	कोई विलम्ब नहीं	2	कोई विलम्ब नहीं	5

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि	कुल विलम्ब	नोडल से वन मंडलाधिकारी	वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक	वन संरक्षक से नोडल
4	सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	05-जुलाई-16	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
5	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	01-दिसंबर-16	142	22	52	35
6	गांव जठानी तक लिंक रोड	28-जुलाई-17	162	47	129	10
7	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	23-जून-17	62	38	26	90
8	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	28-अगस्त-17	144	1	36	92
9	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	18-अगस्त-17	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
10	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	03-अगस्त-18	276	36	213	73
11	शासकीय डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	16-नवम्बर-18	286	16	252	60
12	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	22-फरवरी-19	257	कोई विलम्ब नहीं	183	73
13	तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	26-दिसंबर-18	482	269	199	57
14	बुआई तक लिंक रोड	22-मई-17	166	189	1	4
15	जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	26-जून-18	575	24	267	17
16	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	09-जून-17	कोई विलम्ब नहीं	4	4	37

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल परिवेश

जैसाकि **तालिका 3.9** से स्पष्ट है छः मामलों में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ, जिसमें एक निजी परियोजना स्टोन क्रशर भी शामिल है, जहां क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुतीकरण के किसी भी

चरण में विलम्ब नहीं हुआ। 10 अन्य परियोजनाओं (सभी सार्वजनिक परियोजनाएं) में 255 दिनों के औसत विलम्ब सहित 62 से 575 दिनों तक का विलम्ब पाया गया।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.3 चयनित मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण निधियों के मुद्दे

सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालनोपरांत परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन दिया गया। परियोजनार्थ आवश्यक निधियों की राशि का विश्लेषण किया गया, जो **तालिका 3.10** में सारणीबद्ध है।

तालिका 3.10: किए गए प्रतिपूरक वनीकरण एवं उस पर हुए व्यय का मामला-वार विवरण

(राशि ₹ में)

प्रस्ताव का नाम	अंतिम अनुमोदन की तिथि	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डल अभिलेख में क्षेत्र	प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव एवं आकस्मिकताएं	प्रतिपूरक वनीकरण पर हुआ व्यय (रखरखाव सहित)
33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	20-नवम्बर-17	बारागढ़ III	2020-21	0.2	54,850	21,885
आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	31-अगस्त-18	उपलब्ध नहीं	2020-21	0.5	10,21,732	54,712
बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	05-मई-17	सीएफएस दानोआ	2018-19	1	78,369	1,14,372
सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	22-मार्च-17	2/10 पतालसु सी-आईआईबी	2018-19	1.56	3,17,500	1,78,420
नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	02-मार्च-17	पी.40 के सीबी करेरी	2018-19	2	1,66,989	2,28,744
गांव जठानी तक लिंक रोड	27-फरवरी-19	तारापुर-III (जठानी)	2020-21	2.66	3,15,609	2,91,068
ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	06-फरवरी-18	तारापुर-III	2020-21	2.76	3,27,474	3,02,010
भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	01-अगस्त-18	2/42 सी-IV	2020-21	3.5	3,79,928	3,82,984
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	12-नवम्बर-18	2/10 पातालसु सी-IIए	2020-21	4.5	7,62,906	4,92,408
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	14-दिसंबर-18	बारागढ़-III	2020-21	4.78	7,96,583	5,23,047
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	17-मई-19	31-कानासर	2020-21	4.5	8,80,320	4,92,408
शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	29-जुलाई-19	भल्लान-III	2020-21	6.25	9,78,865	6,83,900
तलारा ब्रिज से पनवी रोड का निर्माण	14-जनवरी-20	भल्लान-III	2020-21	8.296	21,02,410	9,07,782

प्रस्ताव का नाम	अंतिम अनुमोदन की तिथि	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डल अभिलेख में क्षेत्र	प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव एवं आकस्मिकताएं	प्रतिपूरक वनीकरण पर हुआ व्यय (रखरखाव सहित)
बुआई तक लिंक रोड	17-दिसंबर-18	तारापुर-III (भूमतीर)	2020-21	9.03	10,71,410	9,88,099
जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	02-नवम्बर-18	2/11 कोठी टिच्चिया	2020-21	22	36,66,282	24,07,328
हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	15-सितम्बर-17	कुकरी पिचे, गुरा का रूत व मटियाणी	2018-19	108	2,26,23,300	1,23,52,176
योग				**182**	**3,55,44,527**	**2,04,21,342**

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

जैसाकि उपरोक्त परियोजना की वार्षिक संचालन योजना से स्पष्ट है कि विभाग ने वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण पूर्ण करने का दावा किया था एवं केवल रखरखाव से संबंधित व्यय किया जाना था। परंतु अभिलेखों में वन संरक्षण अधिनियम के मामले-वार व्यय आंकड़े नहीं पाए गए, जिनके अभाव में अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मामले-वार व्यय की गणना की गई।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.4 गलत डाटा (विवरण) अपलोड करना

ई-ग्रीन वॉच एक वेब-आधारित व उपयोगकर्ता-अनुकूल एप्लिकेशन है जो पारदर्शी, विश्वसनीय एवं जवाबदेह है। यह एकीकृत ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष एवं योजना प्राधिकरण द्वारा वानिकी क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी व मूल्यांकन हेतु अस्थायी परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम बनाता है।

तदहेतु राज्य वन विभाग को अपवर्तित एवं प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के नक़्शे व जीपीएस फाइलों की स्कैन प्रतिलिपि केएमएल प्रारूप में अपलोड करना अपेक्षित है। केएमएल एक फ़ाइल स्वरूप है जिसका उपयोग गूगल अर्थ या गूगल मैप जैसे टूल (साधन) में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पोर्टल पर राज्य विभाग को पौधों, क्षेत्र व प्रजातियों की संख्या इत्यादि सहित संचालन के प्रथम वर्ष से पांचवें वर्ष तक विभिन्न अवधि के वृक्षारोपण कार्यों का विवरण भी प्रदान करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केएमएल फाइलों के दो अलग-अलग सेट सिस्टम पर अपलोड किए गए थे। नौ मामलों में https://egreenwatch.nic.in/FCAProjects/Public/CALs/View_Download_CALand_KML.aspx पर उपलब्ध केएमएल फाइलों में वे प्रतिपूरक वनीकरण स्थल प्रदर्शित हुए, जो अन्य राज्यों में थे। पांच मामलों में उपरोक्त लिंक में कोई जानकारी

उपलब्ध नहीं थी एवं दो मामलों में यद्यपि वन संरक्षण अधिनियम मामलों का विवरण उपलब्ध था तथापि केएमएल फ़ाइल उपलब्ध नहीं थी, जैसाकि **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: पॉलीगोन का गलत डाटा अपलोड करने के मामले

मण्डल	परियोजना वर्ष	प्रस्ताव का नाम	जीपीएस आईडी	अपलोड की गई फाइल का नाम	अपलोड की गई फाइल अनुसार अवस्थिति	राज्य
सेराज	2020	तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	18496	CAL_18496.kml	बतौली	छत्तीसगढ़
कुल्लू	2018	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	19490	CAL_19490.kml	कास्पेटी रोड	उत्तर प्रदेश
कुल्लू	2018	बुआई तक लिंक रोड	19574	CAL_19574.kml	खुंबा	हरियाणा
कुल्लू	2018	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	19605	CAL_19605.kml	तोपचांची	झारखंड
कुल्लू	2017	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	19577	CAL_19577.kml	आईटीआई राजपुर	छत्तीसगढ़
कुल्लू	अनुपलब्ध	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
धर्मशाला	अनुपलब्ध	बस स्टैंड, बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
कुल्लू	अनुपलब्ध	सीएनजी की आपूर्ति के लिए डॉटर बूस्टर स्टेशन	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
धर्मशाला	अनुपलब्ध	नगरोटा बगवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
कुल्लू	2019	गांव जठानी तक लिंक रोड	19576	CAL_19576.kml	जींद	हरियाणा
कुल्लू	2018	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	19575	CAL_19575.kml	तलवंडी राणा	हरियाणा
कुल्लू	2018	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	19573	CAL_19573.kml	थुराना	हरियाणा
सेराज	2019	शासकीय डिग्री कॉलेज गाडागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	18296	CAL_18296.kml	सुखरी डबरी	छत्तीसगढ़
सेराज	2019	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	18961	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	19590	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध
कुल्लू	अनुपलब्ध	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	----	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया

स्रोत: ई-ग्रीन वॉच

आगे यह पाया गया कि विभाग पौधों की संख्या, क्षेत्र व प्रजातियों, आदि के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अतिरिक्त केएमएल फ़ाइलों के अलग-अलग सेट https://egreenwatch.nic.in/Public/Reports/View_Download_KML.aspx पर उपलब्ध थे,

जो कुल्लू प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते थे। डेटा के दोनों सेट संबंधित वन मंडलाधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए थे।

31 मार्च 2013 (हिमाचल प्रदेश सरकार) को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा हेतु अगस्त 2019 को आयोजित लोक लेखा समिति की कार्यवाही के दौरान विभाग ने बताया कि समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन हेतु डाटा ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड किया जा रहा है। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर गलत व भ्रामक डाटा अपलोड किया जा रहा है, जिससे प्रभावी निगरानी हेतु कम जानकारी उपलब्ध होने के अतिरिक्त पोर्टल बनाने का उद्देश्य भी विफल हो गया।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.5 निष्पादन के दौरान अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अवस्थल में परिवर्तन

वन संरक्षण अधिनियम दिशानिर्देशों में वनेत्तर उपयोग हेतु वन भूमि के अनारक्षण अथवा अपवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदन करते समय प्रतिपूरक वनीकरण को केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक माना जाता है। ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। इस विस्तृत योजना में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चिह्नित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र का विवरण, प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लिए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा, वर्षवार चरणबद्ध वानिकी क्रियाकलाप, रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण एवं विभिन्न क्रियाकलापों की लागत-संरचना सहित वनीकरण/प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्राप्त उपयुक्तता प्रमाणपत्र सम्मिलित होती है। वन मंडलाधिकारी द्वारा बनाई एवं प्रस्तुत की गई प्रतिपूरक वनीकरण योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता है।

13 मामलों[14] में से छः मामलों (46 प्रतिशत) में प्रतिपूरक वनीकरण करने का स्थल परिवर्तित पाया गया। जिस स्थल पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया था, वह विस्तृत प्रतिपूरक वनीकरण योजना में निरूपित, अनुमोदित एवं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत स्थल से भिन्न था। मण्डलों द्वारा परिवर्तित प्रतिपूरक वनीकरण अवस्थल के लिए न तो कोई विस्तृत योजना और न ही उनके परिवर्तन का कोई स्पष्टीकरण तैयार किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के अवस्थल में परिवर्तन अनुमोदित नहीं किया गया एवं ना ही पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को इन परिवर्तनों के विषय में सूचित किया गया। इन मामलों का विवरण **तालिका 3.12** में सारणीबद्ध किया गया है।

[14] प्रतिपूरक वनीकरण किए गए 16 मामलों में से 13 मामलों के सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध थे।

तालिका 3.12: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में परिवर्तन के मामले

प्रस्ताव का नाम	मण्डल का नाम	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम
सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	कुल्लू	2/10 पतालसु सी-IIबी	2/10 पातालसु सी-5
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	कुल्लू	2/10 पातालसु सी-IIए	2/12 मथिवन सी-III
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	कुल्लू	बारागढ़-III	बारागढ़ II
बुआई तक लिंक रोड	कुल्लू	तारापुर-III (भूमतीर)	फटीभल्याणी, तारापुर
जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	कुल्लू	2/11 कोठी टिच्चिया	2/10 पातालसु सी-5
हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	कुल्लू	कुकरी पिचे, गुरा का रूत व मटियाणी	बीजी-III, हुरंग-III, मांडलगढ़-III

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

अभिलेखों में मंडल द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के परिवर्तित अवस्थल की कोई विस्तृत योजना, साथ ही उसमें परिवर्तन का स्पष्टीकरण दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, ना ही प्रतिपूरक वनीकरण के स्थल परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का साक्ष्य पाया गया। यह अनियमित एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध था, इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम मामले के प्रस्तुतीकरण के समय विस्तृत साइट-स्पेसिफिक प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार करने के उद्देश्य को विफल करता है।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.6 स्थलों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मूल्यांकन

इन 16 स्थलों में से चार स्थलों का मूल्यांकन आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एजीआईएसएसी)[15] की सहायता से, प्रतिपूरक वनीकरण एवं आरक्षित वनों[16]/सीमांकित संरक्षित वनों[17] में भूमि उपयोग-भूमि आवरण (एलयूएलसी) पर भू-स्थानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ किया गया। विभाग द्वारा इन परियोजनाओं के लिए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए गए निर्देशांकों का विश्लेषण किया गया, जिसके परिणाम **तालिका 3.13** में दिए गए हैं।

15 राज्य में योजना व विकासात्मक गतिविधियों हेतु स्थानिक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टे), हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वावधान में कार्यरत नोडल एजेंसी।

16 आरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित एवं पूर्ण सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र है। आरक्षित वन में सभी गतिविधियां तब तक प्रतिबंधित हैं जब तक अनुमति न दी जाए।

17 सीमांकित संरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सीमित सुरक्षा वाला क्षेत्र है। संरक्षित वनों में व्यक्तियों या समुदायों के कोई भी मौजूदा अधिकार प्रभावित नहीं होते।

तालिका 3.13: खुले अवक्रमित वनों के बाहर किए गए वृक्षारोपण के विवरण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

परियोजना का नाम	मण्डल का नाम	कुल प्रतिपूरक वनीकरण भूमि	अति सघन वन/ मध्यम सघन वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	वनेत्तर क्षेत्र	खुले अवक्रमित वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र
तालारा ब्रिज से पनवी रोड 3 तक का निर्माण	सेराज	8.3	0.00	5.57	2.73
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	कुल्लू	4.5	2.10	0.80	1.60
बुआई तक लिंक रोड	कुल्लू	9.03	0.00	8.36	0.68
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	कुल्लू	4.78	4.78	0.00	0.00
योग		**27**	**7**	**15**	**5**

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

जैसाकि स्पष्ट है, विभाग ने खुले अवक्रमित वन में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने के मानदण्ड के सापेक्ष वनेत्तर एवं अति सघन वन/मध्यम सघन वन में प्रतिपूरक वनीकरण का दावा किया। "सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण" नामक परियोजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उक्त प्रतिपूरक वनीकरण पूरे हरे-भरे जंगल में किया गया था।

इसने न केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य को विफल किया अपितु प्रतिपूरक वनीकरण परियोजनाओं के संदेहास्पद कार्यान्वयन को भी इंगित किया।

एजेंसी द्वारा किए गए जीआईएस विश्लेषण से पता चला कि "सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण" के मामले में चयनित स्थल बारागढ़ III था, जो स्थल-चयन के समय से पहले ही पूर्णतः अति सघन वन/मध्यम सघन वन के अंतर्गत आता था, जैसाकि इस प्रतिवेदन के **अध्याय VI** (**परिच्छेद संख्या 6.2.2.3**) में छवि में दर्शाया गया है। स्रोत से स्पष्ट है कि वर्ष 2019 तक चयनित क्षेत्र पहले से ही अति सघन वन/मध्यम सघन वन के अंतर्गत आता था।

कुल्लू मण्डल, रेंज-पतलीकुहल, बीट-पंकोट में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल के भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 **छवि सं. 4** से पुष्टि होती है कि प्रतिपूरक वनीकरण का 100 प्रतिशत स्थल अति सघन वन में आता है। वर्ष 2020 में उपरोक्त स्थल का सैटेलाइट छवि सं. 2 भी 100 प्रतिशत हरित आवरण दर्शाता है।

फिर भी विभाग ने इस वन क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण करने का दावा किया। यह दावा इस मामले में खर्च की गई निधियों के दुरुपयोग की आशंका से भरा था।

इस प्रकार इन चार मामलों में मूल योजना के अनुसार वृक्षारोपण यद्यपि केवल खुले अवक्रमित वन में किया जाना था तथापि केवल छोटा प्रतिशत ही खुले अवक्रमित वन में किया गया एवं शेष अन्य क्षेत्रों में किए जाने का दावा किया गया। अतएव इन मामलों में विभाग का आंतरिक नियंत्रण पूरी तरह विफल रहा।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने सटेलाइट छबियों का अध्ययन करते समय संभवतः घने लैंटाना वाले वन क्षेत्रों को अति सघन वन/मध्यम सघन वन के रूप में मान लिया होगा। यह भी बताया गया कि कई दृष्टान्तों में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई केएमएल फाइलें, वृक्षारोपण के वास्तविक अवस्थल/स्थल से मेल नहीं खातीं। यह उत्तर काल्पनिक प्रकृति का था क्योंकि भारतीय वन सर्वेक्षण सम्पूर्ण देश के लिए द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो वन क्षेत्र के नियमित राष्ट्रव्यापी मानचित्रण पर आधारित है एवं रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके दीवार से दीवार तक मानचित्रण अभ्यास के बाद व्यापक ग्राउंड ट्रॉथिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंडलों से केएमएल फाइलें मंगाई गईं जिनकी प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु ई-ग्रीन वॉच के साथ प्रति-सत्यापित की गई।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.7 स्थलों की गुणवत्ता

इन चार स्थलों के जीआईएस विश्लेषण से इनमें से दो स्थलों पर कृषि कार्य किए जाने के संकेत उजागर हुए, जो प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के रखरखाव में वन विभाग द्वारा निगरानी की कमी को परिलक्षित करता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में कृषि करना एक स्वीकार्य गतिविधि नहीं है। विवरण नीचे **तालिका 3.14** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.14: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के भीतर अतिक्रमण के विवरण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

परियोजना का नाम	मण्डल का नाम	झाड़ियां	हरित आवरण	कृषि	चरागाह	कुल क्षेत्र
तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	सराज	0.25	5.87	1.30	0.88	**8.30**
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	कुल्लू	0.00	1.69	0.00	2.81	**4.50**
बुआई तक लिंक रोड	कुल्लू	0.00	4.12	1.29	3.63	**9.04**
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	कुल्लू	0.00	4.78	0.00	0.00	**4.78**

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

यह दर्शाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण को लेकर विभाग के दावे वास्तविकता से अलग थे। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि विभाग की जानकारी के बिना वन भूमि की जुताई कैसे हो रही थी।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.2 निष्कर्ष

इन 16 मामलों के 360-डिग्री विश्लेषण से पता चला कि राज्य सरकार ने अपूर्ण डाटा (विवरण) प्रस्तुत किया था। सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में अत्यधिक विलम्ब पाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अंतिम अनुमोदन एक बार प्राप्त हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार वन संरक्षण 1980 के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अपने आप स्थलों की अवस्थिति बदलती रही। इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का गलत डेटा (केएमएल फाइलें) ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया गया, जो राज्य/केंद्र स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। प्रतिपूरक वनीकरण को विनिर्दिष्ट खुले निम्नीकृत वन से इतर किया जा रहा था एवं इन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में अतिक्रमण के मामले पाए गए।

3.3 सिफारिशें

विभाग

- *सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब घटाने हेतु उचित क़दम उठाएं।*
- *सिस्टम में सही डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करें।*
- *अनुमोदित योजनाओं से विचलन के मामलों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु मामलों की समीक्षा करें एवं निधियों के संभावित दुरुपयोग के मामलों की जांच करें।*
- *प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों से कृषि करना रोकने के तरीके खोजें।*

अध्याय IV

हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां

अध्याय IV
हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां

4.1 परिचय

प्रतिपूरक वनीकरण उन प्राकृतिक वनों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु वृक्षारोपण की प्रक्रिया है, जिन्हें विकास या अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए साफ़ कर दिया गया है। सरकारों या अन्य नियामक निकायों द्वारा वनों की कटाई के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रायः आवश्यकतानुसार किया जाता है। आमतौर पर प्रतिपूरक वनीकरण के दौरान रोपित वृक्षों की उन देशी प्रजातियों को चुना जाता है जो स्थानीय पर्यावरण के उपयुक्त हो एवं पारिस्थितिक, आर्थिक व सामाजिक लाभ प्रदान करें। प्रतिपूरक वनीकरण, वन संरक्षण अधिनियम 1980 व उसके नियमों के तहत सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं/शर्तों में से एक है। इसके लिए वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन हेतु केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है एवं प्रतिपूरक वनीकरण का उद्देश्य 'भूमि से भूमि' व 'वृक्ष से वृक्ष' हानि की क्षतिपूर्ति करना है।

4.1.1 लेखापरीक्षा परिधि एवं प्रतिपूरक वनीकरण मामलों का नमूना

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2021 के मध्य राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण के कुल 1,535 मामलों को अंतिम अनुमोदन दिया गया, जो पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में थे। ये 1,535 मामले राज्य के 37 मण्डलों में फैले हुए थे।

तालिका 4.1: हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2021 के मध्य प्रतिपूरक वनीकरण के मामले

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण (अवक्रमित वन) (हेक्टेयर में)	प्रतिपूरक वनीकरण (वनेत्तर भूमि) (हेक्टेयर में)	दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर में)	किए जाने हेतु कुल (हेक्टेयर में)	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
1,535	8,106	16,113	66	356	16,535	डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया

स्रोत: वन संरक्षण अधिनियम नोडल कार्यालय

आईडीईए सॉफ्टवेयर के प्रयोग से प्रतिस्थापन विधि के बिना स्तरीकृत सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नौ[1] (37 में से) मण्डलों का चयन किया गया। चयनित मण्डलों के मामलों व लेखापरीक्षा नमूने का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

[1] भरमौर, चंबा, चौपाल, धर्मशाला, किन्नौर, कुल्लू, कुनिहार, नाचन व सेराज

तालिका 4.2: चयनित मण्डलों में प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की स्थिति

मामलों की कुल संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	किए गए प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	आंशिक प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	ना किए गए प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	किया गया कुल प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर में)
383[2]	2,572	5,213[3]	281	3,634	22	650[4]	80	663	4,284

स्रोत: विभागीय आंकड़े

चयनित नौ मंडलों के अभिलेखों के अनुसार 383 मामलों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की प्रास्थिति (**परिशिष्ट 4.1** में वर्णित) **तालिका 4.3** में दी नीचे गई है। प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की लेखापरीक्षा **तालिका 4.3** में उल्लिखित नमूनों के आधार पर की गई। चयनित नौ मंडलों में विभाग चौपाल में 69 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से लेकर नाचन में 98 प्रतिशत तक के उच्चतम स्तर तक प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने का दावा कर रहा था।

तालिका 4.3: चयनित नौ मण्डलों में प्रतिपूरक वनीकरण की प्रास्थिति

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

मण्डल का नाम	अपवर्तित क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	पूर्णतः या आंशिक रूप से किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (प्रतिशत)	प्रारंभ न किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (प्रतिशत)
भरमौर	245	523	475 (91)	48 (09)
चंबा	288	570	546 (96)	24 (04)
चौपाल	124	299	206 (69)	93 (31)
धर्मशाला	67	150	144 (96)	06 (04)
किन्नौर	863	1,646	1,255 (76)	391 (24)
कुल्लू	241	529	390 (74)	139 (26)
कुनिहार	472	952	746 (78)	206 (22)
नाचन	125	252	246 (98)	06 (02)
सेराज	147	292	276 (94)	16 (06)
योग	**2,572**	**5,213**	**4,284** (82)	**929** (18)

स्रोत: विभागीय आंकड़ें

2 इन मामलों में वे 58 मामले शामिल नहीं हैं, जिन पर अध्याय III में टिप्पणी की गई है।

3 4,284 (प्रतिपूरक वनीकरण किया गया) + 663 (प्रतिपूरक वनीकरण हेतु शेष) + 268 (शेष आंशिक प्रतिपूरक वनीकरण) = 5,215 किए गए। प्रतिपूरक वनीकरण के संदर्भ में एक मामले में अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण किया गया (दो हेक्टेयर)।

4 निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण 918 हेक्टेयर, किया गया प्रतिपूरक वनीकरण 650 हेक्टेयर एवं शेष प्रतिपूरक वनीकरण 268 हेक्टेयर।

तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि 5,213 हेक्टेयर में निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण के प्रति केवल 4,284 हेक्टेयर में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया। इस प्रकार चयनित मण्डलों में की गई प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी थी।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित नौ[5] इकाइयों में सैद्धांतिक/अंतिम अनुमोदन में दी गई शर्तों का अनुपालन न होने के 373 मामले[6] पाए गए। शर्तों का अनुपालन न होने के मामले अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए हैं।

4.2 प्रतिपूरक वनीकरण की योजना एवं कार्यान्वयन में पाई गई कमियां

प्रतिपूरक वनीकरण की योजना एवं कार्यान्वयन चरण से सम्बंधित कई कमियां पाई गईं, जोकि नीचे विवर्णित है:

4.2.1 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि बैंक चिह्नित न करना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशानिर्देशों की पुस्तिका के परिच्छेद 2.2 एवं वन भूमि के अपवर्तन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की अधिसूचना (नवंबर 2017) के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन संरक्षण प्रस्तावों के त्वरित निपटानार्थ राज्य व केंद्रशासित प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने के लिए भूमि बैंक का सृजन करें। सैटेलाइट छवियों के प्रयोग एवं भारतीय वन सर्वेक्षण के परामर्श से वनेत्तर भूमि के अतिरिक्त वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 40 प्रतिशत छत्र घनत्व (क्राउन डेंसिटी) वाले अवक्रमित वन चिह्नित कर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध कराएं। व्यवस्थित तरीके से भूमि बैंक के शीघ्र सृजनार्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन बल प्रमुख) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी थी, जिसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन व राज्य के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

यह देखा गया कि यद्यपि भूमि बैंक चिह्नित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन (मार्च 2018) किया गया तथापि नवंबर 2023 तक समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की जा सकी (वर्ष 2018 में एक बैठक व वर्ष 2023 में दो) एवं केवल वर्ष 2023 में (दिसंबर 2023 में विभाग के उत्तर के माध्यम से) रेणुकाजी बांध परियोजना नामक एक परियोजनार्थ पहली बार 1,792 हेक्टेयर (21 पॉकेट्स में) का भूमि बैंक चिह्नित किया गया। हालांकि विभाग ने

---

[5] वन मंडलाधिकारी किन्नौर - दो; वन मंडलाधिकारी कुनिहार - तीन; वन मंडलाधिकारी भरमौर - एक; वन मंडलाधिकारी कुल्लू - एक; मुख्य वन संरक्षक रामपुर - एक; वन मंडलाधिकारी धर्मशाला - एक; प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) - एक; अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सुंदरनगर - एक व वन मंडलाधिकारी नाचन - एक

[6] प्रतिपूरक वनीकरण नहीं करने के 75 मामले, विलम्ब से प्रतिपूरक वनीकरण करने के 200 मामले, स्थान परिवर्तन के 77 मामले, अल्प वसूली के 12 मामले व नौ मामले विविध मुद्दों के। कुछ मामलों में एक से अधिक मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

दिशा-निर्देशों में अपेक्षित भारतीय वन सर्वेक्षण के परामर्श से किसी सैटेलाइट छवि का उपयोग भूमि बैंकों की पहचान के लिए नहीं किया है।

इस प्रकार समिति के गठन के बाद भी एक व्यापक भूमि बैंक के निर्माण की प्रगति बहुत कम हुई।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.2.2 प्रतिपूरक वनीकरण करने में विलंब

अंतिम अनुमोदन में निर्धारित शर्तानुसार प्रतिपूरक वनीकरण पर अंतिम अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक से दो वर्ष की अवधि के भीतर व्यापक प्रतिपूरक वनीकरण योजनानुसार निर्धारित स्थलों पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 383 मामलों में 5,213 हेक्टेयर में प्रतिपूरक वनीकरण करने के निर्धारित लक्ष्य के प्रति 648 हेक्टेयर वन (12 प्रतिशत) भूमि से जुड़े 75[7] मामलों (20 प्रतिशत) में प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया। प्रतिपूरक वनीकरण करने में हुआ विलम्ब **तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.4: अंतिम अनुमोदन के पश्चात् प्रतिपूरक वनीकरण करने में विलम्ब

विवरण	विलम्ब की अवधि (वर्ष में)			
	दो वर्ष तक	दो से पांच	पांच से दस	दस वर्ष से अधिक
मामलों की संख्या	17 (22)	11 (15)	20 (27)	27 (36)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	223	208	108	109

स्रोत: विभागीय आंकड़ें

37 प्रतिशत मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण करने में पांच वर्ष, 27 प्रतिशत मामलों में पांच से दस वर्ष व 36 प्रतिशत मामलों में 10 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 69 मामलों[8] (उपरोक्त 75 मामलों में से) में प्रतिपूरक वनीकरण करने व उसके रखरखाव हेतु तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में ₹ 6.79 करोड़ की निधियां जमा की गई।

संवीक्षा से उजागर हुआ कि अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के एक से दो वर्ष की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण न करने के कारण मार्च 2022 तक वनीकरण व रखरखाव पर ₹ 15.51 करोड़[9] की निधियों की आवश्यकता होगी। वनीकरण करने में लगातार विलम्ब के

---

7 80 मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया। हालांकि अंतिम अनुमोदनानुसार इसे अंतिम अनुमोदन की तिथि से एक से दो साल की समयावधि के भीतर किया जाना था। 80 में से 75 मामलों में दो साल की अवधि व्यतीत हो चुकी थी। इस प्रकार प्रतिपूरक वनीकरण करने में विलम्ब की गणना के लिए केवल 75 मामलों पर विचार किया गया था।

8 केवल 69 मामलों के लिए कोष की स्थिति उपलब्ध थी।

9 आकस्मिकता व विभागीय शुल्क को छोड़कर एवं गणना वर्ष 2021-22 के मानदंडों के अनुसार की गई।

परिणामस्वरूप लागत में और वृद्धि होगी। प्रतिपूरक वनीकरण न करने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि भूमि एवं वृक्षों की हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी, साथ ही लागत वृद्धि के कारण ₹ 8.72 करोड़[10] की अतिरिक्त देयता भी निर्मित हुई, जैसाकि **परिशिष्ट 4.2** में विवर्णित है।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू व नाचन ने बताया (क्रमशः जनवरी व फरवरी 2023) कि बचा हुआ/शेष प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए वार्षिक संचालन योजना तैयार कर राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हैं।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.2.3 पूर्ण किए गए मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन में विलम्ब

समग्र मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के फलस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण करने में विलम्ब से वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता अपरिहार्य हो जाती है। इस समस्या के समाधान के दृष्टिगत विभाग प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण लागत की वसूली के प्रयोजनार्थ प्रति वर्ष नई प्रतिपूरक वनीकरण दरें अधिसूचित करता है।

मार्च 2021 तक नमूना-जांचित नौ इकाइयों के 280[11] मामलों में 3,632 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण हो गया था, इनमें से 69 मामलों (25 प्रतिशत) में 729 हेक्टेयर (20 प्रतिशत) क्षेत्रफल में निर्धारित समय के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण किया गया। शेष 200[12] मामलों में 2,866 हेक्टेयर (79 प्रतिशत) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण करने में एक से 13 वर्ष के मध्य का विलम्ब हुआ।

तालिका 4.5: प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन में विलम्ब

विवरण	विलम्ब की अवधि (वर्षों में)			
	दो वर्ष तक	दो से पांच	पांच से दस	दस वर्ष से अधिक
मामलों की संख्या (200)	85 (43)	65 (33)	45 (22)	05 (02)
क्षेत्र (हेक्टेयर में) (2,866)	984	457	1,140	285

स्रोत: विभागीय आंकड़ें, कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते है।

---

10 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित 2016-17 हेतु ₹ 65,450, 2017-18 हेतु ₹ 83,126, 2018-19 हेतु ₹ 87,485, 2019-20 हेतु ₹ 1,00,039 व 2020-21 हेतु ₹ 1,09,424 की दरों पर गणना की गई है।

11 कुल मामले- 383; प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया- 80 मामले; शेष मामले- 303 (आंशिक प्रतिपूरक वनीकरण- 22 मामले; पूर्ण प्रतिपूरक वनीकरण -281 मामले)। 281 मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण हुआ, हालांकि प्रतिपूरक वनीकरण को लंबे पौधों की संख्या के संदर्भ में निर्धारित किए गए एक मामले को इस परिच्छेद में विश्लेषण से बाहर रखा गया है।

12 37 हेक्टेयर क्षेत्र वाले 11 मामलों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन के वर्ष के आंकड़े अभी भी प्रतीक्षित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 194[13] मामलों (200 मामलों में से) में प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव के लिए तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में ₹ 27.04 करोड़ की निधियां जमा की गई जिसके सापेक्ष ₹ 29.07 करोड़[14] का व्यय किया गया। इस प्रकार, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधियों से ₹ 2.03 करोड़ अधिक निधियों का उपयोग किया गया।

इसके अतिरिक्त इन मामलों में शेष राशि बनाए रखने के लिए ₹ 12.87 करोड़[15] की निधियों की आवश्यकता होगी (**परिशिष्ट 4.3** में विवर्णित)। वृक्षारोपण में विलम्ब, पर्यावरणीय हानि की विलम्बित क्षतिपूर्ति/ क्षतिपूर्ति न होने, इस वृक्षारोपण के रखरखाव पर ₹ 2.03 करोड़ के व्यय आधिक्य एवं ₹ 12.87 करोड़ की देयता के रूप में परिणत हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.2.4 कार्यान्वयन के दौरान अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना की अवस्थिति में परिवर्तन

प्रतिपूरक वनीकरण को वन संरक्षण अधिनियम दिशानिर्देशों में वनेत्तर उपयोग हेतु वन भूमि के अनारक्षण अथवा अपवर्तन के लिए प्रस्ताव अनुमोदन करते समय केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक माना जाता है। ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की एक व्यापक योजना तैयार कर पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है। यह व्यापक योजना प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चिह्नित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र का विवरण, प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लिए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा, वर्ष-वार चरणबद्ध वानिकी क्रियाकलाप, रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण एवं विभिन्न क्रियाकलापों की लागत-संरचना सहित वनीकरण/प्रबंधन की दृष्टि से प्राप्त उपयुक्तता-प्रमाणपत्र से मिल कर बनती है। वन मंडलाधिकारी द्वारा बनाई एवं प्रस्तुत की गई प्रतिपूरक वनीकरण योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता है।

नमूना-जांचित नौ मण्डलों के 281 मामलों में (383 मामलों में से) प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा में 108 (281 में से) मामलों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई व 77 मामलों (71 प्रतिशत) में प्रतिपूरक वनीकरण करने का स्थल परिवर्तित पाया गया। जिस स्थल पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया, वह व्यापक प्रतिपूरक वनीकरण योजना में निरूपित, अनुमोदित एवं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत स्थल से भिन्न था।

---

13 जिसके लिए कोष की स्थिति उपलब्ध थी।

14 वृक्षारोपण व रखरखाव के वर्ष के दौरान प्रचलित मानदंडों के अनुसार।

15 उपरोक्त फुटनोट नंबर 10 के अनुसार।

अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि मण्डलों ने परिवर्तित प्रतिपूरक वनीकरण अवस्थिति की कोई व्यापक योजना एवं उनके परिवर्तन का स्पष्टीकरण तैयार किया, साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण की अवस्थिति में परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की। यह अनियमित एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध था, साथ ही इससे वन संरक्षण अधिनियम मामले को प्रस्तुत करने के समय व्यापक स्थल-विशिष्ट प्रतिपूरक वनीकरण योजना बनाने का उद्देश्य विफल हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.2.5 प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए निधियों की अल्प वसूली

वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों को इस शर्त पर सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी प्रतिपूरक वनीकरण योजनानुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत व प्रतिपूरक वनीकरण भूमि पर आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, सीमांकन व स्थायी स्तंभों की निर्माण लागत वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करे। अंतिम अनुमोदन के एक से दो वर्षों के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए।

प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण का रखरखाव सात से दस वर्षों तक किया जाता है। प्रयोक्ता एजेंसी को प्रदत्त अंतिम अनुमोदन में दी गई शर्तों के अनुसार योजना में आगामी वर्षों हेतु निर्धारित कार्यों की अनुमानित लागत वृद्धि के लिए उचित प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

वन संरक्षण अधिनियम नोडल अधिकारी/प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नमूना-जांचित नौ मण्डलों के 12 मामलों[16] में यद्यपि उस वर्ष के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण योजना बनाई गई थी जिस पर सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया तथापि विभाग ने आगामी वर्षों में निर्धारित कार्यों की अनुमानित लागत वृद्धि हेतु यथोचित प्रावधान नहीं रखा एवं न ही प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए संशोधित बिल जारी किया।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण के मानदंडों व अनुमानित लागत वृद्धि के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्रतिपूरक वनीकरण करने की देय राशि की पुनर्गणना की एवं पाया कि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गई ₹ 5.92 करोड़ राशि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसियां को प्रतिपूरक वनीकरण करने के कारण ₹ 9.21 करोड़ राशि (आकस्मिकता व विभागीय

[16] इस पर अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के मध्य अंतिम अनुमोदन किया गया।

शुल्क सहित) का भुगतान करना था। यह अव-मूल्यांकन में परिणत हुआ, जिससे ₹ 3.29 करोड़[17] तक प्रतिपूरक वनीकरण लागत की अल्प वसूली हुई, जैसाकि **परिशिष्ट 4.4** में विवर्णित है।

इस स्थिति को ठीक करने के लिए विभागीय स्तर का प्रयास दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.2.6 उचित समन्वय एवं आंतरिक नियंत्रण का अभाव

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम ने प्रत्येक प्रस्ताव के सापेक्ष अपवर्तित वन भूमि एवं प्रतिपूरक वनीकरण (दंडात्मक व अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण) का विवरण प्रदान किया, हालांकि संबंधित वन संरक्षण अधिनियम मामले के सापेक्ष किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की प्रास्थिति नोडल अधिकारी, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं थी। नोडल अधिकारी, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण ने मंडलों से जानकारी मांगी परन्तु नवंबर 2022 तक जानकारी प्रतीक्षित थी। इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के प्रति किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की प्रास्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। वन संरक्षण अधिनियम मामलों का डाटा-वार अनुरक्षण न करना एवं उसके सापेक्ष किया गया प्रतिपूरक वनीकरण किसी विशेष वन संरक्षण अधिनियम मामले पर प्रतिपूरक वनीकरण की स्थिति की जांच करने के लिए निगरानी तंत्र के अभाव का परिचायक है।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.2.7 विभागीय प्रभारों का व्यपवर्तन

नए वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव की लागत के साथ-साथ आकस्मिक व्यय भी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में जमा किए जाते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय प्रभार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के 17.5 प्रतिशत की दर पर तय किए गए थे (मई 2004) एवं प्रयोक्ता एजेंसियों से वन विभाग की प्राप्तियों के रूप में इसकी वसूली की जानी थी जिसे वन विभाग की प्राप्तियों के रूप में सरकारी कोषागार में जमा किया जाना था।

---

[17] वर्ष 2016-17 हेतु ₹ 65,450, वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 83,126, वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 87,485, वर्ष 2019-20 हेतु ₹ 1,00,039 एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक रूप से अधिसूचित वर्ष 2020-21 हेतु ₹ 1,09,424 की दरों पर गणना की गई।

अप्रैल 2006 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 441 मामलों[18] पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत अंतिम अनुमोदन दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो मण्डलों[19] के 36 मामलों (441 मामलों में से) में ₹ 0.74 करोड़ का विभागीय शुल्क, जो वन विभाग की प्राप्तियों के रूप में सरकारी कोषागार में जमा किया जाना था, तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में व्यपवर्तित कर दिया गया जैसाकि **परिशिष्ट 4.5** में विवर्णित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप विभागीय प्रभारों की सरकारी प्राप्तियां कम जमा हुईं।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.3 स्वतंत्र प्रतिपूरक वनीकरण मामलों में देखी गईं कमियां

प्रतिपूरक वनीकरण के योजना चरण में कई कमियां देखी गईं, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

4.3.1 प्रयोक्ता एजेंसी से खुले/अवक्रमित वन क्षेत्रों के पुनर्जनन हेतु अल्प/अवसूली

(क) वन संरक्षण नियम, 2003 के नियम 8 में निर्धारित है कि सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति प्राप्त होने पर वन मंडलाधिकारी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा चुकाई जाने वाली प्रतिपूरक उद्ग्रहण की मद-वार राशि जैसे प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन व रखरखाव की लागत, निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना या वन्यजीव संरक्षण योजना के कार्यान्वयन की लागत आदि से युक्त एक मांग-पत्र तैयार करे एवं सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर प्रयोक्ता एजेंसी को इसकी सूचना दें। प्रयोक्ता एजेंसी को मंडलाधिकारी से मांग-पत्र प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर प्रतिपूरक उद्ग्रहण का भुगतान करना होगा एवं प्रतिपूरक उद्ग्रहण के भुगतान सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति सहित एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दो जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माणार्थ मेसर्स जीएमआर व मेसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में सैद्धांतिक व अंतिम अनुमोदन दिया गया, जैसाकि **तालिका 4.7** में विवर्णित है।

तालिका 4.7: जल विद्युत परियोजना हेतु अपवर्तित वन भूमि के विवरण

परियोजना का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	हेक्टेयर में अपवर्तित वन क्षेत्र	सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि	अंतिम अनुमोदन की तिथि
बाजोली होली जलविद्युत परियोजना	मेसर्स जीएमआर	75.304 हेक्टेयर	08/07/2011	26/10/2012
कुथेर जलविद्युत परियोजना	मेसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	61.4083 हेक्टेयर	22/06/2011	11/01/2013

स्रोत: विभागीय आंकड़ें

[18] **परिशिष्ट 3.1** में 58 मामले व **परिशिष्ट 4.1** में 383 मामले।

[19] वन मंडलाधिकारी किन्नौर (एक मामला) - ₹ 0.50 करोड़ व वन मंडलाधिकारी चौपाल (35 मामले) - ₹ 0.24 करोड़

सैद्धांतिक अनुमोदन की शर्त संख्या 18 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को उसके पक्ष में अपवर्तित वन क्षेत्र के बराबर खुले/अवक्रमित वन के पुनर्जनन की लागत वहन करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि अंतिम अनुमोदन से पूर्व परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में अपवर्तित किए गए वन क्षेत्र के बराबर खुले/अवक्रमित वन के पुनर्जनन की लागत वहन करने का वचन प्रयोक्ता एजेंसी से लिया गया तथापि वन मंडलाधिकारी, भरमौर द्वारा न तो पुनर्जनन हेतु खुले/अवक्रमित वन को चिह्नित किया एवं न ही इसके लिए कोई योजना तैयार की गई। लेखापरीक्षा में गणना की गई कि परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में अपवर्तित वन क्षेत्र के बराबर खुले/अवक्रमित वन के पुनर्जनन हेतु अनुमोदित दरों के अनुसार ₹ 5.53 करोड़[20] की आवश्यकता होगी। हालांकि अक्टूबर 2021 तक प्रयोक्ता एजेंसी से न तो इसकी मांग की गई एवं न ही वसूली की गई।

वन मंडलाधिकारी ने बताया कि निधियों की वसूली का मुद्दा प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ उठाया गया है और तदनुसार लेखापरीक्षा को परिणाम से अवगत कराया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की वसूली की जानी चाहिए थी।

(ख) मेसर्स जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में ट्रांसमिशन लाइन के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु अंतिम अनुमोदन देते समय (जुलाई 2009) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभाग के परामर्श से 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टैक्सस बकाटा[21] का वृक्षारोपण करने की अतिरिक्त शर्त अधिरोपित की एवं यह वृक्षारोपण राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में किया जाना था।

वन मंडलाधिकारी, रामपुर द्वारा भू-अपवर्तन अनुमोदन के छः वर्षोपरांत ₹ 1.86 करोड़ के अनुमानित व्यय सहित टैक्सस बकाटा के वृक्षारोपण की योजना तैयार (जून 2015) एवं अनुमोदित की गई (सितंबर 2015)। तत्पश्चात प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 1.86 करोड़ (तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में ₹ 1.60 करोड़ व वनमंडलाधिकारी, रामपुर को विभागीय प्रभार के रूप में ₹ 0.26 करोड़) जमा करने का अनुरोध किया गया (अक्टूबर 2015)। फिर भी प्रयोक्ता एजेंसी ने न तो वृक्षारोपण की लागत एवं न ही विभागीय प्रभार जमा किया। प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली करने के लिए की गई अनुवर्ती कार्रवाई का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग किया गया था, वह वर्ष 2012 में प्रारंभ कर दी गई थी।

---

20 प्रतिपूरक वनीकरण के लिए ₹ 0.81 करोड़ के विभागीय प्रभार को शामिल करते हुए विभागीय मानदंडों के आधार पर गणना की गई और अनुमान लगाया गया कि कार्य वर्ष 2022-23 से शुरू किए जाएंगे।

21 स्तन कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त दवा का स्रोत।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर वनमंडलाधिकारी, रामपुर ने प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निधियों का भुगतान न करने और वर्तमान दरों के आधार पर वृक्षारोपण योजना को संशोधित करने की आवश्यकता से सम्बंधित मामला मुख्य वन संरक्षक, रामपुर को भेजा (अगस्त 2021)। उन्होंने यह भी कहा कि मण्डल में तैनात किसी भी व्यक्ति/अधिकारी को टैक्सस बकाटा की नर्सरी विकसित करने की तकनीकी जानकारी नहीं थी एवं उन्होंने वन संरक्षक से कार्मिकों को तत्संबंधी प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वनमंडलाधिकारी, रामपुर[22] द्वारा बनाई गई प्रतिपूरक वनीकरण योजना में प्रतिपूरक वनीकरण करने की लागत (₹ 10.36 लाख) में आकस्मिकता प्रभार[23] शामिल नहीं थे व ₹ 1.81 लाख के विभागीय प्रभार की भी अल्प वसूली की गई थी। अतएव प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 12.18 लाख राशि की वसूली अभी भी शेष है।

इस प्रकार अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी में विभाग की विफलता वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध थी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी से प्रभारों की वसूली नहीं हो पाई। इसके साथ ही वृक्षारोपण लागत की वसूली में विलम्ब से वृक्षारोपण की लागत में संशोधन/वृद्धि होगी एवं वृक्षारोपण के अभीष्ट प्रभाव/लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.3.2 मलबा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध वन संरक्षण अधिनियम पर दिशानिर्देशों, चेकलिस्ट व संबंधित जानकारी के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम मामला बनाते समय यदि परियोजना में भूमि की खुदाई से सम्बंधित कोई गतिविधि शामिल है, तो मलबा निपटान/प्रबंधन योजना तैयार की जाए। प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय का वचन देना होगा कि मलबा प्रबंधन योजना (योजना) प्रयोक्ता एजेंसी कार्यान्वित करेगी तथा योजना का कार्यान्वयन न होने की स्थिति में; वे दंड/कार्रवाई के भागी होंगे। दिशानिर्देश डंपिंग साइट (कचरा फेंकने का स्थल) बनाने अर्थात स्थल की आवश्यकतानुसार प्रतिधारण दीवारों व अन्य संरचनाओं के निर्माण का भी प्रावधान करते हैं। इसका उद्देश्य मलबे को नीचे लुढ़कने से पूरी तरह से रोकना है। इसके अतिरिक्त डंपिंग साइट नदी/जलधारा/नाले से पांच किमी दूर स्थित होनी चाहिए।

मई 2008 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में रोहतांग सुरंग के निर्माणार्थ 75.0606 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन का अनुमोदन दिया। उपरोक्त अनुमोदन की शर्त संख्या 4 में कहा गया है कि राज्य

---

22 अंतिम अनुमोदन की शर्त संख्या 2 के तहत, वन मंडलाधिकारी, रामपुर ने 223 हेक्टेयर से अधिक में प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए यह योजना तैयार की।

23 प्रतिपूरक वनीकरण प्रभार का पांच प्रतिशत।

वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना लागत पर मलबा पुनर्वास योजना की सभी शर्तों का कार्यान्वयन करना था। शर्त संख्या 5 के अनुसार डंपिंग क्षेत्र को स्थायी एवं बेहतर (पुनरुद्धार) बनाया जाए एवं राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर डंपिंग क्षेत्रों पर उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाए। जून 2007 में उपर्युक्त मामले पर अंतिम अनुमोदन देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ₹ 12.09 करोड़ की लागत की विस्तृत मलबा पुनर्वास योजना को मंजूरी दी। योजनानुसार परियोजना के दौरान लगभग 15,07,700 घन मीटर (दक्षिण द्वार (पोर्टल) पर 9,10,000 घन मीटर व उत्तरी पोर्टल पर 5,97,700 घन मीटर) मलबा उत्पन्न होना था। मलबा निपटान हेतु दक्षिण पोर्टल की ओर कुल भूमि 16.2406 हेक्टेयर व उत्तरी पोर्टल की ओर 20.00 हेक्टेयर थी। दक्षिण पोर्टल पर निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न मलबे के निपटान हेतु चिह्नित स्थल सोलंग वैली से लगभग 200 मीटर, पलचान से 3.09 किमी व पलचान सोलंग धुंडी रोड के पश्चिमी तरफ दक्षिण पोर्टल से 11.75 किमी दूर था। सूचित किया गया कि मलबा क्षेत्र के समीप बहने वाला सेरी नाला बारिश के दौरान बहुत अस्थिर हो जाता है। इसलिए मलबा क्षेत्र को सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के अतिरिक्त नाले के बाएं ढलान को सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया। मलबा वहीं बांधे रखने के लिए पूरे मलबा निपटान क्षेत्र को प्रतिधारण (रिटेनिंग) संरचनाओं वाले ग्रिडों में विभाजित किया जाना था। मलबे को क्षेत्र में परतों में भर कर दबा दिया जाएगा। मलबे के बहाव को रोकने व निपटान क्षेत्र के परिशोधन हेतु अन्य सिविल कार्य भी किए जाने थे। कार्य पूर्ण होने पर सम्पूर्ण मलबा निपटान क्षेत्र के ऊपर साफ़ मिट्टी डाल कर व्यवस्थित करना और उपयुक्त घास की प्रजाति का फैलाव किया जाना था। साथ ही देशी प्रजातियों के उपयुक्त वृक्षों व झाड़ियों का रोपण कर सात वर्षों तक उसका रखरखाव किया जाना था। प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर कुल्लू व केलांग मण्डलों में दो नर्सरी विकसित की जानी थीं। योजनानुसार परियोजना निर्माण के तीसरे व सातवें वर्ष में उत्तर एवं दक्षिण दोनों पोर्टल डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाना था (लागत प्रयोक्ता एजेंसी को वहन करनी थी)।

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेंसी को मलबा फेंकना प्रारंभ करने से पूर्व दोनों मलबा निपटान स्थलों पर विभिन्न इंजीनियरिंग निर्माण-कार्य अपनी लागत पर करने थे। प्रयोक्ता एजेंसी को योजना व समयसारणी के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग एवं जैविक दोनों कार्यों का कार्यान्वयन करना था और वन विभाग को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करनी थी। मलबा फेंकने के लिए अपवर्तित की गई वन भूमि केवल अस्थायी प्रकृति की थी जिसे सुधार एवं पुनर्वास के पश्चात् वन विभाग को वापस करनी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि अक्टूबर 2020 में सुरंग (टनल) का उद्घाटन किया गया। अक्टूबर 2020 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यह बताया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी को योजना का कार्यान्वयन करना था एवं जब प्रयोक्ता एजेंसी विभाग

को अपेक्षित निधियां जमा कर देंगी तब पुनर्वास व वृक्षारोपण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वन संरक्षक, कुल्लू की अध्यक्षता में मलबा पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में नवंबर 2020 को आयोजित बैठक के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कोई बड़ा कार्य नहीं किया गया एवं वर्तमान परिस्थितियों में अपेक्षित सुधारों व अपेक्षित कार्यों तथा बजट की पुनर्गणना के आधार पर योजना को संशोधित किया जाना था। वन संरक्षक ने वन अधिकारियों और प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा डंपिंग स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करने एवं योजना संशोधित करके तदनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से निधियां जारी करने के लिए बिल बनाने का निर्देश दिया। यह भी देखा गया कि वनमंडलाधिकारी, कुल्लू के पास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी अर्थात योजना के प्रावधानों से संदर्भित प्रयोक्ता एजेंसी व विभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों का विवरण; योजना के कार्यान्वयन के दौरान विभाग द्वारा की गई निगरानी का विवरण; विभाग द्वारा डंपिंग स्थलों में किए गए निरीक्षणों की संख्या; प्रस्तावित नर्सरियों के सृजन एवं डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

रोहतांग टनल के उत्तर व दक्षिण पोर्टल पर डंपिंग स्थलों का भू-स्थानिक अध्ययन एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण (हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों के साथ) किया गया। इसके परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं:

i. निर्दिष्ट साइटों पर फेंका गया मलबा दिखाई दे रहा था (छवि 1 व 2)।

ii. टनल के दोनों पोर्टलों पर मलबा डंपिंग स्थल नदी/नाले के किनारे स्थित थे (छवि 1 व 2)।

iii. सिविल कार्य के संदर्भ में मलबे को रोकने के लिए नदी/नाले के किनारों पर केवल प्रतिधारक दीवारें ही दिखाई दे रही थीं, जो डंपिंग साइटों की पूरी लंबाई को ढांक नहीं पा रही थीं (छवि 2)।

iv. डंपिंग स्थलों के पुनरुद्धार हेतु कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया (छवि 1 व 2)।

v. डंपिंग स्थलों पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निर्मित अस्थायी संरचनाएं देखी गईं (छवि 1 व 2)।

vi. दक्षिणी पोर्टल पर डंपिंग साइट के भीतर वाहनों की पार्किंग भी देखी गई।

vii. दक्षिणी पोर्टल डंपिंग साइट पर स्टॉल एवं अस्थायी शेड/कुटियाएं भी देखी गईं।

मलबा-डंपिंग/परियोजना पूर्ण होने के पश्चात वृक्षारोपण न करना, योजना के तहत निर्धारित सिविल कार्यों को न करना, पार्किंग हेतु डंपिंग साइटों का उपयोग करना व योजना के अंतर्गत डंपिंग साइट के भीतर अनिर्धारित अस्थायी संरचनाओं/झोपड़ियों का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिए गए अंतिम अनुमोदन के विरुद्ध था। डंपिंग स्थलों का चयन नदी/नाले से पांच किमी की निर्धारित दूरी पर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त डंपिंग साइट की

पूरी लंबाई में प्रतिधारण दीवार न होने के कारण नदी/नाले में मलबा बहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

छवि 1

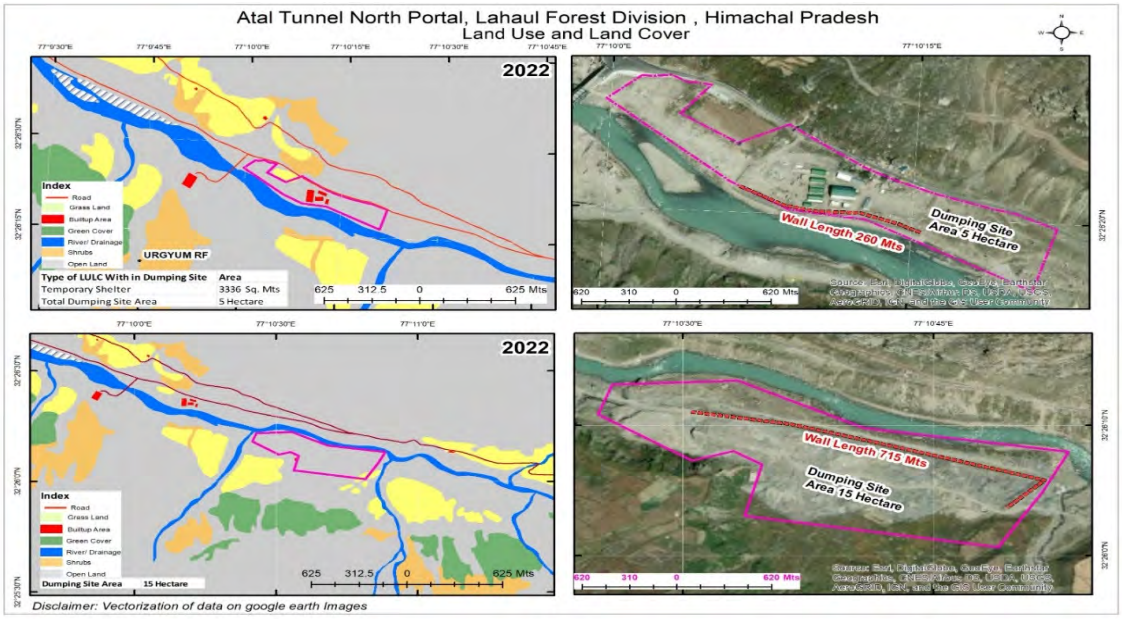

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरोग्रिड, आईजीएन, और जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि 2

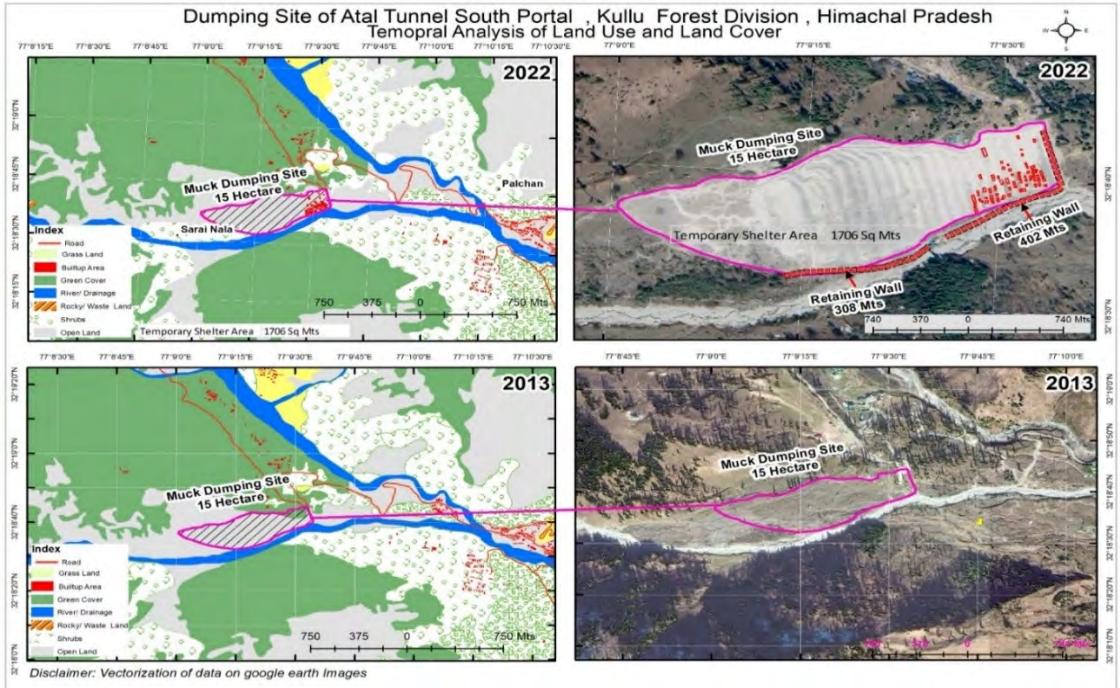

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरोग्रिड, आईजीएन, और जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

इस प्रकार उपरोक्त आलोक में विभाग नदी/नाले से निर्धारित दूरी पर उपयुक्त स्थल का चयन करने, योजना के कार्यान्वयन/निगरानी करने व योजना का कार्यान्वयन न करने पर प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। योजना अनुमोदित होने से 13 वर्ष की अवधि के बाद भी विभाग ने योजना के तहत निर्धारित कोई वृक्षारोपण एवं सिविल कार्य (रिटेनिंग दीवार के निर्माण को छोड़कर) नहीं किया। यह भी देखा गया कि डम्पिंग स्थल का उपयोग वाहनों की पार्किंग व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण जैसी अनधिकृत गतिविधियों में किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 तक प्रयोक्ता एजेंसी ने योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई निधियां उपलब्ध नहीं करवाई।

यह विभाग की स्पष्ट विफलता थी क्योंकि काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद प्रयोक्ता एजेंसी ने मलबा पुनर्वास नहीं किया।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी से मलबा पुनर्वास योजना के अनुसार डंपिंग क्षेत्रों के स्थायीकरण एवं सुधार हेतु सभी उपाय करने का अनुरोध किया गया है। वन मंडलाधिकारी, लाहौल ने बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी के साथ योजना के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधियां जमा करने व डंपिंग साइटों पर कब्जा वापस लेने का मामला उठाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि टनल प्रचालनाधीन है और विभाग योजना के कार्यान्वयन एवं प्रयोक्ता एजेंसी को अस्थायी रूप से सौंपी गई डंपिंग साइटों के सुधार में विफल रहा, जिन्हें सुधार व पुनर्वास के पश्चात वन विभाग को वापस कर दिया जाना था।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.3.3 निधियों के उपयोग में धोखाधड़ी का संदेह

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण पर जारी दिशानिर्देश (अगस्त 2009) व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2009) के खंड 4 (ii) में यह प्रावधान है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन मिलने पर प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्त (शर्तों) की अनुपालना हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों से मिले धन की समस्त प्राप्तियां राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते[24] में जमा की जाएं। इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण पर

[24] सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 5 मई 2006 के अनुसार तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना, निवल वर्तमान मूल्य एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित किसी भी अन्य शर्त हेतु प्राप्त समस्त धनराशि जमा की गई थीं। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण द्वारा बनाई गई वार्षिक संचालन योजना को तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व

@ 17.5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार सरकारी प्राप्तियां होती हैं, जिन्हें राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाना है।

सहायता-अनुदान, निधि इत्यादि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था एवं उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर संवितरित किया गया, साथ ही उपयोग करने वाली एजेंसी/उपयोगिता/इकाई द्वारा इन निधियों का कोई दुरुपयोग, उपयोग में विलम्ब, अनुचित उपयोग नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आत्म-संतुष्टि हेतु अपेक्षित उपयोगिता-प्रमाणपत्र मांगा जाता है। उपयोगिता-प्रमाणपत्र कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किन्नौर मण्डल में 402 मेगावाट शौंगटोंग करछम जलविद्युत परियोजना के निर्माणार्थ मेसर्स हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में वनेत्तर प्रयोजनार्थ 64 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया (मार्च 2011)। अनुमोदन की शर्त क्रमांक 15 के अनुसार वन विभाग को शर्त क्रमांक 1 में उल्लेखित प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त उतने ही परिमाण के अवक्रमित वन क्षेत्र का पुनर्निर्मित करना अपेक्षित था। प्रयोक्ता एजेंसी के पास योग्य जनशक्ति व वन क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं था इसलिए उन्होंने उपरोक्त शर्त के अनुपालन हेतु वन विभाग को निधियां जमा की। वन विभाग को इसका कार्यान्वयन करना और इस पर एक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

वन मंडलाधिकारी, किन्नौर ने उपरोक्त शर्तों के अनुपालनार्थ समतुल्य परिमाण के अवक्रमित वन क्षेत्र के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 1.37 करोड़ राशि की प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार की। तदहेतु प्रयोक्ता एजेंसी ने वन मंडलाधिकारी, किन्नौर को ₹ 1.37 करोड़ जमा किए (अप्रैल 2011), जैसाकि तालिका 4.8 में विवर्णित है।

तालिका 4.8: 64 हेक्टेयर में किए गए अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण के विवरण

अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र	**64 हेक्टेयर**	**अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण की लागत**	**₹1,10,83,070**
आकस्मिकता प्रभार @ पांच प्रतिशत			5,54,153
विभागीय प्रभार @ 17.5 प्रतिशत			20,36,514
सकल योग			**1,36,73,737**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा में उस खाते का, जिसमें मण्डल ने उपरोक्त निधियां जमा की थी एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त शर्त के अनुपालन में 64 हेक्टेयर अवक्रमित वन क्षेत्र के पुनर्निर्माण की प्रास्थिति का विवरण मांगा (नवंबर 2020) गया। अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर

योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के आधार पर निधियां तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण को जारी की जाती है।

में वनमंडलाधिकारी ने बताया (नवंबर 2020) की प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त निधियां हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, रिकांगपिओ में जमा की गई थी एवं ₹ 1.68 करोड़ (उत्पन्न ब्याज सहित) की राशि का उपयोग करके 125 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। मार्च 2018 में वनमंडलाधिकारी ने प्रयोक्ता एजेंसी को निधियों के उपयोग के संदर्भ में सहायता-अनुदान की स्वीकृति से सम्बंधित शर्तों की पूर्णता पर आत्म-संतुष्टि को प्रमाणित करने वाला उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। उसने प्रमाणित किया कि उक्त उपयोगिता-प्रमाणपत्र संबंधित बीट गार्ड, ब्लॉक अधिकारी व रेंज वन अधिकारी की 100 प्रतिशत जांच पर आधारित था एवं उसका सहायक वन संरक्षक द्वारा 50 प्रतिशत सत्यापन व वनमंडलाधिकारी, किन्नौर द्वारा 25 प्रतिशत यादृच्छिक सत्यापन किया गया।

हालांकि अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2020) से उजागर हुआ कि वन मंडलाधिकारी ने उपरोक्त निधियां राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण खाते में जमा नहीं की (राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाने वाले ₹ 0.20 करोड़ के विभागीय प्रभार को छोड़कर)। ₹ 0.20 करोड़ का विभागीय प्रभार भी राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया (अप्रैल 2011)। उपरोक्त निधियों की प्रविष्टियां दर्शाने वाली कैशबुक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। उपरोक्त राशि का सावधि जमा 18 जून 2011 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रिकांगपिओ (किन्नौर) में 17 अक्टूबर 2011 तक किया गया था, जिसमें ₹ 0.02 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ था। कार्यालय द्वारा उपरोक्त अवधि के उपरांत निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में 16 मई 2017 को खोले गए नए बचत बैंक खाते में अचानक ₹ 1.70 करोड़ की राशि प्रकट हुई। यह भी सिद्ध नहीं किया जा सका कि क्या ₹ 0.02 करोड़ का अर्जित ब्याज उपरोक्त राशि में शामिल था। निधियों की जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा में 17 अक्टूबर 2011 व 15 मई 2017 के मध्य अर्जित वास्तविक ब्याज का पता नहीं लगाया जा सका, विशेषकर तब जब कार्यालय के पास बैंक विवरण व रोकड़बही (कैशबुक) के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। अतएव अर्जित वास्तविक ब्याज के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष व योजना प्राधिकरण के खाते में निधियां जमा न करना विभाग की नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था पर ध्यान न देने के रूप में परिणत हुआ क्योंकि निधियां वार्षिक संचालन योजनाओं[25] के माध्यम से नहीं भेजी जा रही थीं।

---

[25] वार्षिक संचालन योजना का अर्थ राष्ट्रीय प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक गतिविधियों हेतु वार्षिक योजना एवं वित्तीय प्रावधानों से है, जो न्यूनतम मानदण्ड, सफलता की स्थिति व उसके स्पष्टीकरण, वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालानार्थ रखी जाने वाली युक्तिपूर्ण वार्षिक योजना को दर्शाती है। यह संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, निष्पादनार्थ चिह्नित एजेंसी एवं वर्ष के दौरान राज्य कोष से निष्पादित की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि की समय-सारणी प्रदान करती है।

वास्तविक व्यय किए बिना उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना: इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि वन मंडलाधिकारी[26] ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त शर्तों के प्रति अवक्रमित वन भूमि का पुनर्निर्माण नहीं किया एवं अभीष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग करते समय कार्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच करने का झूठा दावा करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी को ₹ 1.37 करोड़ के फर्जी उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए (फरवरी 2019)। उपयोगिता-प्रमाणपत्र के अनुसार वर्ष 2016-17 (60 हेक्टेयर - ₹ 0.61 करोड़) एवं वर्ष 2017-18 (65 हेक्टेयर - ₹ 0.76 करोड़) के दौरान निर्धारित 64 हेक्टेयर के प्रति 125 हेक्टेयर अवक्रमित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण दर्शाया गया। मई 2017 में खोले गए खाते की बैंक विवरणी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2017-18 के दौरान खाते से ₹ 1.71 करोड़ की राशि आहरित की गई व वर्ष 2016-17 में खाते से आहरण का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस प्रकार कार्यालय ने वास्तविक व्यय किए बिना ही प्रयोक्ता एजेंसी को उपयोगिता-प्रमाणपत्र जमा किया जबकि अवक्रमित वन भूमि का कोई पुनर्निर्माण नहीं किया गया था एवं वर्ष 2017-18 में सम्पूर्ण निधि आहरित कर ली।

कैशबुक के अनुरक्षण में अनियमितता: अनुवर्ती लेखापरीक्षा (नवंबर 2021) के दौरान उपरोक्त निधियों के संदर्भ में एक कथित कैशबुक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

(i) इस पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।

(ii) कैशबुक में केवल वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान किए गए आहरणों को दर्शाया गया था।

(iii) निधियों की प्राप्ति व अर्जित ब्याज के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने (नवंबर 2020) के पश्चात कैशबुक बनाई गई थी।

असत्यापित एवं अनियमित व्यय: लेखापरीक्षा के दौरान (नवंबर 2021) कार्यालय ने विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 1.71 करोड़ के उपयोग हेतु जो बिल व वाउचर प्रस्तुत किए, वो अवक्रमित वन क्षेत्र के पुनर्निर्माण से संबंधित नहीं थे। जिन कार्यों से संदर्भित बिल व वाउचर प्रस्तुत किए गए, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना में शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त बिलों व वाउचरों की जांच में निम्नलिखित विसंगतियां उजागर हुईं:-

(क) नए वृक्षारोपण क्षेत्रों की घेराबंदी/बाड़ लगाना - नए वृक्षारोपण क्षेत्रों[27] की घेराबंदी पर हुए अग्रिम कार्यों के लिए ₹ 0.14 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। हालांकि बाद के वर्षों में

[26] 18 दिसंबर 2021 को वन मंडलाधिकारी ने इस तथ्य को अपने उत्तर में स्वीकार किया।

[27] गड्ढे खोदना और वृक्षारोपण क्षेत्र को बाड़ लगाकर बंद करना।

क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया, जिससे सम्पूर्ण श्रम एवं उस पर किया गया व्यय निष्फल और व्यर्थ हो गया। इन भुगतानों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं था, जैसाकि कैशबुक पर बनाए गए परिच्छेद में उल्लेखित किया गया है।

(ख) नामगिया में गैंग हट के निर्माण के लिए ठेकेदार श्री बलदेव सिंह को ₹ 0.30 करोड़ की राशि का भुगतान दर्शाया गया; यद्यपि अभिलेखों में कोई प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय संस्वीकृति, निविदा दस्तावेज, कार्य आवंटन से संबंधित पत्र, कार्य का अनुमान, माप पुस्तिका में प्रविष्टियां, बिल व वाउचर नहीं पाए गए एवं लेखापरीक्षा में उपरोक्त भुगतान की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

(ग) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विभिन्न सामग्रियों की खरीद पर ₹ 0.14 करोड़ राशि का एवं क्षेत्रीय कार्मिकों के परिचयात्मक दौरे पर ₹ 0.02 करोड़ राशि का व्यय दर्शाया गया। यह पाया गया कि उक्त बिल में दावा किया गया था कि कर्मचारी अहमदाबाद प्रवास (जनवरी 2018) के दौरान होटल ली ग्रैंड रीजेंसी में रुके थे। परिचयात्मक दौरे का बिल ₹ 2.50 लाख था जबकि भुगतान केवल ₹ दो लाख का किया गया था। इस बिल पर कोई प्रयोज्य कर नहीं लगाना था। अभिलेख में ₹ 50,000 की राशि घटने एवं इस दौरे पर गए अधिकारियों की सूची के विषय में कुछ भी नहीं था। दौरे के बाद की यात्रा रिपोर्ट पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता (टीए/डीए) के बजाय पूर्ण भुगतान वाले दौरे पर विचार क्यों किया गया। लेखापरीक्षा में होटल के होने (मौजूदगी) व व्यय की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) विविध मदों पर ₹ 0.34 करोड़ की राशि का व्यय दर्शाया गया और उपरोक्त व्यय की केवल वास्तविक भुगतान रसीदें ही अभिलेख में रखी गईं। कोई बिल/वाउचर; स्वीकृति आदेश एवं कार्य/योजना का नाम, जिसके प्रति इन्हें स्वीकृत किया गया था, कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। ₹ 0.67 करोड़ चेक के माध्यम से संवितरित किए गए, हालांकि अभिलेख में ऐसे कोई रिकॉर्ड (बिल/वाउचर, संस्वीकृति, वास्तविक भुगतान रसीद) नहीं पाए गए।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना मृदा व नमी संरक्षण कार्यों पर ₹ 0.10 करोड़ का व्यय दर्शाया गया।

<u>टीडीएस (स्त्रोत पर कर कटौती) काटा गया परन्तु केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया</u>: इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201 के अनुसार यदि कोई कटौतीकर्ता स्रोत पर कर कटौती करने में विफल होता है या कटौती के पश्चात उसे सरकारी खाते में जमा करने में विफल होता है, तो उसे चूककर्ता-निर्धारिती (असेसी-इन-डिफॉल्ट) माना जाएगा तथा उसे निम्नानुसार साधारण ब्याज चुकाना होगा:-

(i) इस प्रकार का कर काटे जाने योग्य होने की तिथि से वह कर काटे जाने की तिथि तक उस कर की राशि पर प्रति माह या माह के किसी भाग में एक प्रतिशत; तथा

(ii) इस प्रकार का कर काटे जाने की तिथि से उस कर को वास्तविक रूप से चुकाए जाने की तिथि तक उस कर की राशि पर प्रति माह या माह के किसी भाग में डेढ़ प्रतिशत की दर से।

साथ ही, धारा 271सी के तहत कटौती या चुकाए न गए कर के बराबर राशि की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आईटी अधिनियम की धारा 276बी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार को स्रोत पर काटा गया कर चुकाने में विफल होता है, तो उसे शास्ति सहित कठोर कारावास का दण्ड होगा जिसकी अवधि कम से कम तीन माह से सात वर्ष तक हो सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त राशि से किए गए 28 भुगतानों में से ₹ 0.24 लाख की राशि टीडीएस के रूप में काटी गई, यद्यपि इसे केंद्र सरकार को चुकाया नहीं गया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन बल प्रमुख) को पुनर्निर्माण की उपरोक्त योजना की प्रगति/अनुपालन प्रतिवेदन भी नहीं भेजा गया, जो न केवल वन संरक्षण अधिनियम अनुमोदन के प्रावधानों के विरुद्ध था, अपितु इस तथ्य को भी इंगित करता है कि विभाग के उच्च अधिकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न होने से अनभिज्ञ थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में वन मंडलाधिकारी, किन्नौर ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया कि दिशानिर्देशों की जानकारी न होने के कारण दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण करने की निधियां मण्डल स्तर पर रखी गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ₹ 0.20 करोड़ की राशि का विभागीय प्रभार सरकारी कोषागार में जमा कर दिया गया है (दिसंबर 2021) व आकस्मिक शुल्क प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में जमा कर दिया जाएगा। वन मंडलाधिकारी ने आगे बताया कि सक्षम प्राधिकारी से ब्याज राशि के उपयोग हेतु कार्योत्तर संस्वीकृति ली जाएगी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर विभागीय प्रभार जमा करने के संबंध में विभाग के उत्तर के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से पता चला कि ₹ 0.20 करोड़ का विभागीय प्रभार विभिन्न ठेकेदारों ने उनके स्वयं के स्रोतों से जमा किया था। इससे कार्यालय एवं ठेकेदारों के मध्य आपसी सांठ-गांठ का संदेह उत्पन्न होता है।

वन मंडलाधिकारी ने फर्जी उपयोगिता-प्रमाणपत्र जमा करने की बात भी स्वीकार करते हुए आगे बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी को उपयोगिता-प्रमाणपत्र अग्रिम रूप से जमा कर दिया गया था, क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना था जिसके लिए सामग्री की खरीद भी हो गई थी।

स्थानीय जनता की मांग के दृष्टिगत वार्षिक संचालन योजना से बाहर अन्य कार्य/गतिविधियां (मृदा व नमी संरक्षण, निर्माण इत्यादि) निष्पादित की गईं। यह भी बताया गया कि वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 के दौरान अवक्रमित वनों का पुनर्निर्माण नि:शुल्क किया जाएगा जिसके लिए कांटेदार तार एवं बाड़ नाका पहले ही खरीदे जा चुके हैं।

यह उत्तर स्वयमेव ही विभाग द्वारा की गई घोर अनियमितताओं की स्वीकारोक्ति थी। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि नवंबर 2020 में लेखापरीक्षा को निधियों के उपयोग एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित अवक्रमित वन भूमि के पुनर्निर्माण की शर्त को पूरा करने के संबंध में गलत/भ्रामक उत्तर प्रस्तुत किया गया था। विभाग ने पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा में मुद्दा उठाए जाने के बावजूद कोई जांच नहीं की जो उसकी गंभीरता के अभाव का परिचायक है।

इस प्रकार विभाग अवक्रमित वन भूमि के पुनर्निर्माण द्वारा पर्यावरण हानि की क्षतिपूर्ति हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी बिंदुओं जैसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में निधियां जमा न करना, कैशबुक का अनुचित अनुरक्षण/अनुरक्षण न करना, फर्जी उपयोगिता-प्रमाणपत्र जमा करना, निधियों की जानकारी में कमी, वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से व्यय न करना, लेखापरीक्षा को गलत/भ्रामक उत्तर प्रस्तुत करना व बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना, के आलोक में लेखापरीक्षा में उपरोक्त निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अंतिम बैठक में विभाग ने मामले की गंभीरता का संज्ञान लिया। मार्च 2024 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक को विस्तृत जांच एवं उस पर प्रतिक्रिया करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी किया गया। इसके अनुक्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) के माध्यम से प्रारंभिक जांच की गई एवं अप्रैल 2024 में उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण संबंधी दिशानिर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हैं। यह भी बताया गया कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रधान), हिमाचल प्रदेश को विस्तृत जांच संचालित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जून 2024)।

4.3.4 भूमि अपवर्तन के मामले में निर्धारित शर्तों का पालन न करना

दिसंबर 2005, जून 2006 व नवंबर 2014 में मेसर्स जेपी हिमाचल सीमेंट लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी 1) के पक्ष में चूना पत्थर खनन के लिए वन भूमि के अपवर्तन पर अनुमोदन दिया गया। इसी भांति नवंबर 2013 में मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी 2) के पक्ष में भूमि के अपवर्तन पर अनुमोदन दिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तानुसार प्रयोक्ता एजेंसी से अपेक्षित था:

i. सुरक्षा क्षेत्र की सीमा (खनन पट्टा क्षेत्र की बाहरी सीमा के साथ 7.5 मीटर की पट्टी) का सीमांकन सुनिश्चित करना एवं इसे हरित पट्टी[28] (ग्रीन बेल्ट) के रूप में बनाए रखना।

ii. राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना लागत पर सुरक्षा क्षेत्र के डेढ़ गुना क्षेत्र को मापकर अन्यत्र चयनित की जाने वाली अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण करना।

प्रयोक्ता एजेंसी 1 के संबंध में खनन पट्टे की सीमा की लंबाई 11 किलोमीटर[29] व प्रयोक्ता एजेंसी 2 के मामले में 19.57 किलोमीटर थी। प्रयोक्ता एजेंसी 1 ने स्वैच्छिक रूप से सुरक्षा क्षेत्र बनाने (और इसे ग्रीन बेल्ट के रूप में रखने) का प्रस्ताव रखा। प्रयोक्ता एजेंसी 2 के मामले में खनन पट्टा सीमा की लंबाई 4.54 किलोमीटर[30] के रूप में गलत परिकलित की गई एवं तदनुसार सुरक्षा क्षेत्र के निर्माणार्थ (और इसे हरित बेल्ट के रूप में रखने) ₹ 11.08 लाख की राशि जमा की गई (मार्च 2015)। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी 1 एवं प्रयोक्ता एजेंसी 2 के मामले में विभाग ने खनन पट्टा क्षेत्र की बाहरी सीमा पर सुरक्षा क्षेत्र नहीं बनाया गया, जो अंतिम अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने प्रयोक्ता एजेंसी 2 के मामले में सुरक्षा क्षेत्र[31] के निर्माणार्थ आवश्यक राशि का पुनर्निर्धारण किया एवं पाया कि वर्ष 2022-23 मानदंडों के अनुसार इसके लिए ₹ 1.03 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी।

प्रयोक्ता एजेंसी 1 व प्रयोक्ता एजेंसी 2 ने अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण करने के लिए वन मंडलाधिकारी के पास क्रमशः ₹ 5.21 लाख व ₹ 3.65 लाख की निधियां जमा की गई। यद्यपि मार्च 2021 तक कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने वर्तमान मानदंडों पर वनीकरण की लागत की पुनर्गणना की जिसमें पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी 1 व प्रयोक्ता एजेंसी 2 के संबंध में वनीकरण करने के लिए क्रमशः ₹ 31.12 लाख व ₹ 55.38 लाख की आवश्यकता होगी।

---

28 प्रयोक्ता एजेंसी 1- जून 2006 (अंतिम अनुमोदन) व प्रयोक्ता एजेंसी 2- नवंबर 2013 (सैद्धांतिक अनुमोदन)

29 सुरक्षा क्षेत्र का क्षेत्रफल - 11,000*7.50 = 8.25 हेक्टेयर व अवक्रमित वन क्षेत्र में वनीकरण का क्षेत्रफल - 1.5*8.25 = 12.38

30 खनन पट्टे की पूरी सीमा के बजाय केवल खनन पट्टे की लंबाई पर विचार करके जो वन सीमा को स्पर्श कर रही थी।

31 वर्ष 2021-22 वृक्षारोपण मानदंडों के अनुसार खनन पट्टा सीमा की कुल लंबाई 19.57 किमी के आधार पर। सुरक्षा क्षेत्र का क्षेत्रफल - 19,570 * 7.50 = 14.68 हेक्टेयर व निम्नीकृत वन भूमि में वनीकरण का क्षेत्र - 1.5 * 14.68 = 22.02 हेक्टेयर

यह भी देखा गया कि खनन पट्टे की बाहरी परिधि से 100 मीटर के भीतर क्षेत्र में यदि कोई अवक्रमित खुले वन स्थित हो, तो उसे फिर से भरने व पुनर्जीवित करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी 2 को अंतराल रोपण एवं मृदा व नमी संरक्षण गतिविधियां प्रारंभ करना अपेक्षित था। मंडलाधिकारी को प्रयोक्ता एजेंसी 2 ने ₹ 5.72 लाख जमा किए, जिसे कार्यालय ने अपने खाते में रख लिया, जो प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण नियमों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त निधियों में से मात्र ₹ 2.00 लाख राशि व्ययित की गई व अक्टूबर 2022 तक शेष निधि कार्यालय के पास ही रही, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने का परिचायक है।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी 2 से वर्तमान लागत पर सुरक्षा क्षेत्र बनाने (और इसे हरित बेल्ट के रूप में रखने) के लिए ₹ 92.38 लाख (₹ 1.03 - ₹ 11.08 लाख) की अतिरिक्त निधियां ली जानी अपेक्षित होगी। साथ ही अवक्रमित वन क्षेत्र के डेढ़ गुना क्षेत्र में वनीकरण करने के लिए ₹ 77.64 लाख[32] की अतिरिक्त निधियों की भी आवश्यकता होगी।

वन मंडलाधिकारी ने बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी 1 ने सुरक्षा क्षेत्र बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी 2 के मामले में यह पहले से जमा निधियों का उपयोग करके बनाया जाएगा। यह भी बताया गया कि वनीकरण वर्ष 2023-24 के दौरान किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 22.93 हेक्टेयर में सुरक्षा क्षेत्र बनाने एवं 34.40 हेक्टेयर अवक्रमित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की शर्तें (प्रयोक्ता एजेंसी 1 के मामले में जून 2006 से व प्रयोक्ता एजेंसी 2 के मामले में नवंबर 2013 से) अपूर्ण रहीं, इसके अतिरिक्त प्रचलित दरों पर उपरोक्त गतिविधियां पूर्ण करने हेतु ₹ 1.70 करोड़ (₹ 92.38 लाख + ₹ 77.64 लाख) की देयता भी उत्पन्न हुई।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.3.5 ₹ 3.29 करोड़ की शास्ति एवं ब्याज की अवसूली

वन भूमि के अपवर्तन को अनुमोदित करते समय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के उल्लंघन/अनुपालन न करने के मामलों में वन संरक्षण अधिनियम दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिश पर शास्ति अधिरोपित की गई, जिसके क्षेत्राधिकार में कथित उल्लंघन हुआ। ऐसे मामलों में जहां अपराध साबित हो जाता है, वहां बिना अनुमोदन के वन क्षेत्र में किए गए उल्लंघन हेतु सामान्य निवल वर्तमान मूल्य के दोगुने के बराबर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। यद्यपि यह शास्ति सरकार की सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के मामलों में ऊपर प्रस्तावित शास्ति का 20 प्रतिशत होगा।

---

[32] प्रयोक्ता एजेंसी 1: ₹ 31.12 लाख - ₹ 5.21 लाख = ₹ 25.91 लाख व प्रयोक्ता एजेंसी 2 - ₹ 55.38 लाख - ₹ 3.65 लाख = ₹ 51.73 लाख

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2002 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उद्योग विभाग (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में स्लेट खनन हेतु चकबन खनियारा में 25 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु अंतिम अनुमोदन दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्धारित किया (अक्टूबर 2006) कि अपवर्तित वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य उन मामलों में प्रभारित किया जाए, जहां सैद्धांतिक अनुमोदन 30 अक्टूबर 2002 से पूर्व दिया गया था एवं जिनके लिए अंतिम अनुमोदन या तो 30 अक्टूबर 2002 को या उसके पश्चात दिया गया है या उसके बाद दिया जाएगा।

पर्यावरण, वन मंत्रालय ने राज्य वन विभाग को 31 मार्च 2014 से पूर्व प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में अपवर्तित 25 हेक्टेयर वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य की वसूली करने का निर्देश दिया (जनवरी 2014)। निवल वर्तमान मूल्य की वसूली न होने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिया गया अंतिम अनुमोदन रद्द कर दिया जाना था एवं राज्य सरकार द्वारा वन भूमि में की जाने वाली सभी वनेत्तर गतिविधियां तब तक रोक दी जानी थी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेंसी से निवल वर्तमान मूल्य की वसूली नहीं की जाती एवं तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में स्थानांतरित नहीं की जाती। यह भी देखा गया कि मार्च 2018 में चार वर्ष की अवधि के पश्चात प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रस्ताव में वसूली योग्य ₹ 1.64 करोड़ के निवल वर्तमान मूल्य को तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में जमा किया एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अवहेलना करते हुए खनन कार्य जारी रखा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन चार वर्षों तक करने से प्रयोक्ता एजेंसी को सामान्य निवल वर्तमान मूल्य की दोगुनी राशि ₹ 3.29 करोड़ (₹ 1.64 करोड़ का दोगुना) के बराबर चुकानी थी।

वन मंडलाधिकारी ने बताया कि खनन अधिकारी, कांगड़ा (प्रयोक्ता एजेंसी का एक अधीनस्थ कार्यालय) को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई शास्ति व ब्याज शुल्क जमा करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.3.6 अनुमोदन की शर्तों को पूरा न करना एवं निधियों का अनियमित व्यपवर्तन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में वृक्षों[33] की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु मेसर्स जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 500 हेक्टेयर उच्च ऊंचाई वाले संक्राति क्षेत्र (हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन) में वृक्षारोपण करने की एक अतिरिक्त शर्त अधिरोपित की थी। जून 2009 से मई 2012 की अवधि के दौरान प्रयोक्ता एजेंसी ने उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में ₹ 0.50 करोड़ की चार समान किस्तों में ₹ 2.00 करोड़ की

[33] किन्नौर मण्डल में कुल 16,758 - 12,154 व रामपुर मण्डल में 4,604

राशि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम को जमा की।

वर्ष 2011 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किए गए ₹ दो करोड़ की लागत पर हिमाचल प्रदेश औषधीय पादप सोसाइटी ने 'हिमाचल प्रदेश में हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के आंकलनार्थ दीर्घकालिक अध्ययन एवं इस क्षेत्र में अवक्रमित स्थलों के पुनर्स्थापन हेतु परीक्षण' शीर्षक से एक परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाई। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), सुंदरनगर को परियोजना प्रमुख के रूप में नामित किया गया एवं परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उक्त कार्यालय के अधीन कार्य करने वाली हिमाचल प्रदेश औषधीय पादप सोसाइटी निष्पादन एजेंसी थी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना को दो सह परियोजनाओं में बांटकर मार्च 2016 तक पूर्ण करना था। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का दीर्घकालिक आधार पर आकलन और निगरानी करने के लिए हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन में पांच स्थायी भूखंड बनाना; इन स्थायी भूखंडों में पारिस्थितिक व वानस्पतिक संबंधी सम्पूर्ण आधारभूत अध्ययन; हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन की प्रमुख प्रजातियों की नर्सरी की स्थापना व इस क्षेत्र में 200 हेक्टेयर अवक्रमित स्थलों पर पुनर्स्थापन परीक्षण करना था।

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन के निर्माणार्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ₹ 2.22 करोड़ की राशि जारी की।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभाग ने हिमाचल प्रदेश औषधीय पादप सोसाइटी द्वारा तैयार की गई उक्त परियोजना कार्यान्वयन योजना का कार्यान्वयन नहीं किया। इसके बजाय अगस्त 2012 (प्रथम चरण) व जुलाई 2018 (द्वितीय चरण) के दौरान हिमालय वन अनुसंधान संस्थान के साथ स्थायी भूखंडों में क्षेत्र सर्वेक्षण, स्थायी भूखंडों में समृद्ध वानस्पतिक रुपरेखा बनाने के साथ वानस्पतिक सर्वेक्षण, गुणन के लिए जर्मप्लाज्म के संग्रह सहित हाई एल्टित्युड वाली प्रजातियों की नर्सरी तकनीकों के मानकीकरण, इत्यादि के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु हिमालय वन अनुसंधान संस्थान को ₹ 21.00 लाख की राशि जारी की गई। द्वितीय चरण का अनुबंध ₹ एक करोड़ में किया गया एवं परियोजना को जुलाई 2025 तक पूर्ण किया जाना था। द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के दौरान ₹ 59.80 लाख राशि जारी की गई। आगे यह पाया गया कि विभाग ने हाई एल्टित्युड ट्रांज़िशन ज़ोन में कोई वृक्षारोपण नहीं किया और न ही हिमालय वन अनुसंधान संस्थान के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों में कोई वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान वन मंडलाधिकारी, कुल्लू को 10 हेक्टेयर में वृक्षारोपण के लिए ₹ नौ लाख जारी किए गए यद्यपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार परियोजना के तहत कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा ₹ 11.03 लाख की राशि भी खर्च की गई, जिसमें से ₹ 5.12 लाख हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु अनुसंधान अध्येताओं को काम पर रखने पर खर्च किए गए। शेष व्यय का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार, ₹ 1.01 करोड़ के व्ययोपरांत भी विभाग हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन के तहत कोई वृक्षारोपण नहीं कर सका और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 500 हेक्टेयर हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन स्थापित करने की अतिरिक्त शर्त अपूर्ण रही।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन की निधियों से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण एवं विकास सोसाइटी[34] (नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सोसाइटी) को प्रशिक्षण के लिए तथा हिमाचल प्रदेश इको-टूरिज्म सोसाइटी को इको-टूरिज्म स्थलों का विकास करने के लिए, दोनों में से प्रत्येक को ₹ 50 लाख आवंटित किए (अक्टूबर 2017)।

फलस्वरूप जनवरी 2018 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने उपरोक्त निधियां प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण एवं विकास सोसाइटी एवं हिमाचल प्रदेश इको-टूरिज्म सोसाइटी को हस्तांतरित की। हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश औषधीय पादप सोसाइटी को ₹ 1.69 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष निधियां हस्तांतरित कर दी गई।

यह भी पाया गया कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण एवं विकास सोसाइटी ने हिमाचल प्रदेश वन अकादमी, सुंदरनगर एवं वन प्रशिक्षण संस्थान, चायल में से प्रत्येक को ₹ 25.00 लाख जारी किए। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी ने नई बस की खरीद (₹ 18.80 लाख) एवं हॉस्टल के उन्नयन व रखरखाव (₹ 6.20 लाख) पर ₹ 25.00 लाख खर्च किए जबकि वन प्रशिक्षण संस्थान ने ₹ 25.00 लाख की सम्पूर्ण राशि दो नई बसों की खरीद में उपयोग की।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण एवं विकास सोसाइटी एवं हिमाचल प्रदेश इको-टूरिज्म सोसाइटी को निधियां प्रशासनिक विभाग के निर्देशों के अनुसार आवंटित की गई थी एवं वृक्षारोपण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और संबंधित वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को तत्संबंधी वार्षिक संचालन योजना बनाने के लिए कहा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन के निर्माणार्थ आवंटित निधियों में से ₹ एक करोड़ की राशि उपर्युक्त सोसाइटियों को अन्य प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर दी गई जबकि 12 वर्षों की अवधि के बाद भी हाई एल्टिट्युड ट्रांज़िशन ज़ोन निर्मित नहीं किया जा सका।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

---

[34] हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के वन प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने के लिए एक सोसाइटी ।

4.3.7 प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गई निधियां प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में जमा न करना

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश (अगस्त 2009) व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2009) के खंड 4 (ii) में प्रावधान हैं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मिले अनुमोदन के अनुसरण में प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्त (शर्तों) के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त समस्त धनराशि राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में जमा की जाए।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 खंड-1 के नियम 2.2 (i) व (ii) में निर्धारित है कि सरकार की ओर से धनराशि प्राप्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम I के प्रारूप में कैशबुक का अनुरक्षण करें एवं सभी मौद्रिक लेनदेन होते ही व कार्यालय प्रमुख द्वारा चेक के रूप में सत्यापित किए जाते ही, यथाशीघ्र कैश बुक में दर्ज करें।

लेखापरीक्षा में जून 2021 तक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बचत खाते में ₹ 19.27 लाख की निधियां पाई गई। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालनार्थ वर्ष 2014[35] में मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स से प्राप्त ₹ 5.72 लाख की निधियां भी सम्मिलित थी। आगे यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त राशि हेतु कोई कैशबुक अनुरक्षित नहीं की गई।

तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालनार्थ प्राप्त निधियां जमा न करना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त कैशबुक का अनुरक्षण न करने के कारण शेष निधियों का स्रोत एवं जिस उद्देश्य से उन्हें प्राप्त किया गया था, उसका लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

वन मंडलाधिकारी ने बताया कि राशि का मिलान अभिलेखों व वाउचर से किया जाएगा और तदनुसार लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के खाते के बाहर निधियां जमा करना नियमों के विरुद्ध था एवं तथ्य यह है कि विभाग के पास निधियां अप्रयुक्त रही और जिस अभीष्ट उद्देश्य हेतु ये निधियां प्राप्त की गई, उसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

---

[35] विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.4 अन्य कमियां

लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने विभाग की कार्यपद्धति में कई सामान्य कमियां देखीं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

4.4.1 वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नए वन विश्रामगृहों का निर्माण (वन मंडलाधिकारी, नाचन)

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले सामने आए, जहां वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमोदन लेने की आवश्यकताओं के बावजूद प्रक्रिया कभी प्रारंभ नहीं की गई, उन पर नीचे चर्चा की गई है:

वन संरक्षण अधिनियम (2019) के दिशानिर्देशों की पुस्तिका के नियम 11.8 में प्रावधान है कि वनों व वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या सहायक कोई भी कार्य, अर्थात् चेक-पोस्ट, अग्निशमन लाइन, वायरलेस संचार सुविधाओं की स्थापना एवं बाड़, पुलों व पुलिया के निर्माण, बांध, कृत्रिम तालाब (वॉटरहोल), गड्ढे, परिसीमा, पाइपलाइन या अन्य समान उद्देश्य वनेत्तर उपयोग से असम्बद्ध है, अतः वन भूमि में ऐसे कार्यों के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपवर्तन अपेक्षित नहीं है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन संरक्षण अधिनियम की मूल भावना और सार, आवासीय भवनों, बंगलों, परिसरों आदि के निर्माण के लिए वन भूमि का अपवर्तन नहीं है। चयनित क्षेत्रों में वनों की क्षति/विनाश किए बिना कम से कम (परिचालन) भवन, जो वन प्रबंधन और जैव-संपदा के संरक्षण हेतु आवश्यक हैं, जैसे वन रक्षक झोपड़ी, चेक पोस्ट, रेंज कार्यालय, छोटे निरीक्षण बंगले (दो-तीन कमरे), बिना तार वाली सिंगल लेन सड़कें इत्यादि निर्मित किए जा सकते हैं। परन्तु यदि संरचनाएं बड़ी हैं और संरक्षण को प्रभावित करेंगी, तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

राष्ट्रीय वन नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के बिना किसी भी वन में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाए"। कार्य-योजना में कार्मिक परिसरों, कार्यालयों, वन विश्रामगृहों, लगाम पथों, सड़कों आदि के बुनियादी ढांचे के निर्माण व रखरखाव का प्रावधान है, जिसके लिए पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान नाचन मंडल में ₹ 6.03 करोड़ की लागत पर पांच नए विश्रामगृह बनाए गए (निर्माणाधीन) जिनमें प्रत्येक में

आठ से नौ कमरे[36] (वीआईपी सुइट्स सहित एवं रसोई व शौचालयों के अतिरिक्त) थे, जैसाकि **तालिका 4.9** में विवर्णित है।

तालिका 4.9 वन अतिथिगृह पर हुआ व्यय

(₹ में राशि)

क्र. सं.	वन अतिथिगृह का नाम	संस्वीकृत राशि	किया गया व्यय	कार्य की प्रास्थिति
1	धरोट धार	88,15,700	88,15,000	पूर्ण
2	केलोधार	1,03,90,000	83,00,000	प्रक्रियाधीन
3	रैंगलू	1,29,50,498	69,87,000	प्रक्रियाधीन
4	जाच	1,32,27,488	20,00,000	प्रक्रियाधीन
5	नैना	1,49,00,000	45,00,000	प्रक्रियाधीन
	योग	**6,02,83,686**	**3,06,02,000**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बड़े वन अतिथिगृह (वीआईपी कमरों सहित आठ कमरों वाले) का निर्माण वन प्रबंधन के सहायक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत नहीं आता था, हालांकि इन वन अतिथिगृहों के निर्माणार्थ वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन अनिवार्य था। आगे यह पाया गया कि मण्डल की कार्य-योजना में इन वन अतिथिगृहों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था।

मुख्य वन संरक्षक, मंडी ने बताया कि नए वन अतिथिगृहों को मण्डल की संचालन कार्य-योजना में शामिल नहीं किया गया था, परन्तु राज्य सरकार का अनुमोदन मिलने पर वन भूमि पर इनका निर्माण वानिकी प्रबंधन के दृष्टिकोण से किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना एवं कार्य-योजना के प्रावधानों के विरुद्ध बड़े वन विश्रामगृहों का निर्माण अनियमित एवं नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.4.2 कार्य-योजना इकाई गठित न करना

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 में कार्य-योजना बनाने के लिए वन संरक्षक स्तर के कार्य-योजना अधिकारी की अध्यक्षता वाली स्थायी कार्य-योजना इकाइयों के गठन करने का

[36] 1. वन विश्रामगृह धरोटधार- वीआईपी सुइट्स-एक; सुइट्स-तीन; लिविंग रूम-दो; चौकीदार कक्ष-एक; शयनगृह-एक (एक रसोई व सात शौचालय)
2. वन विश्रामगृह केलोधार - वीआईपी सुइट्स-एक; सुइट्स-चार; लिविंग रूम-दो; शयनगृह-एक (एक रसोई व आठ शौचालय)
3. वन विश्रामगृह रेनगलू - वीआईपी सुइट्स-एक; सुइट्स-चार; लिविंग रूम-दो; शयनगृह-एक (एक रसोई व छः शौचालय)
4. वन विश्रामगृह जॅच - वीआईपी सुइट्स-एक; सुइट्स-तीन; लिविंग रूम-दो; चौकीदार कक्ष-एक; शयनगृह-एक (एक रसोई व सात शौचालय)
5. वन विश्रामगृह नौना - वीआईपी सुइट्स-एक; सुइट्स-तीन; लिविंग रूम-दो; चौकीदार कक्ष-एक; छात्रावास-दो (एक रसोई व सात शौचालय)

प्रावधान है। छोटे राज्यों हेतु वन महानिदेशक व विशेष सचिव, पर्यावरण, वन मंत्रालय द्वारा परिवर्तन (विचलन) अनुमोदित किया जा सकता है। कार्य-योजना अधिकारी को नीचे दिए गए विवरणानुसार उपयुक्त कार्मिकों द्वारा सहायता प्रदान की जाए।

प्रधान (नीति स्तर) - प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य-योजना) क्षेत्रीय पर्यवेक्षी इकाई- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (कार्य-योजना) क्षेत्रीय कार्यात्मक इकाई - कार्य-योजना अधिकारी को न्यूनतम दो सहायक वन संरक्षक, चार रेंज वन अधिकारी, 12 वनपाल एवं रिमोट सेंसिंग व जीआईएस, जैव विविधता मूल्यांकन, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, सांख्यिकी, वर्गीकरण, पारिस्थितिक गतिशीलता, मृदा विज्ञान, आदि जैसे प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र में विषय-विशेषज्ञ द्वारा सहायता प्रदान की जाए।

कार्य-योजना बनाने की जिम्मेदारी वन मण्डल के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी/वन संरक्षक को हस्तांतरित नहीं की जा सकेंगी।

राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता के नियम 31 में निर्दिष्ट है कि सामान्यतः एक कार्य-योजना इकाई 10 वर्ष के चक्र में चार या पांच वन मण्डलों की कार्य-योजना तैयार करने/समीक्षा करने का कार्य कर सकती है।

अतएव राज्य में 37 मण्डलों के संदर्भ में सभी कार्य-योजनाएं तैयार करने/उनके संशोधन हेतु कम से कम आठ कार्य-योजना इकाइयों की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नीति निर्माण (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षी इकाई (अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक) हेतु जिम्मेदार पद सृजित किए गए थे, तथापि संहिता को अपनाने (अप्रैल 2014) के सात वर्ष की अवधि के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्य-योजना इकाई स्थापित नहीं की गई एवं कार्य-योजना बनाने का कार्य अभी भी वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा किया जा रहा था, जो संहिता का उल्लंघन था। वन मंडलाधिकारी को कोई अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया एवं मंडल में तैनात कार्मिकों द्वारा कार्य किया गया। यह भी देखा गया कि यद्यपि विभाग ने राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता के प्रावधानुसार कार्य-योजना इकाइयों के सृजन व कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार से अनुरोध किया (दिसंबर 2017) तथापि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा कार्य-योजना तैयार करना एवं कार्य-योजना इकाइयां गठित न होना राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था एवं यह कार्य-योजना बनाने में विलम्ब/न बनाने में परिणत हुआ, जैसाकि आगामी परिच्छेद में विवर्णित है।

मुख्य वन संरक्षण (कार्य-योजना व सर्वे) मंडी ने बताया कि मंडी में वन संरक्षण कार्य-योजना (केन्द्रीय) के दो कार्यालयों व पालमपुर में वन संरक्षण कार्य-योजना (उत्तर) को क्षेत्रीय/पर्यवेक्षी स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा कोई कार्य-योजना इकाई स्थापित नहीं की गई एवं अभी भी वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा कार्य-योजना बनाई जा रही थी।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.4.3 कार्य-योजनाओं की प्रास्थिति

राज्य में 37 क्षेत्रीय मंडल हैं जिन्हें कार्य-योजनाओं द्वारा शासित किया जाता हैं। संवीक्षा से उजागर हुआ कि केवल 23 कार्य-योजनाएं विद्यमान थीं व शेष 14 मंडल बिना कार्य-योजना के काम कर रहे थे। पिछली कार्य-योजनाओं की समयसीमा समाप्त होने के दो से 14 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद इन कार्य-योजनाओं को संशोधित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने या तो इन कार्य-योजनाओं हेतु समयसीमा नहीं बढाई अथवा समाप्त हो गई थी। कार्य-योजना के बिना वनों का प्रबंधन संहिता का उल्लंघन था, साथ ही वनों के विकास व पुनर्निर्माण पर अवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा था।

मुख्य वन संरक्षक (कार्य-योजना व सर्वे), मंडी ने बताया कि 12 मण्डलों में कार्य-योजना प्रक्रियाधीन है एवं जल्द ही पूर्ण कर दी जाएगी।

तथ्य यह है कि वनों का प्रबंधन कार्य-योजना के बिना किया जा रहा है।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

4.5 निष्कर्ष

प्रतिपूरक वनीकरण भूमि व वृक्षों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। विभाग वन संरक्षण अधिनियम मामलों के त्वरित निपटानार्थ भूमि बैंक चिह्नित करने में विफल रहा, जो प्रतिपूरक वनीकरण का कार्यान्वयन न होना/आंशिक/विलंबित निष्पादन में परिणत हुआ। इसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण करने में लागत-वृद्धि/संभावित लागत-वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण करने की योजनाएं भविष्यगामी लागत-वृद्धि के पूर्वानुमान के बिना तैयार की गईं, जो प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की अल्प वसूली एवं विभाग पर देयता उत्पन्न होने के रूप में परिणत हुई। विभाग में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रतिपूरक वनीकरण योजना का अक्षरश: कार्यान्वयन करने में आंतरिक नियंत्रण का अभाव था।

अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि मण्डलों ने परिवर्तित प्रतिपूरक वनीकरण अवस्थिति की कोई व्यापक योजना एवं उनके परिवर्तन का स्पष्टीकरण तैयार किया, साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण की अवस्थिति में परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की।

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था, जिसके कारण विभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए सैद्धांतिक व अंतिम अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन

सुनिश्चित करने व निगरानी करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को शर्तों के उल्लंघन/अनुपालन न करने के मामले सूचित नहीं किए गए, जो चूककर्ताओं पर शास्ति के अनुद्ग्रहण में भी परिणत हुआ। यह भी देखा गया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत दो मामलों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालनार्थ जमा की गई निधियों का या तो दुरुपयोग किया गया या अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित कर दी गई, जिससे इन शर्तों का अनुपालन न होने के साथ-साथ वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य भी विफल हो गया। इसके अतिरिक्त विभाग कुछ मामलों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निधियों की वसूली में विफल रहा।

4.6 सिफारिशें

विभाग विचार करें:

- *वन संरक्षण अधिनियम मामलों के त्वरित निपटानार्थ भूमि बैंक चिह्नित करना।*
- *प्रतिपूरक वनीकरण में लागत-वृद्धि व लंबितता से बचने के लिए वन संरक्षण अधिनियम मंजूरी मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण को अनिवार्यतः एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करना।*
- *प्राप्त किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की सही स्थिति तक पहुंचने के लिए वन संरक्षण अधिनियम मामलों एवं उनके सापेक्ष किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का केंद्रीकृत डेटाबेस अनुरक्षित करना एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु नियमित निगरानी।*
- *वृक्षारोपण की बेहतर उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम मामलों के प्रस्तुतीकरण के दौरान तैयार व प्रस्तुत वृहद प्रतिपूरक वनीकरण योजना का कठोरता से कार्यान्वयन।*
- *वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमोदन देने के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने व निगरानी करने हेतु एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र निर्मित करना।*
- *अनुमोदित योजनाओं से विचलन के मामलों के दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए उचित कार्रवाई हेतु मामलों की समीक्षा करना एवं निधियों के संभावित दुरुपयोग के मामलों की जांच करना।*

अध्याय V
जलागम क्षेत्र शोधन योजना

अध्याय V
जलागम क्षेत्र शोधन योजना

5.1 जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं

वन संरक्षण अधिनियम दिशानिर्देशों की पुस्तिका के परिच्छेद 9.2 के अनुसार छोटी जल विद्युत परियोजनाओं (अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता तक) के अतिरिक्त ऐसी सिंचाई/जलविद्युत परियोजनाओं हेतु, जो या तो नहर की मुख्य धारा हैं या नदी पर चलने वाली (रन-ऑफ-द-रिवर) परियोजनाएं हैं एवं जिनमें पानी का अवरोधन/वन भूमि का जलमग्न होना शामिल नहीं है, उनके लिए वन भूमि के अपवर्तन के प्रस्ताव के साथ एक विस्तृत जलागम क्षेत्र शोधन योजना अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए।

जलागम क्षेत्र शोधन योजना मृदा व नमी के संरक्षण एवं जल व्यवस्था के प्रबंधन हेतु स्थल विशिष्ट (साइट-स्पेसिफिक) जैविक व इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से प्रस्तावित सिंचाई/जलविद्युत परियोजना के जलागम क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण व आवश्यक योजना है। अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त ये उपाय मिट्टी के कटाव को रोकने, क्षेत्र में प्रभावी जल निकासी में सुधार एवं जलागम क्षेत्र में अवक्रमित पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन पर केंद्रित हो। इस प्रयोजनार्थ जलागम क्षेत्र शोधन योजना को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए।

चार्ट 5.1: जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

स्रोत: हिमाचल प्रदेश वन नियम-पुस्तिका खंड I

5.2 राज्य में जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की प्रास्थिति

नवंबर 2021 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्राधिकरण ने राज्य में संचालित 30 जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की एक सूची प्रदान की। कई अनुस्मारकों के बावजूद लेखापरीक्षा को वहां किए गए व्यय की स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। बताया गया कि जमा की गई निधियों व किए गए व्यय से संबंधित आंकड़ों के मिलान हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से जमा निधियों व उसके प्रति हुए व्यय की जानकारी मांगी गई है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नोडल अधिकारियों के पास राज्य स्तर की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नोडल अधिकारी स्तर पर जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं का केंद्रीकृत डाटा उपलब्ध/अनुरक्षित न होना विभाग में आंतरिक नियंत्रण की कमी एवं कमजोर निगरानी तंत्र का परिचायक है।

5.3 ख़राब निगरानी के कारण जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के तहत निधियों की अल्प वसूली

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (सितंबर 2009) कि जलागम क्षेत्र शोधन योजना का आकार (विस्तार) जलागम क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की वास्तविक सीमा पर आधारित हो, परन्तु कुल परियोजना की लागत के 2.5 प्रतिशत से कम न हो। जलागम क्षेत्र शोधन योजना का विस्तार सभी घटकों/शोधन उपायों, लागत-वृद्धि समायोजन के प्रावधानों एवं पर्यावरण सेवाओं, इको-बटालियन, निगरानी व मूल्यांकन, इको-पर्यटन आदि जैसे अन्य विशेष प्रावधानों के लिए भुगतान के परिव्यय की पूर्ति करेगा। कुल परियोजना लागत तकनीकी-आर्थिक मंजूरी[1] में उल्लिखित परियोजना प्रस्ताव की लागत होगी।

लेखापरीक्षा ने राज्य की जल विद्युत् परियोजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार से संपर्क किया क्योंकि निदेशालय उनका नियंत्रण प्राधिकारी है एवं उन्होंने 25 जलविद्युत् परियोजनाओं की सूची प्रदान की। लेखापरीक्षा में इन 25 परियोजनाओं की सूची व हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के अभिलेखों की संवीक्षा की गई जिसमें 14 जलविद्युत परियोजनाओं में संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार जलविद्युत परियोजनाओं की परियोजना लागत उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई पाई गई एवं एक मामले में विवरण उपलब्ध नहीं था। संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार बढ़ी हुई परियोजना लागत के आधार पर जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं को संशोधित किया जाना था एवं प्रयोक्ता एजेंसियों से अतिरिक्त निधियां मांगी जानी थीं। देखा गया कि विभाग संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार जलविद्युत परियोजनाओं की परियोजना लागत में वृद्धि के विषय में अनभिज्ञ था, अतएव जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं को तदनुसार संशोधित करने के साथ ही प्रयोक्ता एजेंसियों से अतिरिक्त निधियों की मांग करने में भी विफल रहा।

यह 14 जलविद्युत परियोजनाओं में प्रयोक्ता एजेंसियों से कम से कम ₹ 198.73 करोड़ तक की अतिरिक्त निधियों की वसूली न होने, साथ ही जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं संशोधित न होने के कारण जलागम क्षेत्र में पर्यावरण की हानि के रूप में परिणत हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट 5.1** में विवर्णित है।

विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं संशोधित न होने व निधियां जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसियों व क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी मांगी गई थी एवं लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत कराया जाएगा। वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने यह भी बताया कि

[1] यदि परियोजना लागत ₹ 1,000 करोड़ से अधिक है पर ऊर्जा निदेशालय द्वारा मंजूरी उपरोक्त राशि से कम है तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जल विद्युत परियोजना को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दी जाती है।

₹ 16.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा करने का मामला (एक प्रयोक्ता एजेंसी के संदर्भ में) एलेन डुहागन हाइड्रो पावर लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) के साथ उठाया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारी वित्त निहित के बावजूद विभाग को जलविद्युत परियोजनाओं की परियोजना लागत में संशोधन के विषय में जानकारी भी नहीं थी और तदनुसार जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के संशोधन के लिए निधियों की मांग करने में विफल रहा।

(ii) वन संरक्षण अधिनियम के नियमों व अधिसूचना (नवंबर 2001) के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वन भूमि के अपवर्तन के प्रस्तावों के साथ एक विस्तृत जलागम क्षेत्र शोधन योजना अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए। हालांकि छोटी जलविद्युत परियोजनाओं (अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता तक), जो या तो नहर की मुख्य धारा हैं या रन-ऑफ द रिवर परियोजनाएं जिनमें जल जमाव/वन भूमि का जलमग्न होना शामिल नहीं है, के संबंध में जलागम क्षेत्र शोधन योजना पर जोर नहीं दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यावण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलविद्युत परियोजनाओं[2] के निर्माण हेतु वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन पर तीन प्रयोक्ता एजेंसियों के पक्ष में अंतिम अनुमोदन दिया, जिनकी स्थापित क्षमता जनवरी 2011 से जून 2012 की अवधि के दौरान 10 मेगावाट (अंतिम अनुमोदन के समय) से कम थी। ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार से एकत्रित जानकारी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि उपरोक्त तीनों जलविद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में ऊर्जा निदेशक द्वारा संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई थी व इन जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता बाद में (जलविद्युत परियोजनाओं के प्रचालन से पूर्व) बढ़ कर 10 मेगावाट से अधिक हो गई। हालांकि वन विभाग इन जलविद्युत परियोजनाओं की बढ़ी हुई क्षमता के विषय में अनभिज्ञ था, फलतः जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के निरूपण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेंसियों से न्यूनतम ₹ 8.48 करोड़ की तत्संबंधी निधियों की भी मांग नहीं की गई, जैसाकि **परिशिष्ट 5.2** में विवर्णित है। यह जलविद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय की कमी को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं के लिए जलागम क्षेत्र शोधन योजना निरुपित न करना वन संरक्षण अधिनियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रावधानों

---

[2] रौरा जल विद्युत परियोजना प्रयोक्ता एजेंसी - मेसर्स डीएलआई पावर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (आठ मेगावाट किन्नौर मण्डल तकनीकी-आर्थिक मंजूरी- ₹ 94.91 करोड़ जलागम क्षेत्र शोधन योजना लागत @ तकनीकी-आर्थिक मंजूरी का 2.5 प्रतिशत - ₹ 2.37 करोड़); राला जल विद्युत परियोजना - मैसर्स टारंडा हाइड्रो पावर लिमिटेड (नौ मेगावाट किन्नौर मण्डल ₹ 95.79 करोड़ जलागम क्षेत्र शोधन योजना लागत @ तकनीकी-आर्थिक मंजूरी का 2.5 प्रतिशत - ₹ 2.39 करोड़) और कुवारसी जल विद्युत परियोजना - मैसर्स वीबी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पांच मेगावाट भरमौर मण्डल तकनीकी-आर्थिक मंजूरी- ₹ 148.50 करोड़ जलागम क्षेत्र शोधनयोजना लागत @ तकनीकी-आर्थिक मंजूरी का 2.5 प्रतिशत - ₹ 3.71 करोड़)।

के विरुद्ध था जो उपरोक्त सीमा तक जलागम क्षेत्र शोधन योजना निधियों की अवसूली के रूप में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त जलागम क्षेत्र शोधन योजना तैयार न होने के कारण जलागम में हुई पर्यावरण हानि को भी नहीं रोका जा सका।

विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं का निरूपण न होने एवं निधियां जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसियों व क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी मांगी गई थी तथा लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत कराया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि विभाग उन जलविद्युत परियोजनाओं के विषय में अनभिज्ञ था, जिन्होंने वन संरक्षण अधिनियम के तहत अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपनी क्षमता 10 मेगावाट से अधिक बढ़ा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप वह निधियों की मांग एवं इन जलविद्युत परियोजनाओं के प्रति जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं का निरूपण सुनिश्चित करने में विफल रहा।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.4 बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना मामले का अध्ययन (केस स्टडी)

जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा ने 360-डिग्री विश्लेषण हेतु एक जलागम क्षेत्र शोधन योजना का चयन किया। इस प्रयोजनार्थ बजोली होली जलविद्युत परियोजना को अध्ययन हेतु चुना गया।

5.4.1 परिचय

अक्टूबर 2012 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भरमौर वन मंडल में 180 मेगावाट बजोली जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जीएमआर बजोली होली हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में 75.304 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अपवर्तन पर अनुमोदन प्रदान किया।

Construction Site of GMR Bajoli Holi Hydro Power Pvt. Ltd.

वन संरक्षण अधिनियम के नियमों एवं अधिसूचना (नवंबर 2001) के अनुसार साइट-स्पेसिफिक आवश्यकताओं एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर ₹ 43 करोड़[3] लागत की एक विस्तृत जलागम क्षेत्र शोधन योजना तैयार की गई थी। जलागम क्षेत्र शोधन योजना परियोजना के मुक्त जलनिकासी जलागम क्षेत्र में अवक्रमित वन क्षेत्र उपलब्ध कराते हुए उनके शोधन हेतु विभिन्न उपाय सुझाती है। जलागम क्षेत्र शोधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षरण प्रक्रियाओं को कम करना व घटाना है, जिससे रावी नदी के पानी में गाद को कम करने के लिए प्रस्तावित परियोजना के मुक्त जलनिकासी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को कम किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाली मानव आबादी की सक्रिय भागीदारी के साथ जंगलों पर दबाव कम करने की गतिविधियों के अतिरिक्त जलागम क्षेत्र में विभिन्न अवक्रमित क्षेत्रों का शोधन एवं स्थायीकरण करना तथा मिट्टी के कटाव की रोकथाम हेतु जैविक व इंजीनियरिंग उपचार करना भी है। यह रावी नदी घाटी में जलागम क्षेत्र के क्षरण व मृदा अपरदन को रोकने की प्रस्तावित योजना के अनुसार कार्यक्रम में की जाने वाली गतिविधियों की मात्रा और विविधता के विषय में जानकारी प्रदान करती है। भौतिक व वित्तीय लक्ष्य 11 वर्षों (2013-14 से 2024-25) की अवधि में बांटे गए हैं। परियोजना का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1: विस्तृत संवीक्षा हेतु जलागम क्षेत्र शोधन योजना के विवरण

जलागम क्षेत्र शोधन योजना का नाम	**जीएमआर बजोली होली (180 मेगावाट)**
जिला	चम्बा
मण्डल	भरमौर
नदी	रवि
जलागम क्षेत्र	902 किलोमीटर^2
जलागम क्षेत्र शोधन योजना की राशि	₹ 43 करोड़

स्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना

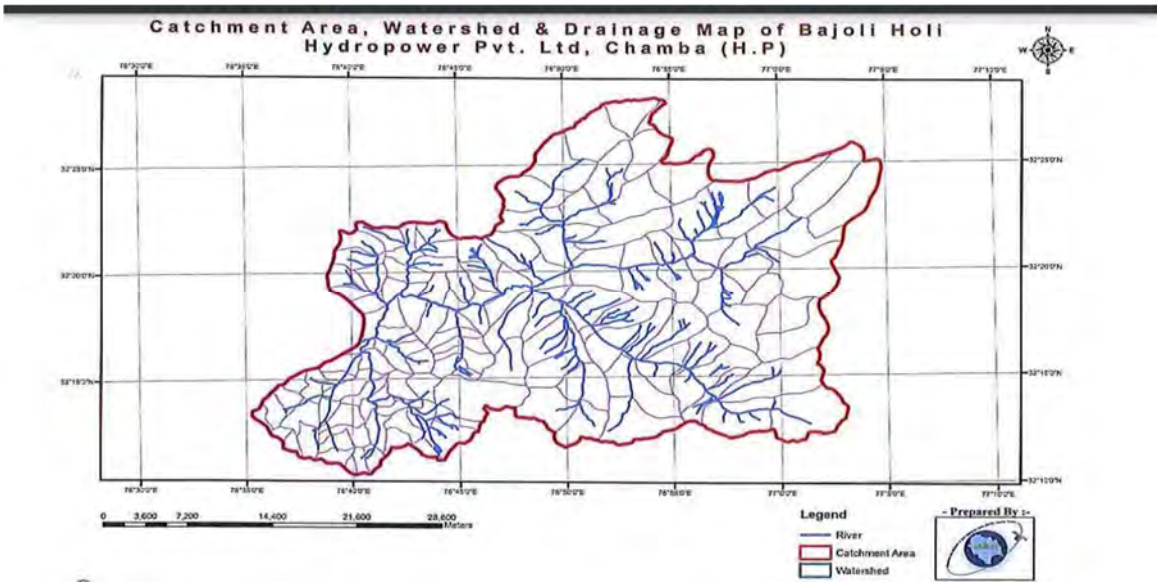

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना

[3] कुल परियोजना लागत ₹ 1,693.93 करोड़ थी और कुल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत @ ₹ 43 करोड़ की जलागम क्षेत्र शोधन योजना तैयार की गई थी।

5.4.2 जलागम क्षेत्र शोधन योजना का अवलोकन

चार्ट 5.2: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना के घटकों के विवरण

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना

5.4.3 वनीकरण के उपाय

वनीकरण उपायों के लिए कुल ₹ 10.94 करोड़ की राशि रखी गई थी, जैसाकि **तालिका 5.2** में विवर्णित है। वनीकरण हेतु निम्नलिखित प्रकार के क्षेत्र प्रस्तावित किए गए:

(i) रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सदाबहार वन क्षेत्र का पता लगाना।

(ii) बस्तियों के आसपास समृद्ध चरागाह क्षेत्र।

(iii) अपवर्तन बांध भंडार के आसपास सीधे वनस्पति विकसित करने एवं जल निकासी हेतु उपयुक्त खाली क्षेत्र।

तालिका 5.2: प्राक्कलित व्यय का विवरण

क्र. सं.	गतिविधि	राशि (लाख में)
1	वनीकरण एवं रखरखाव	496.16[4]
2	ऊर्जा वृक्षारोपण	270.30
3	संवर्धन वृक्षारोपण एवं रखरखाव	88.75
4	पौधशाला (नर्सरी) विकास	89.30
5	सब्सिडी सिल्विकल्चर	52.50
6	चारागाह प्रबंधन	97.00
	योग	**1,094.01**

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना

5.4.3.1 लक्ष्य प्राप्ति में कमी

जलागम क्षेत्र शोधन योजना के अनुसार प्रत्येक घटक हेतु भौतिक व वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें जलागम क्षेत्र शोधन योजना में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्राप्त किया जाना था। जैसाकि निम्नलिखित अभ्युक्तियों से स्पष्ट है, जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही, अतः जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं में इन घटकों को शामिल करने का उद्देश्य ही विफल हो गया। इस प्रकार जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(i) वनीकरण एवं रखरखाव

जलागम क्षेत्र शोधन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय वर्ष अर्थात 2014-15 से 694 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनीकरण होना था जिसे 2017-18 में पूर्ण किया जाना था। पांच वर्ष तक वृक्षारोपण की देखरेख करने का प्रावधान किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2017-18 तक ₹ 3.41 करोड़ की लागत में 694 हेक्टेयर में पूर्ण किए जाने वाले वनीकरण के कुल लक्ष्य के प्रति सितंबर 2021 तक मात्र 349 हेक्टेयर (50 प्रतिशत) में ₹ 1.83 करोड़ (54 प्रतिशत) की लागत से वनीकरण किया गया। वनीकरण में 345 हेक्टेयर (50 प्रतिशत) की कम रही एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में ₹ 1.58 करोड़ (46 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही। वनीकरण करने में विलम्ब के फलस्वरूप 345 हेक्टेयर के शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण व रखरखाव हेतु ₹ 3.29 करोड़[5] की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हुई, जो वृक्षारोपण में लागत-वृद्धि के रूप में परिणत हुई।

[4] वृक्षारोपण की लागत - ₹ 3.41 करोड़ + रखरखाव की लागत - ₹ 1.55 करोड़ = वृक्षारोपण व रखरखाव की कुल लागत - ₹ 4.96 करोड़।

[5] वृक्षारोपण की लागत - ₹ 2.24 करोड़ व रखरखाव की लागत - ₹ 1.05 करोड़

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2022) बताया कि कम वृक्षारोपण का कारण क्षेत्रीय कर्मियों की कमी थी और देय समय पर इसे प्राप्त कर लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर वृक्षारोपण करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त शेष वृक्षारोपण हेतु उल्लेखनीय लागत-वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थलों का सुझाव दिया गया था एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजना में वृक्षारोपण की अवस्थिति भी दर्शाई गई थी। वन मंडलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही स्थल अपवर्तित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि घटक के तहत वृक्षारोपण उन स्थानों पर किया गया था जो जलागम क्षेत्र शोधन योजनांतर्गत प्रस्तावित नहीं थे। क्षेत्रों में परिवर्तन करते समय वन मंडलाधिकारी ने किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण नहीं किया, जो जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रावधानों के विरुद्ध था। वृक्षारोपण स्थलों के अपवर्तन के मामलों के विवरण नीचे **तालिका 5.3** में दिए गए हैं।

तालिका 5.3: वनीकरण पर हुए व्यय के विवरण

घटक का नाम	वृक्षारोपण का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	किया गया वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)	वह क्षेत्र जिसमें अपवर्तन देखा गया (हेक्टेयर)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
वनीकरण	694	349	112 (32)	67.92

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना व विभागीय अभिलेख, कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते है।

वन मंडलाधिकारी ने उपरोक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2022)।

(ii) संवर्धन वृक्षारोपण[6]

जलागम क्षेत्र में कुल 270 हेक्टेयर[7] अवक्रमित वन क्षेत्र में ₹ 88.75 लाख (₹ 30.23 लाख की पांच वर्ष की रखरखाव लागत सहित) की लागत से संवर्धन वृक्षारोपण किया जाना था। वृक्षारोपण वर्ष 2015-16 से करते हुए वर्ष 2018-19 तक पूर्ण किया जाना था।

यह देखा गया कि सितंबर 2021 तक में ₹ 58.31 लाख (65 प्रतिशत) की लागत से मात्र 130 हेक्टेयर[8] (48 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वृक्षारोपण के

---

6 पहले से मौजूद खुले वन में वृक्ष भंडार बढ़ाने के लिए अवक्रमित वन क्षेत्र में संवर्धन वृक्षारोपण किया जाता है व इस घटक के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 800 पौधे लगाए जाते हैं।

7 खंड - बाराबंचो; चार बीट - बाजोल (पांच क्षेत्र - 80 हेक्टेयर), नयाग्राम (छः क्षेत्र - 110 हेक्टेयर), यादा (एक क्षेत्र - 15 हेक्टेयर) व सुरेही (तीन क्षेत्र - 65 हेक्टेयर)।

8 2015-16 (क्षेत्रफल - 30 हेक्टेयर, लागत - ₹ 12.03 लाख); 2017-18 (क्षेत्रफल - 20 हेक्टेयर, लागत - ₹ 9.39 लाख); 2018-19 (क्षेत्रफल - 10 हेक्टेयर, लागत - ₹ 4.12 लाख); 2019-20 (क्षेत्रफल - 45 हेक्टेयर, लागत - ₹ 20.37 लाख व 2020-21 (क्षेत्रफल - 25 हेक्टेयर, लागत - ₹ 12.40 लाख)।

रखरखाव पर ₹ 12.67 लाख का व्यय किया गया। इस प्रकार जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत निर्धारित मानदंडों से कहीं अधिक व्यय होने के कारण शेष 140 हेक्टेयर (52 प्रतिशत) में वृक्षारोपण करने के लिए संवर्धन वृक्षारोपण घटक के अंतर्गत केवल ₹ 17.77 लाख (20 प्रतिशत) उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के मानदंडों पर शेष 140 हेक्टेयर में संवर्धन वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव हेतु विभाग को ₹ 1.08 करोड़[9] की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि कम वृक्षारोपण का कारण क्षेत्रीय कर्मियों की कमी रही, जिसे देय समय पर प्राप्त कर लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर वृक्षारोपण न करना जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध था, साथ ही इसके परिणामस्वरूप शेष वृक्षारोपण करने में उल्लेखनीय लागत-वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि घटक के तहत वृक्षारोपण उन स्थानों पर किया गया जो जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत प्रस्तावित नहीं थे। क्षेत्रों में परिवर्तन करते समय वन मंडलाधिकारी ने किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण नहीं किया, जो कि जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रावधानों के विरुद्ध था। वृक्षारोपण स्थलों के अपवर्तन के मामलों के विवरण **तालिका 5.4** में दिए गए हैं।

तालिका 5.4: संवर्धन वृक्षारोपण पर हुए व्यय के विवरण

घटक का नाम	वृक्षारोपण का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	किया गया वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)	क्षेत्र जिसमें अपवर्तन देखा गया (हेक्टेयर में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
संवर्धन वृक्षारोपण	270	130	42 (32)	21.15

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना व विभागीय अभिलेख, कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते है।

वन मंडलाधिकारी ने उपरोक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2022)।

(iii) ऊर्जा वृक्षारोपण

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के दौरान स्थानीय लोगों की लकड़ी व चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ₹ 2.70 करोड़ की कुल लागत में बस्तियों के आसपास 240 हेक्टेयर[10] भूमि पर ऊर्जा वृक्षारोपण किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 7.08 लाख (तीन प्रतिशत) की लागत से मात्र 12 हेक्टेयर क्षेत्र (पांच प्रतिशत) में ऊर्जा वृक्षारोपण किया गया। इस प्रकार ऊर्जा वृक्षारोपण

[9] वृक्षारोपण की लागत - ₹ 0.76 करोड़ व रखरखाव की लागत - ₹ 0.32 करोड़।

[10] जलागम क्षेत्र में 20 निर्दिष्ट स्थलों पर।

के संबंध में 228 हेक्टेयर (95 प्रतिशत) की कमी थी एवं घटक के तहत ₹ 2.63 करोड़ (97 प्रतिशत) की राशि राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण स्तर पर अप्रयुक्त रही। ऊर्जा वृक्षारोपण करने में विफलता न केवल जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध थी अपितु स्थानीय जन आवश्यक लकड़ी व चारे से वंचित रहे साथ ही आसपास के वनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि देय समय में वृक्षारोपण कर लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊर्जा वृक्षारोपण न करने से स्थानीय आबादी जलागम क्षेत्र शोधन योजना में प्रस्तावित अभीष्ट लाभों से वंचित रह गई।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(iv) नर्सरी विकास

जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत ₹ 89.30 लाख की कुल लागत से परियोजना के आसपास छः नई नर्सरी विकसित कर उनका रखरखाव किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान 'नर्सरी विकास' घटक के तहत ₹ 71.42 लाख का व्यय किया गया। हालांकि विभाग ने प्रस्तावित छः नई नर्सरी में से कोई भी विकसित नहीं की, जो अनियमित एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध था।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि पौधों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त नर्सरी उपलब्ध होने के कारण नई नर्सरी नहीं बनाई गईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया; इसके अतिरिक्त यद्यपि मौजूदा नर्सरियों पर किए गए व्यय का विवरण मांगा गया था तथापि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

संक्षेप में, घटकों- वनीकरण व रखरखाव, संवर्धन वृक्षारोपण, ऊर्जा वृक्षारोपण तथा नर्सरी विकास के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां **चार्ट 5.3** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 5.3: लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां

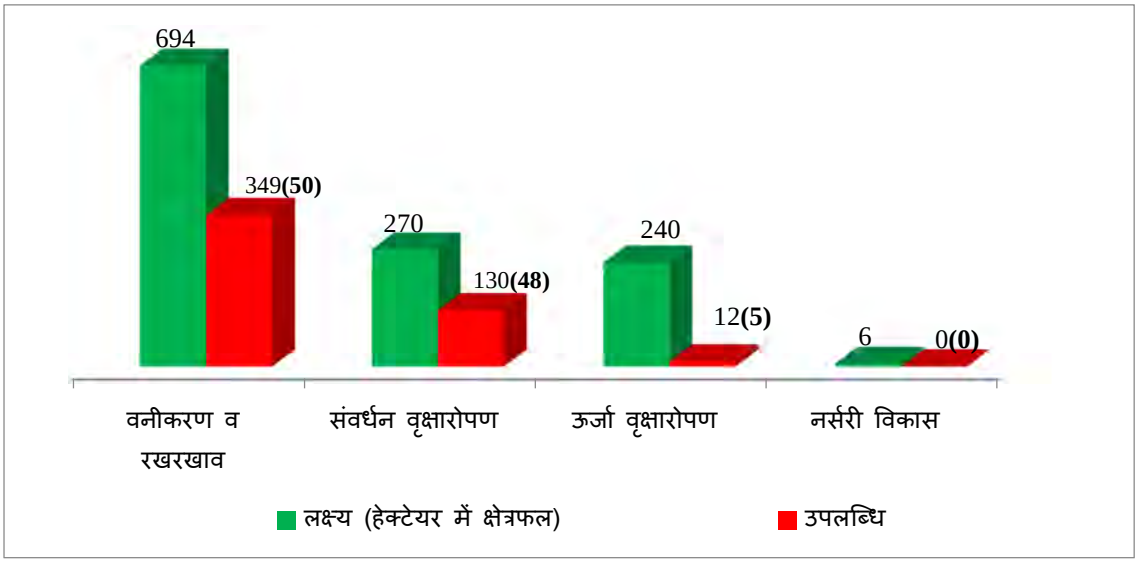

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना व विभागीय अभिलेख, कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते है।

5.4.4 पर्यावरणीय सेवाओं हेतु भुगतान का अध्ययन न करना एवं इको-पर्यटन हेतु निधियों का अधिक आवंटन

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना (सितम्बर 2009) के अनुसार स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय सेवाओं हेतु भुगतान के लिए कुल जलागम क्षेत्र शोधन योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाए व इको-पर्यटन के लिए जलागम क्षेत्र शोधन योजना बजट का एक प्रतिशत निर्धारित किया जाए। पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान जलागम क्षेत्र के टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लिए स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करने का एक साधन है। इस मुद्दे पर अध्ययन करके एवं पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान के तहत सबसे उपयुक्त तरीकों व गतिविधियों की पहचान करते हुए बजोली होली जलविद्युत परियोजना जलागम क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान तंत्र चिह्नित किया जाना था। यह अध्ययन परियोजना के पहले दो वर्षों में किया जाना था और कार्यान्वयन से पूर्व वन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना था। अनुमोदित अध्ययन द्वारा चिह्नित पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान तंत्र का वास्तविक कार्यान्वयन जलागम क्षेत्र शोधन योजना कार्यान्वित होने के पांचवें वर्ष (अर्थात 2018-19 से) से प्रारंभ होना था। ईको-पर्यटन (पारिस्थितिक पर्यटन) शीर्ष के तहत हस्तक्षेपों को भी पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान अध्ययन के माध्यम से निश्चित किया जाना था। जलागम क्षेत्र शोधन योजना ने जलागम क्षेत्र स्थित बाराबंचो घाटी में इको-पर्यटन क्षमता पर भी प्रकाश डाला। क्षेत्र की इको-टूरिज्म क्षमता व आवश्यकताओं के आकलन एवं इको पर्यावरण संचालित करने की कार्यप्रणाली के सुझाव हेतु परियोजना के पहले दो वर्षों में एक अध्ययन किए जाने का

प्रस्ताव रखा गया। पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान[11] एवं इको पर्यटन हेतु कुल ₹ 4.26 करोड़ का प्रावधान निर्धारित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजोली होली जल विद्युत परियोजना जलागम क्षेत्र के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान तंत्र चिह्नित करने, साथ ही क्षेत्र की इको-पर्यटन क्षमता व आवश्यकताओं के आंकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया। पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान के संचालनार्थ ₹ एक करोड़ की सम्पूर्ण राशि राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पास अप्रयुक्त रही। आगे यह भी देखा गया कि ईको-पर्यटन हेतु ₹ 0.43 करोड़[12] के स्थान पर ₹ 3.25 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जो ₹ 2.82 करोड़ (655 प्रतिशत) के अतिरिक्त प्रावधान में परिणत हुआ। इको-पर्यटन पर ₹ 0.75 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जलागम क्षेत्र शोधन योजना के उपरोक्त घटक के तहत निर्धारित आवंटन से ₹ 32.81 लाख (76 प्रतिशत) का व्यय आधिक्य हुआ।

इसके अतिरिक्त इको-पर्यटन का सम्पूर्ण व्यय बाराबंचो घाटी के बाहर के स्थलों पर किया गया। इस प्रकार विभाग न केवल उपरोक्त घाटी में इको-पर्यटन क्षमता के आकलन हेतु कोई अध्ययन करने में विफल रहा, अपितु इसके बजाय उन स्थलों पर निर्धारित आवंटन से अधिक व्यय किया, जो इको-पर्यटन के विकासार्थ जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत चिह्नित क्षेत्र से बाहर थे।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान एवं इको पर्यटन पर कोई अध्ययन नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि इको-पर्यटन के तहत जलागम क्षेत्र शोधन योजना के एक प्रतिशत से अधिक का प्रावधान किया गया था क्योंकि इस क्षेत्र में इको-पर्यटन की उच्च संभावना थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले तो जलागम क्षेत्र शोधन योजना में चिन्हांकित की गई घाटी की क्षमता के आकलन हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया, दूसरा ईको-पर्यटन गतिविधियां जलागम क्षेत्र शोधन योजना में चिन्हित क्षेत्र के बाहर की गईं एवं निर्धारित मानदंडों से अधिक व्यय किया गया, जो कि सरकारी अधिसूचना व जलागम क्षेत्र शोधन योजना में किए गए निर्धारण के विरुद्ध था।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.4.5 अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण

अनुसंधान, प्रशिक्षण व क्षमता-निर्माण घटक में सामान्य जागरूकता/प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण व सहभागी शोध-क्रिया जैसी मदें आती हैं।

---

11 पर्यावरणीय सुविधाओं हेतु भुगतान अध्ययन - ₹ एक करोड़ व इकोपर्यटन - ₹ 3.25 करोड़

12 (जलागम क्षेत्र शोधन की एक प्रतिशत निधि - ₹ 43 करोड़ का एक प्रतिशत = ₹ 0.43 करोड़)

5.4.5.1 सामान्य जागरूकता/प्रचार-प्रसार

मानवजनित दबाव को कम करने के लिए परियोजना क्षेत्र के गांवों में जन जागरूकता व शिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है। इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक गांव में जैव विविधता रजिस्टर खोलना व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, मीडिया, साइन बोर्ड व सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से आग के खतरनाक प्रभाव का विज्ञापन करना जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। जलागम क्षेत्र शोधन योजना के कार्यान्वयन की कुल अवधि में सामान्य जागरूकता व प्रचार-प्रसार पर ₹ 66 लाख का प्रावधान रखा गया, जिसमें जैव विविधता शिक्षा, सामुदायिक जागरूकता, साइन बोर्ड व सार्वजनिक बैठकों के लिए प्रति वर्ष एकमुश्त ₹ छः लाख का प्रावधान था।

यह देखा गया कि योजना की सम्पूर्ण अवधि के दौरान गतिविधियां करने के बजाय (₹ छः लाख * 11) वर्ष) घटक के तहत मिला संपूर्ण आवंटन योजना अवधि के पहले तीन वर्षों अर्थात 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रयुक्त कर लिया गया, जो जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण सहित की गई गतिविधियों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके अभाव में घटक के तहत किए गए व्यय की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.4.5.2 वनाधिकारियों/कर्मचारियों एवं समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान न करना

जलागम क्षेत्र शोधन योजना में योजना कार्यान्वित करने वाले वनाधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण (स्टडी टूर) उपलब्ध कराए जाने हेतु ₹ 89 लाख का प्रावधान रखा गया था। इस प्रशिक्षण घटक का उद्देश्य अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके कौशल, व्यवसायिक ज्ञान को बढ़ाने एवं क्षमता-निर्माण को प्रभावशाली एवं दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना था। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन प्रशिक्षण संस्थानों में मृदा व जल संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों इत्यादि क्षेत्रों के विशिष्ट संस्थानों/संगठनों के विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हुए कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था।

पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान इस घटक के अंतर्गत मात्र ₹ 1.00 लाख का व्यय किया गया एवं आठ वर्ष की अवधि के पश्चात भी जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रभावी व कुशल कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय कार्मिकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

5.4.5.3 ऋतु-प्रवास[13] के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सहभागी शोध-क्रिया न करना

चम्बा जिले की विशेषता यहां रहने वाले ऋतु-प्रवासी समूह[14] जैसे गद्दी व गुज्जर है, जो यहां के अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों के कारण ऐसा करते है। ये समूह मौसम परिवर्तित होते ही प्रथानुसार अपने समुदाय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की परंपरा का पालन करते हैं। प्रवासी चरवाहों के सम्बन्ध में चरागाह भूमि का विनियमन, परिभाषित चरागाहों में पशु चराने की अनुमति प्राप्त समुदाय का आकार, चराई के अधिकार आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका क्षेत्र में अक्सर सामना होता है। जलागम क्षेत्र में ऋतु-प्रवास के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और फिर इस शोध से मिलने वाली अच्छी प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु सहभागी शोध-क्रिया करने के लिए ₹ 60 लाख का प्रावधान किया गया। पहले वर्ष (अर्थात वर्ष 2013-14) के दौरान इस उद्देश्यार्थ ₹ 10 लाख व्यय किए जाने थे, फिर शेष 10 वर्षों के दौरान ₹ पांच लाख @ प्रति वर्ष की दर से शेष ₹ 50 लाख व्यय किए जाने थे।

ऋतु-प्रवास के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सहभागी शोध-क्रिया करने का कोई प्रयास नहीं किया गया एवं नवंबर 2022 तक सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त रही।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि शोध देय समय पर कर लिया जाएगा। तथ्य यह है कि अभी तक कोई शोध नहीं किया गया।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.4.6 बुनियादी ढांचा निर्माण एवं वन सुरक्षा

'बुनियादी ढांचा निर्माण' एवं 'वन सुरक्षा उपाय' मद के तहत कुल ₹ 6.45 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

5.4.6.1 सीमा स्तंभों (बाउंड्री पिल्लर्स) की मरम्मत न करना

जलागम क्षेत्र शोधन योजनानुसार अधिकांश सीमांकित संरक्षित वन के (बाउंड्री पिल्लर्स) को बेतरतीब ढंग से खड़ा किया गया। कुछ स्थानों पर बाउंड्री पिल्लर्स की कतारें थीं तो कुछ स्थानों पर बाउंड्री पिल्लर्स बहुत दूर-दूर बनाए गए थे। सभी वनों में बड़े व मध्यवर्ती बाउंड्री पिल्लर्स के निर्माणार्थ एक योजना तैयार की जानी थी। आवर्धन के दौरान सभी बाउंड्री पिल्लर्स की उचित देखभाल की जानी थी तथा जीपीएस गणना करते हुए प्रयुक्त रेलवे ग्रेडर के साथ निर्मित किया जाना था। इसके लिए घटक के अंतर्गत ₹ 64.00 लाख की राशि रखी गई।

---

13 मौसमी चक्र में पशुओं को एक चरागाह से दूसरे चरागाह में ले जाने की क्रिया या प्रथा, आमतौर पर सर्दियों में निचले इलाकों एवं गर्मियों में ऊंचे इलाकों में।

14 ऋतु-प्रवास की प्रथा का पालन करने वाले मानव समूह।

यह पाया गया कि विभाग ने मंडल के 2,185 बाउंड्री पिल्लर्स[15] (संरक्षित वन - 150, सीमांकित संरक्षित वन - 2,035) के प्रस्तावित निर्माण के प्रति किसी बाउंड्री पिल्लर्स का निर्माण/रखरखाव नहीं किया एवं ₹ 64.00 लाख की सम्पूर्ण राशि आठ वर्षों के बाद भी अप्रयुक्त रही, जो जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध था, साथ ही वन क्षेत्र को अतिक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा था। इसकी पुष्टि आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र[16] द्वारा किए गए भू-स्थानिक अध्ययनों के परिणाम के रूप में प्राप्त निष्कर्षों से भी होती है, जैसाकि भू-स्थानिक अध्ययन पर आगामी अध्याय में दर्शाया गया है।

वन मंडलाधिकारी ने बताया (नवंबर 2022) कि मण्डल में बनाई जा रही नई कार्य-योजना में बाउंड्री पिल्लर्स की मरम्मत का प्रस्ताव रखा जाएगा। तथ्य यह है कि मण्डल में किसी भी बाउंड्री पिल्लर की मरम्मत नहीं की गई।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.4.6.2 अग्नि सुरक्षा - अग्निशमन लाइनों का निर्माण न करना

जहां आवश्यक हो, अग्नि सुरक्षा व नियंत्रण कार्य ग्राम स्तरीय प्रयोक्ता समूहों/स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाए तथा उन्हें इस कार्य हेतु उपयुक्त मौद्रिक पुरस्कार के प्रावधान से प्रोत्साहित किया जाए। घटक के तहत कुल ₹ 58.50 लाख की लागत से 39 किलोमीटर लंबी अग्निशमन लाइनें बनाई जानी थीं। घटक के अंतर्गत परियोजना के प्रथम पांच वर्षों के लिए ₹ 74.34 लाख का प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि घटक के तहत योजना के पहले पांच वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) के दौरान मात्र ₹ 10.32 लाख का उपयोग किया गया एवं बाद के तीन वर्षों (वर्ष 2018-19 से 2020-21) के दौरान ₹ 8.46 लाख का उपयोग किया गया। निधियां उपयोग करने की प्रस्तावित तिथि के तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बावजूद विभाग इस घटक के तहत बची ₹ 55.56 लाख की शेष निधियों का उपयोग नहीं कर सका (सितंबर 2021)। आगे यह देखा गया कि ₹ 18.78 लाख के व्यय के बावजूद ब्लॉक में एक किलोमीटर की भी अग्निशमन लाइन नहीं बनाई जा सकी, जो न केवल जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध था, अपितु जंगल की आग से निपटने में मण्डल की खराब तैयारी को भी इंगित करता है। लेखापरीक्षा को उन घटकों/गतिविधियों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके अंतर्गत ₹ 18.78 लाख का व्यय किया गया था।

---

15 बाराबंचो मण्डल के चार बीटों (भागों) में

16 हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वावधान में कार्य करने वाला एक केंद्र।

वन मंडलाधिकारी ने बताया (नवंबर 2022) कि नई कार्य-योजना में आवश्यकतानुसार अग्निशमन लाइन निर्माण का प्रावधान किया जाएगा। तथ्य यह है कि मण्डल में जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानानुसार कोई अग्निशमन लाइन निर्मित नहीं की गई।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.4.6.3 बुनियादी ढांचा विकास

वन संरक्षण उपायों हेतु निम्नलिखित मदों के तहत कुल ₹ 6.45 करोड़ का प्रावधान किया गया।

(i) भवनों पर अनियमित व्यय

क्षेत्रीय कार्मिकों के लिए कुछ और निरीक्षण कुटियाओं व रहवासी परिसरों की आवश्यकता एवं क्षेत्रीय कार्मिक कुटियाओं व वन विश्रामगृहों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए भवनों के निर्माण व मौजूदा भवनों के रखरखाव/साज-सज्जा हेतु ₹ 1.80 करोड़ का प्रावधान रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जलागम क्षेत्र शोधन योजना में निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यों के स्थान पर जलागम क्षेत्र शोधन योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 49.35 लाख की लागत से जलागम क्षेत्र शोधन योजना क्षेत्र के बाहर 26 भवनों का निर्माण/मरम्मत की गई।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(ii) जलागम क्षेत्र के बाहर सड़कों, रास्तों व पुलों का निर्माण/मरम्मत

जलागम क्षेत्र में कोई वाहन योग्य सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे गाद बढ़ेगी। केवल लगाम पथ (ब्रिडल पथ), निरीक्षण पथ एवं पैदल-पुल (फुट ब्रिज) का निर्माण/रखरखाव किया जाएगा, जिसके लिए ₹ 91.15 लाख की राशि रखी गई। इस योजना में किसी भी बड़ी सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा।

यह देखा गया कि जलागम क्षेत्र शोधन योजना का उल्लंघन करते हुए जलागम क्षेत्र में निर्माणार्थ प्रस्तावित कार्यों के स्थान पर जलागम क्षेत्र शोधन योजना क्षेत्र के बाहर ₹ 1.31 करोड़ की लागत से 131 सड़कों, रास्तों व पुलों का निर्माण/मरम्मत किया गया। इसके अतिरिक्त घटक के तहत ₹ 39.63 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए बताया (नवंबर 2022) कि स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं व मांग के दृष्टिगत निर्माण जलागम क्षेत्र शोधन योजना क्षेत्र के बाहर किए गए। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि निर्माण-कार्य जलागम क्षेत्र शोधन योजना के निर्देशानुसार किए जाने थे।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(iii) संचालन समर्थन में कमी

वन संसाधनों के कुशल प्रबंधन हेतु निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत ₹ 117 लाख का बजट प्रावधान किया गया:

तालिका 5.5: संचालन समर्थन व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख में)
1	फ़ील्ड वाहन/निरीक्षण वाहन	41
2	प्रिंटर और फैक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर आदि वाले कंप्यूटर	18
3	जीपीएस, डिफरेंशियल जीपीएस	6
4	विविध कार्यालय फर्नीचर अलमारियाँ, फ़ाइल रैक आदि	5
5	अग्निशमन उपकरण	2
6	दूरबीन, डिजिटल कैमरा, वन पुस्तक	5
7	आठ लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से पांच वर्ष के लिए वाहनों व मशीनरी की मरम्मत व रखरखाव	40
	योग	**117**

स्त्रोत: बजोली होली जलागम क्षेत्र शोधन योजना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2021 तक ₹ 1.17 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 14.16 लाख राशि का व्यय किया गया। योजना के कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्र के दौरे के लिए कोई निरीक्षण वाहन नहीं खरीदा गया। लेखापरीक्षा को ₹ 14.16 लाख के व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। आवश्यक उपकरणों की खरीद न होने से जलागम क्षेत्र शोधन योजना के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

(iv) ऊर्जा बचत उपकरणों का वितरण न होना

ऊर्जा की कमी एवं वनों पर इसके त्वरित प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी की समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय जनों को ऊर्जा-कुशल विकल्प प्रदान किए जाने थे। जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों व कमजोर वर्ग के परिवारों को लागत साझाकरण पैटर्न पर ऊर्जा बचत उपकरणों के वितरण का प्रावधान किया गया। आसपास के वनों पर दबाव कम करने तथा ऊर्जा दक्षता व पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण की संस्कृति विकसित करने के लिए इस घटक के तहत जलागम क्षेत्र के निवासियों को एलपीजी कनेक्शन, प्रेशर कुकर, ईंधन-कुशल तंदूर आदि उपलब्ध कराए जाने थे। इस उद्देश्यार्थ ₹ 50 लाख का प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जलागम क्षेत्र में निवास करने वाले गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों व कमजोर वर्गों को ऊर्जा बचत उपकरण उपलब्ध करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और आठ वर्षोपरांत भी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण खाते में ₹ 50 लाख

की सकल राशि अप्रयुक्त रही। ऊर्जा बचत उपकरण उपलब्ध न कराने से जलागम क्षेत्र शोधन योजना के उपरोक्त घटक के तहत निहित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई, साथ ही लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

वन मंडलाधिकारी ने बताया (नवंबर 2022) कि स्थानीय आबादी की ओर से कोई मांग नहीं होने के कारण ऊर्जा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने लाभार्थियों (जलागम क्षेत्र के निवासियों) की पहचान करने हेतु कोई लाभार्थी सर्वेक्षण नहीं किया था।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(v) गाद निरीक्षण चौकियों का निर्माण न करना

जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत उच्च व अतिउच्च श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उप-जल क्षेत्रों की सहायक नदियों में आने वाले गाद-भार की नियमित निगरानी हेतु दो गाद पर्यवेक्षण स्थान प्रस्तावित किए गए थे। इसका उद्देश्य जलागम क्षेत्र शोधन योजना में सुझाए गए विभिन्न शोधन उपायों के कार्यान्वयन की दक्षता की निगरानी सुनिश्चित करना था। यह निगरानी पांच वर्षों की अवधि हेतु घटक के तहत कुल ₹ 69 लाख के प्रावधान से होनी थी। वर्ष 2017-18 तक गाद पर्यवेक्षण चौकियों की पूर्ण स्थापना पूरी की जानी थी। जलागम क्षेत्र शोधन योजनानुसार परियोजना अनुमान नीचे दिए गए हैं:

क. दो प्रयोगशालाओं की लागत - ₹ 10 लाख प्रति प्रयोगशाला गाद विश्लेषण = ₹ 20 लाख

ख. प्रत्येक स्थल पर एक कुटी (@ पांच लाख) = 10 लाख

ग. व्यक्तियों की सेवाएं किराए पर लेने की लागत (@ प्रत्येक स्थल पर एक व्यक्ति) (औसत वेतन - अगले पांच वर्षों के लिए ₹ 0.10 लाख) = ₹ 12 लाख

घ. पर्यवेक्षक (सभी स्थलों हेतु एक व्यक्ति) की सेवाएं लेने की लागत (अगले पांच वर्षों के लिए औसत वेतन ₹ 0.15 लाख) = ₹ नौ लाख

ड. माप के लिए उपभोग्य वस्तुएं अगले पांच वर्षों के लिए ₹ दो लाख प्रति वर्ष = ₹ 10 लाख

च. स्वचालित गाद पर्यवेक्षण के डेटा संग्रह, सॉफ्टवेयर एवं का रखरखाव का प्रशिक्षण व उन्नयन = ₹ आठ लाख

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग सितंबर 2021 तक किसी भी गाद पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उप-जलक्षेत्रों में आने वाली गाद की निगरानी नहीं हो पाई तथा जलागम क्षेत्र शोधन योजना में निर्धारित विभिन्न शोधन उपायों की दक्षता एवं उनके कार्यान्वयन के विषय में कोई डाटा एकत्र नहीं किया जा सका।

वन मंडलाधिकारी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए बताया (नवंबर 2022) कि देय समय में गाद पर्यवेक्षण चौकियों का निर्माण कर दिया जाएगा। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि तथ्य यह

है कि किसी चौकी का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण गाद की निगरानी एवं विभिन्न शोधन उपायों की दक्षता हेतु डाटा का संग्रह नहीं किया जा सका।

5.4.7 निगरानी एवं मूल्यांकन न करना

जलागम क्षेत्र शोधन योजना की क्षेत्रीय योग्यता व दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जलागम क्षेत्र शोधन योजना के अंतर्गत निगरानी एवं मूल्यांकन को परियोजना प्रबंधन के एक अंतर्निहित भाग के रूप में विकसित किया जाना था, ताकि निर्दिष्ट समय अंतराल पर स्व-मूल्यांकन किया जा सके। जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत किए गए कार्यों की निगरानी व उसके प्रभाव के अध्ययन पर जोर दिया जाना था। यह जलागम क्षेत्र शोधन योजना कार्यान्वित होने के छठे वर्ष (अर्थात 2018-19) में किया जाना था, ताकि जलागम क्षेत्र शोधन कार्य-योजना के संशोधन/पुनर्निर्माण से प्राप्त निष्कर्ष/समझ को शेष वर्षों में लागू किया जा सके। निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु ₹ 2.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इस घटक के तहत जलागम क्षेत्र में जलागम क्षेत्र शोधन योजना गतिविधियों की दक्षता का पता लगाने के लिए बेस लाइन सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण एवं परियोजना सर्वेक्षण/मूल्यांकन के अंत में स्वतंत्र सलाहकार या तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2021 तक स्व-मूल्यांकन एवं मध्यावधि सुधार हेतु कोई निगरानी व मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया एवं सम्पूर्ण राशि राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पास अप्रयुक्त ही रही।

वन मंडलाधिकारी ने बताया (नवंबर 2022) कि मण्डल में तृतीय पक्ष निगरानी हिमालय वन अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तृतीय पक्ष निगरानी विशेष रूप से जलागम क्षेत्र शोधन योजना की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु की जानी थी, जबकि सम्पूर्ण मण्डल में सामान्य तौर पर निगरानी की गई।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

5.5 निष्कर्ष

प्रस्तावित सिंचाई/जलविद्युत परियोजना के जलागम क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने व बनाए रखने हेतु जलागम क्षेत्र शोधन योजना एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक योजना है। विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों से देय निधियों, वास्तव में जमा की गई निधियों एवं उनके सापेक्ष किए गए व्यय के संदर्भ में राज्य में परिचालित जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं से संबंधित विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए, जो निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है। विभाग अंतिम अनुमोदन के पश्चात जल विद्युत परियोजना की लागत व क्षमता में हुए परिवर्तनों से भी अनभिज्ञ था, फलतः जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के संशोधन/निरूपण हेतु निधियों की मांग करने में विफल रहा,

जो अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय की कमी को परिलक्षित करता है।

जलागम क्षेत्र शोधन योजना बजोली होली के संदर्भ में मण्डल निर्धारित समयावधि के भीतर वनीकरण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में वृक्षारोपण करने में उल्लेखनीय लागत-वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण किए बिना वृक्षारोपण स्थलों को परिवर्तित कर दिया गया। मण्डल ने जलागम क्षेत्र शोधन योजनांतर्गत निर्धारित अध्ययन नहीं किए। इको-पर्यटन पर जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत प्रस्तावित क्षेत्र के बाहर, बिना कोई अध्ययन किए अत्यधिक व्यय किया गया। मण्डल ने जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कार्य जैसे बाउंड्री पिल्लर्स की मरम्मत, अग्निशमन लाइनों का निर्माण, ऊर्जा बचत उपकरणों का वितरण एवं गाद पर्यवेक्षण चौकियों का निर्माण प्रारंभ तक नहीं किया। इसके अतिरिक्त जलागम क्षेत्र शोधन योजना कार्यान्वयन की कोई निगरानी व मूल्यांकन नहीं किया गया।

5.6 सिफारिशें

विभाग विचार करें:

- *नियमित निगरानी हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से देय निधि, वास्तव में जमा की गई निधि एवं किए गए व्यय के संदर्भ में राज्य की जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं हेतु केंद्रीकृत डेटाबेस का बनाना।*
- *अंतिम अनुमोदनोपरांत जलविद्युत परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय ताकि परियोजना की लागत व क्षमता में परिवर्तन का पता लगाया जा सके एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं का समयबद्ध निरूपण/संशोधन सुनिश्चित किया जा सके।*
- *यह सुनिश्चित करने के लिए जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की नियमित निगरानी व मूल्यांकन करें कि जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के निर्धारित प्रावधानों का कठोरता से एवं निर्धारित समयावधि के भीतर पालन किया जा रहा है।*

अध्याय VI

प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

अध्याय VI
प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

6.1 परिचय

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सुदृढ़ बनाने एवं अनुमोदन से भिन्न प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की पहचान करने के उद्देश्य से आरक्षित वनों[1]/सीमांकित संरक्षित वनों[2] में प्रतिपूरक वनीकरण एवं भूमि उपयोग-भूमि आवरण (एलयूएलसी) पर भू-स्थानिक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र[3], जो राज्य में योजना एवं विकासात्मक गतिविधियों में स्थानिक एवं भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सुविधा उपलब्ध करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, की सेवाओं का उपयोग करके किया गया था। यह अध्ययन अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य किया गया।

6.2 प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (साइटों) के वर्तमान एवं विगत परिदृश्य का पता लगाने के लिए तीन अलग-अलग प्रकार के डाटाबेस का उपयोग करके प्रतिपूरक वनीकरण पर अध्ययन किया गया।

1. भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया गया वन वर्गीकरण- (विगत परिदृश्य को जानने के लिए) भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वन वर्गीकरण को मोटे तौर पर पांच वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसाकि **तालिका 6.1** में विवर्णित है।

तालिका 6.1: वर्गीकरण योजना

अति सघन वन	70 प्रतिशत व उससे अधिक के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव (सदाबहार) आवरण सहित) वाली सभी भूमि।	
मध्यम सघन वन	40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।	
खुले वन/खुले अवक्रमित वन	10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।	
झाड़ी	10 प्रतिशत से कम छत्र घनत्व वाले वृक्षों की कम वृद्धि वाली सभी भूमि, जिनमें मुख्य रूप से छोटे या कम कद वाले वृक्ष हैं।	
वनेत्तर भूमि	कोई भी वह क्षेत्र जो उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं है	

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्गीकरण योजना

---

1 आरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित और पूर्ण सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र है। आरक्षित वन में अनुमति के बिना सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

2 सीमांकित संरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत वो अधिसूचित क्षेत्र है, जिसमें सीमित सुरक्षा होती है। संरक्षित वनों में व्यक्तियों या समुदायों के किसी भी मौजूदा अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है।

3 हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है।

2. भूमि उपयोग-भूमि आवरण वर्गीकरण - (वर्तमान परिदृश्य को जानने के लिए)

भूमि उपयोग विभिन्न मानवीय प्रयोजनों या आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि के कार्यात्मक आयाम पर आधारित है, जबकि भूमि आवरण जमीन की सतह के आवरण, चाहे वह वनस्पति, शहरी बुनियादी ढांचा, पानी हो या केवल मिट्टी या अन्य हो, को संदर्भित करता है; यह भूमि के उपयोग का वर्णन नहीं करता, और एक ही आवरण प्रकार वाली भूमि के लिए भूमि का भिन्न उपयोग हो सकता है। उपग्रह (सैटेलाइट) डाटा से वेक्टर परतों[4] का निष्कर्षण इस प्रकार है: निर्मित भूमि; कृषि; हरित आवरण; घास/चारागाह; बंजर अनुपयोगी/निर्जन/खुली; आर्द्रभूमि/जल निकाय।

3. रुचिकर क्षेत्र (ध्यानाकर्षक क्षेत्र) के अवलोकनार्थ सैटेलाइट डाटा - (वर्तमान परिदृश्य जानने के लिए)

आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों (अतिक्रमण की सीमा सत्यापित करने के लिए) में प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं भूमि उपयोग-भूमि आवरण के भू-स्थानिक अध्ययन हेतु एआरसीजीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भूमि उपयोग-भूमि आवरण एवं अतिक्रमण की स्थिति की व्याख्या के लिए सैटेलाइट जीईओ आई (2008 में लॉन्च किया गया व 0.50 मीटर का बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है) डाटा का प्रयोग किया गया।

6.2.1 कार्य-क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

भू-स्थानिक का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ एक विशेषज्ञ सलाहकार (आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र) की सेवाओं का उपयोग करते हुए अक्टूबर व दिसंबर, 2022 के मध्य विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण हिमाचल प्रदेश वन विभाग के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुभाग, विभाग के क्षेत्रीय मण्डलों एवं ई-ग्रीन वॉच[5] पोर्टल से प्राप्त द्वितीयक डाटा[6] के आधार पर किया गया। निर्णयात्मक नमूने, आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष

---

4 वेक्टर परतें/वेक्टरीकरण - उपग्रह छवि का वेक्टर डाटा (बिंदु, रेखाएं व बहुभुज) में रूपांतरण - जीईओ आई (GEO EYE) उपग्रह छवि से प्राप्त किया गया।

5 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में, वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं के स्वचालन, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु एक ई-गवर्नेंस पोर्टल स्थापित किया गया।

6 वर्ष 2009 व 2019 हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण डाटा हिमाचल प्रदेश वन विभाग के जीआईएस अनुभाग से प्राप्त किया गया एवं प्रतिपूरक वनीकरण बहुभुज को क्षेत्रीय मण्डलों व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल से प्राप्त किया गया था। सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर भू-स्थानिक अध्ययन करने के उद्देश्य से कंपार्टमेंट (वन कंपार्टमेंट प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है। कंपार्टमेंट का एक समूह एक ब्लॉक बनाता है और कई ब्लॉक एक वन रेंज बनाते हैं) स्तर का डाटा वन विभाग के जीआईएस अनुभाग से प्राप्त किया गया था।

अनुप्रयोग केंद्र द्वारा किए गए जोखिम विश्लेषण[7] एवं ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध डाटा के आधार पर भू-स्थानिक अध्ययन हेतु 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन किया गया। इनमें से 13 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों[8] की शेप फाइलें ई ग्रीन वॉच पोर्टल से डाउनलोड की गईं व नौ स्थलों की फाइलें मण्डलों द्वारा उपलब्ध कराई गईं (जिन्हें आगे ई-ग्रीन वॉच से भी सत्यापित किया गया)।

वर्ष 2020 के वर्तमान परिदृश्य में भूमि उपयोग-भूमि आवरण की व्याख्या[9] हेतु वन विभाग द्वारा प्रदान की गई शेप फाइलों (बहुभुज) को भारतीय वन सर्वेक्षण डाटा (विभिन्न श्रेणियों यानी अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, झाड़ियों के तहत प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की सटीकता के विश्लेषण हेतु) एवं सैटेलाइट डाटा पर अध्यारोपित (सुपरइम्पोज़) किया गया।

चार्ट 6.1: अध्ययन की पद्धति

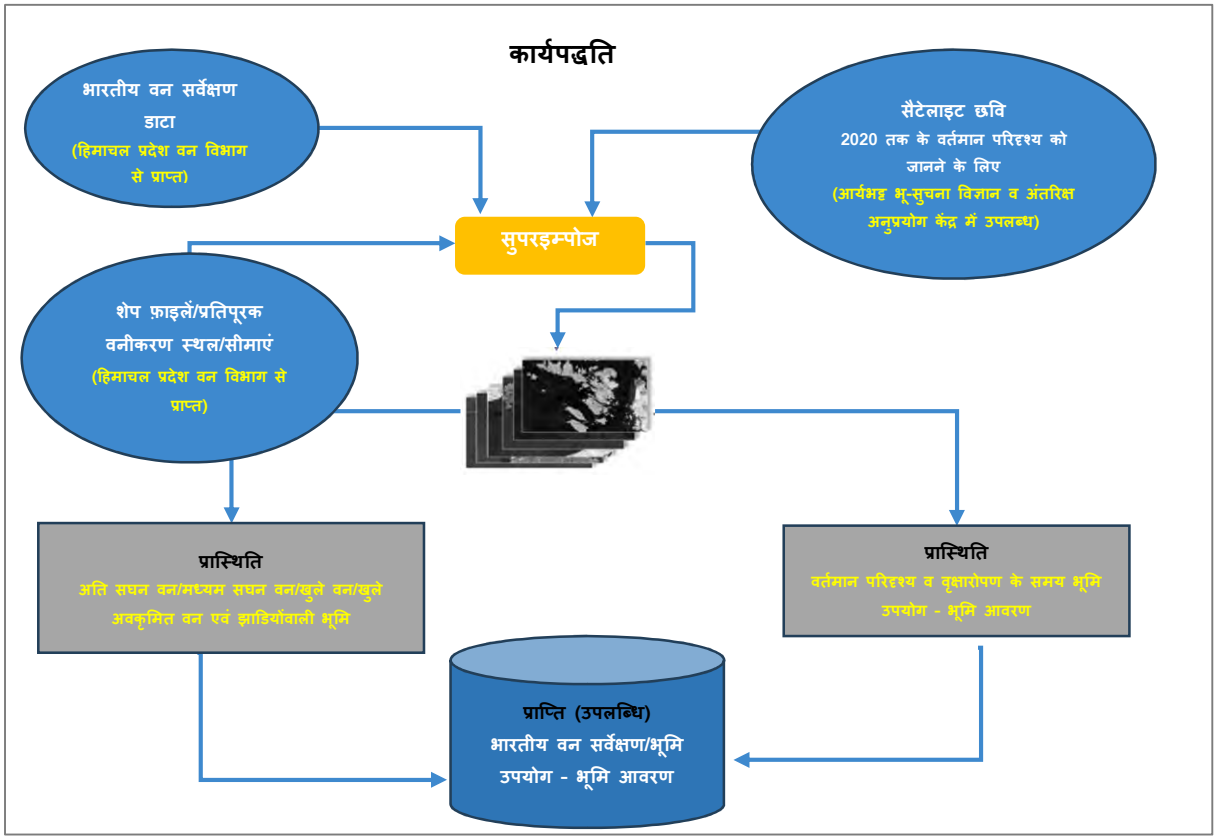

स्रोत: आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र

---

7 छायादार हिस्से में पड़ने वाले बहुभुजों के कारण उपग्रह से अस्पष्ट छवियां, क्षेत्र पर बादल छाए रहना आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए।

8 शेप फ़ाइल (SHZ/KMZ/KML फ़ॉर्मेट में) स्थलों के भौगोलिक स्थान की स्थिति व विशेषता जानकारी संग्रहीत करने के लिए एक सरल, गैर-टोपोलॉजिकल प्रारूप है। शेप फ़ाइल में भौगोलिक विशेषताओं को बिंदुओं, रेखाओं या बहुभुजों (क्षेत्रों) द्वारा दर्शाया जा सकता है।

9 छवि व्याख्या - छवियों की जांच करने एवं उनके स्थान व सीमा पर विचार करके उनके महत्व को पहचानने एवं आंकने की प्रक्रिया।

6.2.2 भू-स्थानिक अध्ययन के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.2.1 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के सापेक्ष ई-ग्रीन वॉच पर बहुभुजों को अपलोड करने की प्रास्थिति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को कार्यों की कुशल निगरानी हेतु वृक्षारोपण के सभी डाटा को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए[10] (जनवरी 2021)। वर्ष 2010-11 से 2020-21 की अवधि के दौरान किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की स्थिति एवं नमूना-जांचित नौ मण्डलों के जिन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों हेतु बहुभुज अपलोड किए गए थे, उनकी स्थिति **तालिका 6.2** दी गई है।

तालिका 6.2: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं बहुभुजों की प्रास्थिति

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्थलों की संख्या	क्षेत्र	प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की संख्या जहां बहुभुज अपलोड किए गए	क्षेत्र
1	कुनिहार	77	798	29 (38)	300 (38)
2	भरमौर	54	570	49 (91)	508 (89)
3	चंबा	49	566	30 (61)	352 (62)
4	धर्मशाला	8	157	7 (88)	156 (99)
5	कुल्लू	36	569	9 (25)	30 (5)
6	सराज	29	284	12 (41)	87 (31)
7	किन्नौर	174	705	0	0
8	चौपाल	39	359	2 (5)	20 (6)
9	नाचन	8	246	1 (13)	15 (6)
योग		**474**	**4,254**	**139 (29)**	**1,468 (35)**

स्रोत: ई-ग्रीन वॉच व मण्डलीय अभिलेख; कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 6.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2020-21 की अवधि के दौरान 4,254 हेक्टेयर क्षेत्र में 474 स्थलों पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया, जिसके सापेक्ष 1,468 (35 प्रतिशत) क्षेत्रफल वाले केवल 139 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (29 प्रतिशत) के बहुभुज ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड किए गए। किन्नौर मण्डल ने कोई बहुभुज अपलोड नहीं किए एवं चौपाल मण्डल द्वारा अपलोड किए गए दो[11] बहुभुज गलत पाए गए।

इस प्रकार विभाग बड़ी मात्रा में प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के बहुभुज (71 प्रतिशत) ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण कार्य की प्रभावी निगरानी में कमी आई।

---

10 अधिसूचना संख्या एफसी-11/79/2020 - एफसी दिनांक 11 जनवरी 2021 के माध्यम से।

11 एक बहुभुज उत्तर प्रदेश में स्थित था व एक बहुभुज का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर था जिसके प्रति किया गया प्रतिपूरक वनीकरण 10 हेक्टेयर था।

31 मार्च 2013 (हिमाचल प्रदेश सरकार) को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा हेतु अगस्त 2019 में आयोजित लोक लेखा समिति की कार्यवाही के दौरान विभाग ने बताया कि समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन हेतु ई-ग्रीन वॉच पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। हालांकि यह देखा गया कि विभाग 71 प्रतिशत बहुभुज ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहा।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू व नाचन ने बताया कि बचे हुए/शेष बहुभुज शीघ्र ही ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.2 खुले अवक्रमित वन के बाहर अनियमित/व्यर्थ प्रतिपूरक वनीकरण करना

वन संरक्षण अधिनियम के दिशानिर्देशों की पुस्तिका के परिच्छेद 2.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजनार्थ चयनित किसी भी अवक्रमित वन भूमि को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब क्षेत्र का छत्र घनत्व 40 प्रतिशत (खुले अवक्रमित वन) से कम हो। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्य की कुशल निगरानी हेतु राज्यों को वृक्षारोपण का सम्पूर्ण डाटा ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

सात मण्डलों में 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों/बहुभुजों पर भू-स्थानिक अध्ययन एवं दृश्य व्याख्या के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों के अनुसार हैं।

तालिका 6.3 वनों के विभिन्न वर्गों में प्रतिपूरक वनीकरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

मण्डल का नाम	स्थलों की संख्या	कुल क्षेत्र	अति सघन वन के अंतर्गत क्षेत्र	मध्यम सघन वन के अंतर्गत क्षेत्र	वनेत्तर भूमि के अंतर्गत क्षेत्र	खुले अवक्रमित वन के अंतर्गत क्षेत्र
भरमौर	4	42.89	2.84	1.36	24.69	14.00
चंबा	4	63.03	20.98	6.23	35.38	0.44
कुल्लू	3	18.32	0	6.88	9.16	2.28
कुनिहार	4	70.29	10.29	40.92	9.5	9.58
सेराज	4	25.42	9.46	5.01	6.13	4.82
धर्मशाला	2	53.24	17.11	15.35	19.64	1.14
नाचन	1	16.56	0.09	0.58	0.13	15.76
योग	**22**	**289.75**	**60.77**	**76.33**	**104.63**	**48.02**
प्रतिशत		**100**	**21**	**26**	**36**	**17**

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

22[12] प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (290 हेक्टेयर) के विश्लेषण से उजागर हुआ कि खुले अवक्रमित वन के केवल 48 हेक्टेयर (17 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया एवं शेष 242 हेक्टेयर (83 प्रतिशत) में वृक्षारोपण अति सघन वन (21 प्रतिशत), मध्यम सघन वन (26 प्रतिशत) एवं वनेत्तर भूमि (36 प्रतिशत) में किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 6.1** में विवर्णित है। 124 हेक्टेयर क्षेत्र (43 प्रतिशत) वाले नौ प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों[13] (41 प्रतिशत) में 100 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन (एक मामला नीचे **छवि 1** में दर्शाया गया है) के बाहर किया गया। इन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण विकसित करने एवं वृक्षारोपण के रखरखाव हेतु विभाग ने ₹ 2.64 करोड़[14] का व्यय किया। उपरोक्त में से ₹ 1.22 करोड़ (46 प्रतिशत) अति सघन वन/मध्यम सघन वन में प्रतिपूरक वनीकरण करने पर खर्च किए गए व ₹ 0.95 करोड़ (36 प्रतिशत) वनेत्तर भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण करने पर खर्च किए गए। इस प्रकार ₹ 2.16 करोड़ (82 प्रतिशत) लागत की निधियां खुले अवक्रमित वन के बाहर किए गए वृक्षारोपण पर खर्च की गई। 242 हेक्टेयर क्षेत्र में खुले अवक्रमित वन भूमि के बाहर प्रतिपूरक वनीकरण का निष्पादन वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। यह अति सघन वन/मध्यम सघन वन (जहां वन घनत्व पहले से ही 40 प्रतिशत से अधिक है) में प्रतिपूरक वनीकरण करने में ₹ 1.22 करोड़ के अनियमित/व्यर्थ व्यय के रूप में परिणत हुआ, साथ ही यह इन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने पर भी संदेह उत्पन्न करता है (क्योंकि वहां सघन वन पहले से ही मौजूद थे)।

---

12 कुल 22 साइटों में से चार प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (कुल्लू मण्डल - तीन; बंजार मण्डल - एक) में वृक्षारोपण 2019 के बाद किया गया था व इन मामलों में भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों पर बहुभुज लगाए गए थे। शेष 18 मामलों में बहुभुजों को भारतीय वन सर्वेक्षण 2009 के आंकड़ों पर अध्यारोपित किया गया था।

13 छः मण्डलों में चुहार, मंगलुन, जगत, कटवाड, छरुगढ़, बंधल, सीएफएसशाहपुर, बारागढ़ III, चडयार

14 22 स्थलों हेतु व्यय की गणना वृक्षारोपण व रखरखाव के वर्ष के दौरान प्रचलित मानदंडों के अनुसार की गई।

छवि संख्या 1

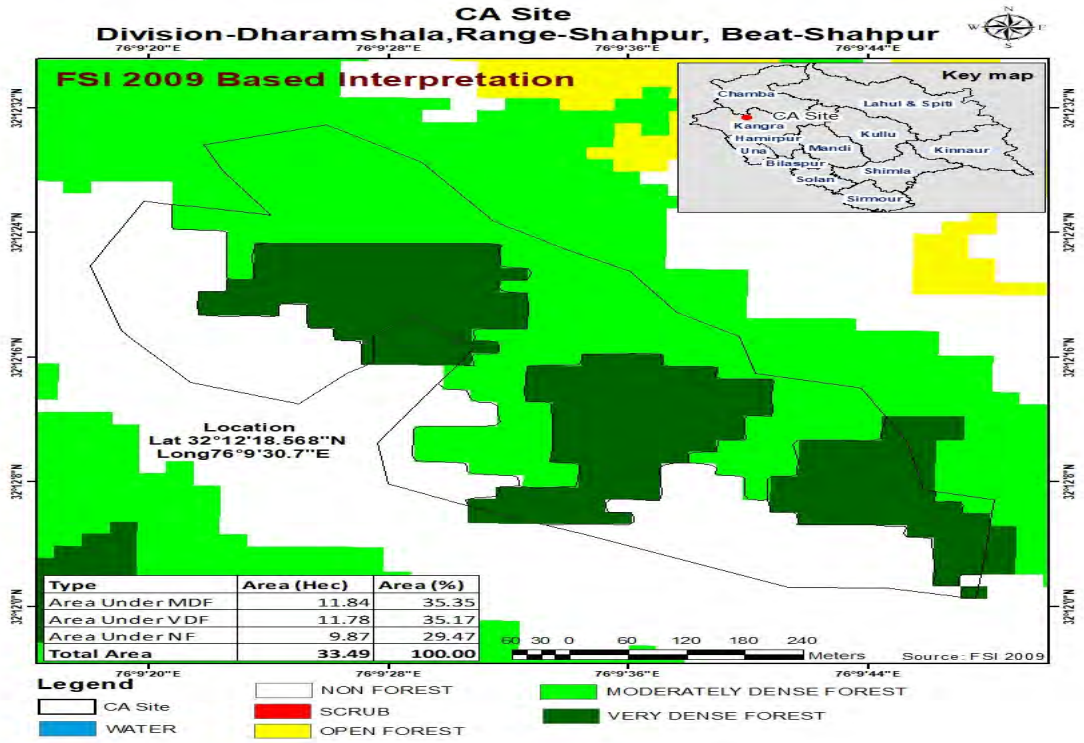

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण-2009 का आकलन

छवि संख्या 2

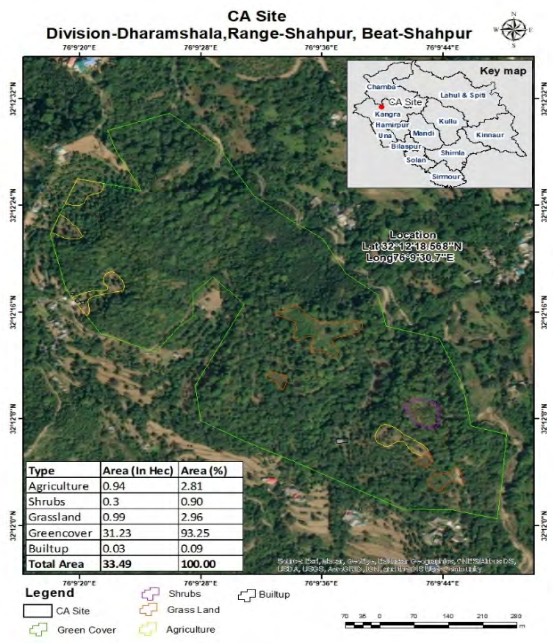

छवि संख्या 3

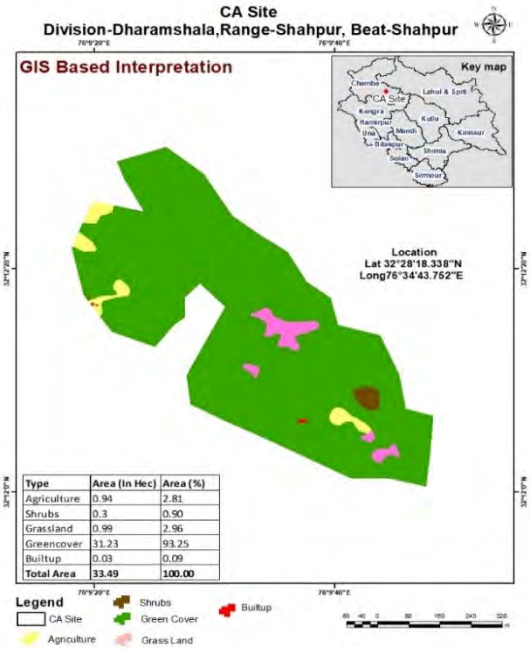

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

मण्डल धर्मशाला, रेंज-शाहपुर, बीट-शाहपुर के प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भारतीय वन सर्वेक्षण, 2009 की **छवि 1** पुष्टि करती है कि 70.52 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण स्थल अति सघन वन/

मध्यम सघन वन के अंतर्गत आते है। उपरोक्त स्थल की सैटेलाइट **छवि 2** वर्ष 2020 में 93.25 प्रतिशत हरित आवरण दर्शाती है।

यह भी देखा गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर मण्डलों द्वारा अपलोड किए गए सभी 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थल बहुभुजों में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भूमि का प्रकार अधिसूचित अवक्रमित वन के रूप में बताया गया। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि ई-ग्रीन वॉच पर गलत/भ्रामक जानकारी अपलोड की जा रही थी क्योंकि 83 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर किया गया था तथा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के कार्यान्वयन की प्रामाणिकता को सत्यापित/मान्य करने के लिए विभाग एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विभाग के जीआईएस अनुभाग के पास विभिन्न प्रकार के वनावरण के विस्तार के संबंध में वर्ष 2019 तक के भारतीय वन सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध थे। हालांकि विभाग राज्य के खुले अवक्रमित वन क्षेत्रों में भूमि बैंकों/उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चिह्नित करने हेतु इस आंकड़े का उपयोग करने में विफल रहा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 83 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर किया गया।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने सैटेलाइट छवियों का अध्ययन करते समय संभवतः घने लैंटाना वाले वन क्षेत्रों को अति सघन वन/मध्यम सघन वन के रूप में मान लिया होगा। यह भी बताया गया कि कई दृष्टान्तों में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई केएमएल फाइलें, वृक्षारोपण के वास्तविक अवस्थल/स्थल से मेल नहीं खातीं। यह उत्तर काल्पनिक प्रकृति का था क्योंकि भारतीय वन सर्वेक्षण सम्पूर्ण देश के लिए द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो वन क्षेत्र के नियमित राष्ट्रव्यापी मानचित्रण पर आधारित है एवं रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके दीवार से दीवार तक मानचित्रण अभ्यास के बाद व्यापक ग्राउंड ट्रॉथिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंडलों से केएमएल फाइलें मंगाई गईं जिनकी प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु ई-ग्रीन वॉच के साथ प्रति-सत्यापन किया गया।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.3 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन एवं प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की अवस्थिति में परिवर्तन

प्रतिपूरक वनीकरण प्रतिपूरक वनीकरण स्थल पर किया जाना था, जो बनाई गई, अनुमोदित एवं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत व्यापक प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार निर्दिष्ट था। भू-स्थानिक विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22 प्रतिपूरक

वनीकरण स्थलों में से 184 हेक्टेयर (63 प्रतिशत) क्षेत्रफल वाले 15 (68 प्रतिशत) स्थलों की अवस्थिति अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना स्थलों से भिन्न थी।

छवि संख्या 4

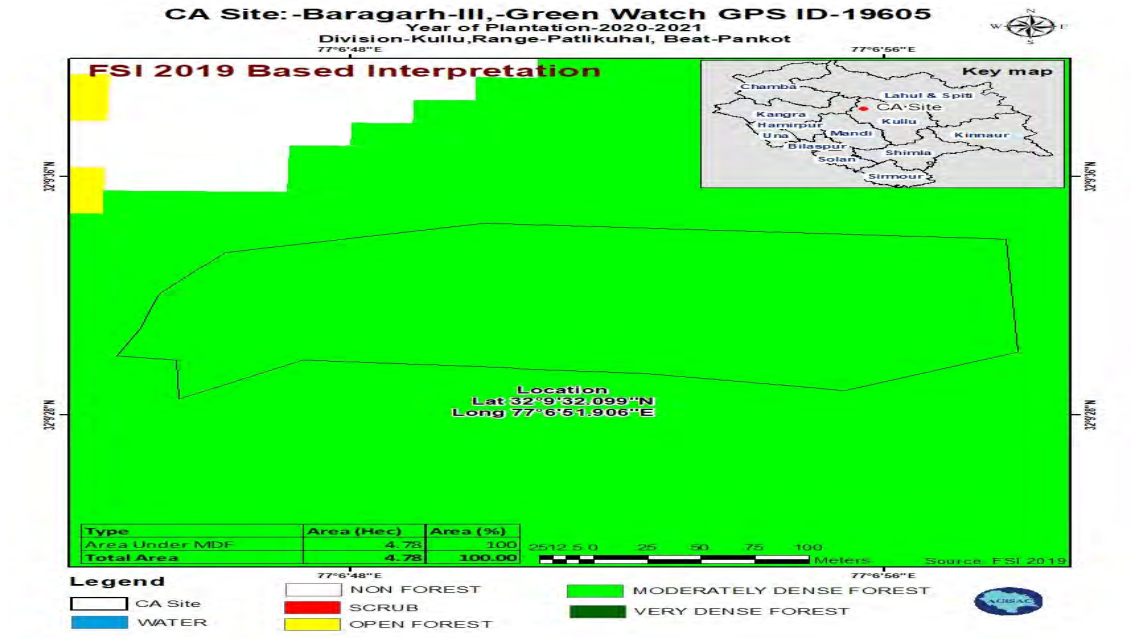

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 5

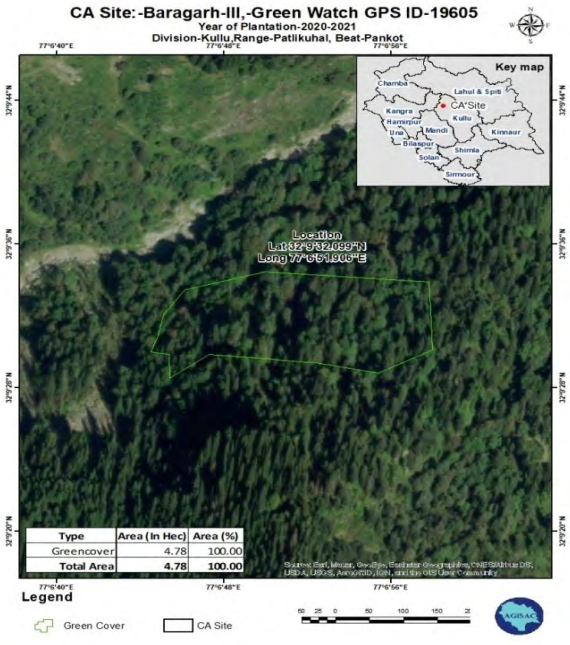

छवि संख्या 6

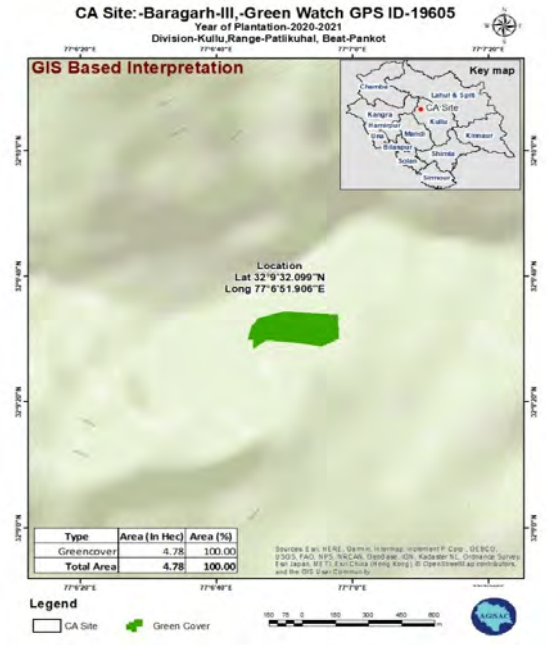

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2021, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजनानुसार प्रतिपूरक वनीकरण साइट: बारागढ़-II; बारागढ़-III में किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (छवि 5)

मण्डल कुल्लू, रेंज-पतलीकूहल, बीट-पंकोट के प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भारतीय वन सर्वेक्षण 2009, **छवि 4** पुष्टि करती है कि प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का 100 प्रतिशत हिस्सा अति सघन वन के अंतर्गत आता है। उपरोक्त स्थल की सैटेलाइट **छवि 5** भी वर्ष 2020 में 100 प्रतिशत हरित आवरण दर्शाती है।

यह भी देखा गया कि उपरोक्त 15 स्थलों में 147 हेक्टेयर क्षेत्र (80 प्रतिशत) में किया गया प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर किया गया था। इसी मुद्दे पर **परिच्छेद 3.8** में भी टिप्पणी की गई एवं भू-स्थानिक अध्ययनों से इसकी पुष्टि होती है।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि शेष सात मामलों (32 प्रतिशत) में, जहां विस्तृत प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार 106 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया, वहां 95 हेक्टेयर क्षेत्र (90 प्रतिशत) में खुले अवक्रमित वन के बाहर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया।

छवि संख्या 7

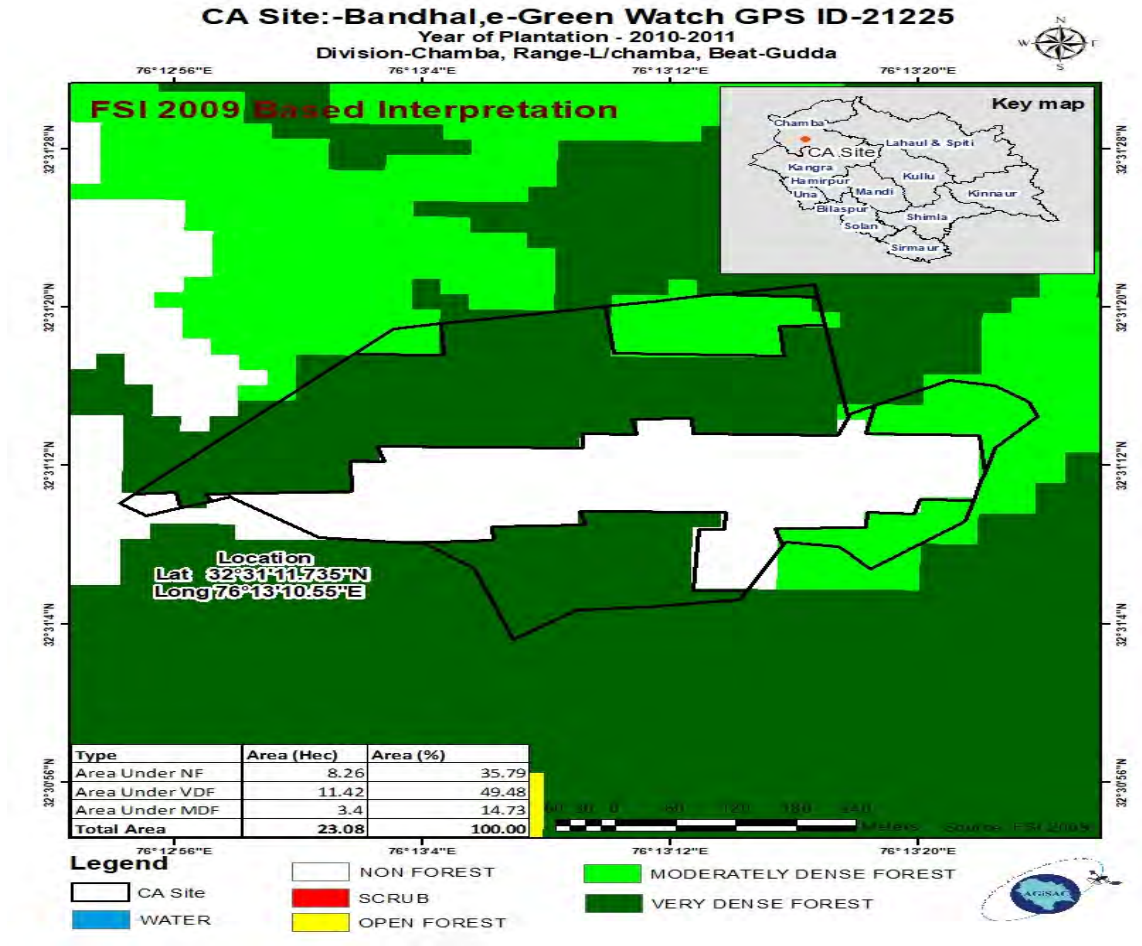

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 8

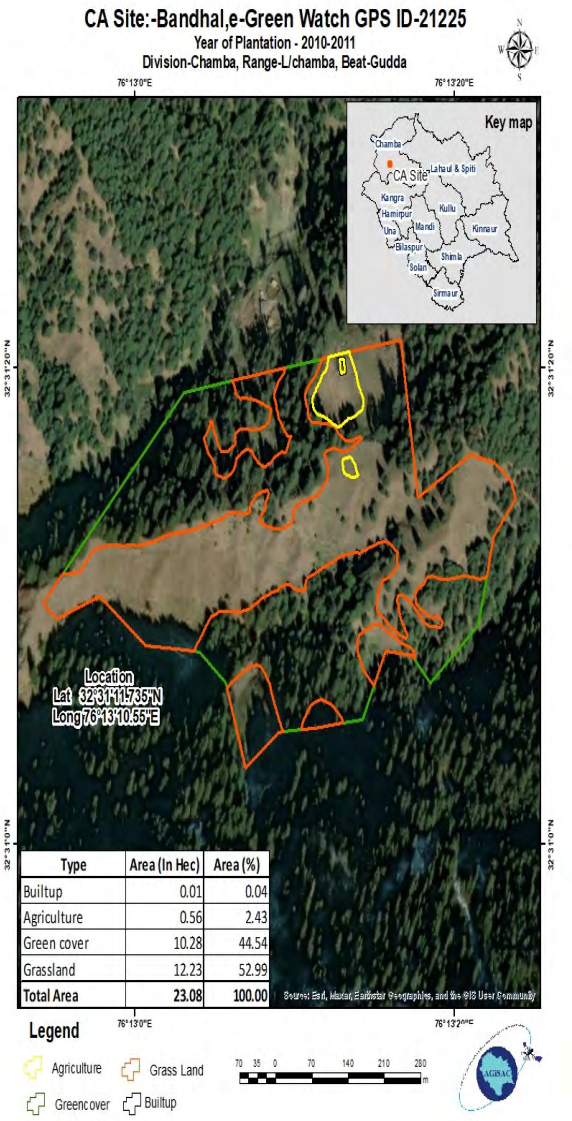

छवि संख्या 9

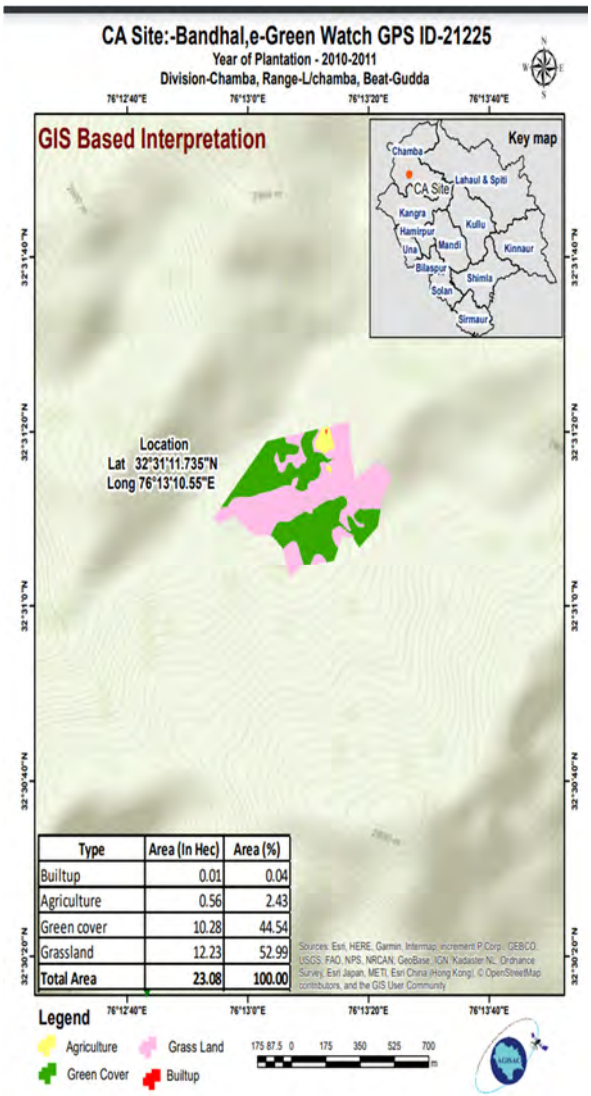

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

मंडल चंबा, रेंज-एल/चंबा, बीट-गुड्डा के प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भारतीय वन सर्वेक्षण 2009, **छवि 7** पुष्टि करती है कि 64.21 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण स्थल अति सघन वन/मध्यम सघन वन के अंतर्गत आती है। उपरोक्त स्थल की सैटेलाइट **छवि 8** में वर्ष 2020 में 44.54 प्रतिशत हरित आवरण व 52.99 प्रतिशत घास के मैदान दिखाई देते हैं।

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विस्तृत प्रतिपूरक वनीकरण योजना का निरूपण मात्र औपचारिकता प्रतीत होता है एवं वैज्ञानिक डाटा के आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के चयनार्थ कोई तंत्र मौजूद नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पहले तो भले ही प्रतिपूरक वनीकरण स्थल परिवर्तित किए गए या नहीं, प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर

किया जा रहा था और दूसरा यह कि अनुमोदन लेते समय जिस प्रतिपूरक वनीकरण स्थल को योजना में शामिल किया गया, योजना के कार्यान्वयन के समय उसका यथार्थ में पालन नहीं किया गया। यह परिलक्षित करता है कि प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के चयन/परिवर्तन (और यह तथ्य कि इसे खुले अवक्रमित वन के बाहर किया जा रहा है) की निगरानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर नहीं की जा रही थी।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.4 बहुभुजों के क्षेत्र में अंतर

मण्डलों द्वारा उपलब्ध कराए गए/ई-ग्रीन वॉच पोर्टल से डाउनलोड किए गए बहुभुजों के क्षेत्र की तुलना भू-स्थानिक अध्ययन के माध्यम से मापे गए क्षेत्र से की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डलीय अभिलेखों के अनुसार चंबा मंडल की दो प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल भू-स्थानिक अध्ययन के माध्यम से मापे गए क्षेत्रफल से काफी अधिक था, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

तालिका 6.4 मण्डलीय अभिलेखों व भू-स्थानिक अध्ययन के अनुसार बहुभुजों के क्षेत्रों में अंतर

प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डलीय अभिलेखों के अनुसार क्षेत्र (वार्षिक संचालन योजना) (हेक्टेयर में)	भू-स्थानिक अध्ययन के अनुसार क्षेत्र (हेक्टेयर में)	क्षेत्र में अंतर (हेक्टेयर में)	मण्डलीय अभिलेख के अनुसार क्षेत्र में वृक्षारोपण पर व्यय (वार्षिक संचालन योजना) (₹ लाख में)	भू-स्थानिक अध्ययन में मापे गए क्षेत्र के अनुसार वृक्षारोपण पर व्यय (₹ लाख में)	व्यय आधिक्य (₹ लाख में)
कलवारा	2013-14	15	11.27	3.73 (25)	13.73	10.32	3.41 (25)
कटवाड	2011-12	42	18.70	23.30 (55)	29.25	13.02	16.23 (55)
योग		**57**	**29.97**		**42.98**	**23.34**	**19.64 (46)**

स्रोत: मण्डलीय अभिलेख व प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण; कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

छवि संख्या 10

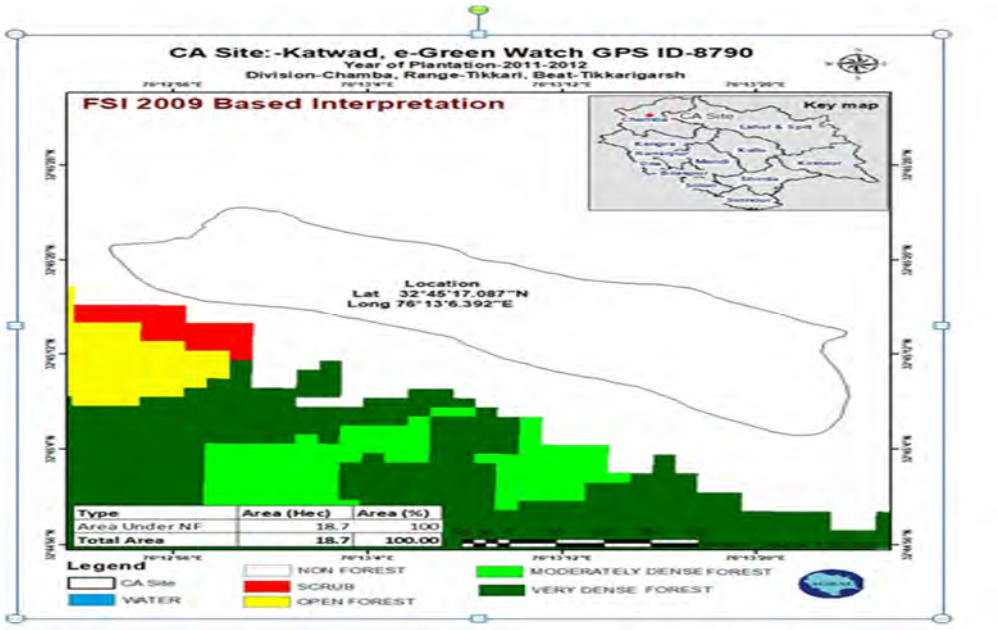

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 11

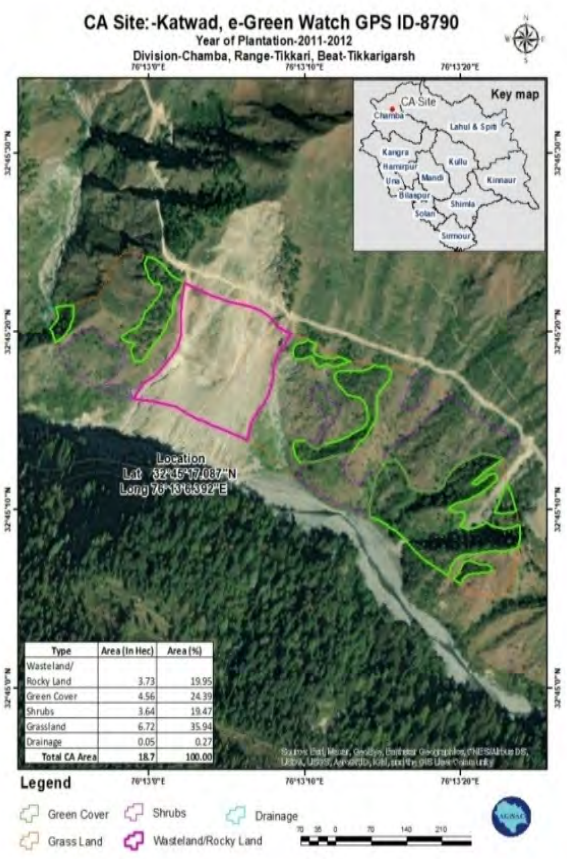

छवि संख्या 12

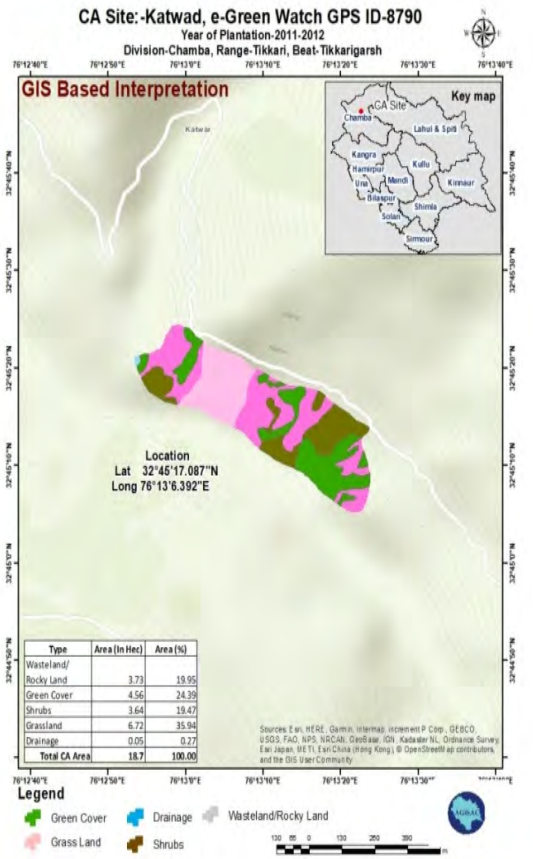

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवियां 11 एवं **12** पुष्टि करती हैं कि कटवाड, चंबा मण्डल, रेंज टिक्करी, बीट टिक्करीगर्श में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल 18.70 हेक्टेयर था, जबकि मण्डलीय अभिलेख में यह 42 हेक्टेयर था।

उपरोक्त से स्पष्ट है, भू-स्थानिक अध्ययन के माध्यम से मापित दो प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का क्षेत्रफल वृक्षारोपित दर्शाए गए क्षेत्र से 25 प्रतिशत व 55 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि उपरोक्त दोनों प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में प्रतिपूरक वनीकरण करने पर किया गया व्यय मण्डलीय अभिलेख में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार था। यह इन स्थलों पर 25 प्रतिशत व 55 प्रतिशत के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ, साथ ही इन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर वास्तव में वनीकरण के कार्यान्वयन पर संदेह उत्पन्न हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.5 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में संभावित अतिक्रमण के मामले

भूमि उपयोग-भूमि आवरण वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों को 2021 के सैटेलाइट डाटा पर अध्यारोपित (सुपरइंपोज़्ड) किया गया। दृश्य व्याख्या के परिणाम **तालिका 6.5** में दिए गए हैं।

तालिका 6.5 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में अतिक्रमण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

मण्डल का नाम	स्थलों की संख्या	कुल क्षेत्र	निर्माणान्तर्गत क्षेत्र		कृषि के अंतर्गत क्षेत्र	
			स्थलों की संख्या	क्षेत्र	स्थलों की संख्या	क्षेत्र
भरमौर	4	42.89	2	0.06	3	7.28
चंबा	4	63.03	2	0.02	3	1.85
कुल्लू	3	18.32	0	0.00	1	1.29
कुनिहार	4	70.29	1	0.01	2	0.93
सराज	4	25.42	0	0.00	1	1.30
धर्मशाला	2	53.24	1	0.03	1	0.94
नाचन	1	16.56	0	0.00	0	0.00
योग	**22**	**289.75**	**6**	**0.12**	**11**	**13.59**
प्रतिशत		**100**	**0.03**		**5**	

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

छवि संख्या 13

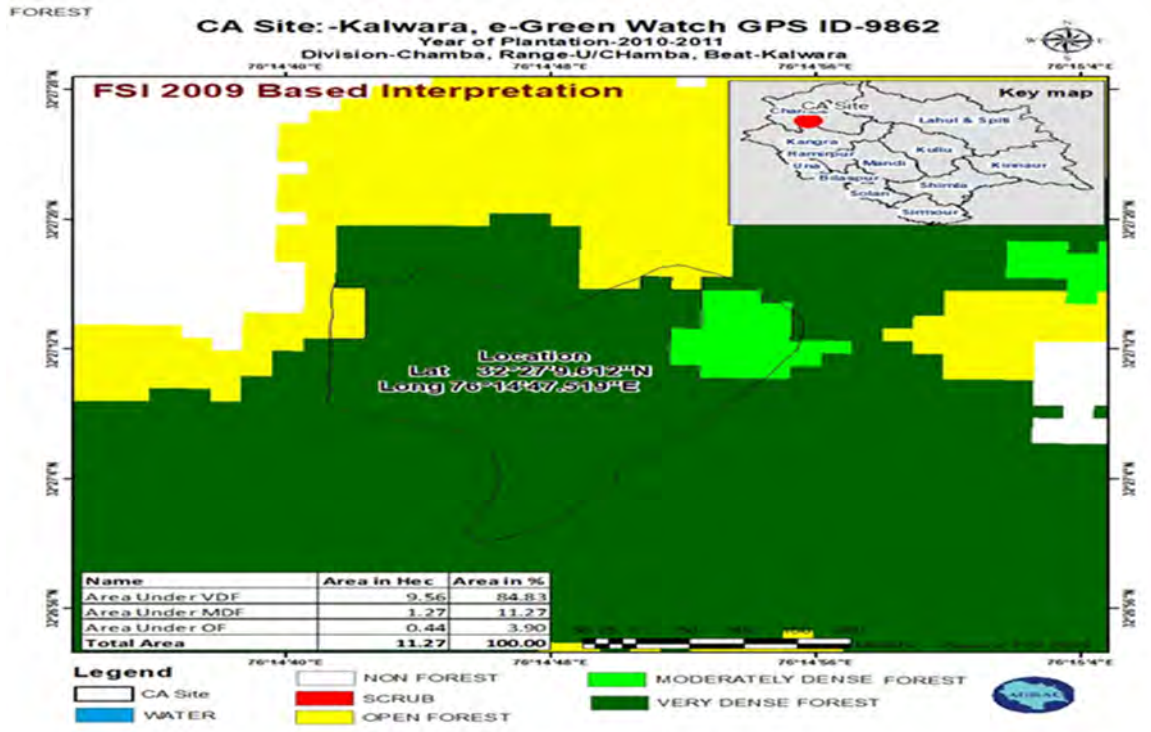

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 14

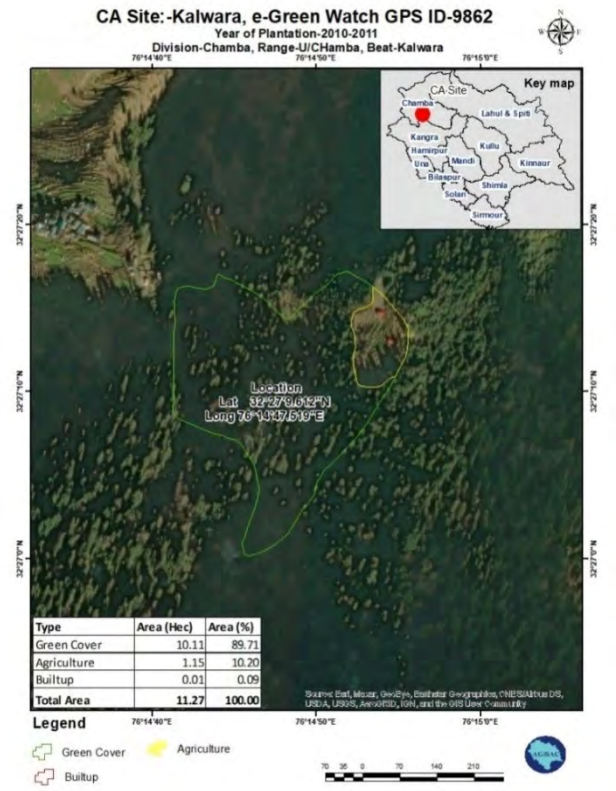

छवि संख्या 15

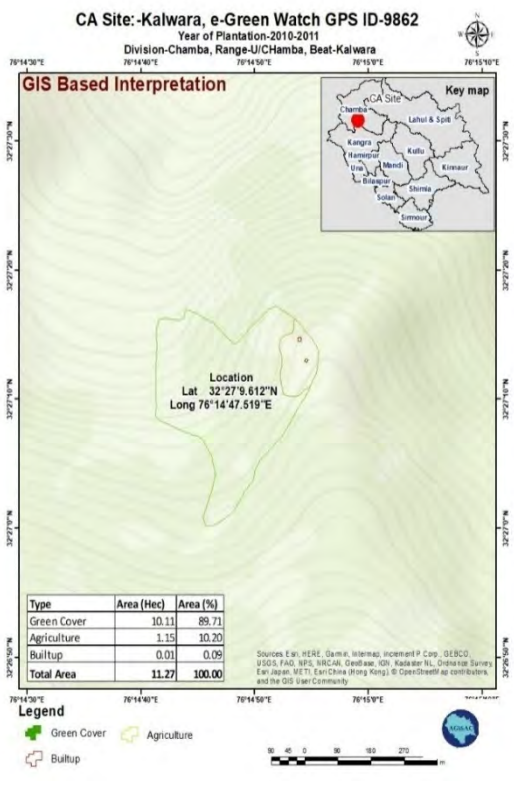

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि संख्या 16

गूगल अर्थ इमेज-2021:-उपरोक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल में अतिक्रमण का नजदीक से दृश्य

मण्डल चंबा, रेंज यू/चंबा, बीट कलवाड़ा में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की सैटेलाइट छवि (**छवि 14**) प्रतिपूरक वनीकरण स्थल के 10.29 प्रतिशत (प्रतिपूरक वनीकरण स्थल के 10.20 प्रतिशत में कृषि व 0.09 प्रतिशत में निर्मित क्षेत्र) में अतिक्रमण दर्शाती है। उपरोक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का निकटवर्ती दृश्य (क्लोज़-अप) उक्त तथ्य की पुष्टि करता है, जैसाकि **छवि 16** में दर्शाया गया है।

भू-स्थानिक अध्ययन के दौरान छ: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में निर्माण-कार्य (निर्मित क्षेत्र) देखा गया व 11 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में कृषि होना देखा गया, जैसाकि **परिशिष्ट 6.2** में विवर्णित है। यह परिचायक है कि प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु बाड़ (फेंसिंग) का अभाव है, साथ ही यह अतिक्रमण का पता लगाने व रोकने में क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण करने में विफलता को भी इंगित करता है।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जाएगी। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.3 सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

वन विभाग के जीआईएस अनुभाग[15] द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के नमूना-जांचित आठ[16] मण्डलों में 19,033 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 183 आरक्षित वन फैले हैं व 2,31,745 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3,067 सीमांकित संरक्षित वन[17] फैले हुए हैं।

आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा पांच मण्डलों में 10[18] आरक्षित वनों(एक)/सीमांकित संरक्षित वनों (नौ) में किए गए भू-स्थानिक अध्ययन की दृश्य व्याख्या के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

तालिका 6.6 सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में अतिक्रमण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

मण्डल का नाम	सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों की संख्या	कुल क्षेत्र	निर्माणान्तर्गत क्षेत्र	कृषि के अंतर्गत क्षेत्र
चौपाल	4	180.43	0.06	8.14
भरमौर	2	125.54	0.02	1.97
नाचन	2	69.21	0	4.85
कुल्लू	1	38.94	0.05	2.19
कुनिहार	1	23.79	0	0.32
योग	**10**	**437.91**	**0.13**	**17.47**
प्रतिशत		**100**	**0.03**	**4**

स्रोत: सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों का भू-स्थानिक विश्लेषण

भू-स्थानिक अध्ययन के दौरान सात[19] आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में निर्माण-कार्य (निर्मित क्षेत्र) देखा गया एवं सभी 10 आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में कृषि होना देखा गया, जैसाकि **परिशिष्ट 6.3** में विवर्णित है। यह परिचायक है कि आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों की अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु बाउंड्री पिलर्स का अभाव है, साथ ही यह अतिक्रमण का पता लगाने व रोकने में क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण करने में विफलता को भी इंगित करता है।

---

15 वन विभाग का जीआईएस अनुभाग 1:15,000 स्केल की सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट पर वन क्षेत्र की सीमा का भू-संदर्भ व डिजिटलीकरण कर रहा है। अब तक 35 मण्डलों की वन सीमा का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। हालांकि इस डिजिटलीकृत वन क्षेत्र का जमीनी सत्यापन अभी शुरू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चूंकि राज्य का डिजिटलीकृत राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है।

16 किन्नौर को छोड़कर।

17 इसमें आरक्षित वन भी शामिल हैं।

18 आरक्षित वन - एक व सीमांकित संरक्षित वन - नौ।

19 भरमौर - दो; चौपाल - चार व कुल्लू - एक

छवि संख्या 17 (आरक्षित वन)

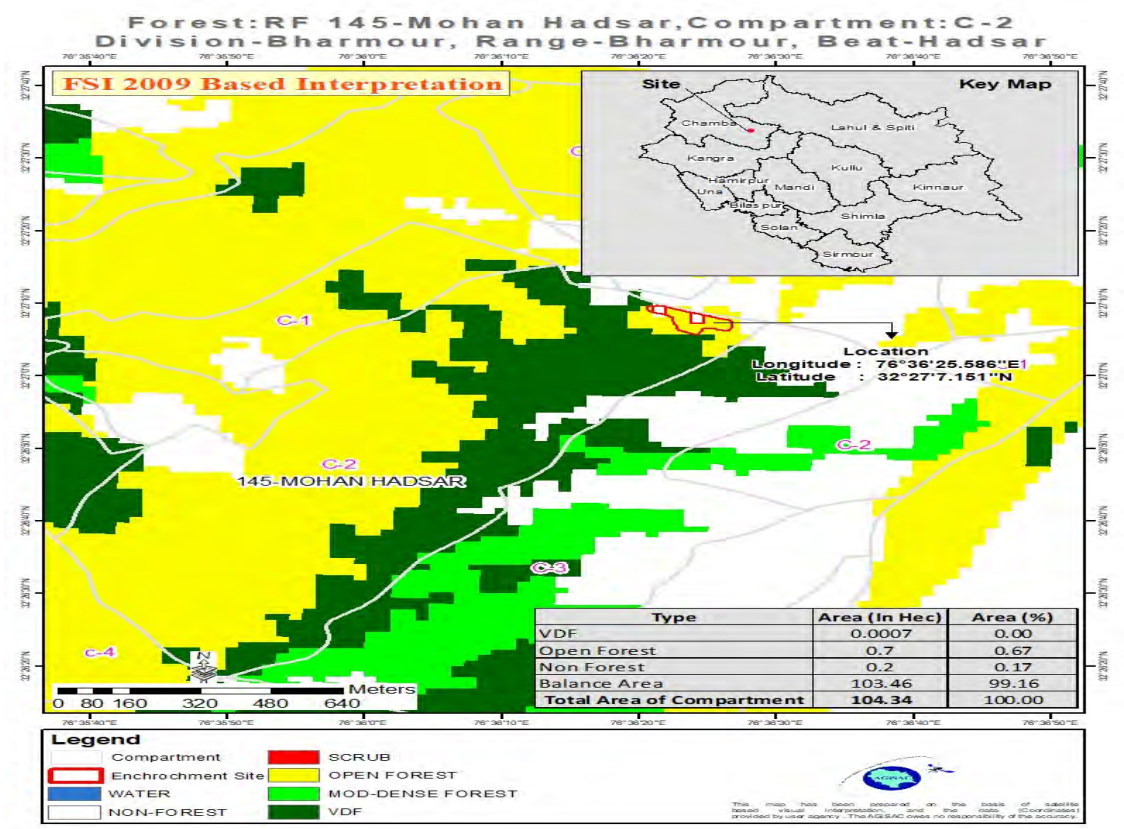

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण, वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 18

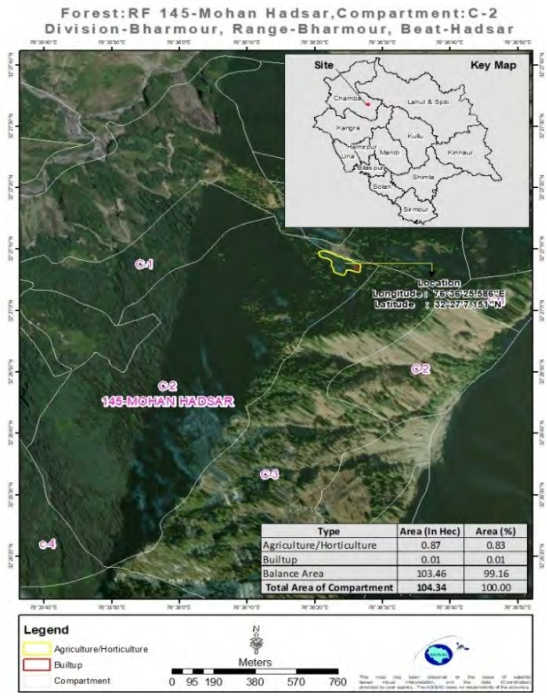

छवि संख्या 19

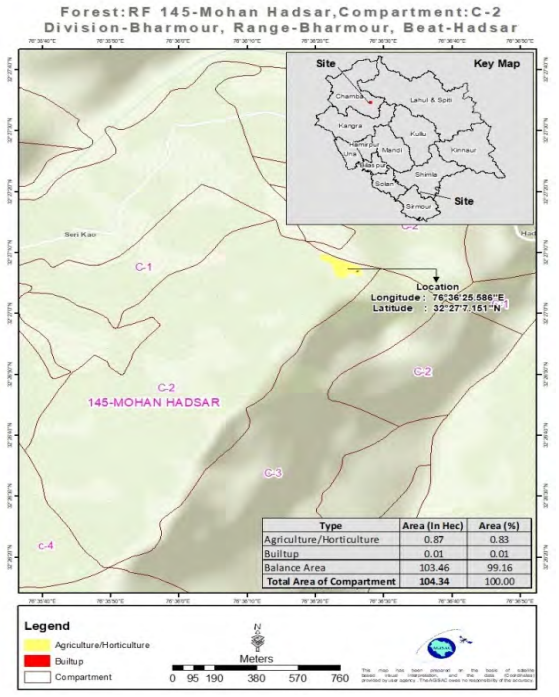

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि संख्या 20

Forest:RF145-MohanHadsar,Compartment:C-2

Division-Bharmour,Range-Bharmour,Beat-Hadsar

Source: Google Earth Image 2022

Description of zoomed Image: Building and Agriculture/Horticulture activities are noticed in the compartment: C-2 Mohanhadsar

मण्डल भरमौर, रेंज भरमौर, बीट हड़सर में आरक्षित वन 145 के खंड सी-2 मोहनहदसर की सैटेलाइट **छवि 18** उपरोक्त खंड के 0.84 प्रतिशत (आरक्षित वन के 0.83 प्रतिशत में कृषि व 0.01 प्रतिशत में निर्मित क्षेत्र) में अतिक्रमण दर्शाती है। खंड का निकटवर्ती दृश्य (क्लोज़-अप) उक्त तथ्य की पुष्टि करता है, जैसाकि **छवि 20** में दर्शाया गया है।

छवि संख्या 21 (सीमांकित संरक्षित वन)

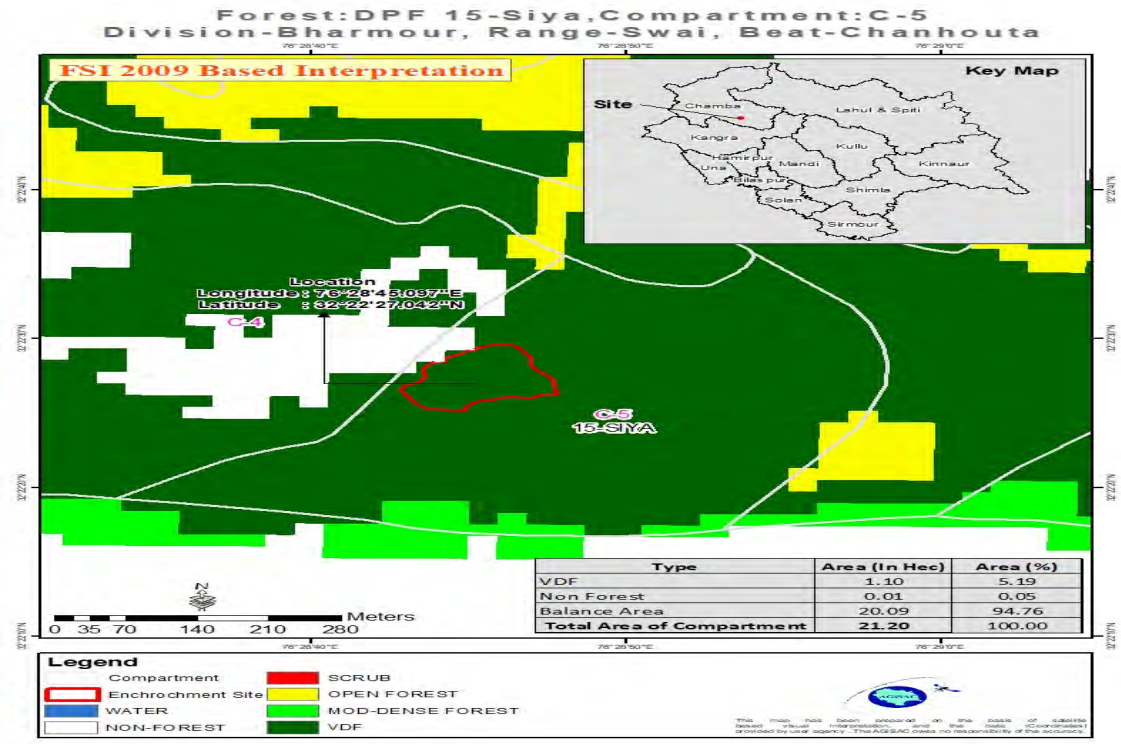

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण, वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 22

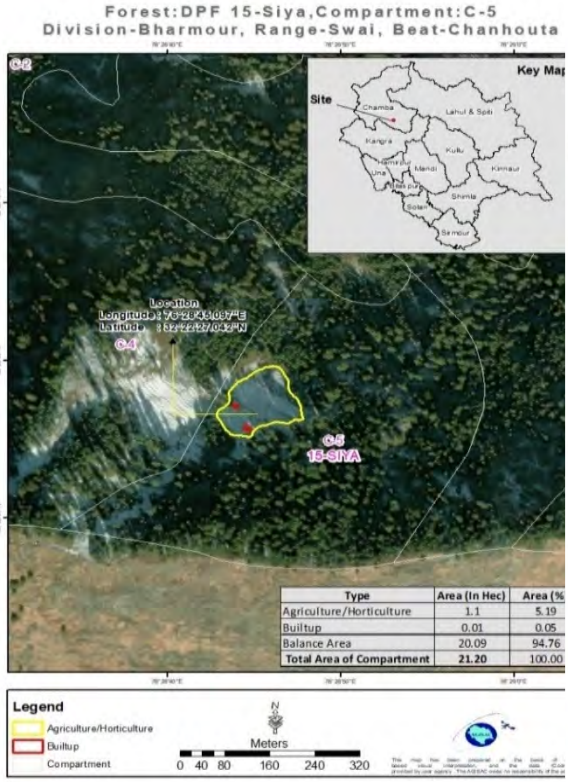

छवि संख्या 23

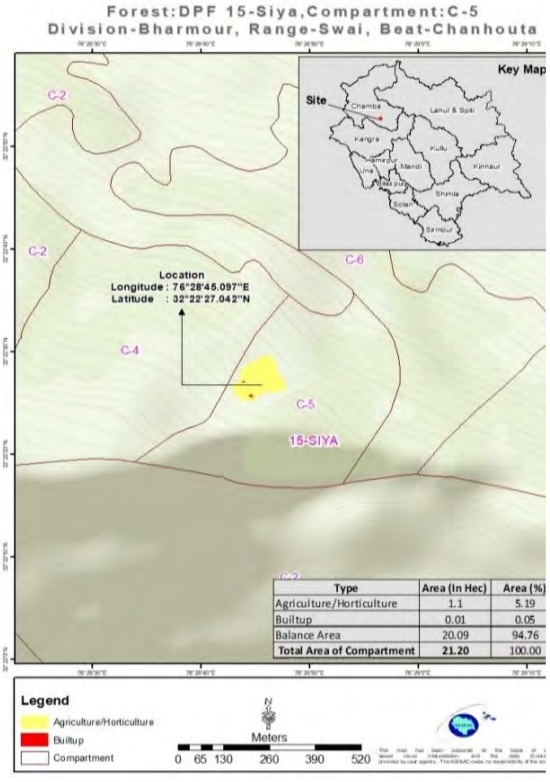

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि संख्या 24

Forest:DPF15-Siya,Compartment:C-5

Division-Bharmour,Range-Swai,Beat-Chanhouta

Source: Google Earth Image 2022
Description of zoomed Image: Buildings and Agriculture/Horticulture activities are noticed in the compartment: C-5 DPF 15 Siya

मण्डल भरमौर, रेंज स्वाई, बीट चन्हौटा में सीमांकित संरक्षित वन, सिया में खंड सी-5 की सैटेलाइट **छवि 22** उक्त खंड के 5.24 प्रतिशत में अतिक्रमण (आरक्षित वन के 5.19 प्रतिशत में कृषि व 0.05 प्रतिशत में निर्मित क्षेत्र) दर्शाती है। खंड का क्लोज़-अप दृश्य उक्त तथ्य की पुष्टि करता है, जैसाकि **छवि 24** में दर्शाया गया है।

वन मंडलाधिकारी, नाचन ने बताया कि क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाएगा तथा तदानुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.4 निष्कर्ष

प्रतिपूरक वनीकरण भूमि एवं वृक्षों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की नमूना-जांच करने पर पाया गया कि विभाग खुले

अवक्रमित वनों में प्रतिपूरक वनीकरण करने में विफल रहा और यहां तक की 47 प्रतिशत कार्य सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में किया गया, जो सार्वजनिक धन की बर्बादी थी और प्रतिपूरक वनरोपण के उद्देश्य को विफल करने के अलावा वास्तविक प्रतिपूरक वनरोपण पर संदेह पैदा करता था। यह भी देखा गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के संबंध में गलत/अशुद्ध जानकारी अपलोड की जा रही थी। इसके अतिरिक्त ई-ग्रीन वॉच पोर्टल के अनुसार एवं भू-स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से मापी गई प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के क्षेत्रों में अंतर के दृष्टांत देखे गए। संक्षेप में, विभाग में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण योजना का अक्षरश: कार्यान्वयन करने में आंतरिक नियंत्रण का पूर्ण अभाव था, जो प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण करने के प्रयासों की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में अतिक्रमण की भी आशंका है जिसे विभाग द्वारा जमीनी सत्यापन करके सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

6.5 सिफारिशें

विभाग विचार करे:

- *वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रतिपूरक वनीकरण करना सुनिश्चित करने के लिए खुले अवक्रमित वन के अधीन आने वाली प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों को चिह्नित करने हेतु जीआईएस अनुभाग के पास उपलब्ध डाटा का उपयोग करने पर।*
- *आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सदृढ़ीकरण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि*
    - *प्रतिपूरक वनीकरण योजना निरुपित करते समय वैज्ञानिक डाटा के आधार पर उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन किया जाता है एवं केवल निर्दिष्ट चयनित स्थल पर ही प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है; तथा*
    - *प्रतिपूरक वनीकरण करने के विवरण के संबंध में सही/सटीक जानकारी ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।*
- *मध्यम सघन वन/अति सघन वन क्षेत्रों में संदेहास्पद निष्पादन के मामलों की जांच करने पर एवं जहां आवश्यक हो, जिम्मेदारी तय करने पर।*
- *प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की चयन प्रक्रिया एवं निष्पादन के दौरान अवस्थिति में बाद के परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करने पर। प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के अनधिकृत परिवर्तन वाले मामलों में ज़िम्मेदारी तय करने पर।*

- *प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों को अतिक्रमण मुक्त रखना सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने पर एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण के मामलों की जांच एवं दोषियों पर क़ानूनी कार्रवाई करने पर।*

(चंदा मधुकर पंडित)

शिमला
दिनांक: 27 अगस्त 2024

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली
दिनांक: 6 सितम्बर 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.8)

हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के सर्कलों व मंडलों का विवरण

क्र.सं.	सर्कल का नाम	मण्डल का नाम
1.	बिलासपुर (2)	1. बिलासपुर
		2. कुनिहार
2.	चम्बा (5)	1. भरमौर
		2. चम्बा
		3. चुराह
		4. डलहौजी
		5. पांगी
3.	धर्मशाला (3)	1. धर्मशाला
		2. नूरपुर
		3. पालमपुर
4.	हमीरपुर (3)	1. देहरा
		2. हमीरपुर
		3. ऊना
5.	कुल्लू (4)	1. कुल्लू
		2. लाहौल
		3. पार्वती
		4. सेराज
6.	मण्डी (5)	1. जोगिंदरनगर
		2. करसोग
		3. मंडी
		4. नाचन
		5. सुकेत
7.	नाहन (4)	1. नाहन
		2. पांवटा
		3. राजगढ़
		4. रेणुका जी
8.	रामपुर (4)	1. अनी
		2. किन्नौर
		3. कोटगढ़
		4. रामपुर
9.	शिमला (5)	1. चौपाल
		2. रोहडू
		3. शिमला
		4. शिमला (शहरी)
		5. ठियोग
10.	सोलन (2)	1. सोलन
		2. नालागढ़
* हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित मण्डल		

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.3)

चयनित मंडलों में वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान अनुमोदित वन संरक्षण अधिनियम मामलों की सूची

क्र. सं.	मंडल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
1	कुल्लू	ईवीएम & वीवीपैट के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण	अन्य	11-सितम्बर-20	0.028	0	0
2	कुल्लू	33/11किलोवाल्ट 2x1.6 मेगाकिलोवाल्ट लुगवैली उप स्टेशन	ग्रामीण विद्युत	20-नवंबर -17	0.12	0.2	0.2
3	कुल्लू	आपदा प्रबंधन और बचाव और पर्यटन के लिए हेलीपैड	अन्य	31-अगस्त-18	0.2356	0.5	0.5
4	कुल्लू	डीलक्स इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड	अन्य	27-जुलाई-20	0.3514	0	0
5	धर्मशाला	बाबा भैरोह बस स्टैंड, जिला कांगरा (हिमाचल प्रदेश)	अन्य	05-मई-17	0.4608	1	1
6	किन्नौर	साल्टी मसरंग जल विद्युत परियोजना 24 मेगावाट	जल विदयुत	10-जनवरी-18	0.6431	1.5	0
7	सेराज	दामोठी में सब्जी मंडी का निर्माण	अन्य	26-फ़रवरी-21	0.68	1.36	0
8	चंबा	4 मेगावाट दरेदी जल विद्युत परियोजना का निर्माण, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश	जल विदयुत	19-जून-18	0.709	0.75	0
9	कुल्लू	फिंडरी 1.20 मेगावाट	जल विदयुत	10-नवंबर-20	0.734	0	0
10	कुल्लू	सीएनजी की आपूर्ति के लिए डॉटर बूस्टर स्टेशन	अन्य	22-मार्च-17	0.7783	1.56	1.56
11	चंबा	जिला चंबा के पुखरी में 220/132/33किलोवोल्ट गैस इंसुलेटेड स्विचगियर उप स्टेशन माजरा का निर्माण, हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण विद्युत	16-जनवरी-20	0.8052	1.6104	0
12	कुल्लू	सब्जी मंडी बंदरोल से कैस गांव तक सम्पर्क सड़क	सड़क	24-फ़रवरी-20	0.84	1.68	0
13	धर्मशाला	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अन्य	02-मार्च-17	0.9036	2	2
14	चंबा	जोली छोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जल विदयुत	18-दिसंबर-18	1.0284	1.05	0
15	कुल्लू	गांव जठाणी के लिए सम्पर्क सड़क	सड़क	27-फ़रवरी-19	1.3226	2.66	2.66
16	कुल्लू	गांव चकलानी के लिए सम्पर्क सड़क	सड़क	06-फ़रवरी-18	1.3796	2.76	2.76
17	भरमौर	जिला चंबा की उप तहसील होली के भरमौर मंडल के अंतर्गत दल्ली में 220/66केवी हिलिंग उप स्टेशन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	22-जनवरी-21	1.5541	3.11	0
18	धर्मशाला	धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे परियोजना	अन्य	01-जून-17	1.6958	2.07	0

क्र. सं.	मंडल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
19	कुल्लू	भटग्रानमौड से खादिहार सड़क किमी 0/00 से 3/440	सड़क	01-अगस्त-18	1.7118	3.5	3.5
20	चोपाल	नाओ से रिओटी हरिजन बस्ती सड़क का निर्माण	सड़क	27-जनवरी-20	1.9103	4	0
21	चंबा	वाहन योग्य सम्पर्क सड़क देवीदेहरा से मनकोट तक का निर्माण	सड़क	14-जुलाई-20	2.05	4.1	0
22	कुल्लू	मेसर्स पारस स्टोन क्रशर	खनन	12-नवंबर-18	2.1754	4.5	4.5
23	कुल्लू	मिट्टी से टांडला तक सड़क का निर्माण	सड़क	14-दिसंबर-18	2.39	4.78	4.78
24	नाचन	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाची, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) के लिए भवन का निर्माण	अन्य	25-जनवरी-21	2.4836	4.9672	0
25	चोपाल	हरिजन बस्ती पोशराह से वाशद सड़क का निर्माण	सड़क	23-दिसंबर-20	2.5467	5.5	0
26	कुल्लू	शिला त्राशी दचानी सड़क	सड़क	18-मार्च-20	2.61	5.5	0
27	कुनिहार	न्यू कॉलेज बिल्डिंग, बरोटीवाला, जिला: सोलन, हिमाचल प्रदेश	स्कूल	04-अप्रैल-18	2.72	5.44	0
28	चंबा	सुई माता मंदिर से गांव मलूना तक संपर्क सड़क का निर्माण	सड़क	03-अगस्त-18	2.77	5.55	0
29	सेराज	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गडागुसेन, जिला कुल्लू,हिमाचल प्रदेश	अन्य	17-मई-19	2.8	4.5	4.5
30	नाचन	छेल जनजेहली से बखालवर का निर्माण	सड़क	30-अगस्त-18	3.048	7.57	0
31	सेराज	गवर्नमेंट कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू,हिमाचल प्रदेश	अन्य	29-जुलाई-19	3.1239	6.25	6.25
32	कुल्लू	सोयल दशाल जल विदयुत परियोजना	जल विदयुत	10-जनवरी-18	3.5863	3.5863	0
33	सुकेत/नाचन	सेगली से बुराहटा सड़क का निर्माण	सड़क	25-जनवरी-21	3.77	7.54	0
34	चंबा	साच से फतेहपुर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	सड़क	17-फ़रवरी-20	3.86	7.72	0
35	ठियोग/चोपाल	कुठार से कनुधी वाया शाई कुंच नेरी आरडी 0/0 से 10/657 किलोमीटर	सड़क	04-दिसंबर-19	3.9205	15.35	0
36	चोपाल	उप बाजार यार्ड अंतरा वाली (नेरवा)	अन्य	20-जून-17	4.0265	8.06	0
37	सेराज	तलारा पुल से पनावी सड़क का निर्माण	सड़क	14-जनवरी-20	4.148	8.296	8.296
38	चंबा	शिमली से फतेहपुर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	सड़क	27-अगस्त-20	4.36	8.72	0
39	कुल्लू	बुआई के लिए सम्पर्क सड़क	सड़क	17-दिसंबर-18	4.514775	9.03	9.03
40	नाचन	मथयानिधर से नलबागी सड़क	सड़क	26-मार्च-19	4.79	9.58	0
41	चोपाल	खिलार, मंदा से बदरोली	सड़क	19-मार्च-20	4.8652	10	0
42	चंबा	पार्थोआ से सारा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	सड़क	17-मई-19	4.92	9.85	0

क्र. सं.	मंडल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
43	चोपाल	सगरोटी टिक्करी मानेओटी रोड (धन्ता से मानेओटी वाला भाग) का निर्माण	सड़क	15-जून-20	5.8027	12	0
44	धर्मशाला	एनएच-20 क किलोमीटर के लिये दो पथों का पुनर्निर्माण। 5/0 से 18/0 (नगरोटा बागवान- रानीताल-मुबारकपुर रोड)	सड़क	26-जून-20	7.0713	14.15	0
45	चोपाल	खोखा रेवती शीला डकोली रोड का निर्माण	सड़क	27-जनवरी-20	8.0651	16.5	0
46	चोपाल	लिंक रोड धाडू नाला से तेलर का निर्माण	सड़क	18-मार्च-20	8.0793	16.5	0
47	कुल्लू	मनाली रोपवे का निर्माण	अन्य	07-फ़रवरी-20	8.9899	18	0
48	भरमौर	66 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन सलून से दल्ली	ट्रांसमिशन लाइन	18-जनवरी-19	9.876	20	0
49	कुल्लू	कुल्लू जिले में भानाग से प्रिनी तक 33केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	02-नवंबर-18	10.9119	22	22
50	चंबा	चंबा जिले में देवथल चांजू (30 मेगावाट) जल विदयुत परियोजना का निर्माण	जल विदयुत	11-अक्टूबर-19	15.64	32	0
51	चंबा	चंबा जिले के पुखारी में 132 केवी लिलो कुर्था- बथरी (132 केवी) डी/सी ट्रांसमिशन लाइन से प्रस्तावित 33/132/220 केवी जीआईएस उप स्टेशन माजरा का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	27-नवंबर-20	16.2746	32.5492	0
52	किन्नौर	66 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन 66/22 केवी जीआईएस स्विचिंग सब स्टेशन उरनी से 66/220 केवी 2× 86 एमवीए और 220/400 केवी 2× 315 एमवीए जीआईएस पूलिंग स्टेशन वांगतू, जिला किन्नौर	ट्रांसमिशन लाइन	25-जून-18	20.4874	41	0
53	चोपाल	66 केवी ट्रांसमिशन लाइन 66 केवी सब-स्टेशन सैंज से चोपाल में प्रस्तावित 66/22 केवी सब-स्टेशन तक का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	06-अगस्त-20	20.9851	41.9702	0
54	चंबा	चंबा जिले के चौराह तहसील में चांजू-III (48 मेगावाट) जल-विद्युत परियोजना।	जल विदयुत	11-अक्टूबर-19	25.98	52	0
55	भरमौर	चंबा जिले के भरमौर में होली-बजोली जल विद्युत परियोजना से 33/220/400 केवी जीआईएस पूलिंग सबस्टेशन लाहल तक 220 केवी डबल सर्कट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	11-दिसंबर-18	30.6321	61.5	0

क्र. सं.	मंडल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
56	चंबा	चंबा जिले में 33/132/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन माजरा, पुखारी से 220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का 33/220 केवी जीआईएस सब स्टेशन कारियन तक निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	16-जनवरी-20	43.023	87	0
57	कुल्लू	एनएचडीपी-आईवीबी की धारा एनएच-21 के तहत बजौरा से मनाली मार्ग को दो/चार पथ का बनाना। (248.300 कि.मी से 310 कि.मी)	सड़क	15-सितम्बर-17	53.5242	108	108
58	भरमौर/चंबा	चंबा जिले के राजेरा में 33/220/400 केवी जीआईएस पूलिंग सबस्टेशन लाहल से 400 केवी पीजीसीआईएल पूलिंग सबस्टेशन चमेरा-II तक 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	20-फ़रवरी-19	78.8158	158	0

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.1)

चयनित मंडलों में वर्ष 2006-07 से 2015-16 के दौरान अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की सूची

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
1	भरमौर	स्लेट्स के निष्कर्षण के लिए	खनन	03/08/2018	0.2186	0.91	0.91
2	भरमौर	स्लेट्स के निष्कर्षण के लिए	खनन	02/09/2010	0.4087	1	1
3	भरमौर	सुईंर जलविद्युत परियोजना का निर्माण, भरमौर वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	28/09/2007	1.0315	2.5	2.5
4	भरमौर	उरई से सैमरा तक सड़क का निर्माण	सड़क	22/09/2017	1.50	3	3
5	भरमौर	गांव कुठेड़ तक लिंक सड़क का निर्माण	सड़क	10/07/2009	1.6509	3.5	3.5
6	भरमौर	पांच मेगावाट कुवार्सी जलविद्युत परियोजना	सड़क	07/06/2012	1.8525	4	4
7	भरमौर	तीन मेगावाट तुलांग छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/07/2007	1.9889	4	4
8	भरमौर	डिबरी-औरा सड़क का निर्माण, भरमौर वन मण्डल	सड़क	29/12/2009	2.1408	4.5	4.5
9	भरमौर	बाजोल से गुवारी तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण	सड़क	26/10/2018	2.62	5.5	0
10	भरमौर	दल्ली से सहन तक सड़क निर्माण (किमी 0/0 से 6/780)।	सड़क	15/02/2010	2.71	5.5	5.5
11	भरमौर	बांध की ओर से ग्राम मिन्द्रा तक सड़क का निर्माण	सड़क	09/05/2016	3.2456	6.5	6.5
12	भरमौर	उरई से घटोर सड़क का निर्माण	सड़क	18/12/2018	3.33	13.32	0
13	भरमौर	कुवारसी-II छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण (पांच मेगावाट)	जलविद्युत परियोजना	09/05/2014	3.3401	7	7
14	भरमौर	पिल्ली से सवाई तक सड़क निर्माण	सड़क	04/06/2012	3.5668	7.5	7.5
15	भरमौर	होली-II (सात मेगावाट) छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	27/04/2011	4.1595	8.5	8.5
16	भरमौर	चिरचिंड जलविद्युत परियोजना, भरमौर वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	03/11/2006	4.5222	10	10

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
17	भरमौर	नयाग्राम से बजोल तक सड़क निर्माण	सड़क	21/07/2009	4.8072	10	10
18	भरमौर	हरसर से चोबिया तक सड़क निर्माण	सड़क	18/10/2018	4.8352	29.34	0
19	भरमौर	सलून छोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/03/2015	4.8764	10	10
20	भरमौर	4.50 मेगावाट कुरहेड़ छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/06/2008	6.4347	13	13
21	भरमौर	ट्रांसमिशन लाइन बुधिल छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	05/03/2010	21.6702	44	44
22	भरमौर	70 मेगावाट बुधिल जलविद्युत परियोजना भरमौर	जलविद्युत परियोजना	19/04/2006	27.9358	56	56
23	भरमौर	240 मेगावाट कुठेर जलविद्युत परियोजना	जलविद्युत परियोजना	11/01/2013	61.4083	123	123
24	भरमौर	बजोली होली जलविद्युत परियोजना का निर्माण (180 मेगावाट)	जलविद्युत परियोजना	20/10/2012	75.304	151	151
25	चम्बा	कृषि आदान भण्डार, मैहला का निर्माण	विविध	13/01/2017	0.04	0.5	0.5
26	चम्बा	एक्वेरियम हाउस सह संग्रहालय केंद्र का निर्माण	विविध	25/02/2016	0.05	1	0.5
27	चम्बा	सहायक पर्यावरण अभियंता कार्यालय, सुल्तानपुर	विविध	27/04/2012	0.084929	0.168	0.168
28	चम्बा	होम गार्ड बटालियन कार्यालय और ट्रांजिट कैंप (बालू)) का निर्माण	विविध	23/04/2013	0.1255	0.5	0.5
29	चम्बा	मौजा भादोर, चंबा वन मंडल में स्लेटों का खनन	खनन	10/10/2006	0.16	0.5	0.5
30	चम्बा	मौजा तूर में स्लेटों का उत्खनन	खनन	23/06/2010	0.16	0.5	0.5
31	चम्बा	सतोहर में खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण	विविध	22/11/2010	0.2	0.5	0.5
32	चम्बा	मौजा करियन में स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	विविध	27/07/2011	0.32	1	1
33	चम्बा	मौजा सुल्तानपुर में मणिमहेश स्टोन क्रशर	खनन	13/02/2009	0.34	1	1
34	चम्बा	चंबा में डीएवी स्कूल, चंबा वन मण्डल	विविध	04/08/2006	0.4211	1	1

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
35	चम्बा	पांच मेगावाट डुनाली छोटी जलविद्युत परियोजना, चंबा वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	15/01/2007	0.959	2	2
36	चम्बा	सुल्तानपुर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निर्माण	विविध	17/08/2010	0.9879	2	2
37	चम्बा	जीएसएसएस भरियां-कोठी में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण	विविध	22/09/2017	1.2	2.5	0
38	चम्बा	शासकीय डिग्री कॉलेज लिहलकोठी का निर्माण	विविध	13/04/2017	1.2	2.5	2.5
39	चम्बा	मौजा बरोर में रेत, पत्थर एवं बजरी का उत्खनन	खनन	07/03/2011	1.3638	3	3
40	चम्बा	मैसर्स हिमालयन स्लेट एंड स्टोन्स	खनन	03/03/2008	1.392	3	3
41	चम्बा	ग्राम राडी तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	18/06/2014	1.52	3.1	3.1
42	चम्बा	देवीदेहरा से बकटपुर तक सड़क निर्माण	सड़क	16/04/2008	1.67	4	4
43	चम्बा	मोहरी-नाला कुठार सड़क	सड़क	25/03/2008	1.672	3.5	3.5
44	चम्बा	कियानी-मौवा-मकोल्सू सड़क का निर्माण	सड़क	11/04/2008	1.72	3.5	3.5
45	चम्बा	साहू में दो मेगावाट डिकलेरी छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	23/06/2010	1.9321	4	4
46	चम्बा	किरी-बंजाल सड़क का निर्माण	सड़क	22/08/2014	2.21	4.5	4.5
47	चम्बा	सुनारा से एंड्रूड सड़क का निर्माण	सड़क	16/09/2010	2.22	4.5	4.5
48	चम्बा	4.5 मेगावाट हुल जलविद्युत परियोजना, वन मंडल चंबा	जलविद्युत परियोजना	18/07/2006	2.2346	4.5	4.5
49	चम्बा	हिसरुंड छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण (तीन मेगावाट)	जलविद्युत परियोजना	04/02/2015	2.413	6	6
50	चम्बा	भनेरा से कोलका सड़क का निर्माण, चंबा तक	सड़क	17/03/2008	2.48	5	5
51	चम्बा	राख से धनारा सड़क का निर्माण	सड़क	25/03/2008	2.49	7	7
52	चम्बा	पनेला से घाटरेड सड़क का निर्माण	सड़क	22/02/2011	2.6	5.2	5.2
53	चम्बा	जखला धार पुखरा सड़क का निर्माण	सड़क	25/02/2011	2.612	5.25	5.25
54	चम्बा	साल-II (तीन मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	02/03/2012	2.6947	6	6

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
55	चम्बा	दुनाली से कलांस सड़क का निर्माण	सड़क	18/06/2014	2.73	5.5	5.5
56	चम्बा	मलबा निपटान स्थलों के लिए अतिरिक्त वन भूमि (चमेरा-III)	जलविद्युत परियोजना	09/07/2009	2.83	6	6
57	चम्बा	घूम से जंजला सड़क का निर्माण	सड़क	17/06/2011	2.86	6	6
58	चम्बा	कलसुइन से ट्राला सड़क का निर्माण	सड़क	15/04/2016	3.09	6.5	6.5
59	चम्बा	रजेरा-गुड्डा-बोगा सड़क का निर्माण	सड़क	26/09/2017	3.18	6.5	6.5
60	चम्बा	दुनाली से ब्रेही सड़क चंबा का निर्माण	सड़क	17/03/2008	3.402	7	7
61	चम्बा	ग्राम सैरना तक सड़क का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	02/06/2011	3.44	7	7
62	चम्बा	परौंथा से कुरैना धार सड़क का निर्माण	सड़क	15/12/2009	3.58	8	8
63	चम्बा	सुनारा से ताग्गी सड़क का निर्माण	सड़क	22/02/2011	3.6	7.2	7.2
64	चम्बा	8मेगावाट अपर जॉइनर-II जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	25/04/2014	3.8772	8	8
65	चम्बा	बकानी से धारेबेटा सड़क का निर्माण	सड़क	20/07/2018	4.35	9	9
66	चम्बा	पांच मेगावाट कुर्था छोटी जल विद्युत परियोजना	जलविद्युत परियोजना	06/09/2012	4.7494	10	10
67	चम्बा	बकानी से कलवाड़ा सड़क का निर्माण	सड़क	13/10/2010	4.75	9.5	9.5
68	चम्बा	चंबा-संदूह सड़क का निर्माण	सड़क	19/04/2010	4.868	10	10
69	चम्बा	बागीगढ़-चांजू-जखाला-सुमरा सड़क	सड़क	16/08/2010	4.9126	10	10
70	चम्बा	कोलका-जटकरी सड़क, चंबा वन मंडल।	सड़क	25/03/2008	4.94	10	10
71	चम्बा	कैंथली से जंद्राह सड़क का निर्माण	सड़क	24/06/2011	4.96	9.92	9.92
72	चम्बा	सूरी से कैला सड़क का निर्माण(0/0 से 10/00)	सड़क	23/12/2009	5	10	10
73	चम्बा	मेहला भगियार हुरैद रोड से लिंक रोड	सड़क	22/09/2017	7.69	15.5	15.5
74	चम्बा	ट्रांसमिशन लाइन जीआईएस एस/स्टेशन कैरियन से राजेरा तक	ट्रांसमिशन लाइन	21/01/2013	11.45	23	23
75	चम्बा	220 केवी डी/सी बुधिल चमेरा-III ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	05/03/2010	12.744	25.5	25.5

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
76	चम्बा	बेलिज का नाला छोटी जलविद्युत प्रोजेक्ट से जारंगटा तक ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	16/12/2009	18.025	36.1	36.1
77	चम्बा	राजेरा में चमेरा-III पावर पूलिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	02/02/2011	19.174	38.5	38.5
78	चम्बा	कुरथल (तीसा) से भथरी तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	01/10/2007	20.756	42	42
79	चम्बा	चांजू-II जलविद्युत परियोजना	जलविद्युत परियोजना	15/01/2018	21.0557	21.0557	0
80	चम्बा	राजेरा से करतार (जालंधर) ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	22/09/2010	32	65	65
81	चम्बा	36 मेगावाट चांजू-I जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	15/06/2011	34.697	69.5	69.5
82	चौपाल	चौपाल झिकनीपुल सड़क पर आरसीसी पुल	सड़क	11/08/2015	0.10	1	0
83	चौपाल	चायली से लोअर देवत सड़क का निर्माण	सड़क	01/09/2007	0.225	1.1	0
84	चौपाल	तारापुर से शनाग सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	25/03/2008	0.6	1.5	0
85	चौपाल	चौपाल (लास्टा-धार) में सब स्टेशन का निर्माण	विविध	27/07/2012	0.6254	1.5	0
86	चौपाल	रिनजेट डेइया सड़क	सड़क	13/11/2006	0.8	2	0
87	चौपाल	नेरवा से ओबटावा सड़क	सड़क	24/10/2006	1.02	2	0
88	चौपाल	तिमवी-लाचोग सड़क, चौपाल वन मंडल	सड़क	24/10/2006	1.2	2.5	0
89	चौपाल	पेहलोग से मैक्रोग सड़क, चौपाल वन मंडल	सड़क	15/02/2007	1.326	3	0
90	चौपाल	बडलॉग झिना सड़क, चौपाल वन मंडल	सड़क	06/10/2006	1.368	3	3
91	चौपाल	कोटी धनाग सड़क के माध्यम से कियार्नो से सराहन सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	1.38	3	3
92	चौपाल	नौरा से कुलग सड़क का निर्माण, चौपाल वन मंडल	सड़क	24/06/2011	1.476	9	9
93	चौपाल	जांगला से हरिजन बस्ती देवत तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	08/02/2019	1.6071	3.2142	0
94	चौपाल	बसारा-चंजन रोड, चौपाल वन मंडल।	सड़क	01/11/2006	2.04	4.5	0

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
95	चौपाल	नकोड़ा-खादर सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	05/11/2007	2.1	4.5	0
96	चौपाल	सजनाला-रेउनी-लहंगरा सड़क का निर्माण	सड़क	13/05/2011	2.115	13.5	13.5
97	चौपाल	धाबास बग्गर सड़क का निर्माण	सड़क	16/05/2011	2.163	13.5	13.5
98	चौपाल	बटेरा से कंडल सड़क का निर्माण	सड़क	18/04/2011	2.184	12	12
99	चौपाल	कुठारधार मन्नू सड़क, चौपाल वन मण्डल	सड़क	01/09/2006	2.2	4.5	0
100	चौपाल	मैट्रेडा से मश्रैन सड़क	सड़क	07/12/2006	2.334	5	5
101	चौपाल	किमाचंद्रावली-बिजमल सड़क का निर्माण	सड़क	21/06/2007	2.385	2.5	0
102	चौपाल	रानवी से पौरिया सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	06/11/2007	2.84	6	0
103	चौपाल	बेलाग-खोखा सड़क चौपाल वन मंडल।	सड़क	06/10/2006	2.859	6	0
104	चौपाल	सरकाली से कियारी शालन तक सड़क निर्माण	सड़क	21/04/2011	2.868	18	18
105	चौपाल	दो मेगावाट हमल छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/08/2009	2.999	6	6
106	चौपाल	पांच मेगावाट सैंज छोटी जलविद्युत परियोजना (ठियोग व चौपाल) का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/03/2008	3.39	7	7
107	चौपाल	शाल्वी जलविद्युत परियोजना, 4.75 मेगावाट का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	27/09/2012	3.4198	7	0
108	चौपाल	मन्नू से इरा तक सड़क निर्माण, चौपाल वन मण्डल 1355	सड़क	25/03/2008	3.55	8	0
109	चौपाल	मुंडोची से नवी तक सड़क का निर्माण, चौपाल तक	सड़क	14/03/2008	3.9	8	0
110	चौपाल	रानवी से छत्ता धार सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	4.08	9	0
111	चौपाल	मशरेन से पंचायत मुख्यालय पौरिया तक सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	4.32	9	0
112	चौपाल	टिक्करी से धनत सड़क	सड़क	10/06/2013	4.93	10	10
113	चौपाल	तारान्ह-बनाह सड़क का निर्माण	सड़क	01/06/2007	4.95	10	10
114	चौपाल	चंपंदली छमधार से चिल्ला तक लिंक रोड	सड़क	29/12/2014	4.9721	10	10
115	चौपाल	कुपवी से मशोट रोड चौपाल वन मंडल का निर्माण	सड़क	16/05/2011	4.98	10	10

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
116	चौपाल	सरायन से झाकर सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	01/06/2007	6.381	13	13
117	चौपाल	कुपवी-भल्लू-ढोटाली सड़क	सड़क	02/02/2007	7.57	15	15
118	चौपाल	शिरगा से शालन तक सडक का निर्माण	सड़क	12/09/2012	7.833	16	10
119	चौपाल	रोहाना/गुम्मा से बौर सड़क	सड़क	19/08/2014	9.2621	18.5	18.5
120	चौपाल	सरैन-पुलबहाल सड़क	सड़क	07/12/2006	9.609	20	20
121	धर्मशाला	मैक्लोडगंज में भागसूनाग सड़क के पास पार्किंग	विविध.	13/02/2007	0.1275	0.3	0.3
122	धर्मशाला	पांच मेगावाट आईकू-II छोटी जलविद्युत परियोजना प्रबंधन मंडल	जलविद्युत परियोजना	11/03/2008	0.15	0.5	0.5
123	धर्मशाला	तोता रानी में 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	विविध.	09/09/2008	0.159	0.5	0.5
124	धर्मशाला	सुधेर से धार तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	05/07/2011	0.3375	0.675	0.675
125	धर्मशाला	इंद्रू से चोला तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	06/05/2017	0.3643	0.7286	0
126	धर्मशाला	मैक्लोडगंज में नैरोजी कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग	विविध	13/03/2007	0.4443	1	1
127	धर्मशाला	होटल शाहिबा मैक्लोडगंज के सामने पार्किंग	विविध	13/02/2007	0.45	1	1
128	धर्मशाला	ग्राम दियारा से लिंक रोड	सड़क	12/05/2008	0.5171	1.02	1.02
129	धर्मशाला	लिंक रोड नड्डी भच्छेटर सड़क, धर्मशाला वन मण्डल	सड़क	04/04/2006	0.535	1.1	1.1
130	धर्मशाला	कुफरी-पटियालकर-सरथाना-रौनकर सड़क का निर्माण	सड़क	18/10/2007	0.591	1.2	1.2
131	धर्मशाला	नगरोटा से मल्लान तक सड़क का चौड़ीकरण/सुधार	सड़क	10/04/2007	0.6294	1.26	1.26
132	धर्मशाला	चार्री से थ्रोएट तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	20/01/2010	0.6433	1.5	1.5
133	धर्मशाला	हरनेरा से चालियान तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	07/11/2007	0.7162	1.13	1.13
134	धर्मशाला	सल्ली से कनोल तक लिंक रोड का निर्माण, धर्मशाल वन मण्डल	सड़क	07/12/2007	0.7162	1.5	1.5
135	धर्मशाला	मौजूदा गगल छत्रु सड़क का सुधार व चौड़ीकरण	सड़क	31/08/2010	0.7305	1.5	1.5
136	धर्मशाला	मोरछ से गारगून तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	06/05/2017	0.9012	2	0
137	धर्मशाला	रेहलू-बोरू-सरना सड़क का निर्माण	सड़क	24/05/2010	0.9528	1.9	1.9
138	धर्मशाला	दार्नू-टौहू-बांगरोटा सड़क का निर्माण, धर्मशाला	सड़क	08/10/2010	0.984	2	2

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
139	धर्मशाला	मौजूदा मटौर-धर्मशाला सड़क का चौड़ीकरण/सुधार	सड़क	16/06/2011	1.08	2.2	2.2
140	धर्मशाला	रिरकमार से घाटार्डा सड़क का निर्माण	सड़क	01/02/2011	1.201	2.4	2.4
141	धर्मशाला	सातोबारी-बार्नेट सड़क का निर्माण	सड़क	20/08/2007	1.2413	2.5	2.5
142	धर्मशाला	थाना बरग्रान से बुसल सड़क का निर्माण, धर्मशाला वन मंडल	सड़क	14/05/2013	1.275	2.55	2.55
143	धर्मशाला	राजौर गांव तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	14/05/2013	1.3370	2.674	2.674
144	धर्मशाला	ठाकुरद्वारा से बड़ी बेही सड़क का निर्माण	सड़क	17/04/2008	1.607	3.5	3.5
145	धर्मशाला	बोह से लैम सड़क का निर्माण धर्मशाला वन मण्डल	सड़क	20/01/2010	1.613	3.25	3.25
146	धर्मशाला	भलेद-डुल्ली-ककरा-चमियारा सड़क का निर्माण, धर्मशाला वन मण्डल	सड़क	02/07/2013	1.7065	3.42	3.42
147	धर्मशाला	ऐरला-जंद्रोह सड़क का निर्माण	सड़क	24/05/2019	1.708	3.416	0
148	धर्मशाला	दौलतपुर-जालारी-हर-खरात सड़क का निर्माण	सड़क	20/04/2010	2.0468	4.1	4.1
149	धर्मशाला	बारा खोथा से अंकार कोहला तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	18/10/2007	2.16	5	5
150	धर्मशाला	कुठारना से करेरी तक सड़क का निर्माण	सड़क	15/02/2010	2.2577	4.5154	4.5154
151	धर्मशाला	करेरी खास से खारी बेही तक सड़क का निर्माण	सड़क	16/03/2010	2.511	5.5	5.5
152	धर्मशाला	पांच मेगावाट मांझी-II जलविद्युत परियोजना, धर्मशाला वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	13/03/2007	2.7074	6	6
153	धर्मशाला	4.8 मेगावाट मनुनि-II छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	06/04/2011	3.0429	6.1	6.1
154	धर्मशाला	बनोई में बीएसएफ बटालियन की स्थापना	विविध	06/04/2011	3.6069	7.5	7.5
155	धर्मशाला	गांव बोह में चार मेगावाट ब्राह्ल छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	27/06/2007	3.8	8	8
156	धर्मशाला	3.6 मेगावाट गज-गर्जू चरण-I छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	03/06/2011	3.8436	8	8
157	धर्मशाला	2.00 मेगावाट लियोन्ड छोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/11/2015	3.9711	15.622	15.622

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
158	धर्मशाला	5.00 मेगावाट ब्राह्ल टॉप छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	09/05/2012	4.2405	8.5	8.5
159	धर्मशाला	भू शिंगार के पक्ष में 1.5 मेगावाट जीएजे जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/03/2008	4.447	9	9
160	धर्मशाला	पांच मेगावाट बानेर संगम लघु जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/05/2011	4.5885	10	10
161	धर्मशाला	मनुनी (3.5 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जल विद्युत	19/01/2017	1.417	5	5
162	किन्नौर	रिकांग-पिओ में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	विविध	15/01/2007	0.0473	1	0
163	किन्नौर	करछम में पुलिस चौकी का निर्माण	विविध	20/08/2007	0.05	1	1
164	किन्नौर	चूलिंग नाले पर पुल का निर्माण	विविध	05/12/2008	0.0601	1	1
165	किन्नौर	3मेगावाट श्यांग जलविद्युत परियोजना किन्नौर, किन्नौर वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	15/02/2007	0.4496	1	1
166	किन्नौर	स्टोन क्रशर की स्थापना (केवल बीआरओ कार्य हेतु)	विविध	01/09/2009	0.475	1	0
167	किन्नौर	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में एफआईएस रिस्पा का निर्माण	विविध	13/02/2009	0.54	1.2	1.2
168	किन्नौर	आईटीबीपी के पक्ष में कोटा डोंगरी में सीमा चौकी का निर्माण	विविध	10/04/2008	0.5781	1.15	1.15
169	किन्नौर	1000 मेगावाट करछम वांगटू जलविद्युत परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि	जलविद्युत परियोजना	12/07/2018	0.7609	6	0
170	किन्नौर	पांच मेगावाट रक्चड जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अतिरिक्त वन भूमि	जलविद्युत परियोजना	01/10/2008	1.1783	2.5	0
171	किन्नौर	आईटीबीपी चौकी, छप्पन की स्थापना	विविध	25/05/2016	1.20	2.5	2.5
172	किन्नौर	श्री डी.आर.नेगी के पक्ष में नदी तल के खनिजों का उत्खनन	खनन	26/07/2007	1.3819	2.79	0
173	किन्नौर	श्री डी.आर.नेगी के पक्ष में नदी तल के खनिजों का निष्कर्षण	खनन	24/05/2019	1.3918	2.0043	0

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
174	किन्नौर	रैंगल से मिरू रोड का निर्माण	सड़क	21/05/2018	1.4971	6	0
175	किन्नौर	करछम वांगटू के लिए अतिरिक्त भूमि (पहुंच सड़क)	जलविद्युत परियोजना	25/07/2008	1.6348	3.3	0
176	किन्नौर	तीन मेगावाट पांगी मिनी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/04/2010	1.7888	3.6	0
177	किन्नौर	थांगी गांव तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	13/06/2008	2.015	4	4
178	किन्नौर	रुक्ती-II मिनी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	26/08/2009	2.2812	5	0
179	किन्नौर	शोल्टू-पूनांग सड़क, किन्नौर वन मंडल	सड़क	02/02/2007	2.5585	5.12	5.12
180	किन्नौर	3.00 मेगावाट शौंग छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	24/12/2009	2.7004	5.5	5.5
181	किन्नौर	तीन मेगावाट टैंगलिंग मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	2.7544	5.55	5.55
182	किन्नौर	9.00 मेगावाट राला जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	20/10/2011	2.86	6	0
183	किन्नौर	ब्रुआ गांव तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	10/04/2013	3.5418	7	0
184	किन्नौर	5.00 मेगावाट ब्रुआ मिनी जलविद्युत परियोजना किन्नौर की स्थापना	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	3.7836	8	8
185	किन्नौर	मैसर्स पंचोर वांगर होमटे	जलविद्युत परियोजना	31/05/2013	3.8572	8	8
186	किन्नौर	छोल्टू से जानी सड़क का निर्माण	सड़क	02/07/2013	4.2017	8.5	0
187	किन्नौर	8.00 मेगावाट रौरा जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	03/01/2011	4.2017	9	9
188	किन्नौर	चार मेगावाट पनवी लघु जलविद्युत परियोजना I का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	4.2381	9	9
189	किन्नौर	4.5 मेगावाट मेलान लघु जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	4.4119	9	9

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
190	किन्नौर	1000 मेगावाट करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना (अतिरिक्त भूमि)	जलविद्युत परियोजना	06/07/2006	4.7053	11	11
191	किन्नौर	24 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सेल्टी मसरानाग	जलविद्युत परियोजना	28/05/2013	4.7564	9.5	9.5
192	किन्नौर	ट्रांसमिशन लाइन (ब्रूआ व शौंग जलविद्युत परियोजना से) का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/11/2014	4.7823	29	20
193	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को डबल लेन विनिर्देशन में अपग्रेड करना	सड़क	30/07/2009	4.89	10	0
194	किन्नौर	रौरा-II (20 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	17/08/2012	4.8951	10	10
195	किन्नौर	ग्राम पानवी तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	20/10/2006	4.919	10	10
196	किन्नौर	सर्ज शाफ्ट से सड़क का निर्माण, फ्लशिंग टनल (बसपा जलविद्युत परियोजना)	जलविद्युत परियोजना	23/08/2013	6.719	7.35	7
197	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का उन्नयन/चौड़ीकरण	सड़क	03/12/2010	7.2209	14.5	14.5
198	किन्नौर	जीआईएस पूलिंग स्टेशन वांगतू	अन्य	30/07/2014	7.9108	15.8216	10
199	किन्नौर	छप्पन से शिपकिला तक सड़क का निर्माण	सड़क	06/03/2009	9.504	19	13
200	किन्नौर	चौरा से मझगांव रूपी सड़क का निर्माण	सड़क	03/08/2017	12.5478	31	31
201	किन्नौर	स्विच यार्ड सोरंग से ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	03/08/2010	13.3445	28	28
202	किन्नौर	100 मेगावाट सोरंग जल विद्युत परियोजना किन्नौर	जलविद्युत परियोजना	30/10/2006	14.4885	31	9
203	किन्नौर	डम्प्टी लिंक रोड (वाइल्डलाइफ सराहन से प्रतिपूरक वनीकरण स्थानांतरित)	सड़क	29/04/2013	16.3104	32.8566	0
204	किन्नौर	काशंग चरण-II व III (130 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	14/06/2011	17.6857	36	36
205	किन्नौर	373/00 से 395/210 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का उन्नयन/चौड़ीकरण	सड़क	03/12/2010	21.7094	44	44

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
206	किन्नौर	अक्पा से पूह तक 66 किलोवाल्ट टावर पर 22 किलोवाल्ट टीएल का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	28/09/2007	34.2867	69	20
207	किन्नौर	आईटीबीपी के पक्ष में थंगी चार्रंग सीमा सड़क का निर्माण	सड़क	09/07/2010	35.64	72	66
208	किन्नौर	100 मेगावाट तिड़ोंग-I जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2008	39.0546	79	20
209	किन्नौर	पुर्बानी में तिड़ोंग-I जलविद्युत परियोजना पॉवर हाउस से काशंग-भाबा ट्रांसमिशन लाइन के एलआईएलओ बिंदु तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	22/11/2018	54.2927	109	0
210	किन्नौर	नाथपा से काशंग तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	14/07/2008	57.3881	115	115
211	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग -22 (अब राष्ट्रीय राजमार्ग-5) से एनएचडीएल तक चौड़ीकरण/सुधार	सड़क	06/11/2017	62.3604	63	63
212	किन्नौर	के-डब्ल्यू से अब्दुल्लापुर तक 400 किलोवाल्ट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	21/07/2009	63.2178	127	105
213	किन्नौर	शौंगटोंगक-रछम (402 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	14/11/2012	63.5015	128	128
214	किन्नौर	नाथपा से अक्पा तक 66 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	ट्रांसमिशन लाइन	12/08/2003	73.02	146	146
215	किन्नौर	1000 मेगावाट करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना	जलविद्युत परियोजना	17/11/2005	167.4246	273	268
216	कुल्लू	वाटर फ़िल्टर यूनिट, स्टोरेज व वितरण टैंक का निर्माण	विविध	02/04/2008	0.0144	0.03	0.03
217	कुल्लू	कोठी में शौचालय निर्माण	विविध	29/05/2012	0.0195	0.2	0.2
218	कुल्लू	दरका में सेक्शन स्टोर-सह-शिकायत कार्यालय का निर्माण	विविध	08/11/2010	0.028	0.5	0.5
219	कुल्लू	सोलंग में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.03	0.36	0.36
220	कुल्लू	मारही में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.0325	0.39	0.39

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
221	कुल्लू	रोहतांग में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.0375	0.45	0.45
222	कुल्लू	गांधीनगर में शासकीय माध्यमिक स्कूल भवन का निर्माण	विविध	09/06/2009	0.04	0.08	0.08
223	कुल्लू	राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से बरगांव तक लिंक रोड का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	15/02/2007	0.0429	0.09	0
224	कुल्लू	भुट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण	विविध	28/05/2013	0.0437	0.0874	0.0874
225	कुल्लू	ब्रान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	विविध	08/02/2012	0.06	0.12	0.12
226	कुल्लू	बाशिंग में एलपीजी गोदाम का निर्माण	विविध	17/06/2011	0.112	0.5	0
227	कुल्लू	आर्मी ट्रांजिट कैंप से जोड़ने वाली 8.800 किलोमीटर मनाली-सरचू लिंकिंग रोड पर 60 मीटर स्पैन माइनर पीएमटी पुल का निर्माण	सड़क	20/07/2010	0.1335	0.267	0.267
228	कुल्लू	मनाली-सरचू रोड पर किलोमीटर 13.590 (कोठी-II) पर 21 मीटर स्पैन माइनर पीएमटी पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण	सड़क	05/03/2010	0.1586	0.3172	0.3172
229	कुल्लू	चल्लाह से सलाट्री लिंक रोड का निर्माण	सड़क	15/05/2017	0.168	0.5	0
230	कुल्लू	कहला बिहाल फटीं जिंदर कोथिन सारी में स्टोर का निर्माण	विविध	02/04/2008	0.17	0.34	0.34
231	कुल्लू	पतिलिकुहल में पुलिस चौकी व रहवासी आवास का निर्माण	विविध	18/07/2012	0.1822	2.5	2
232	कुल्लू	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल जगतसुख का निर्माण	शिक्षा	01/09/2012	0.2	0.4	0.4
233	कुल्लू	17 मील से गाँव रामपुर तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	18/07/2017	0.2194	1	1
234	कुल्लू	खराहल में उठाऊ सिंचाई व प्रवाह सिंचाई का निर्माण	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	30/06/2017	0.22	0.5	0.5
235	कुल्लू	पलचन-II पुल का निर्माण	विविध	04/03/2011	0.2253	0.4506	0.4506
236	कुल्लू	ब्यास नदी पर 17 मील (गजन) पर दोनों ओर के मार्गों सहित पुल का निर्माण	सड़क	28/01/2021	0.2604	1	0

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
237	कुल्लू	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में जल विज्ञान परियोजना-II के लिए डब्ल्यूएसएस बाशिंग बिहाल व डाटा सेंटर का संवर्धन	विविध	05/08/2009	0.33	0.66	0
238	कुल्लू	एक मेगावाट छोर छोटी जलविद्युत परियोजना, कुल्लू वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	15/03/2007	0.3584	0.7168	0.7168
239	कुल्लू	बदोह, कुल्लू वन मंडल में सीवरेज प्रशोधन संयंत्र	विविध	31/08/2007	0.36	0.72	0.72
240	कुल्लू	जीआरईएफ द्वारा प्रातः 7.00 बजे तक दक्षिण पोर्टल पर पहुंचने के लिए धुंडी ब्रिज 224 मीटर स्पैन का निर्माण	सड़क	20/09/2012	0.3782	0.7564	0
241	कुल्लू	अलु ग्राउंड से गाँव कलाथ तक लिकं रोड का निर्माण	सड़क	03/05/2017	0.3903	0.8	0.8
242	कुल्लू	पलचन में शासकीय माध्यमिक स्कूल का निर्माण	विविध	25/02/2015	0.399	0.8	0
243	कुल्लू	बांध स्थल से ग्राम गदियारा तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	14/03/2012	0.404	0.808	0.808
244	कुल्लू	फोजल में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का निर्माण	विविध	26/02/2013	0.4285	1	1
245	कुल्लू	4.9 मेगावाट बरग्रान छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	10/08/2007	0.4795	1	1
246	कुल्लू	1.20 मेगावाट कलाथ छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/08/2012	0.5358	1.5	1.5
247	कुल्लू	भांग (पलचान) में 33 केवी स्विचिंग स्टेशन का निर्माण	विविध	17/04/2017	0.6057	1.25	1.25
248	कुल्लू	कुंगी नाला से डूंखरी गाहर फालैन तक सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	01/02/2010	0.626	1.5	1.5
249	कुल्लू	लंका बकर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कुल्लू वन मण्डल	विविध	25/04/2007	0.65	1.3	0
250	कुल्लू	सुमन सरवरी जलविद्युत परियोजना की क्षमता वृद्धि	जलविद्युत परियोजना	29/03/2012	0.6717	1.5	1.5
251	कुल्लू	मनालसू ब्रिज-पलचान वाया बरुआ सड़क	सड़क	15/06/2006	0.707	1.4142	1.4142
252	कुल्लू	झाकड़ी से मेहा (बिहाल) तक 1.593 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए अतिरिक्त वन भूमि	सड़क	24/02/2011	0.7227	2	2

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
253	कुल्लू	लोअर एलेओ छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	01/10/2014	0.7389	2.064	1.5
254	कुल्लू	पलाचान, कुल्लू वन मण्डल में 2.25 मेगावाट ब्यास जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/09/2007	0.7479	1.4958	1.4958
255	कुल्लू	मनाली-III में मलबा डंपिंग साइट का निर्माण	विविध	23/05/2018	0.7682	2	0
256	कुल्लू	अंजनी महादेव मंदिर, कुल्लू वन मंडल	विविध	28/03/2007	0.8287	3.5	3.5
257	कुल्लू	नेउली से लारीकोट (रोगीमोरे) सड़क का निर्माण, 1499	सड़क	28/08/2007	0.8875	2.045	2.045
258	कुल्लू	1.5 मेगावाट हरिपुर नाला छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	02/11/2007	0.9583	2	2
259	कुल्लू	दुघिलाग-डुबकन सड़क, कुल्लू वन मंडल	सड़क	01/02/2010	0.969	2	2
260	कुल्लू	1.00 मेगावाट रुजग छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/03/2012	0.9835	2	2
261	कुल्लू	800 किलोवाट की पहाली छोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	31/08/2018	0.9919	0	2
262	कुल्लू	सरवरी-III छोटी जल विद्युत परियोजना (दो मेगावाट) का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	15/01/2016	1.0171	2.05	0
263	कुल्लू	ग्राम भनारा तक लिंक सड़क का निर्माण	सड़क	19/06/2012	1.056	2.5	2.01
264	कुल्लू	ट्रांसमिशन लाइन सहित 2.5 मेगावाट खलारा जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	22/03/2017	1.1925	2.5	2.5
265	कुल्लू	मनाली-सरचू सड़क का पुनर्निर्माण	सड़क	26/02/2010	1.195	2.39	0
266	कुल्लू	खरला से चुरला सड़क, कुल्लू वन मंडल	सड़क	09/05/2006	1.3	2.6	2.6
267	कुल्लू	शील 1.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	10/01/2020	1.3215	1.3215	0
268	कुल्लू	लोरन से सरली सड़क का निर्माण	सड़क	20/07/2012	1.358	3	3
269	कुल्लू	मनाली सरचू सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण	सड़क	20/07/2012	1.4623	3	3
270	कुल्लू	भेखली से सारी सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	02/03/2010	1.503	3.006	0

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
271	कुल्लू	दो मेगावाट चाक्षि जलविद्युत परियोजना, कुल्लू वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	28/03/2007	1.69	3.5	0
272	कुल्लू	4.50 मेगावाट सरवरी-II जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/12/2008	1.8	4	4
273	कुल्लू	पाहनल्लाह में फील्ड फायरिंग रेंज, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	18/08/2006	1.81	3.62	3.62
274	कुल्लू	धारा से रुंगा सड़क का निर्माण	सड़क	21/05/2012	1.875	3.75	3.75
275	कुल्लू	चुरला से खानीपांधे सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मंडल	सड़क	31/12/2009	1.883	4	4
276	कुल्लू	बहुमंजिला कार पार्किंग एवं बस स्टैंड का निर्माण	विविध	18/09/2017	1.9831	3.9662	3.32
277	कुल्लू	फोज़ल से फ्लेन सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल 1419	सड़क	20/06/2007	2.0952	4.5	4.5
278	कुल्लू	शहर में जल आपूर्ति योजना के संवर्धन के लिए डब्ल्यूटीपी का निर्माण	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	18/05/2016	2.1074	4.21	4.21
279	कुल्लू	बंद्रोल में छोटी फायरिंग रेंज का निर्माण	विविध	22/09/2017	2.14	4.28	4.28
280	कुल्लू	2.5 मेगावाट सुमन सरवरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/09/2008	2.2	4.5	0
281	कुल्लू	4.8 मेगावाट एलियो-II जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/10/2011	2.2026	4.4052	0
282	कुल्लू	मनाली व नगर रेंज में हेली स्किंग गतिविधियाँ	विविध	18/12/2007	2.2083	15.08	4.5
283	कुल्लू	पांच मेगावाट ग्रामोंग जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	25/11/2011	2.2958	5	5
284	कुल्लू	कैस-सोइर-सोर-कोटाधार सड़क, कुल्लू वन मंडल	सड़क	18/08/2006	2.3518	4.75	4.75
285	कुल्लू	गाँव शनाग से गाँव मझाच तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	12/11/2007	2.5549	5.1098	5.1098
286	कुल्लू	2.6 मेगावाट शरन जलविद्युत परियोजना का निर्माण कुल्लू मंडल	जलविद्युत परियोजना	20/08/2007	2.5774	5.16	5.16
287	कुल्लू	5.00 मेगावाट काला नाव टॉप छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	21/01/2019	2.628	2.628	0
288	कुल्लू	कराल हिमरी सड़क, कुल्लू वन मंडल	सड़क	15/02/2007	2.7407	5	5

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
289	कुल्लू	पलचान सोलंग सड़क का चौड़ीकरण, कुल्लू वन मंडल	सड़क	02/03/2007	2.8562	5.7124	5.7124
290	कुल्लू	फ़ोज़ल नाला पर 9.00 मेगावाट फ़ोज़ल जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/12/2008	2.885	6	6
291	कुल्लू	2.00 मेगावाट सेराई छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	01/10/2015	2.9233	6	6
292	कुल्लू	ब्यास कुंड जलविद्युत परियोजना पांच मेगावाट	जलविद्युत परियोजना	19/03/2008	2.9306	5.8612	5.8612
293	कुल्लू	कैम्प स्थापना हेतु वन भूमि	सड़क	20/07/2012	3.0195	6.1	6.1
294	कुल्लू	अपर बबेली से जिंदौर सड़क का निर्माण	सड़क	12/12/2019	3.054	7.23	0
295	कुल्लू	स्टोन क्रेशर एवं खदान की स्थापना	खनन	22/11/2010	3.4	6.8	6.8
296	कुल्लू	सेओबाग-गहर-पहरमेहा सड़क (0/00 से 7/520)	सड़क	13/03/2007	3.5345	7.1	7.1
297	कुल्लू	4.5 मेगावाट केष्ठा जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	09/05/2014	3.5739	17.5	0
298	कुल्लू	बड़ागांव पावर हाउस से फोज़ल सब स्टेशन तक टी/लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	01/08/2013	3.6414	7.5	6.712
299	कुल्लू	आरटी के दक्षिण पोर्टल तक पहुंचने वाली सड़क पर विभिन्न स्थानों पर हिम हिमस्खलन सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण	विविध	03/07/2015	3.8779	7.8	0
300	कुल्लू	नागुझोर से मशना थाच सड़क का निर्माण	सड़क	01/02/2010	3.88	8	0
301	कुल्लू	डोहरा नाला से बाराहार सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	20/06/2007	3.89	7.8	7.8
302	कुल्लू	दोघरी समाना तियुन सड़क का निर्माण	सड़क	08/11/2010	4.2097	8.5	8.5
303	कुल्लू	4.5 मेगावाट सरबरी छोटी जलविद्युत परियोजना, कुल्लू वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	04/04/2006	4.23	8.46	8.46
304	कुल्लू	नयालंग तक पांगन शेगली काशी गैलून सड़क	सड़क	13/02/2007	4.499	9	9
305	कुल्लू	नियालंग से गैलून तक काशीरी सड़क का निर्माण	सड़क	07/06/2012	4.5977	9.5	9.5
306	कुल्लू	कुल्लू से कारोन तक सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण	सड़क	07/08/2013	4.83	9.86	9.86

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
307	कुल्लू	बीआरओ के पक्ष में रोहतांग सुरंग के दक्षिण पोर्टल तक पहुंच मार्ग पर हिमस्खलन नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण	सड़क	19/01/2008	6.1437	12.2874	12.2874
308	कुल्लू	रोहतांग मढ़ी व गुलाबा में पर्यटन अवसंरचना का निर्माण	विविध	23/11/2015	7.425	15	15
309	कुल्लू	24 मेगावाट बड़ागांव छोटी जलविद्युत परियोजना क्षेत्र का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	07/06/2011	7.72	15.5	15.5
310	कुल्लू	192 मेगावाट एलेन डुहांगन जल विद्युत परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि 9.55 हेक्टेयर वन भूमि	जलविद्युत परियोजना	08/04/2008	9.55	36.08	36.08
311	कुल्लू	220 केवी/डीसी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	12/07/2013	11.9611	24	24
312	कुल्लू	प्रीनी से पनारसा/बनाला तक 220 केवी डी/सी टी/एल बिछाना	जलविद्युत परियोजना	15/04/2009	23	46.5	6.5
313	कुल्लू	जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति में रोहतांग सुरंग का निर्माण	बीआरओ	13/05/2008	40.1806	80.3612	65
314	कुनिहार	फैक्ट्री साइट तक पहुंच मार्ग, कुनिहार वन मंडल	सड़क	24/10/2006	0.19	0.38	0
315	कुनिहार	सैनवाला में पहले से स्थापित स्टोन क्रशर का संचालन	विविध	21/04/2011	0.2819	0.6	0
316	कुनिहार	ग्राम एवं पीओ भूमती में स्टोन क्रशर की स्थापना,	खनन	28/08/2007	0.33	0.66	0.66
317	कुनिहार	गोएला में 1*3.15 एमवीए, 33/11 केवी सब-स्टेशन का निर्माण	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	15/09/2016	0.3386	0.7	0
318	कुनिहार	सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट बेजा का निर्माण	विविध	16/03/2010	0.668	1.5	0
319	कुनिहार	गगल काशीलु सड़क, कुनिहार वन मंडल	सड़क	24/08/2006	0.84	1.68	1.68
320	कुनिहार	400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (कोल्डैम)	ट्रांसमिशन लाइन	22/04/2008	1.058	2.25	2.25
321	कुनिहार	जबल-मान-बावसी सड़क, कुनिहार, वन मंडल।	सड़क	02/03/2007	1.15	2.3	2.3
322	कुनिहार	जोहारजी से काबा कलां रोड तक लिंक रोड	सड़क	30/03/2007	1.176	2.5	0
323	कुनिहार	खारसी से बग्गा तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	23/10/2009	1.3716	3	3
324	कुनिहार	घाघर से मंजू स्कूल तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	16/03/2010	1.967	4	0
325	कुनिहार	शालूघाट मंदिर से बग्गा सड़क, कुनिहार फीट मंडल।	सड़क	23/08/2006	2.2651	5	2

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
326	कुनिहार	रावन-की-जोहड़ी धरियाना सुआ सड़क का निर्माण, कुनिहार	सड़क	10/08/2007	2.456	5.12	5.12
327	कुनिहार	दानोघाट संझा आरा नेरी प्लाटा से सड़क का निर्माण	सड़क	10/10/2017	3.8423	7.685	0
328	कुनिहार	छियोल खड्ड से जघून सड़क का निर्माण	सड़क	15/02/2010	3.95	7	7
329	कुनिहार	वैकल्पिक सड़क गुजरात अंबुजा सीमेंट	सड़क	12/05/2006	4.06	8.12	8.12
330	कुनिहार	विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कॉलोनी	विविध	19/09/2006	4.36	10	10
331	कुनिहार	खारसी शालुघाट मंदिर सड़क, कुनिहार वन मंडल	सड़क	23/08/2006	6.0916	13	0
332	कुनिहार	सरयांज घड्याच केओल स्नोग सड़क का निर्माण	सड़क	01/09/2006	7.1	14.2	14.2
333	कुनिहार	चूना पत्थर खनन के लिए मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड	खनन	10/04/2015	84.36	173	0
334	कुनिहार	बागा, कुनिहार फीट मंडल में सीमेंट संयंत्र	सीमेंट संयंत्र	29/05/2006	104.6846	210	210
335	कुनिहार	जेपी द्वारा सीमेंट परियोजना (चूना पत्थर)	सीमेंट संयंत्र	02/06/2006	239.5096	479	479
336	नाचन	चैल चौक पर सब मार्केट यार्ड का निर्माण	विविध	14/09/2007	0.172	1	1
337	नाचन	अभिषेक ठाकुर, नाचन के पक्ष में स्टोन क्रशर	खनन	06/12/2006	0.35	0.7	0.7
338	नाचन	ग्राम डडवास (थाची) में डीवीओआर की स्थापना	विविध	13/11/2007	0.3656	1	1
339	नाचन	तांदी तक उठाऊ जलापूर्ति योजना चर्री खड्ड का निर्माण	सिंचाई	01/05/2013	0.3727	0.7454	0.7454
340	नाचन	ग्राम नागुराम में गोसदन का निर्माण	विविध	28/03/2017	0.387	0.8	0
341	नाचन	सराची, कलहनी से उठाऊ जलापूर्ति योजना एनसी/पीसी आवास	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	21/04/2012	0.4314	0.86	0.86
342	नाचन	डडवास व जीपी थाची के आसपास के गांव में उठाऊ जलापूर्ति योजना का निर्माण	सिंचाई	07/10/2015	0.5384	1.0768	0
343	नाचन	1.5 मेगावाट सुराह छोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	08/12/2016	0.5655	1.13	0
344	नाचन	सैंज बारा बाटा सेरी सड़क, नाचन वन मंडल	सड़क	09/05/2006	0.7	1.4	1.4
345	नाचन	थाची से दडवास सड़क का निर्माण, नाचन वन मण्डल	सड़क	12/11/2007	0.77	2	2
346	नाचन	कालीगढ़ बारा में उठाऊ जलापूर्ति योजना का निर्माण	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	09/08/2012	0.849	1.75	1.75

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
347	नाचन	3.5 मेगावाट चाचिओट छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	26/05/2016	1.2228	2.5	0
348	नाचन	1.50 मेगावाट ग्रौहान जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	14/05/2007	1.602	3.25	3.25
349	नाचन	जच्छ-लॉट वाया जरियाड रोड, नाचन वन मंडल	सड़क	09/05/2006	1.73	3.46	3.46
350	नाचन	सैंज से कसान सड़क का किमी 0/0 से 5/00 तक निर्माण	सड़क	10/02/2010	1.92	3.84	3.84
351	नाचन	जरोल से जुगंध रोड तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण	सड़क	21/04/2011	2.8001	5.6	5.6
352	नाचन	चकुधार से चिउनी तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण	सड़क	04/12/2007	2.93	5.86	5.86
353	नाचन	तांदी से नंदी सड़क का निर्माण, नाचन वन मण्डल	सड़क	18/12/2007	3.46	6.92	6.92
354	नाचन	कुकलाह से बागी सड़क निर्माण हेतु 3.98 हेक्टेयर भूमि का अपवर्तन	सड़क	05/05/2010	3.98	8	8
355	नाचन	बसन से सोमगाड सड़क, नाचन वन मंडल	सड़क	12/11/2007	4.04	8.08	8.08
356	नाचन	थलौट से पंजन सड़क का निर्माण नाचन वन मण्डल 1224	सड़क	25/03/2008	4.4343	8.8886	8.8886
357	नाचन	थुनाग-केल्टी सड़क का निर्माण, नाचन वन मण्डल 1163	सड़क	07/03/2008	4.7	10	10
358	नाचन	मोविसेरी चंपारण सड़क, वन मण्डल नाचन	सड़क	16/06/2006	4.96	10	10
359	नाचन	भाकली से खोला नाल सड़क का निर्माण, नाचन वन मंडल	सड़क	07/12/2010	7.89	16	16
360	नाचन	बौंचरी कंधा सड़क का निर्माण (किमी.0/0-15/130)	सड़क	11/05/2010	8.71	18	18
361	नाचन	प्रीणी से नालागढ़ तक 220 केवी डी/सी टी/एल बिछाना	ट्रांसमिशन लाइन	15/05/2009	24.155	48.5	48.5
362	नाचन	एनएचपीसी के पार्बती-II से कोल्डम जलविद्युत परियोजना तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	ट्रांसमिशन लाइन	30/11/2012	40.508	81	81
363	सेराज	टीपाधार से चैनोन सड़क का निर्माण	सड़क	07/12/2007	0.24	0.5	0.5
364	सेराज	थाटीबार-सेहाली-जौरी सड़क का निर्माण	सड़क	07/12/2007	0.45	1	1

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण
365	सेराज	पत्थर खदान के लिए एम/एस गर्गाचार्य स्टोन क्रशर	खनन	19/06/2012	0.9829	2	2
366	सेराज	गुलाहधार से रंबी सड़क का निर्माण	सड़क	19/07/2012	1.668	3.336	3.336
367	सेराज	बाहु से बछुट रोड तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	12/12/2007	1.686	3.37	3.37
368	सेराज	बंजार-खाबल सड़क, सेराज वन मंडल	सड़क	07/12/2006	1.89	4	4
369	सेराज	बंजार डिम्बर चाहरी सड़क का निर्माण	सड़क	17/04/2008	1.91	4	4
370	सेराज	बिहार से कोठी छानी सड़क का निर्माण	सड़क	28/06/2013	2.0400	4.08	4.08
371	सेराज	पत्थर खदान हेतु मुरारी माता स्टोन क्रेशर का निर्माण	खनन	26/06/2018	2.4	2.4	0
372	सेराज	जिभी से तांदी सड़क का निर्माण	सड़क	26/02/2010	2.5447	5.0894	5.0894
373	सेराज	सिधवां (टिपुधार) से थानिचर सड़क का निर्माण	सड़क	28/12/2015	2.576	5.152	5.152
374	सेराज	साल्वर-क़ानून रोड, सेराज वन मंडल	सड़क	23/06/2006	2.686	5.4	5.4
375	सेराज	चैलैन से देवगढ़ सड़क का निर्माण	सड़क	01/03/2019	4.227	8.5	0
376	सेराज	सेराज फीट के अधिकार क्षेत्र में जिभी सेराज सड़क का निर्माण	सड़क	13/06/2012	4.316	8.632	8.632
377	सेराज	घियागी से सजवार सड़क का निर्माण	सड़क	20/04/2010	4.337	8.674	8.674
378	सेराज	सपग्नि कांडा रोड, सेराज वन मण्डल 950	सड़क	30/05/2006	4.786	9.572	9.572
379	सेराज	नागलारी-बंदल-शरची सड़क का निर्माण	सड़क	05/03/2010	5.76	11.52	11.52
380	सेराज	400 केवी डी/सी पार्वती-II पार्वती-III ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	जलविद्युत परियोजना	12/01/2011	6.5115	13.023	13.023
381	सेराज	देहुरी-शनाड-श्रीकोट सड़क का निर्माण	सड़क	12/07/2017	6.9528	13.9056	8.4756
382	सेराज	चारोर से बनाला तक 22 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	30/01/2017	12.62	25.5	25.5
383	सेराज	एनएचपीसी के पार्बती-II से कोल्डम जलविद्युत परियोजना तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	ट्रांसमिशन लाइन	30/11/2012	75.996	152	152

परिशिष्ट 4.2

(परिच्छेद 4.2.2)

निर्धारित समय में प्रतिपूरक वनीकरण न करने के कारण हुई लागत-वृद्धि

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	वर्षों में विलम्ब	प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव हेतु जमा की गई निधियां
1	भरमौर	बाजोल से गुवारी तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण	सड़क	26/10/2018	2.62	5.5	0.430137	9,82,080
2	भरमौर	उरई से घटोर सड़क का निर्माण	सड़क	18/12/2018	3.33	13.32	0.284932	21,96,984
3	भरमौर	हरसर से चोबिया सड़क का निर्माण	सड़क	18/10/2018	4.8352	29.34	0.452055	40,21,181
4	चम्बा	जीएसएसएस भरियां-कोठी में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण	विविध	22/09/2017	1.2	2.5	1.523288	2,04,750
5	चम्बा	चांजू-II जलविद्युत परियोजना	जलविद्युत परियोजना	15/01/2018	21.0557	21.0557	1.208219	59,21,849
6	चौपाल	चौपाल झिकनीपुल सड़क पर आरसीसी पुल	सड़क	11/08/2015	0.10	1	3.641096	79,034
7	चौपाल	चायली से लोअर देवत तक सड़क का निर्माण	सड़क	01/09/2007	0.225	1.1	11.58904	79,534
8	चौपाल	तारापुर से शनाग तक सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	25/03/2008	0.6	1.5	11.02466	90,557
9	चौपाल	चौपाल (लास्टा-धार) में सब स्टेशन का निर्माण	विविध	27/07/2012	0.6254	1.5	6.682192	1,06,781
10	चौपाल	रिनजेट डेइया सड़क	सड़क	13/11/2006	0.8	2	12.38904	91,638
11	चौपाल	नेरवा से ओबटावा सड़क	सड़क	24/10/2006	1.02	2	12.44384	1,09,475
12	चौपाल	तिमवी-लाचोग सड़क, चौपाल वन मंडल	सड़क	24/10/2006	1.2	2.5	12.44384	1,20,919
13	चौपाल	पेहलोग से मैक्रोग सड़क, वन मण्डल चौपाल	सड़क	15/02/2007	1.326	3	12.13151	1,05,457
14	चौपाल	जांगला से हरिजन बस्ती देवत तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	08/02/2019	1.6071	3.2142	0.142466	5,99,209

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	वर्षों में विलम्ब	प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव हेतु जमा की गई निधियां
15	चौपाल	बसारा-चंजन रोड, चौपाल वन मंडल	सड़क	01/11/2006	2.04	4.5	12.42192	2,53,621
16	चौपाल	नकोड़ा-खादर सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	05/11/2007	2.1	4.5	11.41096	3,80,878
17	चौपाल	कुठारधार मन्नू सड़क, चौपाल वन मण्डल	सड़क	01/09/2006	2.2	4.5	12.58904	1,75,486
18	चौपाल	किमाचंद्रावली-बिजमल सड़क का निर्माण	सड़क	21/06/2007	2.385	2.5	11.7863	2,53,621
19	चौपाल	रानवी से पौरिया तक सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल	सड़क	06/11/2007	2.84	6	11.40822	3,58,737
20	चौपाल	बेलाग-खोखा सड़क, चौपाल वन मंडल	सड़क	06/10/2006	2.859	6	12.49315	2,77,178
21	चौपाल	शाल्वी जलविद्युत परियोजना 4.75 मेगावाट का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	27/09/2012	3.4198	7	6.512329	7,47,238
22	चौपाल	मन्नू से इर्रा तक सड़क का निर्माण, चौपाल वन मण्डल 1355	सड़क	25/03/2008	3.55	8	11.02466	3,96,080
23	चौपाल	मुंडोची से नवी तक सड़क, चौपाल	सड़क	14/03/2008	3.9	8	11.05479	5,15,500
24	चौपाल	रानवी से छत्ता धार सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	4.08	9	11.41096	4,64,000
25	चौपाल	मशरेन से पंचायत मुख्यालय पौरिया तक सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	4.32	9	11.41096	5,67,712
26	धर्मशाला	इंदू से चोला तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	06/05/2017	0.3643	0.7286	1.90411	9,296
27	धर्मशाला	मोरछ से गारगून तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	06/05/2017	0.9012	2	1.90411	37,185
28	किन्नौर	रिकांग-पिओ में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	विविध	15/01/2007	0.0473	1	12.21644	47,745
29	किन्नौर	स्टोन क्रशर की स्थापना (केवल बीआरओ वर्क्स)	विविध	01/09/2009	0.475	1	9.586301	2,46,900

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	वर्षों में विलम्ब	प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव हेतु जमा की गई निधियां
30	किन्नौर	1000 मेगावाट करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	12/07/2018	0.7609	6	0.720548	8,06,910
31	किन्नौर	श्री डी.आर.नेगी के पक्ष में नदी तल के खनिजों का उत्खनन	खनन	26/07/2007	1.3819	2.79	11.69041	4,33,560
32	किन्नौर	रैंगल से मिरू सड़क का निर्माण	सड़क	21/05/2018	1.4971	6	0.863014	8,06,910
33	किन्नौर	करछम वांगतू के लिए अतिरिक्त भूमि (पहुंच सड़क)	जलविद्युत परियोजना	25/07/2008	1.6348	3.3	10.69041	3,37,920
34	किन्नौर	तीन मेगावाट पांगी छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/04/2010	1.7888	3.6	8.956164	3,98,664
35	किन्नौर	रुक्ती-II छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	26/08/2009	2.2812	5	9.60274	5,53,700
36	किन्नौर	9.00 मेगावाट परियोजना राला जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	20/10/2011	2.86	6	7.452055	6,63,300
37	किन्नौर	गांव ब्रुआ तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	10/04/2013	3.5418	7	5.978082	7,74,200
38	किन्नौर	छोल्टू से जानी तक सड़क का निर्माण	सड़क	02/07/2013	4.2017	8.5	5.750685	8,70,400
39	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को डबल लेन विनिर्देशन में अपग्रेड करना	सड़क	30/07/2009	4.89	10	9.676712	11,07,400
40	किन्नौर	पूरबनी में टीडोंग-I जलविद्युत प्रोजेक्ट पावर हाउस से काशंग-आबा ट्रांसमिशन लाइन के लिलो बिंदु तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	22/11/2018	54.2927	109	0.356164	2,09,94,490
41	कुल्लू	राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से बड़ागांव तक लिंक रोड, कुल्लू वन मंडल	सड़क	15/02/2007	0.0429	0.09	12.13151	4,336
42	कुल्लू	बाशिंग में एलपीजी गोदाम का निर्माण	विविध	17/06/2011	0.112	0.5	7.794521	46,762

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	वर्षों में विलम्ब	प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव हेतु जमा की गई निधियां
43	कुल्लू	चालान से सलाट्री लिंक रोड का निर्माण	सड़क	15/05/2017	0.168	0.5	1.879452	78,453
44	कुल्लू	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में जल विज्ञान परियोजना-II के लिए जलापूर्ति योजना बाशिंग बिहाल व डाटा सेंटर का संवर्धन	विविध	05/08/2009	0.33	0.66	9.660274	47,440
45	कुल्लू	जीआरईएफ द्वारा दक्षिण पोर्टल पर प्रातः 7.00 बजे तक पहुंचने के लिए धुंडी ब्रिज 224 मीटर स्पैन का निर्माण	सड़क	20/09/2012	0.3782	0.7564	6.531507	59,756
46	कुल्लू	शासकीय उच्च विद्यालय पलचान का निर्माण	विविध	25/02/2015	0.399	0.8	4.09863	87,304
47	कुल्लू	लंका बकर, कुल्लू वन मण्डल में सीवरेज प्रशोधन संयंत्र	विविध	25/04/2007	0.65	1.3	11.94247	88,221
48	कुल्लू	मनाली-III में मलबा डंपिंग साइट का निर्माण	विविध	23/05/2018	0.7682	2	0.857534	1,87,081
49	कुल्लू	सरवरी-III छोटी जल विद्युत परियोजना (दो मेगावाट) का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	15/01/2016	1.0171	2.05	3.210959	3,03,788
50	कुल्लू	मनाली-सरचू सड़क का पुनर्निर्माण	सड़क	26/02/2010	1.195	2.39	9.09863	1,88,811
51	कुल्लू	भेखली से सारी तक सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	02/03/2010	1.503	3.006	9.087671	2,37,000
52	कुल्लू	2.5 मेगावाट सुमन सरवरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/09/2008	2.2	4.5	10.54521	4,45,089
53	कुल्लू	4.8 मेगावाट अलेओ-II जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/10/2011	2.2026	4.4052	7.476712	4,20,989
54	कुल्लू	4.5 मेगावाट केष्ठा जलविद्युत परियोजना योजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	09/05/2014	3.5739	17.5	4.89863	19,09,800

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	वर्षों में विलम्ब	प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव हेतु जमा की गई निधियां
55	कुल्लू	आरटी के दक्षिण पोर्टल तक पहुंचन सड़क पर विभिन्न स्थानों पर हिम हिमस्खलन सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण	विविध	03/07/2015	3.8779	7.8	3.747945	4,23,390
56	कुल्लू	नागुझोर से मशना थाच तक सड़क का निर्माण	सड़क	01/02/2010	3.88	8	9.167123	6,32,000
57	कुनिहार	फैक्ट्री स्थल तक पहुंच मार्ग, कुनिहार वन मंडल	सड़क	24/10/2006	0.19	0.38	12.44384	5,818
58	कुनिहार	सैनवाला में पहले से स्थापित स्टोन क्रशर का संचालन	विविध	21/04/2011	0.2819	0.6	7.950685	67,954
59	कुनिहार	गोएला में 1*3.15 एमवीए, 33/11 केवी सब-स्टेशन का निर्माण	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	15/09/2016	0.3386	0.7	2.542466	1,34,735
60	कुनिहार	शासकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट बेजा का निर्माण	विविध	16/03/2010	0.668	1.5	9.049315	1,69,884
61	कुनिहार	घाघर से मंजू स्कूल तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	16/03/2010	1.967	4	9.049315	2,39,500
62	कुनिहार	दानोघाट संझा आरा नेरी प्लाटा से सड़क का निर्माण	सड़क	10/10/2017	3.8423	7.685	1.473973	14,91,995
63	कुनिहार	चूना पत्थर खनन के लिए मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड	खनन	10/04/2015	84.36	173	3.978082	1,10,03,480
64	नाचन	ग्राम नागुराम में गोसदन का निर्माण	विविध	28/03/2017	0.387	0.8	2.010959	97,016
65	नाचन	जीपी थाची में व डडवास व इसके आसपास के गांव में उठाऊ जलापूर्ति योजना का निर्माण	सिंचाई	07/10/2015	0.5384	1.0768	3.484932	2,87,019

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	वर्षों में विलम्ब	प्रतिपूरक वनीकरण व उसके रखरखाव हेतु जमा की गई निधियां
66	नाचन	1.5 मेगावाट सूरा छोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	08/12/2016	0.5655	1.13	2.312329	1,75,582
67	नाचन	3.5 मेगावाट चाचिओट छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	26/05/2016	1.2228	2.5	2.849315	1,28,100
68	सेराज	पत्थर खदान हेतु मुरारी माता स्टोन क्रेशर का निर्माण	खनन	26/06/2018	2.4	2.4	0.764384	3,92,832
69	सेराज	चैलैन से देवगढ़ सड़क का निर्माण	सड़क	01/03/2019	4.227	8.5	0.084932	13,60,842
प्रतिपूरक वनीकरण व रखरखाव हेतु जमा की गई कुल निधियां								**6,79,03,056**
591 हेक्टेयर (जनजातीय - 217 हेक्टेयर, गैर जनजातीय - 374 हेक्टेयर) क्षेत्र में 69 मामलों के प्रति प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं उससके रखरखाव हेतु अपेक्षित निधियां								**15,50,90,218**
निर्धारित समय के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण न करने के कारण लागत-वृद्धि								**8,71,87,162**

परिशिष्ट 4.3

(परिच्छेद 4.2.3)

194 मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण के निष्पादन में विलम्ब का विवरण

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
1	चौपाल	रोहाना/गुम्मा से बौर सड़क	सड़क	19/08/2014	9.2621	18.5	1708700	0.04	1836532	868298	127832
2	कुल्लू	कुल्लू से कारोन तक सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण	सड़क	07/08/2013	4.83	9.86	1110200	0.07	922857	370223	-187343
3	चम्बा	मौजा तूर में स्लेटों की उत्खनन	खनन	23/06/2010	0.16	0.5	44141	0.19	43107	6571	-1034
4	चम्बा	साहू में दो मेगावाट डिकलेरी छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	23/06/2010	1.9321	4	353130	0.19	344856	52568	-8274
5	धर्मशाला	मौजूदा मटौर-धर्मशाला सड़क का चौड़ीकरण/सुधार	सड़क	16/06/2011	1.08	2.2	173800	0.21	201436	49564	27636
6	चम्बा	36 मेगावाट चांजू-I जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	15/06/2011	34.697	69.5	7096506	0.21	6256599	1378026	-839907
7	सेराज	सेराज वन के क्षेत्राधिकार में जिभी सेराज सड़क का निर्माण	सड़क	13/06/2012	4.316	8.632	769133	0.22	791114	248489	21981
8	भरमौर	पांच मेगावाट कुवारसी जलविद्युत परियोजना	सड़क	07/06/2012	1.8525	4	636576	0.23	438808	141828	-197768
9	कुल्लू	24 मेगावाट बड़ागांव छोटी जलविद्युत परियोजना क्षेत्र का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	07/06/2011	7.72	15.5	1224488	0.24	1419211	349200	194723
10	भरमौर	पिल्ली से सवाई तक सड़क का निर्माण	सड़क	04/06/2012	3.5668	7.5	1070159	0.24	822765	265928	-247394
11	किन्नौर	24 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सेल्टी मसरानाग	जलविद्युत परियोजना	28/05/2013	4.7564	9.5	2264160	0.26	889162	356706	-1374998
12	कुल्लू	भुट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	विविध	28/05/2013	0.0437	0.0874	7668.731	0.26	8180	3282	512

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
13	चौपाल	कुपवी से मशोट सड़क का निर्माण, चौपाल वन मंडल	सड़क	16/05/2011	4.98	10	1624000	0.30	915620	225290	-708380
14	धर्मशाला	पांच मेगावाट बानेर संगम लघु जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/05/2011	4.5885	10	819940	0.30	915620	225290	95680
15	धर्मशाला	5.00 मेगावाट ब्राहल टॉप छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	09/05/2012	4.2405	8.5	778209	0.31	779017	244690	808
16	भरमौर	कुवार्सी-II छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण (पांच मेगावाट)	जलविद्युत परियोजना	09/05/2014	3.3401	7	1249394	0.32	830662	404670	-418732
17	चम्बा	सहायक पर्यावरण अभियंता कार्यालय, सुल्तानपुर	विविध	27/04/2012	0.084929	0.168	17154	0.35	15397	4836	-1757
18	नाचन	जरोल से जुगंध सड़क तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण	सड़क	21/04/2011	2.8001	5.6	229166	0.36	512747	126162	283581
19	धर्मशाला	4.8 मेगावाट मनुनि-II छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	06/04/2011	3.0429	6.1	497150	0.41	558528	137427	61378
20	धर्मशाला	बनोई में बीएसएफ बटालियन की स्थापना	विविध	06/04/2011	3.6069	7.5	693735	0.41	686715	168968	-7020
21	धर्मशाला	करेरी खास से खारी बेही तक सड़क का निर्माण	सड़क	16/03/2010	2.511	5.5	434500	0.46	474177	72281	39677
22	सेराज	नागलारी-बंदल-शरची सड़क का निर्माण	सड़क	05/03/2010	5.76	11.52	687919	0.49	993185	151396	305266
23	चम्बा	साल-II (तीन पाइपलाइन) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	02/03/2012	2.6947	6	612648	0.50	549894	172722	-62754
24	कुल्लू	फोजल में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का निर्माण	विविध.	26/02/2013	0.4285	1	103439	0.51	93596	37548	-9843

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
25	कुल्लू	झाकड़ी से मेहा (बिहाल) तक 1.593 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए अतिरिक्त वन भूमि	सड़क	24/02/2011	0.7227	2	175825	0.52	183124	45058	7299
26	भरमौर	दल्ली से सहन सड़क का निर्माण (0/0 से 6/780 किमी)।	सड़क	15/02/2010	2.71	5.5	635961	0.54	576758	89029	-59204
27	चम्बा	मौजा सुल्तानपुर में मणिमहेश स्टोन क्रशर	खनन	13/02/2009	0.34	1	20800	0.55	72094	6258	51294
28	भरमौर	240 मेगावाट कुठेर जलविद्युत परियोजना	जलविद्युत परियोजना	11/01/2013	61.4083	123	19393669	0.64	13618505	4713461	-5775164
29	भरमौर	डिबरी-औरा तक सड़क का निर्माण, भरमौर वन मण्डल	सड़क	29/12/2009	2.1408	4.5	479531	0.67	471893	72842	-7639
30	नाचन	भाकली से खोला नाल सड़क का निर्माण, नाचन वन मंडल	सड़क	07/12/2010	7.89	16	601600	0.73	1464992	360464	863392
31	कुल्लू	रोहतांग मढ़ी व गुलाबा में पर्यटन ढांचे का निर्माण	विविध	23/11/2015	7.425	15	1874250	0.77	1715580	1013790	-158670
32	किन्नौर	एनएचडीएल से एनएच-22 (अब एनएच-5) तक का चौड़ीकरण/सुधार	सड़क	06/11/2017	62.3604	63	28548450	0.82	8179227	8493219	-20369223
33	भरमौर	बाजोली होली जलविद्युत परियोजना का निर्माण (180 मेगावाट)	जलविद्युत परियोजना	20/10/2012	75.304	151	19529804	0.86	16907470	6983448	-2622334
34	चम्बा	राजेरा से करतार (जालंधर) ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	22/09/2010	32	65	5135000	0.94	5951530	1464385	816530
35	कुल्लू	बंद्रोल में छोटी फायरिंग रेंज का निर्माण	विविध	22/09/2017	2.14	4.28	581431	0.94	468335	455319	-113096
36	धर्मशाला	तोता रानी में 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	विविध.	09/09/2008	0.159	0.5	29211	0.98	36047	3129	6836

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
37	कुल्लू	शासकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगतसुख का निर्माण	शिक्षा	01/09/2012	0.2	0.4	39576	1.00	37438	15019	-2138
38	चम्बा	किरी-बंजाल सड़क का निर्माण	सड़क	22/08/2014	2.21	4.5	685500	1.03	510426	256266	-175074
39	चौपाल	दो मेगावाट हमाल छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/08/2009	2.999	6	523697	1.06	517284	78852	-6413
40	किन्नौर	चौरा से मझगांव रूपी सड़क का निर्माण	सड़क	03/08/2017	12.5478	31	7017470	1.08	4024699	4179203	-2992771
41	भरमौर	नयाग्राम से बजोल तक सड़क का निर्माण	सड़क	21/07/2009	4.8072	10	1156256	1.12	1048650	161870	-107606
42	कुल्लू	लोरन से सरली सड़क का निर्माण	सड़क	20/07/2012	1.358	3	280619	1.12	280788	112644	169
43	कुल्लू	ग्राम रामपुर से 17 मील तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	18/07/2017	0.2194	1	103389	1.12	109424	106383	6035
44	भरमौर	गांव कुठेड़ तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	10/07/2009	1.6509	3.5	404490	1.15	367028	56655	-37463
45	धर्मशाला	सुधेर से धार तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	05/07/2011	0.3375	0.675	369505	1.16	61863	19431	-307642
46	कुल्लू	खराहल तक उठाऊ सिंचाई सींच एवं प्रवाह सिंचाई का निर्माण	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	30/06/2017	0.22	0.5	49144	1.17	54712	53192	5568
47	चौपाल	नौरा से कुलग तक सड़क का निर्माण, चौपाल वन मंडल	सड़क	24/06/2011	1.476	9	543336	1.19	824841	259083	281505
48	सेराज	पत्थर खदान के लिए मेसर्स गर्गाचार्य स्टोन क्रशर	खनन	19/06/2012	0.9829	2	158807	1.20	187192	75096	28385
49	धर्मशाला	3.6 मेगावाट गज-गर्जु चरण-I छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	03/06/2011	3.8436	8	652000	1.25	733192	230296	81192
50	कुल्लू	सोलंग में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.03	0.36	24390	1.26	33695	13517	9305
51	कुल्लू	मराही में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.0325	0.39	26422	1.26	36502	14644	10080

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
52	कुल्लू	रोहतांग में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.0375	0.45	30487	1.26	42118	16897	11631
53	चौपाल	धाबास बग्गर सड़क का निर्माण	सड़क	16/05/2011	2.163	13.5	876132	1.30	1237262	388625	361130
54	चौपाल	सजनाला-रेउनी-लहंगरा सड़क का निर्माण	सड़क	13/05/2011	2.115	13.5	995079	1.30	1237262	388625	242183
55	धर्मशाला	ग्राम दियारा से लिंक रोड	सड़क	12/05/2008	0.5171	1.02	60933	1.30	73536	6383	12603
56	नाचन	बौंचरी कंधा सड़क का निर्माण (0/0-15/130 किमी)	सड़क	11/05/2010	8.71	18	674820	1.31	1648116	405522	973296
57	नाचन	कुकलाह से बागी सड़क के निर्माण को 3.98 हेक्टेयर भूमि पर अपवर्तन	सड़क	05/05/2010	3.98	8	433325	1.33	732496	180232	299171
58	चौपाल	सरकाली से कियारी शालन तक सड़क का निर्माण	सड़क	21/04/2011	2.868	18	1398819	1.36	1649682	518166	250863
59	धर्मशाला	दौलतपुर-जालारी-हर-खरात सड़क का निर्माण	सड़क	20/04/2010	2.0468	4.1	197834	1.37	375404	92369	177570
60	चौपाल	बटेरा से कंडल तक सड़क का निर्माण	सड़क	18/04/2011	2.184	12	526455	1.37	1099788	345444	573333
61	धर्मशाला	ठाकुरद्वारा से बड़ी बेही तक सड़क का निर्माण	सड़क	17/04/2008	1.607	3.5	158497	1.37	252329	21903	93832
62	चम्बा	देवीदेहरा से बकटपुर सड़क का निर्माण	सड़क	16/04/2008	1.67	4	219756	1.38	288376	25032	68620
63	कुल्लू	सुमन सरवरी जलविद्युत परियोजना की क्षमता में वृद्धि	जलविद्युत परियोजना	29/03/2012	0.6717	1.5	140430	1.42	140394	56322	-36
64	चम्बा	कोलका-जटकरी सड़क, चंबा वन मंडल	सड़क	25/03/2008	4.94	10	465728	1.44	720940	62580	255212
65	कुल्लू	ट्रांसमिशन लाइन सहित 2.5 मेगावाट खलारा जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	22/03/2017	1.1925	2.5	331495	1.45	273560	265958	-57935

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
66	चौपाल	पांच मेगावाट सैंज छोटी जलविद्युत परियोजना (ठियोग व चौपाल) का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/03/2008	3.39	7	415137	1.45	504658	43806	89521
67	कुल्लू	1.00 मेगावाट रुजग छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/03/2012	0.9835	2	185844	1.45	187192	75096	1348
68	चम्बा	भनेरा से कोलका तक सड़क निर्माण, चंबा	सड़क	17/03/2008	2.48	5	278764	1.46	360470	31290	81706
69	चम्बा	दुनाली से ब्रेही तक सड़क निर्माण, चंबा	सड़क	17/03/2008	3.402	7	448177	1.46	504658	43806	56481
70	कुल्लू	बांध स्थल से ग्राम गदियारा तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	14/03/2012	0.404	0.808	75584.02	1.47	75626	30339	42
71	धर्मशाला	पांच मेगावाट इकू-II छोटी जलविद्युत परियोजना, धर्मशाला मंडल	जलविद्युत परियोजना	11/03/2008	0.15	0.5	460327	1.47	36047	3129	-424280
72	धर्मशाला	कुठारना से करेरी तक सड़क का निर्माण	सड़क	15/02/2010	2.2577	4.5154	356717	1.54	413439	101727	56722
73	नाचन	सैंज से कसान सड़क 0/0 से 5/00 किमी तक का निर्माण	सड़क	10/02/2010	1.92	3.84	157874	1.56	351598	86511	193724
74	धर्मशाला	रिरकमार से घाटार्डा सड़क का निर्माण	सड़क	01/02/2011	1.201	2.4	195601	1.58	219958	69089	24357
75	धर्मशाला	सल्ली से कनोल तक लिंक रोड का निर्माण, धर्मशाला वन मण्डल	सड़क	07/12/2007	0.7162	1.5	87635	1.73	108141	9387	20506
76	कुल्लू	पांच मेगावाट ग्रामोंग जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	25/11/2011	2.2958	5	467765	1.77	467980	187740	215
77	धर्मशाला	कुफरी-पटियालकर-सरथाना-रौनकर सड़क का निर्माण	सड़क	18/10/2007	0.591	1.2	70108	1.87	86513	7510	16405

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
78	चम्बा	बकानी से कलवाड़ा सड़क का निर्माण	सड़क	13/10/2010	4.75	9.5	970000	1.88	819033	124849	-150967
79	धर्मशाला	दार्नू-टौहू-बांगरोटा सड़क का निर्माण	सड़क	08/10/2010	0.984	2	109600	1.90	183298	57574	73698
80	धर्मशाला	मौजूदा गगल छत्रु सड़क का सुधार व चौड़ीकरण	सड़क	31/08/2010	0.7305	1.5	82200	2.00	137474	43181	55274
81	धर्मशाला	सातोबारी-बार्नेट सड़क का निर्माण	सड़क	20/08/2007	1.2413	2.5	108916	2.03	180235	15645	71319
82	चम्बा	मलबा निपटान स्थलों के लिए अतिरिक्त वन भूमि (चमेरा-III)	जलविद्युत परियोजना	09/07/2009	2.83	6	529695	2.15	517284	78852	-12411
83	भरमौर	4.50 मेगावाट कुरहेड़ छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/06/2008	6.4347	13	1127153	2.22	1363245	210431	236092
84	चौपाल	तारान्ह-बनाह सड़क का निर्माण	सड़क	01/06/2007	4.95	10	682218	2.25	720940	62580	38722
85	कुल्लू	कोठी में शौचालयों का निर्माण	विविध	29/05/2012	0.0195	0.2	15843	2.26	19854	9387	4011
86	कुल्लू	कुल्लू शहर में जल आपूर्ति योजना के संवर्धन के लिए डब्ल्यूटीपी का निर्माण	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	18/05/2016	2.1074	4.21	359534	2.29	460675	447872	101141
87	कुनिहार	400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (कोल्डैम)	ट्रांसमिशन लाइन	22/04/2008	1.058	2.25	116400	2.36	193982	29570	77582
88	सेराज	घियागी से सजवार तक सड़क का निर्माण	सड़क	20/04/2010	4.337	8.674	517968	2.37	794963	249698	276995
89	चम्बा	कियानी-मौवा-मकोल्सू सड़क का निर्माण	सड़क	11/04/2008	1.72	3.5	163045	2.39	301749	45997	138704
90	कुल्लू	काहला बिहाल फतिन जिंदर कोथिन सारी में स्टोर का निर्माण	विविध	02/04/2008	0.17	0.34	11933	2.42	29313	4468	17380
91	चम्बा	मोहरी-नाला कुठार सड़क	सड़क	25/03/2008	1.672	3.5	218081	2.44	301749	45997	83668
92	धर्मशाला	मैक्लोडगंज में नैरोजी कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग	विविध	13/03/2007	0.4443	1	58423	2.47	72094	6258	13671

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
93	धर्मशाला	भू शिंगार के पक्ष में 1.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/03/2008	4.447	9	422402	2.48	775926	118278	353524
94	सेराज	जिभी से तांदी तक सड़क का निर्माण	सड़क	26/02/2010	2.5447	5.0894	402193	2.51	466438	146509	64245
95	धर्मशाला	मैक्लोडगंज में भागसूनाग सड़क के पास पार्किंग,	विविध	13/02/2007	0.1275	0.3	19037	2.55	21628	1877	2591
96	धर्मशाला	होटल शाहिबा मैक्लोडगंज के सामने पार्किंग	विविध	13/02/2007	0.45	1	58323	2.55	72094	6258	13771
97	सेराज	400 केवी डी/सी पार्वती-II पार्वती-III ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	जलविद्युत परियोजना	12/01/2011	6.5115	13.023	1243655	2.64	1218901	488988	-24754
98	कुल्लू	स्टोन क्रेशर एवं खदान की स्थापना	खनन	22/11/2010	3.4	6.8	537200	2.78	636453	255326	99253
99	कुल्लू	डार्का में सेक्शन स्टोर सह शिकायत कार्यालय का निर्माण	विविध	08/11/2010	0.028	0.5	38291	2.81	46798	18774	8507
100	कुल्लू	दोघरी समाना तियुन सड़क का निर्माण	सड़क	08/11/2010	4.2097	8.5	671500	2.81	795566	319158	124066
101	धर्मशाला	बारा खोथा से अंकार कोहला तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	18/10/2007	2.16	5	389801	2.87	431070	65710	41269
102	भरमौर	सुईर जलविद्युत परियोजना का निर्माण, भरमौर वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	28/09/2007	1.0315	2.5	160727	2.93	262163	40468	101436
103	कुल्लू	नेउली से लारीकोट (रोगीमोरे) सड़क का निर्माण 1499	सड़क	28/08/2007	0.8875	2.045	132191	3.01	176308	26875	44117
104	कुनिहार	ग्राम एवं पीओ भूमती में स्टोन क्रशर की स्थापना	खनन	28/08/2007	0.33	0.66	35453	3.01	56901	8674	21448
105	कुल्लू	1.20 मेगावाट कलाथ छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	13/08/2012	0.5358	1.5	151829	3.05	170142	85422	18313

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
106	कुल्लू	8.800 किलोमीटर मनाली-सरचू को आर्मी ट्रांजिट कैंप से जोड़ने वाली लिंकिंग रोड पर 60 मीटर स्पैन माइनर पीएमटी पुल का निर्माण	सड़क	20/07/2010	0.1335	0.267	21093	3.12	24990	10025	3897
107	कुल्लू	मनाली सरचू सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण	सड़क	20/07/2012	1.4623	3	280620	3.12	340284	170844	59664
108	कुल्लू	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण की स्थापना हेतु वन भूमि	सड़क	20/07/2012	3.0195	6.1	570593	3.12	691911	347383	121318
109	धर्मशाला	गांव बोह में चार मेगावाट ब्राहल छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	27/06/2007	3.8	8	504692	3.18	689712	105136	185020
110	कुल्लू	डोहरा नाला से बाराहार सड़क का निर्माण, वन मण्डल कुल्लू	सड़क	20/06/2007	3.89	7.8	613080	3.20	672469	102508	59389
111	नाचन	प्रीणी से नालागढ़ तक 220 केवी डी/सी टी/एल बिछाना	ट्रांसमिशन लाइन	15/05/2009	24.155	48.5	4219500	3.30	4444977	1396170	225477
112	कुल्लू	खरला से चुरला सड़क, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	09/05/2006	1.3	2.6	142629	3.32	187444	16271	44815
113	चम्बा	राख से धनारा सड़क का निर्माण	सड़क	25/03/2008	2.49	7	384681	3.44	603498	91994	218817
114	नाचन	थलौट से पंजन सड़क का निर्माण, नाचन वन मण्डल 1224	सड़क	25/03/2008	4.4343	8.8886	311289	3.44	813858	200251	502569
115	धर्मशाला	5मेगावाट मांझी-II जलविद्युत परियोजना, धर्मशाला वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	13/03/2007	2.7074	6	234733	3.47	517284	78852	282551
116	नाचन	थुनाग-केल्टी सड़क का निर्माण, नाचन वन मंडल 1163	सड़क	07/03/2008	4.7	10	391200	3.49	915620	225290	524420

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
117	कुल्लू	मनाली-सरचू रोड पर किलोमीटर 13.590 (कोठी-II) पर 21 मीटर स्पैन माइनर पीएमटी पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण	सड़क	05/03/2010	0.1586	0.3172	25058	3.49	29689	11910	4631
118	चौपाल	कुपवी-भल्लू-ढोटाली सड़क	सड़क	02/02/2007	7.57	15	399988	3.58	1293210	197130	893222
119	कुल्लू	कुंगी नाला से डूंखरी गाहर फालैन तक सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	01/02/2010	0.626	1.5	139238	3.58	140394	56322	1156
120	कुल्लू	डुघिलाग-डुबकन सड़क कुल्लू वन मंडल	सड़क	01/02/2010	0.969	2	394300	3.58	187192	75096	-207108
121	चम्बा	पांच मेगावाट डुनाली छोटी जलविद्युत परियोजना, चंबा वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	15/01/2007	0.959	2	70200	3.63	172428	26284	102228
122	कुल्लू	चुरला से खानीपांधे सड़क का निर्माण, कुल्लू वन मंडल	सड़क	31/12/2009	1.883	4	316000	3.67	374384	150192	58384
123	नाचन	चकुधार से चिउनी तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण	सड़क	04/12/2007	2.93	5.86	240921	3.75	536553	132020	295632
124	नाचन	ग्राम डडवास (थाची) में डीवीओआर की स्थापना	विविध	13/11/2007	0.3656	1	32600	3.80	91562	22529	58962
125	नाचन	थाची से दडवास सड़क का निर्माण, नाचन वन मण्डल	सड़क	12/11/2007	0.77	2	80440	3.81	183124	45058	102684
126	नाचन	बसन से सोमगाड सड़क, नाचन वन मंडल	सड़क	12/11/2007	4.04	8.08	328129	3.81	739821	182034	411692
127	धर्मशाला	हरनेरा से चालियान तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	07/11/2007	0.7162	1.13	70080	3.82	103465	25458	33385
128	चौपाल	बडलॉग झिना सड़क, चौपाल वन मंडल	सड़क	06/10/2006	1.368	3	132457	3.91	258642	39426	126185

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
129	नाचन	चैल चौक पर उपमंडी प्रांगण का निर्माण	विविध	14/09/2007	0.172	1	35100	3.97	91562	22529	56462
130	कुनिहार	सरयांज घड़्याच केओल स्नोग सड़क का निर्माण	सड़क	01/09/2006	7.1	14.2	711040	4.00	1224239	186616	513199
131	कुनिहार	गगल काशीलु रोड, कुनिहार वन मंडल	सड़क	24/08/2006	0.84	1.68	92298	4.02	144840	22079	52542
132	कुल्लू	मनालसू ब्रिज-पलचान वाया बरुआ सड़क	सड़क	15/06/2006	0.707	1.4142	77590	4.22	121924	18585	44334
133	किन्नौर	काशंग चरण-II व III (130 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	14/06/2011	17.6857	36	9691920	4.22	4887540	2525148	-4804380
134	कुल्लू	गांधीनगर में सरकारी मिडिल स्कूल भवन का निर्माण	विविध	09/06/2009	0.04	0.08	7426	4.23	7488	3004	62
135	चौपाल	सरायन से झाकर सड़क का निर्माण, चौपाल वन मंडल	सड़क	01/06/2007	6.381	13	748000	4.25	1190306	292877	442306
136	नाचन	1.50 मेगावाट ग्रौहन जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	14/05/2007	1.602	3.25	130800	4.30	297577	73219	166777
137	धर्मशाला	नगरोटा से मल्लान तक सड़क का चौड़ीकरण/सुधार	सड़क	10/04/2007	0.6294	1.26	81180	4.40	115368	28387	34188
138	कुल्लू	192 मेगावाट अल्लैन दुहांगन जल विद्युत परियोजना अतिरिक्त भूमि 9.55 हेक्टेयर वन भूमि	जलविद्युत परियोजना	08/04/2008	9.55	36.08	1983606	4.40	3228274	801657	1244668
139	भरमौर	ट्रांसमिशन लाइन बुद्धिल छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	05/03/2010	21.6702	44	4855537	4.50	4788955	1428299	-66582
140	चम्बा	मैसर्स हिमालयन स्लेट व स्टोन्स	खनन	03/03/2008	1.392	3	84000	4.50	274947	86361	190947
141	कुल्लू	पलचान-II पुल का निर्माण	विविध	04/03/2011	0.2253	0.4506	35597	4.50	51111	25661	15514

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
142	कुल्लू	4.50 मेगावाट सरवरी-II जल विद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/12/2008	1.8	4	316000	4.71	374384	150192	58384
143	कुल्लू	फोज़ल नाला पर 9.00 मेगावाट फ़ोज़ल जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	16/12/2008	2.885	6	474050	4.71	561576	225288	87526
144	चौपाल	सरैन-पुलबहाल सड़क	सड़क	07/12/2006	9.609	20	737000	4.74	1831240	450580	1094240
145	कुनिहार	जेपी द्वारा सीमेंट परियोजना (चूना पत्थर)	सीमेंट संयंत्र	02/06/2006	239.5096	479	27449018	5.25	42931126	9408373	15482108
146	किन्नौर	शौंगटोंग करछम (402 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	14/11/2012	63.5015	128	14156800	5.4	15511016	8178882	1354216
147	धर्मशाला	नड्डी भच्छेटर सड़क पर लिंक रोड धर्मशाला वन मण्डल	सड़क	04/04/2006	0.535	1.1	70840	5.41	100718	24782	29878
148	कुल्लू	ब्यास कुंड जलविद्युत परियोजना पांच मेगावाट	जलविद्युत परियोजना	19/03/2008	2.9306	5.8612	323136	5.45	548585	220076	225449
149	कुल्लू	पलचान सोलंग रोड का चौड़ीकरण, कुल्लू वन मंडल	सड़क	02/03/2007	2.8562	5.7124	285142	5.50	523536	164443	238394
150	सेराज	बाहु से बछुट सड़क तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	12/12/2007	1.686	3.37	201360	5.72	315419	126537	114059
151	कुल्लू	गांव शनाग से गांव मझाच तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	12/11/2007	2.5549	5.1098	294916	5.81	478257	191863	183341
152	भरमौर	चिरचिंद जलविद्युत परियोजना भरमौर वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	03/11/2006	4.5222	10	1128932	5.83	1085650	277490	-43282
153	कुल्लू	1.5 मेगावाट हरिपुर नाला छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	02/11/2007	0.9583	2	70190	5.83	187192	75096	117002
154	चम्बा	मौजा भादोर, चंबा वन मण्डल में स्लेट्स की खुदाई	खनन	10/10/2006	0.16	0.5	46522	5.90	54851	17729	8329

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
155	कुल्लू	पलाचान में 2.25 मेगावाट ब्यास जलविद्युत परियोजना का निर्माण, कुल्लू वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	19/09/2007	0.7479	1.4958	87826	5.95	140001	56164	52175
156	कुल्लू	बडोह, कुल्लू वन मण्डल में सीवरेज प्रशोधन संयंत्र	विविध	31/08/2007	0.36	0.72	46669.12	6.01	67389	27035	20720
157	कुल्लू	2.6 मेगावाट शरण जलविद्युत परियोजना का निर्माण, कुल्लू वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	20/08/2007	2.5774	5.16	349330	6.04	482955	193748	133625
158	किन्नौर	रौरा-II (20 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	17/08/2012	4.8951	10	1105500	6.04	1298290	1348130	192790
159	कुल्लू	4.9 मेगावाट बाराग्रान छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	10/08/2007	0.4795	1	54915	6.06	93596	37548	38681
160	चम्बा	4.5 मेगावाट हुल जलविद्युत परियोजना, चंबा वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	18/07/2006	2.2346	4.5	157950	6.13	493659	159557	335709
161	कुल्लू	फोज़ल से फ्लेन सड़क का निर्माण कुल्लू वन मण्डल 1419	सड़क	20/06/2007	2.0952	4.5	247680	6.20	421182	168966	173502
162	कुनिहार	बागा, कुनिहार वन मण्डल में सीमेंट संयंत्र	सीमेंट संयंत्र	29/05/2006	104.6846	210	19193450	6.26	19246290	6045270	52840
163	कुल्लू	एक मेगावोट छोड़ छोटी जलविद्युत परियोजना, कुल्लू वन मण्डल	जलविद्युत परियोजना	15/03/2007	0.3584	0.7168	48563	6.47	67090	26914	18527
164	कुल्लू	सेओबाग-गहर-पहरमेहा सड़क (0/00 से 7/520)	सड़क	13/03/2007	3.5345	7.1	480152	6.47	664532	266591	184380
165	कुल्लू	कराल हिमरी सड़क, कुल्लू वन मण्डल	सड़क	15/02/2007	2.7407	5	301758	6.55	467980	187740	166222
166	कुल्लू	पंगन शेगली खेसरी गैलून से नयालंग तक सड़क	सड़क	13/02/2007	4.499	9	493785	6.55	842364	337932	348579

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
167	कुल्लू	बीआरओ के पक्ष में रोहतांग सुरंग के दक्षिण पोर्टल तक पहुंच मार्ग पर हिमस्खलन नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण	सड़क	19/01/2008	6.1437	12.2874	761472	6.62	1219795	576709	458323
168	चौपाल	मैट्रेडा से मश्रैन सड़क	सड़क	07/12/2006	2.334	5	220094	6.74	467980	187740	247886
169	चौपाल	कोटी धनाग से होते हुए कियार्नो से सराहन तक सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	1.38	3	181112	6.83	297816	140805	116704
170	किन्नौर	ग्राम पानवी तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	20/10/2006	4.919	10	477450	6.87	935960	375480	458510
171	कुल्लू	पाहनल्लाह, कुल्लू वन मण्डल में फील्ड फायरिंग रेंज	सड़क	18/08/2006	1.81	3.62	198667	7.04	338818	135924	140151
172	कुल्लू	कैस-सोइर-सोर-कोटाधार सड़क, कुल्लू वन मंडल	सड़क	18/08/2006	2.3518	4.75	321229	7.04	444581	178353	123352
173	किन्नौर	स्विच यार्ड सोरंग से ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	03/08/2010	13.3445	28	3815824	7.08	3888976	2927512	73152
174	भरमौर	70 मेगावाट बुद्धिल जलविद्युत परियोजना, भरमौर	जलविद्युत परियोजना	19/04/2006	27.9358	56	5511200	7.37	6270320	2589888	759120
175	कुल्लू	4.5 मेगावाट सरबरी छोटी जलविद्युत परियोजना, वन मण्डल कुल्लू	जलविद्युत परियोजना	04/04/2006	4.23	8.46	492255	7.41	791822	317656	299567
176	कुल्लू	जल फ़िल्टर इकाई, भंडारण व वितरण टैंक का निर्माण	विविध	02/04/2008	0.0144	0.03	2360	7.42	3403	1708	1043
177	किन्नौर	8.00 मेगावाट रउरा जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	03/01/2011	4.2017	9	918360	7.67	1168461	1213317	250101
178	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का उन्नयन/चौड़ीकरण	सड़क	03/12/2010	7.2209	14.5	1605730	7.8	1973151	1652199	367421

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
179	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का 373/00 से 395/210 तक उन्नयन/चौड़ाईकरण	सड़क	03/12/2010	21.7094	44	4872560	7.75	6020618	4902966	1148058
180	कुल्लू	अंजनी महादेव मंदिर, कुल्लू वन मंडल	विविध	28/03/2007	0.8287	3.5	490329	8.44	396998	199318	-93331
181	किन्नौर	3.00 मेगावाट शांग छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	24/12/2009	2.7004	5.5	462150	8.69	714060	741472	251910
182	किन्नौर	तीन मेगावाट टैंगलिंग छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	2.7544	5.55	246900	9.21	759190	462015	512290
183	किन्नौर	5.00 मेगावाट ब्रुआ छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण, किन्नौर	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	3.7836	8	406000	9.21	1094328	665968	688328
184	किन्नौर	4.5 मेगावाट मेलान छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	4.4119	9	462150	9.21	1231119	749214	768969
185	किन्नौर	आईटीबीपी के पक्ष में कोटा डोंगरी में सीमा चौकी का निर्माण	विविध	10/04/2008	0.5781	1.15	215667	9.40	159726	120237	-55941
186	किन्नौर	तीन मेगावाट श्यांग जलविद्युत परियोजना किन्नौर, किन्नौर वन मंडल	जलविद्युत परियोजना	15/02/2007	0.4496	1	42600	9.55	136791	83246	94191
187	किन्नौर	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में एफआईएस रिस्पा का निर्माण	विविध	13/02/2009	0.54	1.2	204512	9.55	155795	161776	-48717
188	किन्नौर	शोल्टू-पूनांग सड़क, किन्नौर वन मंडल	सड़क	02/02/2007	2.5585	5.12	244311	9.58	700370	426220	456059
189	किन्नौर	चूलिंग नाले पर पुल का निर्माण	विविध	05/12/2008	0.0601	1	51340	9.75	129829	134813	78489
190	किन्नौर	नाथपा से काशंग तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	ट्रांसमिशन लाइन	14/07/2008	57.3881	115	11776000	10.14	14930335	15503495	3154335

क्र. सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण व उसका रखरखाव	वर्षों में विलम्ब	वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर व्यय	शेष राशि बनाए रखने हेतु अपेक्षित निधियां	व्यय-आधिक्य
191	किन्नौर	1,000 मेगावाट करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना (अतिरिक्त भूमि)	जलविद्युत परियोजना	06/07/2006	4.7053	11	426000	10.16	1504701	915706	1078701
192	किन्नौर	थांगी गांव तक लिंक रोड का निर्माण	सड़क	13/06/2008	2.015	4	700414	10.22	519316	539252	-181098
193	किन्नौर	चार मेगावाट पनवी छोटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	18/06/2007	4.2381	9	462150	11.21	1168461	1213317	706311
194	किन्नौर	नाथपा से अक्पा तक 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	ट्रांसमिशन लाइन	12/08/2003	73.02	146	5966179	13.06	19971486	12153916	14005307
योग					**1377**	**2799**	**270383097**		**290706611**	**128732423**	**20323513**

परिशिष्ट 4.4

(परिच्छेद 4.2.5)

प्रतिपूरक वनीकरण की लागत-वृद्धि के कारण प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की अल्प वसूली

क्र. सं.	वन संरक्षण अधिनियम प्रस्ताव का नाम	मण्डल	अपवर्तित क्षेत्र	अंतिम अनुमोदन की तिथि	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा कुल राशि	वसूली हेतु अपेक्षित राशि (अंतिम अनुमोदनोपरांत एक वित्तीय वर्ष का समय अंतराल व बाद के वर्षों में सामग्री व श्रम की लागत में वृद्धि)	अल्प वसूली की राशि
1	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज लिहलकोठी, चंबा (हिमाचल प्रदेश)	चम्बा	1.2	04/12/2017	2.5	250818	549407	298589
2	मैकलोडगंज रोपवे, धर्मशाला का निर्माण	धर्मशाला	1.6958	06/01/2017	2.0731	350109	593332	243223
3	सब मार्केट यार्ड अंतरावली (नेरवा) का निर्माण	चौपाल	4.0265	20/06/2017	8.06	919230	2306813	1387583
4	पीज से ग्राम चकलानी तक लिंक रोड का निर्माण	कुल्लू	1.3796	06/02/2018	2.76	382053	734781	352728
5	सोइल से टांडला तक सड़क का निर्माण	कुल्लू	2.39	14/12/2018	4.78	929347	1368060	438713
6	सुई माता मंदिर से ग्राम मालूना तक लिंक रोड का निर्माण	चम्बा	2.77	03/08/2018	5.55	603735	1588438	984703
7	होली बाजोली जलविद्युत परियोजना से जीआईएस पूलिंग सबस्टेशन लाहल तक ट्रांसमिशन लाइन	भरमौर	30.6321	11/12/2018	61.5	15302280	23283180	7980900
8	सिल्लाघराट से उइल तक लिंक रोड का निर्माण	चम्बा	2.354	29/07/2019	4.7	947477	1511069	563592
9	चमेरा II में 400 केवी डी/सी टी/एल लाहल सबस्टेशन का निर्माण	भरमौर	78.8158	20/02/2019	67.5	16503726	26223641	9719915
		चम्बा			91.5	17253978	26187760	8933782
10	हिलत्राशिदाचानी सड़क का निर्माण	कुल्लू	2.61	18/03/2020	5.5	1070629	1574128	503499
11	पीएमजीएसवाई के तहत मेहला भगियार हुरिड सड़क	चम्बा	7.69	22/09/2017	15.5	2724232	3112025	387793
12	देवरी शनाड से श्रीकोट सड़क	सेराज	6.9528	12/07/2017	13.9056	1955464	3055678	1100214
	योग		**142.5166**		**285.8287**	**59193078**	**92088312**	**32895234**

परिशिष्ट 4.5

(परिच्छेद 4.2.7)

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण निधियों में व्यपवर्तित विभागीय प्रभारों (सरकारी प्राप्तियों) के रूप में प्राप्त निधियां

क्र.सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	योजनानुसार प्रतिपूरक वनीकरण पर विभागीय प्रभार
1	चौपाल	तिमवी लाछग सड़क का निर्माण	सड़क	24/10/2006	1.2	18079
2	चौपाल	बसारा से चांजन सड़क का निर्माण	सड़क	01/11/2006	2.04	46599
3	चौपाल	कुठार धार से मन्नू सड़क का निर्माण	सड़क	01/09/2006	2.2	25559
4	चौपाल	मतराल्डा रोड के माध्यम से मश्रैन का निर्माण	सड़क	07/12/2006	2.334	32156
5	चौपाल	बेलाग खोखा रुसलाह सड़क का निर्माण	सड़क	06/10/2006	2.859	40737
6	चौपाल	बैडलॉग से झीना सड़क का निर्माण	सड़क	06/10/2006	1.368	19293
7	चौपाल	नेरवा से ओबटवा सड़क का निर्माण	सड़क	24/10/2006	1.02	20065
8	चौपाल	रौनी से पौरिया रोड का निर्माण	सड़क	06/11/2007	2.84	51303
9	चौपाल	कुपवीभल्लूधातालील रोड का निर्माण	सड़क	02/02/2007	7.57	84012
10	चौपाल	नकोदर से खादर सड़क का निर्माण	सड़क	06/11/2007	2.1	54337
11	चौपाल	पेहलोग से मैक्रोग सड़क का निर्माण	सड़क	15/02/2007	1.326	19293
12	चौपाल	रानवी से छत्ता धार सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	4.08	81200
13	चौपाल	तारान्ह से बनाह सड़क का निर्माण	सड़क	01/06/2007	4.95	84727
14	चौपाल	किमाचंद्रवाली से बिजमल सड़क का निर्माण	सड़क	21/06/2007	2.385	46599
15	चौपाल	मशरैन से पंचायत मुख्यालय पोरिया वाया थियारापांड्रारा सड़क का निर्माण	सड़क	05/11/2007	4.32	14671
16	चौपाल	मुंडोचली से नवी सड़क का निर्माण	सड़क	14/03/2008	3.9	73500
17	चौपाल	तारापुर से शनाग सड़क का निर्माण	सड़क	25/03/2008	0.6	12926
18	चौपाल	पाबास से मशरान सड़क का निर्माण	सड़क	25/03/2008	4.932	89853
19	चौपाल	मेगावाट सैंज लघु जलविद्युत परियोजना का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	19/03/2008	3.39	58850
20	चौपाल	मनु से इरा सड़क का निर्माण	सड़क	25/03/2008	3.55	73850
21	चौपाल	2.00 मेगावाट हमल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड का निर्माण	जलविद्युत परियोजना	11/08/2009	2.999	51303
22	चौपाल	चायाली से लावेरदेवाट सड़क का निर्माण	सड़क	01/09/2009	0.225	14516
23	चौपाल	धाबास से बग्गर सड़क का निर्माण	सड़क	16/05/2011	2.163	124950

क्र.सं.	मण्डल	प्रस्ताव का नाम	श्रेणी	अंतिम अनुमोदन की तिथि	हेक्टेयर में क्षेत्र	योजनानुसार प्रतिपूरक वनीकरण पर विभागीय प्रभार
24	चौपाल	अंतरावली से पबंरोड़ का निर्माण	सड़क	28/06/2011	4.51	81200
25	चौपाल	कुपवी से मशोट सड़क का निर्माण	सड़क	16/05/2011	4.98	173588
26	चौपाल	सरकाली से किआरीशालान सड़क का निर्माण	सड़क	21/04/2011	2.868	85470
27	चौपाल	सजनाल्ला से रेउनीखगना सड़क का निर्माण	सड़क	13/05/2011	2.115	47407
28	चौपाल	बटेरा से कांडल सड़क का निर्माण	सड़क	18/04/2011	2.184	25559
29	चौपाल	नौरा से कुलाग सड़क का निर्माण	सड़क	24/06/2011	1.476	25853
30	चौपाल	शिरगा से शल्लान सड़क का निर्माण	सड़क	10/09/2012	7.833	152672
31	चौपाल	एमवीए, 66/22 केवी सब स्टेशन, चौपाल का निर्माण	पीपीएसईडीएल	27/07/2012	0.6254	22420
32	चौपाल	साग्रती से टिक्करी माउंटी (टिक्करी से धन्नाट का हिस्सा) सड़क का निर्माण	सड़क	23/07/2013	4.93	130650
33	चौपाल	छम्पांदलियाछामधार से चिल्ला सड़क का निर्माण	सड़क	08/01/2015	4.9721	166250
34	चौपाल	रोहानागुम्मा बौर सड़क का निर्माण	सड़क	10/09/2014	9.2621	298900
35	चौपाल	चौपाल झिकिपुल सड़क पर आरसीसी ब्रिज का निर्माण का निर्माण	सड़क	27/08/2015	0.1	14516
36	किन्नौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का चौड़ीकरण/सुधार 56 वार्षिक संचालन योजना का निर्माण	सड़क	10/10/2017	62.3604	4995979
योग						**7358842**

परिशिष्ट 5.1

(परिच्छेद 5.3)

परियोजना लागत/संशोधित तकनीकी आर्थिक मंजूरी में संशोधन के कारण जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की मांग न करना - ₹ 198.73 करोड़

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जलागम क्षेत्र शोधन योजना का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	जलागम क्षेत्र शोधन योजना कार्यान्वित करने वाले मण्डल	परियोजना की क्षमता	जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रारंभ होने का वर्ष	परियोजना प्रारंभ होने का वर्ष	प्रारंभिक तकनीकी आर्थिक मंजूरी के अनुसार परियोजना लागत (लाख में)	जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत (लाख में)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा राशि (लाख में)	शेष राशि जो जमा नहीं हुई है (लाख में)	तकनीकी आर्थिक मंजूरी (अंतिम) के अनुसार परियोजना लागत (लाख में)	संशोधित तकनीकी आर्थिक मंजूरी के अनुसार जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत (लाख में)	प्रयोक्ता एजेंसी से मांगी नहीं गई जलागम क्षेत्र शोधन योजना की अंतर लागत की (लाख में)
1	अल्लियन दुहंगन	अल्लियन दुहंगन	ए.डी. हाइड्रो पावर लिमिटेड	कुल्लू	192	2006-07	17/07/2010	24629.60	615.74	600.67	15.07	92236	2305.90	1690.16
2	रामपुर जलविद्युत परियोजना	रामपुर जलविद्युत परियोजना	एसजेवीएन लिमिटेड	रामपुर/लुहरी	412	2006-07	13/05/2014	93517.60	2337.94	2334.74316	3.20	204703	5117.58	2779.64
3	करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना	करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना	जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	किन्नौर	1000	2006-07	26/05/2011	131080.04	3277.00	3194.40111	82.60	590959	14773.98	11496.97
4	बुधिल	बुधिल	लैंको ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड	भरमौर	70	2006-07	30/05/2012	19814.20	495.35	495.35	0.00	41880	1047.00	551.65
5	सोरांग	सोरांग जलविद्युत परियोजना	हिमाचल शोरंग पावर लिमिटेड	किन्नौर	100	2007-08	01/01/2021	25880.80	647.02	614.19	32.83	58600	1465.00	817.98
6	नियोगल	नियोगल	ओम पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	पालमपुर	15	2008-09	06/05/2013	2495.60	62.39	62.39	0.00	15269	381.73	319.34
7	पटिकारी	पटिकारी	एवरेस्ट पावर लिमिटेड	मंडी/ कुल्लू	16	2009-10	06/02/2008	2285.20	57.13	49.32	7.81	12590	314.75	257.62
8	स्वराकुड्डू	स्वराकुड्डू	पाब्बर वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	रोहडू	110	2009-10	23/12/2020	29240.00	731.00	603.86	127.14	55853	1396.33	665.33

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जलागम क्षेत्र शोधन योजना का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	जलागम क्षेत्र शोधन योजना कार्यान्वित करने वाले मण्डल	परियोजना की क्षमता	जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रारंभ होने का वर्ष	परियोजना प्रारंभ होने का वर्ष	प्रारंभिक तकनीकी आर्थिक मंजूरी के अनुसार परियोजना लागत (लाख में)	जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत (लाख में)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा राशि (लाख में)	शेष राशि जो जमा नहीं हुई है (लाख में)	तकनीकी आर्थिक मंजूरी (अंतिम) के अनुसार परियोजना लागत (लाख में)	संशोधित तकनीकी आर्थिक मंजूरी के अनुसार जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत (लाख में)	प्रयोक्ता एजेंसी से मांगी नहीं गई जलागम क्षेत्र शोधन योजना की अंतर लागत की (लाख में)
9	कुट	कुट जलविद्युत परियोजना	गुड विल एनर्जी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	रामपुर	24	2009-10	19/12/2018	6688.40	167.21	167.2	0.01	19219	480.48	313.27
10	सैंज जलविद्युत परियोजना	सैंज	सैंज जल विद्युत परियोजना	जीएचएनपी	100	2011-12	04/09/2017	44614.40	1115.36	1039.5	75.86	66797	1669.93	554.57
11	बारागॉव	बारागॉव	कंचनजंगा पावर कंपनी प्रा. लिमिटेड	कुल्लू	24	2011-12	12/10/2015	16811.20	420.28	420.28	0.00	17481	437.03	16.75
12	अपर नांती	अपर नांती जलविद्युत परियोजना	मैसर्स नंती हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	रामपुर	13.5	2012-13	26/10/2017	8312.59	207.81	156	51.81	11448.14	286.20	78.39
13	वांगर होमटे	वांगर होमटे	मैसर्स पंचहोर हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड	किन्नौर/ डब्ल्यूएल सराहन	24.6	2013-14	15/02/2021	16400.00	410.00	103.5	306.50	27450	686.25	276.25
14	चांजू II	चांजू II	मेसर्स कॉसमॉस हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	चम्बा	19.8	उपलब्ध नहीं	08/06/2021	16100.00	402.50	100	302.50	18324	458.1	55.60
			योग						**10946.74**	**9941.40427**	**1005.34**		**30820.23**	**19873.49**

परिशिष्ट 5.2

(परिच्छेद 5.3)

जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं निरुपित न करना - ₹ 8.48 करोड़

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मेगावाट में क्षमता	तकनीकी - आर्थिक मंजूरी मिलने की तिथि	तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार लाख में परियोजना लागत	तकनीकी-आर्थिक मंजूरी में अनुमोदित माह में निर्माण अवधि	निर्माण प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि	स्थिति (प्रारंभ हुई तो प्रारंभ होने की तिथि)	संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी (अंतिम) के अनुसार लाख में परियोजना लागत	संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी (अंतिम) में दी गई तिथि	जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत (संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी का 2.5%) (लाख में)
1	रौरा	12	08.07.2002	9491	36	सितंबर, 2011	30/09/2019	9491	08/10/2015	237.29
2	कुवारसी II	15	29.05.2012	4088	24	जुलाई, 2015	22/12/2019	9579	12/08/2014	239.48
3	राला	13	28.04.2016	9674	24	नवंबर, 2008	24/12/2019	14850	03/03/2018	371.25
			योग	**23253**				**33920**		**848.02**

परिशिष्ट 6.1

(परिच्छेद 6.2.2.2)

भू-स्थानिक अध्ययन के लिए चयनित 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थल

ई ग्रीन जीपीएस आईडी	मण्डल	प्रतिपूरक वनीकरण साईट का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	अति सघन वन व मध्यम सघन वन के अंतर्गत क्षेत्र	अति सघन वन व मध्यम सघन वन के अंतर्गत हुआ व्यय	वनेत्तर के अंतर्गत क्षेत्र	वनेत्तर के तहत प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	खुले निम्नीकृत वन के अंतर्गत क्षेत्र	खुले निम्नीकृत वन के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	कुल क्षेत्र (बहुभुजों के अनुसार)	कुल व्यय
12218	बंजार	जालोर	2014-15	5.07	464660	0.00	0	0.01	916	5.08	465577
12219	बंजार	जालोर	2014-15	6.50	595719	0.09	8248	2.08	190630	8.67	794597
54702	बंजार	भाल्लन III	2020-21	0.00	0	5.57	609492	2.73	298728	8.30	908219
23684	बंजार	चुहार	2015-16	2.90	271428	0.47	43990	0.00	0	3.37	315419
16652	भरमौर	मंगलुण	2015-16	1.32	147800	9.54	1068194	0.00	0	10.86	1215994
16648	भरमौर	गुडेथ	2014-15	0.00	0	0.71	77888	10.68	1171617	11.39	1249506
16649	भरमौर	जगत	2014-15	0.00	0	10.64	1167229	0.00	0	10.64	1167229
16653	भरमौर	खनोग	2015-16	2.88	322474	3.80	425486	3.32	371740.4	10.00	1119700
9862	चम्बा	कलवारा	2013-14	10.83	991616	0.00	0	0.44	40287	11.27	1031904
8790	चम्बा	कठवाड	2011-12	0.00	0	18.70	1302343	0.00	0	18.70	1302343
8050	चम्बा	छरूघर	2011-12	1.56	108645	8.42	586402	0.00	0	9.98	695047
21225	चम्बा	बंधाल	2011-12	14.82	1032124	8.26	575259	0.00	0	23.08	1607384
17945	धर्मशाला	धर्मकोट	2013-14	8.84	809408	9.77	894561	1.14	104381	19.75	1808350
0000	धर्मशाला	सीएफएस शाहपुर	2012-13	23.62	2036375	9.87	850932	0.00	0	33.49	2887307
19490	कुल्लू	पतालसु III	2020-21	2.10	229790	0.80	87539	1.60	175078	4.50	492408
19574	कुल्लू	तारापुर III	2020-21	0.00	0	8.36	914785	0.68	74408	9.04	989193
19605	कुल्लू	बैरागढ़ III	2020-21	4.78	523047	0.00	0	0.00	0	4.78	523047
13454	कुनिहार	बेउली	2013-14	19.61	1795531	0.49	44865	4.83	442244	24.93	2282641

ई ग्रीन जीपीएस आईडी	मण्डल	प्रतिपूरक वनीकरण साईट का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	अति सघन वन व मध्यम सघन वन के अंतर्गत क्षेत्र	अति सघन वन व मध्यम सघन वन के अंतर्गत हुआ व्यय	वनेत्तर के अंतर्गत क्षेत्र	वनेत्तर के तहत प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	खुले निम्नीकृत वन के अंतर्गत क्षेत्र	खुले निम्नीकृत वन के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	कुल क्षेत्र (बहुभुजों के अनुसार)	कुल व्यय
13689	कुनिहार	मनन	2012-13	12.77	1100953	5.81	500903	1.33	114665	19.91	1716521
4927	कुनिहार	बरोटा	2014-15	9.31	853252	3.20	293277	3.42	313440	15.93	1459969
4926	कुनिहार	चडयार	2012-13	9.52	820757	0.00	0	0.00	0	9.52	820757
10884	नाचन	जबरात	2013-14	0.67	61347	0.13	11903	15.76	1443017	16.56	1516267
योग				**137**	**12164926**	**105**	**9463298**	**48**	**4741152**	**290**	**26369376**

परिशिष्ट 6.2

(परिच्छेद 6.2.2.5)

वन क्षेत्रों के अंदर प्रतिपूरक वनीकरण स्थल-वार संभावित अतिक्रमण

ई ग्रीन जीपीएस आईडी	मण्डल का नाम	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	निर्मित क्षेत्र	नदी के अधीन क्षेत्र	बंजर भूमि/चट्टानी क्षेत्र	झाड़ियां	हरित आवरण	कृषि	चरागाह	कुल क्षेत्र	अतिक्रमित क्षेत्र	अतिक्रमण का प्रतिशत
12218	सेराज	जालोर	2014-15	0.00	0.00	0.95	0.00	4.13	0.00	0.00	**5.08**	0.00	0.00
12219	सेराज	जालोर	2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	**8.67**	0.00	0.00
54702	सेराज	भल्लन III	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.25	5.87	1.30	0.88	**8.30**	1.30	15.66
23684	सेराज	चूहार	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.62	**3.37**	0.00	0.00
16652	भरमौर	मंगलूण	2015-16	0.00	0.72	0.00	4.53	1.47	0.62	3.52	**10.86**	0.62	5.71
16648	भरमौर	गुडेथ	2014-15	0.04	0.00	0.00	1.05	10.30	0.00	0.00	**11.39**	0.04	0.35
16649	भरमौर	जगत	2014-15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.81	4.86	4.95	**10.64**	4.88	45.86
16653	भरमौर	खनोग	2015-16	0.00	0.00	1.00	1.30	5.90	1.80	0.00	**10.00**	1.80	18.00
9862	चम्बा	कलवारा	2013-14	0.01	0.00	0.00	0.00	10.11	1.15	0.00	**11.27**	1.16	10.29
8790	चम्बा	कटवाड	2011-12	0.00	0.05	3.73	3.64	4.56	0.00	6.72	**18.70**	0.00	0.00
8050	चम्बा	छरूघर	2011-12	0.00	0.00	0.00	2.86	4.74	0.14	2.24	**9.98**	0.14	1.40
21225	चम्बा	बंधाल	2011-12	0.01	0.00	0.00	0.00	10.28	0.56	12.23	**23.08**	0.57	2.47
17945	धर्मशाला	धर्मकोट	2013-14	0.00	0.00	0.00	1.79	17.01	0.00	0.95	**19.75**	0.00	0.00
0000	धर्मशाला	सीएफएस शाहपूर	2012-13	0.03	0.00	0.00	0.30	31.23	0.94	0.99	**33.49**	0.97	2.90
19490	कुल्लू	पतालस् III	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	2.81	**4.50**	0.00	0.00
19574	कुल्लू	तारापूर III	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	1.29	3.63	**9.04**	1.29	14.27
19605	कुल्लू	बैरागढ़ तृतीय	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	**4.78**	0.00	0.00
13454	कुनिहार	बेउली	2013-14	0.00	0.00	0.00	11.61	13.32	0.00	0.00	**24.93**	0.00	0.00
13689	कुनिहार	मनन	2012-13	0.01	0.00	0.00	7.16	11.36	0.00	1.38	**19.91**	0.01	0.05
4927	कुनिहार	बरोटा	2014-15	0.00	0.00	0.00	0.20	14.07	0.91	0.75	**15.93**	0.91	5.71
4926	कुनिहार	चडयार	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.24	9.26	0.02	0.00	**9.52**	0.02	0.21
10884	नाचन	जबरात	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	1.79	**16.56**	0.00	0.00
योग				**0.12**	**0.77**	**5.68**	**34.93**	**191.20**	**13.59**	**43.46**	**290**	**13.71**	**4.73**

परिशिष्ट 6.3

(परिच्छेद 6.3)

सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में संभावित अतिक्रमण का विवरण

मण्डल का नाम	रेंज का नाम	बीट का नाम	वन का नाम	कम्पार्टमेंट	निर्मित क्षेत्र	कृषि	कुल अतिक्रमित क्षेत्र	कुल क्षेत्र	प्रतिशत
कुल्लू	नग्गर	सजला	संरक्षित वन 1/12	C-2, C-3	0.05	2.19	2.24	38.94	5.75
भरमौर	स्वाई	चन्हौता	सीमांकित संरक्षित वन 15-सिया	C-5	0.01	1.1	1.11	21.2	5.24
भरमौर	भरमौर	हड़सर	आरक्षित वन 145-मोहन हड़सर	C-2	0.01	0.87	0.88	104.34	0.84
चौपाल	सराइन	सरैन	सीमांकित संरक्षित वन अमता	C-3	0.01	2.41	2.42	38.04	6.36
चौपाल	नेरवा	ढेलौना	सीमांकित संरक्षित वन काहू	C-4 A	0.03	2.62	2.65	51.35	5.16
चौपाल	नेरवा	ढेलौना	सीमांकित संरक्षित वन काहू	C-4 B	0.01	1	1.01	39.24	2.57
चौपाल	नेरवा	खादर	सीमांकित संरक्षित वनकाहू	C-7	0.01	2.11	2.12	51.80	4.09
कुनिहार	अर्की	बैंज हट्टी	सीमांकित संरक्षित वन डी71	C-4	0	0.32	0.32	23.79	1.35
नाचन	नाचन	चचिओट	सीमांकित संरक्षित वन एनडी-435	C-6	0	4.18	4.18	34.64	12.07
नाचन	सेराज	घटधर	सीमांकित संरक्षित वन ओडी-270	C-1B	0	0.67	0.67	34.57	1.94
योग					**0.13**	**17.47**	**17.60**	**437.91**	**4.02**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in